डाक पंजीयन क्र. MP/Bhopal/186/2021-2023
लाइसेंस क्र. WPP/Tech/23-04/08/2021-2023
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 38506/84

# रोज़गार और निर्माण

प्रति सोमवार को प्रकाशित, भोपाल 09.01.2023 से 15.01.2023 वर्ष-40 अंक-02 मूल्य ₹ 10.00

टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

## जल को सहयोग और समन्वय का विषय बनाना प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी - प्रधानमंत्री

### मध्यप्रदेश में जनभागीदारी से जल प्रबंधन के लिए गतिविधियां जारी – मुख्यमंत्री

**प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर देश में पहली बार जल संरक्षण पर राज्यों के मंत्रियों का प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कुशाभाऊ ठाकरे इन्टरनेशनल कन्वेशन सेंटर भोपाल में आरंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री के वर्चुअली दिए गए वीडियो संदेश से हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है। जल संरक्षण के लिए देश को समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। जल को सहयोग और समन्वय का विषय बनाना प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है। जल प्रबंधन में सरकार के प्रयासों के साथ जनभागीदारी बढ़ाने के लिए सार्वजनिक पहल और सामाजिक संगठनों को जोड़ना आवश्यक है।**

**भोपाल**, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जनभागीदारी का लाभ यह होता है कि जनता को भी उस कार्य की गंभीरता और उसमें लगाए गए संसाधनों की जानकारी मिलती है और जनता उस गतिविधि के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप का अनुभव भी करती है।

श्री मोदी ने कहा कि फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। देश में पर ड्रॉप-मोर क्रॉप अभियान को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। उन्होंने अटल भू-जल संरक्षण योजना में भू-जल पुनर्भरण के लिए माइक्रो स्तर पर गतिविधियां संचालित करने की आवश्यकता भी बतायी।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में जल संरक्षण पर राज्यों के मंत्रियों के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुये।

#### देश के हर जिले में बन रहे अमृत सरोवर

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश हर जिले में 75 अमृत सरोवर बना रहा है, जिसमें अब तक 25 हजार अमृत सरोवर बन चुके हैं। उन्होंने समस्याओं की पहचान करने और समाधान खोजने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग और स्टार्टअप को इनसे जोड़ने की आवश्यकता बताई। जल जीवन मिशन की सफलता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने प्रस्ताव दिया कि ग्राम पंचायतें जल जीवन मिशन का नेतृत्व करें।

#### जल संरक्षण की गतिविधियां की जा रही हैं संचालित

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में जल संरक्षण और उसके मितव्ययी उपयोग के लिए संवेदनशीलता के साथ गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में वर्ष 2003-04 तक सिंचाई क्षमता 7 लाख 50 हजार हेक्टेयर थी, जो अब बढ़ कर 43 लाख हेक्टेयर हो गई है। हमारा लक्ष्य 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का है। जल के मितव्ययी उपयोग के लिए पाइप लाइन और स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी नदी या जल संरचना बाहरी कारकों से प्रदूषित न हो। इसके लिए वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में संवेदनशीलता और सक्रियता से काम करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वाटर विजन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श के लिए भोपाल का चयन करने पर केंद्र शासन का आभार मानते हुए कहा कि भोपाल, जल-प्रबंधन का ऐतिहासिक रूप से अनूठा उदाहरण रहा है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने भोपाल में वाटर विजन के आयोजन की सहमति देने और सहयोग उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री का आभार माना। श्री शेखावत ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमारा देश विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है। देश में जल की भण्डारण क्षमता को बढ़ाना भी आवश्यक है।

### फिजियोथेरेपी की पढ़ाई

## सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों में होगी

**भोपाल**, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने फिजियोथेरेपी कोर्स करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिये बड़ा निर्णय लिया। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से मध्यप्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों में बीपीटी (बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स) का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जायेगा। इसकी शुरुआत सबसे पहले राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से की जायेगी।

श्री सारंग ने बताया कि शासकीय मेडिकल कॉलेजों में फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने से अध्ययन/प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों, इन्टर्न और पी.जी. स्कॉलर्स को उच्च स्तरीय शिक्षण-प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही चिकित्सा संस्थानों पर बड़ी संख्या में आने वाले रोगियों को योग्य फिजियोथेरेपिस्ट के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिये मानव संसाधन भी उपलब्ध रहेगा।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि बीपीटी कोर्स की शुरुआत सबसे पहले भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से इसी शैक्षणिक सत्र 2023-24 से की जायेगी। आने वाले समय में यह कोर्स प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों में शुरू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि भोपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा सेवा का महत्त्वपूर्ण केंद्र है, जहां से आधुनिक चिकित्सा पद्धति के लगभग 100 से अधिक चिकित्सक प्रति वर्ष तैयार होते हैं। वर्तमान में शासकीय मेडिकल कॉलेज, इन्दौर एवं शासकीय मेडिकल कॉलेज, जबलपुर में फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम संचालित हैं। इन कॉलेजों के ही समान गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल सहित प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों में पहले से ही आधारभूत सुविधाएं और व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं।

## राज्य स्तरीय रोज़गार दिवस कार्यक्रम 13 जनवरी को होगा

**भोपाल**, युवा समागम कार्यक्रम 13 जनवरी के साथ ही रोज़गार दिवस कार्यक्रम भी सम्मिलित रूप से किया जायेगा। भोपाल में प्रस्तावित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे।

सचिव, एमएसएमई श्री पी. नरहरि ने विभागीय अधिकारियों और सभी कलेक्टर को तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्वामी विवेकानंद जंयती पर 12 एवं 13 जनवरी 2023 को 'युवा संवाद एवं युवा समागम' कार्यक्रम किया जा रहा है। श्री नरहरि ने बताया कि युवा समागम के दूसरे दिन 13 जनवरी को रोज़गार दिवस कार्यक्रम सम्मिलित रूप से किया जायेगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में हुए रोज़गार दिवस कार्यक्रमों की तरह ही यह कार्यक्रम संपादित किया जायेगा, जिसमें विशेष रूप से युवा वर्ग के हितग्राहियों को आमंत्रित किया जायेगा।

- **पिछला सप्ताह-** देश-विदेश की साप्ताहिक खबरों का संक्षिप्त विवरण
- **चर्चा में-** प्रमुख चर्चित व्यक्तियों और ध्यान आकर्षित करने वाली खबरों की चर्चा
- **खेल चर्चा-** प्रमुख खेल गतिविधियों का विवरण
- **सामयिकी-** देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं

### स्टार्टअप पॉलिसी

## सफल युवा उद्यमियों का प्रदेश हित में करेंगे उपयोग -मुख्यमंत्री

**भोपाल**, स्टार्टअप से जुड़े प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा का प्रदेश हित में उपयोग किया जाएगा। ये सफल उद्यमी अपनी तरह अन्य युवाओं को स्वयं के उद्योग व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए तैयार करेंगे। प्रदेश की युवा नीति के निर्माण में भी स्टार्टअप से जुड़े सफल युवाओं सहित अन्य युवाओं से प्राप्त सुझावों को आधार बनाया जाएगा। इसे अंतिम रूप देने के पहले महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल किया जाएगा। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा उद्यमियों से मुलाकात के दौरान कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के प्रति युवा भी उत्साहित हैं। इन कार्यक्रमों में युवा बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। जीआईएस में विभिन्न क्षेत्रों में संभावित निवेश का आकलन कर कुशल मानव संसाधन तैयार करने का कार्य होगा। प्रदेश में करीब 2600 स्टार्टअप पंजीकृत हैं। साथ ही 40 से अधिक इन्क्यूबेटर्स काम कर रहे हैं। प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी आने के बाद 11 माह में अच्छे परिणाम सामने आए हैं। एक हजार से अधिक स्टार्टअप्स को बेटियां लीड कर रही हैं।

### एजेन्टों और पाठकों के लिए जरूरी सूचना

रोज़गार और निर्माण के इस अंक में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर के अनेक महत्वपूर्ण विज्ञापनों का प्रकाशन किया जा रहा है। इन विज्ञापनों में **मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा, मध्यप्रदेश वन सेवा परीक्षा, राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारी तथा खाद्य विश्लेषक/औषधि विश्लेषक के पद, वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत कराधान सहायक और उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनेक विषयों में सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल तथा क्रीड़ा अधिकारी के पद शामिल हैं।** रोज़गार और निर्माण का यह अंक कुल 72 पृष्ठों का है। यह दो हिस्सों में प्रकाशित होगा। इसका पहला हिस्सा 40 पृष्ठों का और दूसरा हिस्सा 32 पृष्ठों का होगा। पाठक और एजेंट कृपया ध्यान रखें कि वे रोज़गार और निर्माण की प्रति प्राप्त करते वक्त अखबार के दोनों हिस्से प्राप्त करें।

**प्रबंधक, विज्ञापन और प्रसार**

## मध्यप्रदेश में हर गरीब का होगा पक्का मकान - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान टीकमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुये।

**टीकमगढ़**, प्रदेश में टीकमगढ़ से नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत हुई है। प्रदेश में अब कोई भी व्यक्ति घास-फूस के अथवा कच्चे मकान में नहीं रहेगा। सरकार सभी गरीब आवासहीन व्यक्तियों को आवासीय भूमि के पट्टे दिलवायेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री जन-आवास योजना में इन पट्टों पर पक्के मकान बनवाये जायेंगे। ये केवल पट्टे नहीं, बल्कि गरीबों का सम्मान, उनकी इज्जत है। अब उनसे कोई यह नहीं कह सकेगा कि इस जगह से हटो। उन्हें अचल सम्पत्ति मिल रही है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवासीय भू-खण्ड योजना के चयनित हितग्राहियों को आवासीय भू-खण्ड वितरित कर विधिवत शुरुआत करते हुए कहीं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आवंटित भू-खण्डों के आसपास सभी बुनियादी सुविधाएं सड़क, बिजली, पानी, सीवेज लाइन आदि उपलब्ध करवायी जायें।

श्री चौहान ने कहा कि यहां कोई राजा नहीं है- मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, कमिश्नर, कलेक्टर सब जनता के सेवक हैं। हमारा काम है कि जनता को अपने कार्यों और शासकीय योजनाओं के लाभ के लिये इधर-उधर भटकना न पड़े। उन्होंने टीकमगढ़ जिले में प्राप्त एक लाख 52 हजार आवेदनों में से एक लाख 44 हजार आवेदनों के निराकरण के लिये जिला प्रशासन को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 6 अप्रैल से फिर अभियान के शिविर लगाये जायेंगे।

*(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)*

## 31 दिसम्बर

### चीन से आने वाले यात्रियों को देनी होगी नेगेटिव कोविड रिपोर्ट

- दुनियाभर में एक बार फिर मंडराते कोरोना संक्रमण के संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने चीन सहित छह देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव कोविड रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने कहा कि चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और सिंगापुर से भारत आने वाले यात्रियों को यात्रा करने के लिए 72 घंटे के भीतर कोविड परीक्षण कराना होगा और आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट को प्रस्थान से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। उन्होंने कहा कि विदेश से आने वाली प्रत्येक उड़ान के दो प्रतिशत यात्रियों के लिए रैंडम सैम्पलिंग पहले से की जा रही है।
- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी नेट 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने बताया कि यूजीसी नेट जून 2023 सत्र की परीक्षा 13 जून से 22 जून 2023 तक चलेगी। उन्होंने बताया कि यूजीसी नेट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया मई 2023 से शुरू हो सकती है। यूजीसी के चेयरमैन ने कहा कि दिसंबर 2022 सत्र की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होगी, इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 17 जनवरी तक चलेगी।

## 1 जनवरी

### छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में हुई बढ़ोत्तरी

- केंद्र सरकार ने छोटी जमा योजनाओं पर ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी करने का ऐलान किया है। अब छोटी जमा योजनाओं के निवेशकों को ब्याज दरों में 0.40 प्रतिशत से लेकर 1.10 प्रतिशत तक का फायदा मिलेगा। सरकार ने यह इजाफा जनवरी-मार्च 2023 तिमाही के लिए किया है। सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि छोटी जमा योजनाओं, जिनमें पोस्ट ऑफिस सावधि जमा, राष्ट्रीय बचत पत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना आदि की ब्याज दर में वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के तहत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर वर्तमान के 7.6 प्रतिशत के मुकाबले 8 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। इसी तरह अन्य बचत योजनाओं की ब्याज दर में भी वृद्धि हुई है।
- मेडिकल कॉलेजों के पीजी स्टूडेंट्स को पढ़ाई के दौरान ही जिला अस्पतालों में तीन माह की अवधि के लिए काम करना अनिवार्य होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। एनएमसी के पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन बोर्ड ने इसे डिस्ट्रिक्ट रेजीडेंसी प्रोग्राम (डीआरपी) नाम दिया है। एनएमसी के अनुसार पीजी प्रोग्राम के तीसरे, चौथे या पांचवें सेमेस्टर में पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह प्रोग्राम अनिवार्य होगा कि वर्ष 2020 में एडमिशन लेने वाले छात्र अब अंतिम वर्ष में हैं और जल्द ही उनकी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, इसलिए उन छात्रों के लिए यह प्रोग्राम अनिवार्य नहीं होगा।

## 2 जनवरी

### भारत वर्ष 2024 में लॉन्च करेगा अपना पहला मानव मिशन गगनयान

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) देश का पहला मानव मिशन 'गगनयान' वर्ष 2024 में लॉन्च करेगा। यह जानकारी केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि भारत मिशन गगनयान के लिए तैयार है। डॉ. सिंह ने कहा कि मिशन गगनयान कार्यक्रम को वर्ष 2022 में आगे बढ़ाने का विचार था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसमें देर हो गई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में मिशन गगनयान में दो प्रारंभिक लॉन्चिंग भी होगी। पहली लॉन्चिंग मानवरहित होगी। यह प्रयोग मार्ग के चिह्नांकन के लिये होगी। दूसरी लॉन्चिंग भी मानवरहित होगी, लेकिन उसमें मानव प्रतिरूप में रोबोट होगा। ये दोनों प्रयोग सुनिश्चित करेंगे कि हम पूरी तरह तैयार हैं। इसके बाद तीसरी लॉन्चिंग में अंतरिक्षयात्रियों को भेजा जायेगा।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा में पूर्वी यरुशलम समेत फिलिस्तीन अधिकृत क्षेत्र में फिलिस्तीनी लोगों के मानवाधिकारों को प्रभावित करने वाली इजराइल की गतिविधियों के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 87 तथा विरोध में 26 मत पड़े। भारत ने इस प्रस्ताव पर हुए मतदान में हिस्सा नहीं लिया। भारत के साथ विश्व के 52 देश भी मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायिक निकाय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से मामले पर सलाह देने का अनुरोध किया गया है कि वर्ष 1967 के बाद फिलिस्तीनी क्षेत्र पर कब्जा करके, बस्तियां बसाकर और हमले करके इजराइल द्वारा किए जा रहे फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के उल्लंघन के क्या कानूनी परिणाम हो सकते हैं।

## 3 जनवरी

### ऑनलाइन गेमिंग नियमों के संबंध में ड्राफ्ट हुआ जारी

- केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। ड्राफ्ट के अनुसार सरकार ने गेमिंग कंपनियों के लिए एक स्व-नियामक तंत्र, खिलाड़ियों के लिए अनिवार्य वेरिफिकेशन और वास्तविक पता आदि का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही ड्राफ्ट में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के तहत लाने का प्रावधान किया गया है। ये आईटी नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वर्ष 2021 में जारी किए गए थे। ड्राफ्ट के अनुसार सरकार का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के विकास को एक जिम्मेदार तरीके से सक्षम बनाना है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ने कहा कि वर्ष 2023 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किलों भरा होगा। जॉर्जीवा के अनुसार अमेरिका, चीन और यूरोप की अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2023 बीते वर्षों की अपेक्षा ज्यादा कठिन होगा। हमें आशंका है कि वर्ष 2023 की एक तिमाही में वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में होगी।

## 4 जनवरी

### यूआईडीएआई ने जारी किया आधार अपडेशन से जुड़ा नया नियम

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार में पता अपडेट करने को लेकर नया नियम जारी किया है। अब परिवार के मुखिया के एड्रेस प्रूफ के आधार पर आधार कार्ड में पता अपडेट किया जा सकेगा। यूआईडीएआई ने बताया कि पहले आधार कार्ड में पता बदलवाने के लिए एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब पता अपडेट कराने से पहले परिवार के मुखिया की सहमति जरूरी होगी। सहमति के बाद आवेदक ऑनलाइन अपने आधार कार्ड में पता अपडेट कर सकते हैं। यूआईडीएआई के अनुसार परिवार का मुखिया आधार में पता बदलवाने के अनुरोध को 30 दिन के अंदर स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
- भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में जारी तनाव के बीच देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने चीन को चेतावनी देते हुये कहा कि भारत युद्ध में विश्वास नहीं रखता है, लेकिन यदि युद्ध थोपा गया तो भारत पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने तवांग सेक्टर में चीनी सेना की घुसपैठ की कोशिश को विफल करते हुए खदेड़ा है। श्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पुल का उद्घाटन किया। इस पुल को सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने बनाया है।

## 5 जनवरी

### भारत बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन का हब

- केंद्र सरकार ने भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक हब बनाने के लिए देश में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लागू करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19 हजार 744 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार यह मिशन रिफाइनिंग, स्टील, सीमेंट, लौह-अयस्क, जहाजरानी और आवागमन जैसे सेक्टरों में प्रदूषण फैलाने वाली मौजूदा गैसों के इस्तेमाल की जगह ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देगा।
- फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा को यूरोपीय यूनियन (ईयू) में तगड़ा झटका लगा है। ईयू के नियामकों ने मेटा पर ईयू के डाटा प्रोटेक्शन कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए लगभग 390 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। ईयू ने कहा कि मेटा पर आरोप है कि उसने अपने यूजर्स को अवैध रूप से पर्सनलाइज्ड विज्ञापन देखने पर मजबूर किया है। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद मेटा को यूरोपीय यूनियन में अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के बिजनेस में भारी बदलाव और कटौती करने पर मजबूर होना पड़ सकता है।

## 6 जनवरी

### विदेशी विश्वविद्यालय भारत में खोल सकेंगे अपने कैम्पस

- उच्च शिक्षा के लिये विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को देश में ही विश्वस्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान अब देश में कहीं भी अपने कैम्पस खोल सकेंगे। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नई शिक्षा नीति की सिफारिश के बाद एक मसौदा तैयार किया है। इस मसौदे के तहत विश्वविद्यालयों को भारत में अपना कैम्पस स्थापित करने के लिये यूजीसी से मंजूरी लेनी होगी।
- अमेरिका एक बार फिर वीजा शुल्क बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने वीजा शुल्क में भारी बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव तैयार किया है। नये नियम के तहत अमेरिका में एच-1बी वीजा के लिये आवेदन शुल्क 460 डॉलर से बढ़ाकर 780 डॉलर और एल-1 वीजा के लिये आवेदन शुल्क 460 डॉलर से बढ़ाकर 1385 डॉलर करने का प्रस्ताव है।

*(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)*

R-48045/2023

वर्ष 40, अंक 2 09.01.2023 से 15.01.2023

**रोज़गार और निर्माण**

rojgaraurnirman.in

- **प्रबंध संचालक** - राघवेन्द्र कुमार सिंह
- **सम्पादक** - पुष्पेन्द्र पाल सिंह
- **कार्यकारी सम्पादक** - राजीव तिवारी
- **प्रबंधक** - वंदना चतुर्वेदी (विज्ञापन एवं प्रसार)
- **प्रबंधक** - सुभाष चन्द्र जोशी (मुद्रण)
- **आकल्पन** - अरविन्द टोप्पो
- **वेबसाइट** - आत्माराम शर्मा

**वार्षिक सदस्य बनने के लिये** रुपये 500/- (पाँच सौ) का डी.डी., मनीऑर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर रोज़गार और निर्माण, भोपाल के नाम बनवाकर नीचे लिखे पते पर भेजें :-

**रोज़गार और निर्माण, मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन-462011**

फोन- 2760006, 2551330, 4281330, फैक्स - 4228409, **e-mail : madhyam.rojgar@gmail.com**

रोज़गार और निर्माण कार्यालय में नगद राशि जमा कर भी इसकी वार्षिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है।

रोज़गार और निर्माण में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र भोपाल रहेगा। रोज़गार और निर्माण में निजी संस्थाओं के विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं, इन विज्ञापनों में किए गए दावे और तथ्य निजी संस्थाओं के अपने होते हैं। इसका समाचार पत्र के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है।

## सम्पादकीय

# जनता को समय-सीमा में मिले जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ

नव वर्ष में निर्धारित रोडमैप के साथ राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जाये। हमारा जीवन तभी सार्थक होगा, जब हम अपनी शत-प्रतिशत क्षमता से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। उपरोक्त बातें मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहीं। मुख्यमंत्री भोपाल स्थित निवास में अपने संवाद कक्ष में नव वर्ष पर मंत्रिगण, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, एचओडी, सभी संभागायुक्त, कलेक्टर्स, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त एवं जिला पुलिस अधीक्षक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट बनने जैसी हमारी अनेक उपलब्धियां हैं। सालभर में हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उसे जनता के सामने रखें। लघु फिल्मों, सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से हर विभाग की उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके लिये हमारा योगदान बेहतर होना चाहिये। हमें हर क्षण का उपयोग करना है। समय को व्यर्थ नहीं जाने देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजन और मिशन के साथ कार्य करें। ऐसे काम हों जो प्रदेश की जनता की जिंदगी बदल दें। संबंधित विभाग जी-जान से कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिये हरसंभव प्रयास करें, जिससे अधिकतम लोग निवेश करें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिये प्रदेश में खेलमय वातावरण बने। जी-20 के माध्यम से प्रदेश की बेहतर ब्रॉडिंग हो। जीरो डिफेक्ट-मैक्सिमम इफेक्ट वाले आयोजन होने चाहिये। विभाग के मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी इस पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक प्रदेश में विकास यात्रा निकाली जायेगी। गांव-गांव जाकर उपलब्धियों का प्रचार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस केवल सरकारी कर्मकांड बनकर नहीं रहेगा, इसमें जनता शामिल हो। मैं स्वयं जबलपुर में रहूंगा। गणतंत्र दिवस को अद्भुत और उत्सवीय माहौल में मनाया जाये। इसके लिये विभिन्न कार्यों की प्राथमिकता तय कर कार्य करें। संत रविदास की जयंती पर सामाजिक समरसता के साथ कार्यक्रम हों। मुख्यमंत्री ने सीएम जनसेवा अभियान के अद्भुत आयोजनों के लिये बधाई दी। उन्होंने कहा कि जनसेवा अभियान का एक और दौर अप्रैल में चलेगा। हवाई जहाज से मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन यात्रा होगी। कूनो में चीता प्रोजेक्ट बनेगा। बैगा, भारिया, सहरिया जाति के अलावा कोल वर्ग की महापंचायत होगी। हर विभाग का रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जो टारगेट तय किये थे, उसकी जानकारी ली जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम कॉन्क्लेव के निर्देशों का पालन होना चाहिये। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश ने कितना काम किया इसका भी रिपोर्ट कार्ड बनेगा। आम बजट की तैयारी करें, घोषणाओं और निर्देशों को पूरा करें। हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ समय पर मिले, तृतीय-चतुर्थ और संविदा श्रेणी के वेतन और मानदेय का भुगतान समय पर हो। जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, भू-अधिकार, राशन आपके ग्राम, स्व-निधि, युवा उद्यमी, स्वच्छ भारत मिशन, अटल प्रगति पथ, आयुष्मान भारत, अमृत सरोवर, लाड़ली लक्ष्मी, संबल योजना, प्राकृतिक खेती आदि की मॉनीटरिंग ढंग से कर लाभ मिलना चाहिये।

# आदमी के शरीर में 'बुलेट प्रूफ प्रोटीन'

आदमी को हथियारों और अन्य घातक औजारों से नुकसान पहुंचता है। इसके साथ ही वैज्ञानिक हथियारों और उनसे बचाव करने वाले यंत्रों पर नियमित रूप से शोध कर रहे हैं। अब ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने इंसानों को गोली लगने से बचाने के लिये बनाये गये एक सुरक्षा कवच को लेकर चौंकाने वाले दावे किये हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने इंसान के शरीर में पाये जाने वाले प्रोटीन से एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया है जिस पर गोली का असर नहीं होगा। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ केंट के वैज्ञानिकों ने कहा ध्वनि की गति से चलने वाली गोलियों को रोकने वाला यह नया बॉडी आर्मर पुलिसकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। यह सुरक्षा सूट पहनने में हल्का और आरामदायक होंगे। इसमें मानव कोशिकाओं में पाये जाने वाले प्रोटीन टॉरीन का इस्तेमाल किया गया है। केंट यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट लीडर प्रोफेसर बेंजामिन गॉल्ट ने कहा टॉरीन प्रोटीन के प्रत्येक अणु में 13 स्विच होते हैं, जो तनाव उत्पन्न होने पर सक्रिय होते हैं और तनाव कम होने के बाद ये अपने आप बंद हो जाते हैं। शोध के अनुसार सुरक्षा कवच में टॉरीन प्रोटीन का इस्तेमाल करने के लिये शोध टीम ने टॉरीन प्रोटीन को अनुकूलित किया, फिर उन्हें एक जाल बनाने के लिये पानी और एक जेलिंग एजेन्ट को उपयोग करके एक साथ जोड़ा। शोधकर्ता प्रोफेसर गॉल्ट ने बताया कि टॉरीन प्रोटीन इंसानी कोशिकाओं में मौजूद होता है। यह शरीर को होने वाले प्राकृतिक नुकसान से बचाता है। जब मस्तिष्क को यह एहसास होता है कि शरीर को चोट लगने वाली है, तो शरीर में मौजूद शॉक अब्जर्वर टॉरीन प्रोटीन को सक्रिय कर देता है और वह सुरक्षा की मुद्रा में आ जाता है।

**- देवेश तिवारी**

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर लिखते हैं)

राष्ट्रीय युवा दिवस | 12 जनवरी

# स्वामी विवेकानन्द जयंती को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस

संयुक्त राष्ट्र के निर्णयानुसार वर्ष 1984 को 'अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष' घोषित किया गया था। इसके महत्व के परिप्रेक्ष्य में ही भारत सरकार ने भी वर्ष 1984 से ही 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानन्द जयन्ती को देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया था। भारत सरकार का विचार था कि स्वामी विवेकानन्द का दर्शन एवं उनके जीवन तथा कार्य में निहित उनका आदर्श भारतीय युवकों के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है। इस दिन देशभर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में तरह-तरह के कार्यक्रम होते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं, योगासन की स्पर्धा आयोजित की जाती है; व्याख्यान होते हैं; विवेकानन्द साहित्य की प्रदर्शनी भी लगती है। स्वामी विवेकानन्द आधुनिक मानव के आदर्श प्रतिनिधि हैं। विशेषकर भारतीय युवकों के लिए स्वामी विवेकानन्द से बढ़कर दूसरा कोई व्यक्ति सर्वस्वीकार्य आदर्श हो ही नहीं सकता है। उन्होंने हमें कुछ ऐसे विचार दिये हैं, जो हममें अपने उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त परम्परा के प्रति एक स्वाभिमान जगाते हैं। स्वामीजी ने जो कुछ भी लिखा है वह हमारे लिए हितकर है और आगे भी रहेगा। यह प्रभाव आने वाले लम्बे समय तक हमें प्रभावित करता रहेगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उन्होंने वर्तमान भारत को दृढ़ रूप से प्रभावित किया। भारत की युवा पीढ़ी स्वामी विवेकानन्द से निःसृत होने वाले ज्ञान, प्रेरणा एवं तेज के स्रोत से हमेशा लाभ उठाएगी। स्वामी विवेकानन्द के इन्हीं आदर्शों को देश की युवा पीढ़ी यदि आत्मसात करें, इसी ध्येय से उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

### तेजस्वी वक्ता और महान दार्शनिक थे स्वामी विवेकानन्द

स्वामी विवेकानन्द के बचपन का नाम नरेन्द्र नाथ दत्त था। उनका जन्म वर्ष 1863 में भारत के कोलकाता शहर में एक कुलीन परिवार में हुआ था। यह मेधावी बालक आगे चलकर भारतीय संस्कृति का ध्वजवाहक बना और स्वामी विवेकानन्द के नाम से जाना गया। वर्ष 1893 में स्वामी विवेकानन्द ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संक्षिप्त किंतु प्रभावी वक्तव्य में पश्चिमी दुनिया का भारतीय वेदान्त दर्शन से परिचय करवाया और उन्हें भारतीय संस्कृति और सनातन जीवन पद्धति से भी अवगत करवाया। इस क्षण को 'ईस्ट मीट वेस्ट' के तौर पर जाना जाता है। वर्ष 1897 में स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद से लौटने के बाद अपने गुरू संत श्रीरामकृष्ण परमहंस के नाम पर सामाजिक सेवाओं के लिए 'रामकृष्ण मिशन' की स्थापना की। इस मिशन के आदर्श कर्म योग और गुरू श्रीरामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं पर आधारित हैं। वर्ष 1902 में 4 फरवरी के दिन स्वामी विवेकानन्द अपने कमरे में गए और ध्यान लगाकर बैठ गए। इसी ध्यान अवस्था में वह इस दुनिया से परलोक प्रस्थान कर गए। वर्ष 1984 में भारत सरकार ने अपने इन महान आध्यात्मिक और दार्शनिक नेता का सम्मान करने और देश के युवाओं को उनके विचारों से प्रोत्साहित करने के लिए स्वामी विवेकानन्द के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया। शिकागो में विश्व धर्म संसद के भाषण ने उन्हें विश्वस्तर पर अलौकिक और तेजस्वी वक्ता एवं दार्शनिक के तौर पर पहचान दिलाई। उनके दिए गए उपदेश और बताए गए आदर्श आज भी अमर हैं। स्वामी विवेकानन्द

ने हमेशा युवाओं की क्षमता के सम्यक उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया। वह युवा पीढ़ी को प्रेरित करना चाहते थे, ताकि वे अंग्रेजों का मुकाबला कर सकें और स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें।

### भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में मनाते हैं यह दिवस

भारत में रामकृष्ण मिशन के केंद्रों पर, रामकृष्ण मठ में और उनके कई शाखा केंद्रों पर भारतीय संस्कृति और परम्परा के अनुसार राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय युवा दिवस पर जो गतिविधियां होती हैं, उनमें खेल, सेमीनार, वेबीनार, निबन्ध-लेखन प्रतियोगिता, प्रस्तुतिकरण, योगासन, सम्मेलन, गायन, संगीत, व्याख्यान और स्वामी विवेकानन्द पर भाषण तथा उनके दर्शन पर केंद्रित पोस्टर-बैनर के साथ परेड के आयोजन भी होते हैं। भारतीय युवाओं को प्रेरित करने के लिये विद्यार्थियों द्वारा स्वामी विवेकानन्द के विचारों से संबंधित व्याख्यान और लेखन भी किया जाता है। युवाओं की अन्तरात्मा के प्रस्फुटन, आत्मबल के प्रोत्साहन, युवाओं के बीच भरोसा बढ़ाने, उनकी जीवन शैली के उन्नयन, कला और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये भारत में और विदेशों में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस दिन देश में युवाओं को अपनी संस्कृति और परम्परा की उन विशिष्टताओं से परिचित करवाया जाता है, जिससे भारत की विश्व में एक अलग और श्रेष्ठतम पहचान बनी है। युवा वर्ग को इस दिन भारत के गौरवशाली इतिहास से भी परिचित करवाया जाता है, जिससे सीख लेकर वे देश को आगे बढ़ाने में अपनी ताकत को पहचान सके। यह संस्कार ही हैं जो युवाओं को पतन की राह पर जाने से बचाते हैं अतः राष्ट्रीय युवा दिवस पर संस्कारों की शक्ति को दर्शाने वाले व्याख्यान रखे जाते हैं। इस दिन विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करने वाले युवाओं को सम्मानित भी किया जाता है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके युवाओं के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन से संबंधित आयोजन करने और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए उपयोगी सम्भाषण भी रखे जाते हैं। युवा वर्ग को सही राह पर चलने की प्रेरणा देने वाली नैतिक शिक्षा के आयोजन भी इस दिन होते हैं।

### युवाओं के विकास पर केंद्रित होती है युवा दिवस की थीम

राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए प्रति वर्ष एक थीम (विषय वस्तु) तय की जाती है, जो युवाओं के समग्र विकास की दिशा तय करती है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम - इट्स ऑल इन द माइंड (सब कुछ मस्तिष्क में ही है) रखी गई है। यह विषय बताता है कि किसी भी व्यक्ति की समस्याओं की जड़ मुख्य रूप से उसके अपने विचार होते हैं। विवेकानन्द भारतीय रहस्यवादी दार्शनिक, रामकृष्ण के प्रबल अनुयायी और मन को नियंत्रित करने की प्रतिभा में दक्ष थे। पिछले कुछ वर्ष के राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम पर विचार करना भी प्रासंगिक होगा, क्योंकि इससे इस दिवस की महत्ता और युवा वर्ग के इससे जुड़ाव का अनुमान लगाया जा सकता है। वर्ष 2011 में- युवाओं के परिप्रेक्ष्य में 'सबसे पहले भारत'। वर्ष 2012 में युवाओं को एकजुटता के लिए प्रेरित करने के लिए- 'विविधता में एकता का जश्न' और वर्ष 2013 की थीम थी- 'युवा शक्ति की जागरूकता'। वर्ष 2014 की थीम थी 'ड्रग्स मुक्त संसार के लिये युवा'। वर्ष 2015 की थीम थी- 'यंगमंच और स्वच्छ', 'हरे और प्रगतिशील भारत के लिये युवा' और वर्ष 2016 की थीम थी- 'विकास, कौशल और सद्भाव के लिए भारतीय युवा'। वर्ष 2017 में राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए थीम- 'डिजिटल इंडिया के लिए युवा', वर्ष 2018 में राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए थीम- 'संकल्प से सिद्धि' और वर्ष 2019 में 'राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति के इस्तेमाल' तय की गई थी। वर्ष 2020 में वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में - 'वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी' थीम रखी गई थी ताकि विकास में युवाओं की सहभागिता तय कर सकें। गत वर्ष 2021 में राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए थीम- 'युवा-उत्साह नए भारत का' थी, जो युवाओं को नये भारत के लिए उत्साह से भरने में अहम् साबित हुई।

### कोरोना काल में महत्वपूर्ण थी युवाओं की भूमिका

बच्चे और युवा समाज में बड़े परिवर्तन के विश्वसनीय और महत्वपूर्ण कारक हैं। विश्व में अभी तक जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं उनमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कोरोना संक्रमण काल में भी संक्रमण से निपटने और उससे बचाव के अनुशासन का पालन करने और करवाने में और संक्रमितों की सहायता में वैश्विक स्तर पर और भारत में भी युवाओं का बड़ा अवदान रहा है। युवावर्ग इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं कि उन्हें क्या करने की जरूरत है और वे क्या कर सकते हैं। साथ ही उनके परिवारजन और दोस्तों के लिए क्या सही है यह भी वे भली-भांति जानते हैं। युवा परिवर्तन में जो भूमिका निभाते हैं उसके आकलन के लिए वयस्कों को युवाओं की आवाज को सुनना होगा। इसके लिए यूनिसेफ ने वैश्विक स्तर पर- 'जनरेशन अनलिमिटेड': नामक एक कार्यक्रम को अपनाया है। भारत एक कार्यक्रम में यूनिसेफ के साथ काम कर रही है। कुछ साल पहले देशभर के युवाओं के साथ मिलकर यूनिसेफ ने गहन विचार-विमर्श किया था कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान संक्रमितों के उपचार का समर्थन कैसे किया जा सकता है और लहर के संक्रमण से बड़ी आबादी को कैसे बचाया जा सकता है। ऐसी ही कठिन परिस्थितियों में तत्काल युवा वर्ग की मदद की आवश्यकता महसूस होती है। साथ ही यह भी देखा है कि कैसे हम युवाओं को संचार के सभी माध्यमों से जोड़ सकते हैं, ताकि उन्हें कोरोना संक्रमण जैसे कठिन समय में काम करने में सहूलियत हो, जिसे वे आसानी से और सुरक्षित रूप से कर सकें। आमजन मास्क पहनने से लेकर टीकाकरण तक बहुत सारी जानकारी छुपाते थे। युवा वर्ग ने इन जानकारियों को अपने परिवार के साथ शेयर किया। इसके लिए युवाओं के साथ मिलकर जन-आन्दोलन भी चलाया गया और उसे वैश्विक स्तर पर आगे भी ले जाया गया। युवावर्ग इस आन्दोलन से व्हाट्स ऐप, टेलीग्राम, फेसबुक मैसेंजर पर हैशटैग 'यंगवॉरियर' से भी जुड़े थे।

**राजा दुबे**

(लेखक, जनसम्पर्क विभाग से सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक हैं)

# मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

## रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

| | | |
|---|---|---|
| **विज्ञापन क्रमांक 11/2022**<br>**दिनांक 30.12.2022** | **प्रवेश-पत्र की उपलब्धता तिथि**<br>**14.05.2023** | **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि**<br>**09.02.2023 दोपहर 12:00 बजे तक** |

# राज्य सेवा परीक्षा 2022

**प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 21.05.2023 (रविवार)**

| | | |
|---|---|---|
| **प्रथम प्रश्न पत्र :** | **सामान्य अध्ययन** | **प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक** |
| **द्वितीय प्रश्न पत्र :** | **सामान्य अभिरुचि परीक्षण** | **अपरान्ह 02:15 बजे से 04:15 बजे तक** |

## महत्वपूर्ण निर्देश

**A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-**

1. राज्य सेवा परीक्षा 2022 एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 के लिए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में राज्य सेवा परीक्षा अथवा राज्य वन सेवा परीक्षा अथवा दोनों परीक्षाओं में शामिल होने हेतु विकल्प सावधानीपूर्वक चयन करें। चयनित विकल्प के अनुसार ही अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा और इस संबंध में आवेदन-पत्र अंतिम रूप से Submit होने के पश्चात् कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. राज्य सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थी राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु एक ही संयुक्त ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर सकेंगे बशर्ते कि वे राज्य वन सेवा परीक्षा में भी बैठने की अर्हता रखते हों। इस संबंध में आयोग का राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 का विज्ञापन क्रमांक 12/2022 दिनांक 30.12.2022 भी देखें।
3. उपरोक्त प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.01.2023 को (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 09.02.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकेंगे। इसके पश्चात ये लिंक वंद हो जाएगी।
4. राज्य सेवा परीक्षा 2022 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

**B. आयु की गणना :-**

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

**C. शुल्क संबंधी निर्देश :-**

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट-02 का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

**D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-**

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 16.01.2023 से 11.02.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹ 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अतः वे प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/भूतपूर्व सैनिक/शासकीय सेवक/जन्मतिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

**E. पात्रता :-**

1. **शैक्षणिक अर्हता** - राज्य सेवा परीक्षा 2022 हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र हैं।
2. **रोज़गार पंजीयन :-**
   (क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
   (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
   (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता/अनुभव/वांछनीय अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे उस विभाग को अपनी शिकायत प्रेषित कर सकते हैं।

**F. परीक्षा केन्द्र तथा प्रवेश-पत्र :-**

1. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 21.05.2023 को दो सत्रों में सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा के 10 दिन पूर्व से परीक्षा शहर की जानकारी E-mail द्वारा तथा परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र दिनांक 14.05.2023 से **www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा केन्द्र आवंटन हेतु शहर की अग्रमान्यता एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अग्रमान्यता उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु Reimbursement का वर्गीकरण प्रावधानित है, जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है। अतएव इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**G. परीक्षा नियम/निर्देश आदि :-**

1. उक्त परीक्षा राज्य सेवा परीक्षा नियम-2015 (यथा संशोधित) अनुसार आयोजित की जाएगी।
2. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
3. चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोज़गार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
4. पाठ्यक्रम निर्धारण समिति द्वारा विज्ञापन के संदर्भ में प्रकाशित पाठ्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो तदानुसार संशोधित पाठ्यक्रम परीक्षा के यथोचित समयपूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा उपरोक्तानुसार संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
5. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
6. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर विना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्धीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

**अन्य निर्देश :-**

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं, संशोधन आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अतः समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टतः परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

1. भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से राज्य सेवा परीक्षा 2022 के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। वर्गवार पदों की संख्या विभागों द्वारा प्रेषित मांगपत्रों के अनुसार दर्शायी गयी है। भरी जाने वाली रिक्तियां निम्नानुसार है :-

| स.क्र. | विभाग एवं पदनाम | कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या | | | | | रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या | | | | | मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद संख्या | | | | | मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या | | | | पदों की कुल संख्या | वेतनमान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UR | SC | ST | OBC | EWS | UR | SC | ST | OBC | EWS | UR | SC | ST | OBC | EWS | LD | VH | HH | MD | | |
| | **द्वितीय श्रेणी राजपत्रित** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **सामान्य प्रशासन विभाग** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 15600-39100 +5400 ग्रेड पे |
| | **गृह (पुलिस) विभाग** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | उप पुलिस अधीक्षक | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15600-39100 +5400 ग्रेड पे |
| 3. | जिला सेनानी/जूनियर स्टाफ ऑफीसर/ क्वार्टर मास्टर/मुख्य अनुदेशक | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15600-39100 +5400 ग्रेड पे |
| | **जेल विभाग** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | अधीक्षक जिला जेल | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56100-177500 |
| | **वित्त विभाग** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | मध्यप्रदेश वित्त सेवा | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15600-39100 +5400 ग्रेड पे |
| | **स्कूल शिक्षा विभाग** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | सहायक संचालक | 20 | 11 | 14 | 20 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 72 | 15600-39100 +5400 ग्रेड पे |
| | **सहकारिता विभाग** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | सहायक आयुक्त, सहकारिता एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56100-177500 |
| | **श्रम विभाग** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | श्रम पदाधिकारी (मुख्य निरीक्षक, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15600-39100 +5400 ग्रेड पे |
| | **महिला एवं बाल विकास विभाग** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/ सहायक संचालक | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15600-39100 +5400 ग्रेड पे |
| | **जनसम्पर्क विभाग** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | सहायक संचालक | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 15600-39100 +5400 ग्रेड पे |
| | **वाणिज्यिक कर विभाग** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | जिला पंजीयक | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15600-39100 +5400 ग्रेड पे |
| 12. | जिला आवकारी अधिकारी | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| | **तृतीय श्रेणी कार्यपालिक** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **राजस्व विभाग** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | नायब तहसीलदार | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9300-34800 +3600 ग्रेड पे |
| | **वाणिज्यिक कर विभाग** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | वाणिज्यिक कर निरीक्षक | 35 | 13 | 15 | 17 | 8 | 12 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 88 | 9300-34800 +3600 ग्रेड पे |
| 15. | उप पंजीयक | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9300-34800 +3600 ग्रेड पे |
| 16. | आवकारी उप निरीक्षक | 0 | 17 | 23 | 12 | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 53 | 9300-34800 +3600 ग्रेड पे |
| | **सहकारिता विभाग** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | सहकारिता निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी | 9 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 36200-114800 |
| | **वित्त विभाग** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा | 23 | 6 | 9 | 11 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 54 | 9300-34800 +3600 ग्रेड पे |
| | **परिवहन विभाग** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | परिवहन उप निरीक्षक | 9 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5200-20200 +2800 ग्रेड पे |
| | **कुल पद** | **119** | **77** | **95** | **102** | **34** | **40** | **25** | **30** | **35** | **11** | **6** | **2** | **3** | **3** | **1** | **4** | **5** | **7** | **2** | **427** | |

**Abbreviations** UR - Unreserved, SC- Scheduled Caste, ST - Scheduled Tribe, OBC- Other Backward Classes, EWS - Economically Weaker Section
OH - Orthopedic Handicapped, LD - Locomoter Disability, VH -Visual Handicapped, HH - Hearing Handicapped, MD- Multiple Disability

**आरक्षण प्रकिया** आरक्षण प्रकिया "मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसुचित जातियों, अनुसुचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994" के उपबंधों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु मध्यप्रदेश शासन के अनुदेशानुसार होगी।

टीप :

अ. तालिका में दर्शाए गए निर्धारित वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

ब. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

स. प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन-पत्र तथा बाद में प्रस्तुत होने वाले मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र में दी गई जानकारियों में भिन्नता पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा।

द. समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को देय आरक्षण एवं आयु सीमा की छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। जिन पदों हेतु किसी श्रेणी/वर्ग हेतु पद आरक्षित नहीं हैं उन पदों हेतु संबन्धित श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित के रूप में ही विचारित किए जाएंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य लाभ देय नहीं होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉनक्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को ही आरक्षण तथा अन्य लाभ देय होंगे। मध्यप्रदेश के ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग के मूल निवासी जो क्रीमीलेयर में आते हैं, आवेदन-पत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग भरने पर भी अनारक्षित वर्ग के समान ही मान्य किए जाएंगे तथा इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व 'परिशिष्ट-ख' बिन्दु 5 में उल्लेखित यह घोषणा-पत्र (Declaration) देना होगा कि वे शासन द्वारा अभिनिर्धारित अद्यतन मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आते हैं।

इ. आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों एवं अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व का होना चाहिए।

फ. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति शासन द्वारा 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी (परिवीक्षा के संदर्भ में व्यवस्था संबंधित विभागों के भर्ती नियमों के अनुसार रहेगी)।

**अत्यंत महत्वपूर्ण :**

| | |
|---|---|
| विज्ञापन तिथि | : 30.12.2022 |
| ऑनलाइन आवेदन की प्रारम्भ तिथि | : 10.01.2023 |
| ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि | : 09.02.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक) |
| ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि-सुधार करने की प्रारम्भ तिथि | : 16.01.2023 |
| ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि-सुधार करने की अंतिम तिथि | : 11.02.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक) |
| प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि | : 14.05.2023 |
| परीक्षा तिथि | : 21.05.2023 |

- अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पहले विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन-करें।
- त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात ऑनलाइन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी यथा जन्मतिथि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक, शासकीय सेवक, विक्रम अवार्ड, लिंग (महिला/पुरुष) एवं परीक्षा केन्द्र से संबंधित विवरण में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा।

2. यदि किसी भी अनारक्षित अथवा आरक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिए अग्रणित (Carry Forward) नहीं किए जाएंगे। ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे।

3. विज्ञापन में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 एवं उसमें यथासमय किए गए संशोधन में अधिसूचित अन्य पदों को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक शुद्धिपत्र के माध्यम से जोड़ा जा सकेगा। विज्ञापित पदों की संख्या राज्य शासन के द्वारा पुनरीक्षण किए जाने पर परिवर्तित हो सकती है। पदों की संख्या में परिवर्तन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषणा के पूर्व तक शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जा सकेगी, परन्तु ऐसे पदों के लिए पृथक से ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित नहीं किए जाएंगे तथा विज्ञापन के संदर्भ में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त ऑनलाइन आवेदन-पत्रों के अभ्यर्थी पात्र रहेंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकती है।

4. अ. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले के अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी अभ्यर्थी जिनकी दो से अधिक जीवित संताने हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, परन्तु कोई अभ्यर्थी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा यदि उसके पूर्व में एक जीवित संतान है और आगामी प्रसव 26.01.2001 को या उसके पश्चात होता है जिसमें दो या दो से अधिक जीवित संतानों का जन्म होता है।

**5. परीक्षा योजना :-**

(1) राज्य सेवा परीक्षा निम्नलिखित तीन चरणों में होगी -

(अ) मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रश्न ओ.एम.आर. आधारित)।

(ब) सेवाओं तथा पदों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित विवरणात्मक)।

(स) साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षण।

राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर इस विज्ञापन के साथ ही प्रकाशित किया जा रहा है। अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट से परीक्षाओं की योजना तथा पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं।

(2) प्रारंभिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की पेपर सेटर/मॉडरेटर द्वारा तैयार प्रावधिक उत्तर-कुंजी आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपए (Non-Refundable) शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क (रुपए 40/-) पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु देय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जाएगी :-

1. ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक उत्तर-कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है तब प्रावधिक उत्तर-कुंजी को संशोधित किया जाएगा।
2. प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिन्दी अनुवाद ही मान्य होगा।
3. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हैं, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा।
4. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर न हो को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जाएगा।
5. विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर-कुंजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति/ पत्र-व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा।
6. उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।

**6. प्रारंभिक परीक्षा के प्रस्तावित शहर :-**

| कोड | शहर | कोड | शहर | कोड | शहर | कोड | शहर | कोड | शहर | कोड | शहर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | इन्दौर | 10 | छिंदवाड़ा | 19 | नीमच | 28 | मुरैना | 37 | श्योपुर | 46 | बुरहानपुर |
| 02 | उज्जैन | 11 | जबलपुर | 20 | पन्ना | 29 | रतलाम | 38 | सतना | 47 | डिण्डोरी |
| 03 | उमरिया | 12 | झाबुआ | 21 | बड़वानी | 30 | राजगढ़ | 39 | सागर | 48 | अनूपपुर |
| 04 | कटनी | 13 | टीकमगढ़ | 22 | बालाघाट | 31 | रायसेन | 40 | सिवनी | 49 | अलीराजपुर |
| 05 | खण्डवा | 14 | दतिया | 23 | बैतूल | 32 | रीवा | 41 | सीधी | 50 | सिंगरोली |
| 06 | खरगौन | 15 | दमोह | 24 | भिण्ड | 33 | विदिशा | 42 | सीहोर | 51 | आगर मालवा |
| 07 | ग्वालियर | 16 | देवास | 25 | भोपाल | 34 | शहडोल | 43 | हरदा | 52 | निवाड़ी |
| 08 | गुना | 17 | धार | 26 | मण्डला | 35 | शाजापुर | 44 | होशंगाबाद | | |
| 09 | छतरपुर | 18 | नरसिंहपुर | 27 | मंदसौर | 36 | शिवपुरी | 45 | अशोकनगर | | |

**शहर केंद्र आवंटन के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-**

अभ्यर्थियों को परीक्षा के शहर केंद्र का आवंटन उनके निवास के पते के आधार पर होगा। शहर केंद्र आवंटन में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-

- केवल मध्यप्रदेश के निवासियों हेतु
  - वर्तमान पता - इसका प्रमाण आवेदन-पत्र के साथ अपलोड किया जाए।
  - परीक्षा शहर - यह आटोमेटिक निम्नानुसार भरे जाएंगे :-
    - प्रथम आवंटन - वर्तमान पते का जिला
    - द्वितीय आवंटन - वर्तमान पते का संभाग मुख्यालय
    - तृतीय आवंटन - स्थायी पते का जिला
    - चतुर्थ आवंटन - स्थायी पते का संभाग मुख्यालय

**टीप :-** अभ्यर्थी को उपरोक्त क्रम में परीक्षा केन्द्र आवंटित किए जाएंगे किन्तु परीक्षा केन्द्र की क्षमता तथा प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप अन्य केन्द्र आवंटित किए जा सकेंगे। केन्द्र परिवर्तन हेतु कोई भी पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा।

- अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को इंदौर, भोपाल, ग्वालियर तथा जबलपुर में से दो विकल्पों का चयन करना होगा। परीक्षा केन्द्र का आवंटन आयोग द्वारा प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिगत किया जाएगा।

**नोट :-** अभ्यर्थी परीक्षा शहर का चयन सावधानी पूर्वक करें। परीक्षा शहर के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अग्रमान्यता को किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा।

**7. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-**

अभ्यर्थी, केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,1956 (अधिसूचना क्रमांक 03 सन 1956) के अधीन समझे गए विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारक होना चाहिए या समतुल्य अर्हता रखता हो।

1. ऐसे अभ्यर्थी, जो किसी ऐसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों जिसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात वे आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे किन्तु जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है तथा ऐसे अभ्यर्थी भी जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित होने का आशय रखते हों, प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह घोषित किए गए हों, मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की अन्तिम तारीख तक स्नातक/समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम दिन तक या उसके पूर्व स्नातक/समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है वे मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन पत्र के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. ऐसे अभ्यर्थी भी, जिनके पास ऐसी व्यावसायिक या तकनीकी अर्हताएं हों, जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी उपाधि के समकक्ष हों, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।
3. जिला/क्षेत्र संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग के पद हेतु उन अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाएगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में लिया है। अधिमान्यता से तात्पर्य यह है कि समान अंक होने की स्थिति में अंतिम चयन में उस अभ्यर्थी को गुणानुक्रम में पहले चयनित किया जाएगा जिसने स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में लिया है।

**8. आयु सीमा :**

| | |
|---|---|
| गैर वर्दीधारी पदों हेतु | 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। |
| वर्दीधारी पदों हेतु | 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 33 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। |
| आयु संगणना तिथि | 01.01.2023 |

**अधिवार्षिकी आयु** : 62 वर्ष

आयु सीमा में देय छूट हेतु परिशिष्ट-"एक" देखें।

**9. शारीरिक मापदंड** :- गृह (पुलिस) विभाग, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, जेल विभाग तथा परिवहन विभाग के वर्दीधारी पदों हेतु निम्नानुसार शारीरिक मापदंड निर्धारित है :-

| लिंग | ऊंचाई से.मी. में | सीने का घेरा बगैर फुलाए से.मी. में | सीने का घेरा पूर्णतः फुलाने पर से.मी. में |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| पुरुष | 168 | 84 | 89 |
| महिला | 155 | अपेक्षित नहीं | अपेक्षित नहीं |

वर्दीधारी पदों हेतु अग्रमान्यता भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद हेतु निर्धारित उपरोक्त शारीरिक मापदण्डों को पूर्ण करते हैं। यदि अभ्यर्थी अपनी अग्रमान्यता के आधार पर किसी वर्दीधारी पद हेतु चयनित होते हैं तथा शारीरिक परीक्षण में असफल होते हैं तो उन्हें पद के अभाव में उनकी अग्रमान्यता के शेष पदों हेतु विचारित नहीं किया जाएगा।

**10. विनष्टीकरण** :- इस परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिकाएं/दस्तावेज (घोषित अंतिम चयन परिणाम तथा लम्बित न्यायालयीन प्रकरणों को छोड़कर) अंतिम चयन परिणाम की घोषणा तिथि के एक वर्ष पश्चात विनष्ट कर दी जाएंगी।

11. राज्य सेवा परीक्षा 2022, राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 (यथा संशोधित सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-6-4-2015-एक (1), दिनांक 20.12.2021) के अनुसार आयोजित की जाएगी। उक्त नियम आयोग की **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किए गए हैं।
12. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा तथा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के साथ ही आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
13. कोविड-19 के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

**14. परिशिष्ट :-**
(1) आयु सीमा में छूट हेतु परिशिष्ट-एक देखें।
(2) ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश हेतु परिशिष्ट-दो देखें।
(3) आप्टिकल स्केनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेशों हेतु परिशिष्ट-तीन देखें।

**सचिव**

## परिशिष्ट-एक
### आयु सीमा में छूट

**(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूट**

**गैर वर्दीधारी पदों हेतु**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/दिव्यांगजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

**तथा**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

**वर्दीधारी पदों हेतु**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-14/2019/एक/3, दिनांक 19 दिसंबर 2019 के अनुसार महिला अभ्यर्थी (अनारक्षित वर्ग), पुरुष/महिला अभ्यर्थी (अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

**तथा**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक सी 3-14/2019/1/3 दिनांक 19.12.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष के स्थान पर 41 वर्ष होगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा (43 वर्ष) से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

**स्पष्टीकरण :-**

भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

**(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट**

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

**टीप** - (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।
(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है। अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

**नोट** - (01) उपरोक्त परिशिष्ट-"एक" में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।
(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। वर्दीधारी पदों के संदर्भ में यह आयु सीमा 41 वर्ष रहेगी।

**(तीन)** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होंगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

## परिशिष्ट-दो
### राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-
   1. ऑनलाइन आवेदन-पत्र वेबसाइट पर **www.mponline.gov.in** तथा **mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध है। जिसे ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं।
   2. उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त अभ्यर्थी निम्नांकित माध्यमों से भी शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:-
      अ. स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं।
      ब. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।
3. अभ्यर्थी MPONLINE के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से शुल्क का नगद भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। MPONLINE के अधिकृत कियोस्कों की सूची **www.mponline.gov.in** पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध हैं।
4. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अपने अद्यतन पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर की 25 KB से 200 KB तक की स्केन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय Upload करना होगा। **www.mponline.gov.in** के KIOSK पर स्कैनिंग की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।

**फोटो स्कैनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-**
1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें, जिस पर अभ्यर्थी का नाम एवं फोटो खींचने का दिनांक अंकित हो जो तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टतः दिख रही हो।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं है। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य है किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफेद हो।
6. कृपया सेल्फी द्वारा ली गयी फोटो का प्रयोग न करें।

5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में वही नाम/उपनाम/जन्म तिथि को उल्लेखित करे जो उनकी हाईस्कूल की अंकसूची में उल्लेखित है। यदि अभ्यर्थी द्वारा नाम परिवर्तन करवाया गया है तब भी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हाई स्कूल की अंकसूची में उल्लेखित उक्त विवरण ही मान्य होंगे।
6. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिए गए निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।
7. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अंकित की गयी जानकारी ही प्रमाणिक जानकारी मानी जाएगी। अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र Submit करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन Submit करें।
8. आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले pop up window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लेखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Pop up window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "proceed to payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें। अभ्यर्थी उक्त आवेदन-पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि का प्रयोग कर प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थी "Payment Done" उल्लेखित आवेदन-पत्र की प्रिंटआउट प्राप्त करने के पश्चात ही आवेदन-पत्र को जमा मानें।
9. **त्रुटि सुधार सुविधा** :- अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 16.01.2023 से 11.02.2023 तक प्रति सत्र त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए ऐसे अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन-पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन-पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
   ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई भी पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।
   **महत्वपूर्ण** :- त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात अभ्यर्थी से प्राप्त अभ्यावेदनों के द्वारा अथवा आयोग को प्राप्त शिकायतों से यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की गयी है तो उसके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकेगी।
10. अभ्यर्थी उक्त आवेदन-पत्र को सुरक्षित रखें। आवेदन-पत्र में अंकित आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक की प्रविष्टि कर इंटरनेट के माध्यम से वे प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर प्रिंटआउट ले सकेंगे।
11. **अत्यावश्यक :-**
   यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में वर्टिकल श्रेणी (अना./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) गलत भरी गयी है तो उसे अनारक्षित (ओपन) के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर अनारक्षित (ओपन) श्रेणी में उम्मीदवारी मान्य होगी और यदि होरीजोंटल आरक्षण (महिला/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांगजन) में गलत श्रेणी भरी है तो उसी वर्ग के ओपन के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर उस वर्ग के ओपन में उम्मीदवारी मान्य की जाएगी।

**ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश और विधि :-**
1. कृपया आवेदन-पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदन-पत्र दिनांक 10.01.2023 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 09.02.2023 को दोपहर 12.00 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
2. आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 10.01.2023 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 11.02.2023 को दोपहर 12.00 बजे तक ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- शुल्क के भुगतान के पश्चात आवेदन-पत्र में वांछित सुधार किया जा सकेगा।
3. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग करने की मांग की जाती है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

4. **आवेदन एवं परीक्षा शुल्क :-**

| म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क | शेष सभी श्रेणी एवं मध्यप्रदेश से बाहर के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क |
|---|---|
| ₹ 250/- | ₹ 500/- |
| सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क ₹ 40/- (सेवाकर सहित) अतिरिक्त देय होगा। जो अभ्यर्थी राज्य सेवा तथा वन सेवा दोनों हेतु आवेदन करेंगे उन्हें भी उपरोक्त अनुसार ही शुल्क एक बार ही देना होगा। | |

| टीप - | | |
|---|---|---|
| | 1. | प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के बाद आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन माड्यूल की सहायता से ₹ 50/- शुल्क का भुगतान कर अभ्यर्थी उनकी OMR शीट Download कर सकेंगे। |
| | 2. | प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान निर्धारित तिथि तक अलग से करना होगा। |
| | 3. | सूचना के अधिकार के तहत परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अंतिम चयन परिणाम के पश्चात् ही प्रदान की जा सकेगी। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के विनष्टीकरण की निर्धारित अवधि के पूर्व कराया जा सकेगा। किन्तु उत्तरपुस्तिका की फोटोकापी प्रदान नहीं की जाएगी। |

आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपी ऑनलाइन के निम्नांकित दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

**हेल्पलाइन नं. 0755-6720210 तथा 0755-6720211**

केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आवेदन एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा, किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

5. **ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी :-**
म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए आवेदन-पत्र वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं **www.mponline.gov.in** पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरकर परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लाक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से किया जा सकता है। एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए **www.mponline.gov.in** पर **locateKiosk/CSCsLink** देखें। अभ्यर्थी हेल्पलाइन नं. 0755-6720210 तथा 0755-6720211 से भी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

6. **परीक्षा दिनांक :- 21.05.2023 (रविवार)**

7. इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन-पत्र/परीक्षा शुल्क भरने की विधि :-

| |
|---|
| अभ्यर्थी **https://www.mponline.gov.in** वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर CitizenServices पर क्लिक करें इसके उपरांत Application लिंक पर जाकर MPPSC बटन को क्लिक करें। अब उसे यहां निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगे। |
| Click here to Apply |
| Pay for unpaid Application/DuplicateReceipt |
| Click here to Edit |
| Download Admit Card Duplicate Receipt/View Application Status |
| Click Here to View Advertisement |

अभ्यर्थी फार्म भरने से पहले Click here to View Advertisement को क्लिक कर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके उपरांत ही अभ्यर्थी Click here to Apply को क्लिक करें। इसके उपरांत अभ्यर्थी को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। अभ्यर्थी को फार्म में मांगी गईं समस्त जानकारियां को सही-सही भरना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Upload Image दिखाई देगा। इसमें अभ्यर्थी को अपना फोटो-हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के दाहिनी ओर अभ्यर्थी को फोटो-हस्ताक्षर के (प्रारूप हेतु इस लिंक्स) दिखाई देंगी। Links. को क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फार्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फार्मेट को स्कैन कर jpg फार्मेट में ही सेव करें। अब अभ्यर्थी Upload Image बटन क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में अभ्यर्थी ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो-हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।

अभ्यर्थी फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई हैं वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही Submit बटन दबाएं। इससे अभ्यर्थी को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए Proceed to Payment बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगे :-

1. इंटरनेट बैंकिंग (सभी राष्ट्रीयकृत बैंक)
2. क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड

**इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान** - अभ्यर्थी चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग से कर सकता है। अभ्यर्थी फार्म भरने के उपरांत Proceed to Payment का बटन दबाएगा। यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग आप्शन दिखाई देखा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई डी पासवर्ड डालकर लॉगिन होगा। इस प्रक्रिया से अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को स्क्रीन पर पावती नम्बर और अभ्यर्थी का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें एवं उसे संभालकर रखें।

**क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान** - अभ्यर्थी किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए Proceed to Payment का बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर बैंक का पैमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कंफर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण होने के पश्चात कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी अंकित होगी। अभ्यर्थी इस रसीद को संभालकर रखें।

सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को स्क्रीन पर पावती नंबर और अभ्यर्थी का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन-पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिसपर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो।

8. **एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन-पत्र/परीक्षा शुल्क भरने की विधि :-**
अभ्यर्थी आवेदन फार्म भरने के लिए अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाएगा। कियोस्क संचालक **www.mponline.gov.in** वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन टाइप में कियोस्क सिलेक्ट कर लॉगिन करेगा। इसके उपरांत सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में MPPSC सिलेक्ट कर सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां अभ्यर्थी को उपलब्ध कराएगा। अभ्यर्थी इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें ताकि मांगी गई समस्त जानकारियां फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरांत अभ्यर्थी कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जाए। कियोस्क संचालक अभ्यर्थी का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरांत अभ्यर्थी फार्म में भरी गईं समस्त जानकारियां अच्छी तरह पढ़ लें। अभ्यर्थी सभी जानकारियां सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का कहें। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर दो पृष्ठीय कम्प्यूटराइज्ड रसीद अभ्यर्थी को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही अभ्यर्थी से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी।
अभ्यर्थी इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन-पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिसपर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो।
जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।

9. यदि अभ्यर्थी के पास क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गए फार्म का कियोस्क के माध्यम से Pay for unpaid Application/Duplicate Receipt लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है :-
इसके लिए अभ्यर्थी को उपरोक्त बताए गए बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गए फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरांत कियोस्क संचालक Pay for unpaid Application/Duplicate Receipt लिंक पर क्लिक कर उक्त जानकारियां भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक अभ्यर्थी कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ अभ्यर्थी द्वारा भरी गई समस्त जानकारियां अंकित होंगी। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन-पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिसपर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो।

- अभ्यर्थियों से निवेदन है कि "ऑनलाइन आवेदन" की पावती पृष्ठ की प्रति भविष्य के लिए संभाल कर रखें।
- ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा या एमपी ऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही मानी जाएगी।

**नोट** :-यदि आपको ऑनलाइन फार्म में भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए एम.पी. ऑनलाइन के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें

**हेल्पलाइन नं. 0755-6720210 तथा 0755-6720211**

2. **अन्य निर्देश/जानकारी :-**
   1. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है, क्योंकि आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक योग्यता/जन्मतिथि/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर/मूल निवासी प्रमाण पत्र/दिव्यांगता/विधवा/परित्यक्तता/तलाकशुदा/भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र आदि की मांग नहीं की गयी है। अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न न करें। समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा में सफल आवेदकों द्वारा व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं अनुप्रमाणन-पत्रक के साथ संलग्न कर आयोग को भेजना आवश्यक होगा, आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक दस्तावेज प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उम्मीदवारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत अभ्यर्थियों की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।
   2. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए केवल अनुवीक्षण [Screening] परीक्षा होती है। उम्मीदवारों के अंतिम चयन में इस परीक्षा में प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाएगा।
   3. आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
   4. अभ्यर्थी को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, परीक्षा का नाम, पंजीयन क्रमांक, अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र, पूर्ण पता तथा मोबाइल नंबर लिखना चाहिए।
   5. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अंकित मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. पर ही SMS या ई-मेल द्वारा आवश्यक होने पर सूचनाएं दी जाएंगी।
   6. परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक व प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास, आपस में बातचीत करना, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना, ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्न पत्र को क्षति पहुंचाना, धौंस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुँचाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण, परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका को क्षति पहुँचाना एवं उत्तर पुस्तिका को जमा न करना आदि को दण्डनीय माना जाएगा।
   7. **पहचान चिह्न** :- ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। यदि उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक या अन्य अंक, अपना नाम या अन्य नाम या किसी प्रकार का चिह्न लगाएंगे तो उसे पहचान चिन्ह बनाया माना जाएगा। ऐसे पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकेगी।
   8. परीक्षा परिसर तथा साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्जित हैं।
   9. उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि सभी स्थानों अर्थात उनके आवेदन-पत्र, परीक्षा हाल में उपस्थिति सूची पर तथा आयोग के साथ किए गए समस्त पत्र व्यवहार में उनके व्दारा किए गए हस्ताक्षर एक समान होना चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। यदि विभिन्न स्थानों पर उनके व्दारा किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग व्दारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

3. **आवेदन की अंतिम तिथि :-**
ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 09.02.2023 है। अंतिम तिथि को दोपहर 12.00 के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4. **नियोक्ता की अनापत्ति :-**
जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवक के रूप में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, (जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है) या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत हैं, उनको यह अभिवचन [Undertaking] (जैसा कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की घोषणा में छपा है) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया

है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को चयन के किसी भी स्तर पर उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने से संबंद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

5. अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई प्रमाण-पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य परीक्षा में साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा के परिणाम में निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं अनुप्रमाणन-पत्रक के साथ निम्न अभिलेख संलग्न कर आयोग को प्रस्तुत करना होगा :-

**आयु संबंधी प्रमाण के लिए** - केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।

**शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र** - हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है एवं समस्त वर्षो/सेमेस्टर्स की स्वसत्यापित अंकसूचियां। उपाधि संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा।

**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी** के अभ्यर्थी हेतु मध्यप्रदेश शासन के विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

**जाति प्रमाण-पत्र**- उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण अथवा अन्य किसी रियायत के लिए दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है, अनुप्रमाणन-पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न करना चाहिए। विवाहित महिलाओं के मामले में उसके पिता के नाम का उल्लेख करने वाला जाति प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण-पत्रों में यह प्रमाणन आवश्यक है कि अभ्यर्थी क्रीमीलेयर में नहीं आता है। जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे किसी भी प्रकार की छूट हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को अनुप्रमाणन पत्रक के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों में निम्न प्रारूप में घोषणा-पत्र (Declaration) प्रस्तुत करना होगा कि वे शासन द्वारा अभिनिर्धारित नवीनतम मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आतेः- क्रीमीलेयर में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में मान्य किए जाएंगे।

**घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप**

मैं................आयोग के विज्ञापन क्रमांक **11/2022 दिनांक 30.12.2022** के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करत/करती हूं

1. मैं..................................पुत्र/पुत्री श्री..............................निवासी ग्राम/ कस्बा/शहर/...............जिला........................,मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/ करती हूं कि मैं......................जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूं।

दिनांक :- ...............

हस्ताक्षर...........................
नाम...............................
रोल नंबर..........................

यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय मूल जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति मूलतः प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसकी अभ्यर्थिता अस्वीकृत कर दी जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी के किसी वचन पत्र अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाएगा। वांछित प्रमाण-पत्रों के अभाव में किसी शिथिलीकरण/ रियायत की पात्रता के बारे में विचार नहीं किया जाएगा।

**दिव्यांगता प्रमाण-पत्र** : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http:\\www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

शासकीय सेवकों/भूतपूर्व सैनिकों को देय छूट हेतु नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र। अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत देय छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।

विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को देय छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

**महत्वपूर्ण टीप** :- उपरोक्त में से अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत सत्यापित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

यदि आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। डाक विभाग अथवा अन्य किसी भी माध्यम से निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त अभिलेख मान्य नहीं किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी अंतिम निर्धारित तिथि के पूर्व स्वयं के अभिलेख आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. **कदाचरण और उसके लिए कार्यवाही** :- कोई अभ्यर्थी, जो आयोग द्वारा निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है :-

01 जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो या वैसा करने का प्रयास किया हो, या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन किए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन का आश्रय लिया हो, या

07 परीक्षा कक्ष में अथवा अन्य किसी भी स्थान पर अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृन्द को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

09 उनके प्रवेश-पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृन्द द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो, या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

11 परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि अभ्यर्थी कर्तव्यरत अधीक्षणकर्ता (इनविजिलेटर) के पास उसकी ओ.एम.आर. शीट जमा करने में असफल रहता है या ओ.एम.आर. शीट को क्षति पहुंचाता है, या

12 परीक्षा के पूर्व किसी भी रीति से प्रश्नपत्र अभिप्राप्त करता है या उसके लिए प्रयास करता है, तो आयोग-

(एक) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(दो) यदि वह शासन के आधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के आधीन उस पर आनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(तीन) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके आधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है, उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।

7. **प्रवेश-पत्र** -

01 अभ्यर्थी को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यदि :-

(क) वह, आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र धारण न करता हो, और

(ख) वह, आयोग द्वारा जारी विज्ञापन/प्रवेश-पत्र में उल्लिखित फोटो परिचय-पत्रों की कोई एक मूल फोटो परिचय-पत्र धारण न करता हो, और

(ग) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र के संलग्न फोटो से उसके चेहरे का मिलान न होता हो, और

(घ) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो का, आयोग द्वारा विहित उसके द्वारा लाए गए फोटोयुक्त परिचय-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो से मिलान न होता हो।

02 प्रवेश-पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा के 10 दिन पूर्व से परीक्षा शहर की जानकारी e-Mail द्वारा तथा परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र दिनांक 14.05.2023 से **www.mponline.gov.in** तथा **mppsc.mp.gov.in** पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेंगे। आवेदकों को वेबसाइट से ही परीक्षा के प्रवेश-पत्र प्राप्त करना होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। प्रवेश-पत्र एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से डाउनलोड करने पर पांच रुपए पोर्टल शुल्क देय होगा।

03 यदि प्रवेश-पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो आयोग अथवा एम.पी. ऑनलाइन से संपर्क करें।

04 यदि किसी अभ्यर्थी का नाम नॉमिनल रोल में सम्मिलित नहीं है परन्तु उसे प्रवेश-पत्र प्राप्त हो चुका है तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करे। केन्द्राध्यक्ष संतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे।

05 **अत्यंत महत्वपूर्ण** - अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र के साथ निम्न मान्य मूल फोटो युक्त पहचान प्रमाण-पत्र में से कोई एक प्रस्तुत करने एवं उससे अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | आधार कार्ड | 6. | केन्द्र शासन/राज्य शासन/सार्वजनिक सेवा के उपक्रम के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र |
| 2. | मतदाता पहचान पत्र | 7. | बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक |
| 3. | ड्रायविंग लायसेंस | 8. | शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र |
| 4. | पैन कार्ड | 9. | राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय पत्र |
| 5. | पासपोर्ट | | |

मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय भी फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक स्वप्रमाणित छायाप्रति लेकर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है। फोटो परिचय पत्र द्वारा अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

06 आयोग द्वारा अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के पश्चात् लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार की संयुक्त अंक सूची अभ्यर्थियों को ऑनलाइन उपलब्ध करायी जाएगी। आयोग द्वारा पहचान चिह्न प्रकरण एवं अनुचित साधन प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा निरस्त की जाएगी। अतः ऐसे अभ्यर्थियों की अंक सूची ऑनलाइन उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

**सूचना के अधिकार के तहत जानकारी का प्रदाय** :-

1. अभ्यर्थी यह ध्यान रखे कि सूचना के अधिकार के तहत उक्त परीक्षा से संबंधित जानकारियाँ केवल अंतिम चयन परिणाम के पश्चात ही प्रदान की जा सकेंगी।
2. प्रारंभिक परीक्षा की OMR Sheet परीक्षा परिणाम के बाद ऑनलाइन उपलब्ध करायी जा सकेगी। अतः इस हेतु सूचना के अधिकार के तहत आवेदन न करें।
3. अभ्यर्थी को सूचना के अधिकार के तहत् केवल स्वयं की जानकारी प्रदान की जाएगी, अन्य अभ्यर्थियों की नहीं।

07 विज्ञापित पदों का अग्रमान्यता पत्रक साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों से प्राप्त किया जाता है तथा इसी अग्रमान्यता पत्रक के अनुसार गुणानुक्रम में अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा अग्रमान्यता पत्रक प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें परिवर्तन/संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे अग्रमान्यता पत्रक भरते समय विशेष सावधानी बरतें। अग्रमान्यता पत्रक में केवल जिन पदों पर अग्रमान्यता दी गयी है, अभ्यर्थी को उन्हीं पदों पर विचारित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा नियत अवधि तक अग्रमान्यता प्रस्तुत नहीं की गयी है, ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्धारित क्रम में अग्रमान्यता मान्य की जाएगी।

08 मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हों (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे) उन्हें भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। प्रारूप निम्नानुसार हैः-

**अभिवचन (Undertaking) का प्रारूप**

मैंने राज्य सेवा परीक्षा-2022 के विज्ञापन क्रमांक 11/2022 दिनांक 30.12.2022 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत किया है तथा मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। अतः भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाए। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

**हस्ताक्षर**..............................
**पूरा नाम**..............................
**रोल नंबर**..............................

**8. राज्य सेवा परीक्षाओं के पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-**

**(अ) राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा**

01. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** तथा "रोज़गार और निर्माण" समाचार पत्र पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थी को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

02. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा परिणाम के साथ ही मुख्य परीक्षा के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनायें प्रकाशित की जाएंगी। अतः सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही मुख्य परीक्षा से संबंधित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप मुख्य परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन-पत्र राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में उल्लेखित मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदन Submit करें।

03. मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक मुख्य परीक्षा का आवेदन-पत्र जमा न करने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

**(ब) राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा**

01. राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** तथा "रोज़गार और निर्माण" समाचार पत्र पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थी को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

02. राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा के परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। परीक्षा परिणाम में ही साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि भी निर्धारित रहेगी। अभ्यर्थी निम्नानुसार निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेख आयोग को प्रेषित करेंगे :-

अ. आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** में "Download Format" लिंक पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक Download करें।

ब. अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक की प्रविष्टियों की पूर्ति करें। एक सेट के साथ अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र तथा निम्न अभिलेखों की छायाप्रतियां अधोलिखित क्रम में अनिवार्यतः संलग्न करें :-

1. मुख्य परीक्षा का आवेदन-पत्र
2. प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन-पत्र
3. हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है एवं समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियां।
4. मूल निवास/स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, अपिव के अभ्यर्थियों के क्रीमीलेयर में न आने संबंधी घोषणा-पत्र (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों हेतु)
5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र की प्रति।
6. दिव्यांगजन श्रेणी होने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु)
7. भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र की प्रति।
8. अनुप्रमाणन-पत्रक की तीन मूल प्रति प्रस्तुत करें।
9. व्यक्तिगत विवरण-पत्रक की एक मूल प्रति एवं 05 छायाप्रति प्रस्तुत करें।
10. उपस्थिति पत्रक की एक मूल प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें।
11. पहचान प्रमाण-पत्र हेतु आधार कार्ड की प्रति।
12. अन्य अनुसंगत अभिलेख।

स. उक्त अभिलेखों के सेट की एक प्रति स्वप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग को निम्नांकित पते पर प्रस्तुत करें :-

सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया,
इंदौर, मध्यप्रदेश 452001

टीप - 1. लिफाफे के शीर्ष पर 'राज्य सेवा परीक्षा 2022 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख' तथा प्रेषक के स्थान पर अभ्यर्थी के मुख्य परीक्षा के रोल नम्बर, नाम एवं पते का उल्लेख अनिवार्यतः करें।

2. अभिलेखों के दो सेट सुरक्षित रखें। उक्त सेट मूल अभिलेखों के साथ साक्षात्कार के समय अनिवार्यतः साथ लाएं।

03. केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाएगा जिन्हें अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात अर्ह पाया जाएगा।

**10. यात्रा व्यय का भुगतान -**

(अ) निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी :-

1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।
2. मध्यप्रदेश के मूल निवासी 40% या अधिक दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. दिव्यांगता के प्रमाणन हेतु जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
3. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

(द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ एवं आधार कार्ड की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(फ) जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने हेतु देय यात्रा भत्ता का ऑनलाइन भुगतान प्राप्त नहीं होता है वे इस संदर्भ में संबंधित कलेक्टर/कमिश्नर कार्यालय से पत्र व्यवहार करें। इस संदर्भ में आयोग से कोई पत्र व्यवहार न करें। इस संदर्भ में आयोग में प्राप्त पत्र बिना किसी कार्यवाही के नस्तीबद्ध किए जाएंगे।

(ज) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

## परिशिष्ट-तीन

### आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश

**टीप** - ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन आप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जाएगा अतः ओ.एम.आर. शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यन्त सावधानी पूर्वक करें।

1. आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम दो काले बाल प्वाइंट पेन अवश्य लाए।
2. गोले भरने के लिए केवल काला बाल प्वाइंट पेन का ही उपयोग करें। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्कैनर द्वारा जांची नहीं जा सकेगी।
3. ओ.एम.आर. शीट पर किसी प्रकार का रफकार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्नपत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है, उस स्थान का ही उपयोग करें।
4. ओ.एम.आर. शीट अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा।
5. उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. शीट पर सभी प्रविष्टियां सही रूप से की गई हैं। अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त प्रश्न पत्र सेट ए.बी.सी.डी. अंकन न करने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
6. आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (×) लगाने पर ओ.एम.आर. शीट कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी।
7. **ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकन के लिए - सामान्य निर्देश -**

(अ) प्रश्नों के उत्तरः ओ.एम.आर. शीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओ.एम.आर. शीट पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए.बी.सी.डी. बने हैं। प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ए.बी.सी.डी. दिए हैं। इनमें से एक सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला काले बाल पाईन्ट पेन से गहरा काला करें। एक से अधिक गोलों को काला करने पर प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

OMR Sheet में उत्तर अंकित कर उसे काटने/मिटाने/व्हाइटनर लगाने से उक्त प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

(ब) ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, प्रश्नपत्र कोड आदि भरने के लिए बने खानों में प्रविष्टि के लिए काले बाल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र A, B, C, D set में से कोई एक ही सेट दिया जाएगा। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें।

(स) **हस्ताक्षर** - ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर बाल पेन से हस्ताक्षर करें।

(द) ओ.एम.आर. शीट के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, प्रश्नपत्र कोड के कॉलम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिए काला बाल प्वाइंट पेन का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। अभ्यर्थी उसे आवंटित प्रश्न पत्र के सेट कोड ध्यान से देखें तथा सेट की जानकारी सुनिश्चित होने के पश्चात ही प्रश्न पत्र के सेट कोड के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (ABCD के गोले) के आधार पर ही उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाएगा। सेट कोड गलत भरने पर त्रुटि सुधार नहीं होगा। मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा भरे गए सेट कोड की उत्तर कुंजी के आधार पर होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। आवश्यक प्रविष्टियां सही स्थान पर उचित रूप से न भरने पर अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य नहीं किया जाएगा।

8. **रोल नम्बर की प्रविष्टि (चित्र एक)**

रोल नम्बर के खाने में बायें से दायें 1 से 6 तक स्तम्भ है। पहला स्तम्भ का लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चौथा स्तम्भ सैकड़े का, पांचवां स्तम्भ दहाई का एवं छठां स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले हैं। इन्हीं में आपको अपने रोल नम्बर भरना है। उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाइन में चौकोर खानों में दर्शाए अनुसार रोल नम्बर काला बाल प्वाइंट पेन से लिखें तत्पश्चात पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पांचवें स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठें स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को काला बाल प्वाइंट से गहरा काला करें। अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम.आर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

रोल नं. चित्र -1

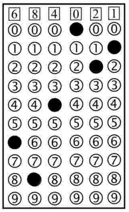

**परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश**

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा।

**एक - प्रवेश**

01 परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्रावधिक है।

02 परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

03 परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र तथा मान्य फोटो युक्त परिचय-पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ रखें।

04 परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी की जांच की जाएगी। परीक्षार्थी अपने साथ केवल दो काले बाल प्वाइंट पेन, प्रवेश-पत्र एवं मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएं। इसके अतिरिक्त मोबाइल, कैलक्युलेटर, पेजर एवं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।

**दो - निर्गमन**

01 सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।

02 किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भले ही उसने प्रश्नपत्र हल कर लिया हो।

03 प्रश्नपत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किए जाने के उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।

04 निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा (केवल दृष्टिबाधित तथा ऐसे अस्थिबाधित जो दोनों ही हाथों से लिखने में असमर्थ हैं तथा वे जिन्होंने सहलेखक की सुविधा ली है, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा में 20 मिनिट प्रति घण्टा अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

**तीन - ओ.एम.आर. शीट पर नाम और अनुक्रमांक :-**

चित्र - चार

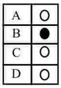


ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखें। ओ.एम.आर. शीट के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। ओ.एम.आर. शीट पर पेंसिल, रबर एवं व्हाइटनर का उपयोग करने या अभ्यर्थी के पास कक्ष में पाए जाने पर अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। ओ.एम.आर. शीट में (आपको दिए गए A, B, C, D प्रश्न पत्र सेट में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्नपत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोले को काले पेन से अनिवार्यतः काला करें। आपके द्वारा प्रश्नपत्र सेट के गोले को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही ओ.एम.आर. शीट मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट-B को काला किया है। सेट का गोला काला नहीं करने पर मुल्यांकन नहीं किया जाएगा।

**उत्तर अंकित करने हेतु अनुदेश -**

1. केवल काली स्याही वाले बॉल प्वाइंट पेन का प्रायोग करें।
2. प्रत्येक प्रश्न का उत्तर - पत्र में दिए गए प्रश्न क्रमांक के सामने संबद्ध गोले को काला करें।
3. प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु केवल एक ही गोले को गहरा काला करना है, जैसे नीचे दिखाया गया है :-

4. पूरे गोले को गहरा काला कीजिए।
5. उत्तर के लिए दिए गए गोले को काला कीजिए एक से अधिक गोले काले करने/चिह्न (.) होने पर भी उत्तर मान्य नहीं होगा।
6. उत्तर पत्र पर कच्चा काम करना मना है। इस काम के लिए प्रश्न पत्र के अंत में खाली जगह का ही उपयोग कीजिए।
7. प्रश्न-पत्र के सेट के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। उत्तर-पत्र में काले किए गए सेट के गोले के आधार पर ही उसे जांचा जाएगा। गलत गोला काला करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. अभ्यर्थी अगर प्रश्न पुस्तिका सेट का गोला नहीं भरता है, तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। एवं वह अयोग्य माना जाएगा।
9. अभ्यर्थी अगर अपने अनुक्रमांक के गोले नहीं भरता है, तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। एवं वह अयोग्य माना जाएगा।
10. अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका कक्ष के वीक्षक को ही जमा करें।
11. अभ्यर्थी अगर अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका पर उत्तर के गोले भरने/मिटाने के लिए यदि पेंसिल/व्हाइटनर का उपयोग करता है, तो नकल का प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

**चार - अनुचित साधन :-**

परीक्षा हॉल/कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण जैसे मोबाइल, वॉच, डिजिटल डायरी, इलेक्ट्रानिक उपकरण, पेजर, केल्कुलेटर आदि तथा पेंसिल, रबर व्हाइटनर जैसी सामग्री के साथ पाया जाता है, तो अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। उनके पास कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या कागज जो परीक्षा में प्रश्नपत्र हल करने में सहायक हो। अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर नकल प्रकरण दर्ज होगा।

परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दण्डनीय है। परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप विशेषकर मोबाइल, इलेक्ट्रानिक उपकरण तथा अन्य वर्जित वस्तुएं आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माना जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी ओ.एम.आर. शीट से नकल करना अथवा अपनी शीट से अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से ओ.एम.आर. शीट बदलना, परीक्षा भवन में जोर-जोर से बोलना, किसी भी प्रकार की सांकेतिक भाषा अथवा किसी प्रकार भावभंगिमा से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जाएगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य प्रदेशों के आयोगों की परीक्षा एवं साक्षात्कारों से वंचित किए जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।

**परीक्षा की गोपनीयता :-** परीक्षा पूर्व/दौरान/पश्चात प्रश्न-पत्र की गोपनीयता के भंग होने की किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों/व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जा कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

**पांच - प्रश्न संबंधी शिकायत**

प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षार्थी परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के निर्दिष्ट तिथियों पर 07 दिवस के अंदर निर्धारित शुल्क (100 रुपए प्रति प्रश्न तथा रुपए 40 प्रति सत्र पोर्टल चार्ज प्रथक से देय) आपत्ति शुल्क एवं पोर्टल चार्ज किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। जमा कर ऑनलाइन पद्धति से आपत्ति दर्ज कराए। परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर ऑनलाइन पद्धति से दर्ज शिकायतों पर ही विचार किया जाएगा। इसके पश्चात एवं अन्य किसी पद्धति से प्रस्तुत आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। आपत्ति दर्ज कराने पर देय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। दर्ज आपत्तियां सही पाई जाने पर संशोधन का लाभ समस्त अभ्यर्थियों को प्राप्त होगा। भले ली उनके द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं की गई हो।

**छः - ओ.एम.आर. शीट का लौटाना -**

परीक्षार्थी परीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक को ही सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना गम्भीर अपराध माना जाएगा और इस हेतु उसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

**सात - ओ.एम.आर. शीट पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियाँ**

1. ओ.एम.आर. शीट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड के सही गोले भरें। साथ ही प्रश्न पत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें। इस संबंध में दिए गए निर्देशों को गम्भीरता पूर्वक पढ़ने के पश्चात ही आवश्यक प्रविष्टियां की जाएं।
2. ओ.एम.आर. शीट पर कोई दाग/चिह्न न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें।

**आठ - प्रश्नपत्र पर अंकन**

परीक्षार्थी प्रश्नपत्र पर भी अनुक्रमांक लिखे तथा रफ कार्य प्रश्नपत्र में दिए गए पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्नपत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्नपत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

**नौ - उपस्थिति पत्रक**

प्रत्येक प्रश्नपत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।

**दस - दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु सहलेखक संबंधी नियम**

**अ. अभ्यर्थियों का विवरण जिन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी :-**

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पाल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तम (स्पेस्टिक) डाइसलेक्सिक पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5. उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को सहलेखक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

**ब. प्रदान की जाने वाली सुविधाएं :-**

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जाएगी। उपरोक्त सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र सहित परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना होगी ताकि नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी। लेखन सहायक से घोषणा-पत्र भरवाया जाएगा।

**(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-**

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की अर्हता से कम होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता स्नातक से कम होना चाहिए। (अर्थात् स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए) यदि किसी पद की परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि है तो सहलेखक की योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि से कम होनी चाहिए (अर्थात् स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए)

**(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-**

ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें उपरोक्तानुसार सहलेखक की सुविधा प्रदान की गई है, निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

| | |
|---|---|
| 3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए | 60 मिनट |
| 2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए | 40 मिनट |

**स. इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं :-**

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जाएगा।

द. अभ्यर्थी को पात्र सहलेखक साथ में लेकर परीक्षा हेतु आना होगा। आयोग/केन्द्राध्यक्ष द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

**टीप :-** 1. उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त दिव्यांगजन सम्बन्धित अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं निर्णय लिए जाने हेतु आयोग के सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।

2. दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें सहलेखक एवं भूतल पर बैठने की व्यवस्था की आवश्यकता है वे अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उक्त आवश्यकताओं की प्रविष्टि करेंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आकस्मिक दुर्घटना एवं बीमारी के मामलों को छोड़कर अन्य मामलो में अभ्यर्थियों को उक्त सुविधाएं उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर ही देय होगी।

**ग्यारह - विविध**

1. परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्नपत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लाएंगे।
2. परीक्षार्थियों को अपने साथ पेंसिल, व्हाइटनर, डिजिटल डायरी, वॉच, केल्क्युलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर तथा अन्य electronic gadgets लाना वर्जित हैं। उपरोक्त वर्जित वस्तुएं अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर अनुचित साधन प्रकरण अंतर्गत नकल प्रकरण बनाया जाएगा।

**बारह -** परीक्षार्थी ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्नपत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं/निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें व अनिवार्यतः उनका पालन करें।

**तेरह - अनुशासन व शालीनता**

1. परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करना/अशिष्ट, अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।
2. परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
3. परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाना चाहिए। यह दण्डनीय है।
4. यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा। उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे परिक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किए जाए। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।

जी-21062/47976/2023

# मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

### राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2022

**विज्ञापन क्रमांक 13/2022/30.12.2022**
**शासन के विभिन्न विभाग, मध्यप्रदेश शासन**

**आवेदन करने की अंतिम तिथि**
**15.02.2023 (दोपहर 12:00 बजे)**

### महत्वपूर्ण निर्देश

**A. आवेदन-पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-**

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन हेतु राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2022 हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विज्ञापित पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है :-

| क्र. | पद का नाम | अर्हता | संबन्धित अभियांत्रिकी विषय |
|---|---|---|---|
| 1. | सहायक यंत्री सिविल | भारत के किसी अभियांत्रिकी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अभियांत्रिकी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि। | Civil Engineering |
| 2. | सहायक कृषि यंत्री **मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग** | कृषि इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक कम से कम द्वितीय श्रेणी | Agriculture Engineering |
| 3. | सहायक यंत्री (वि.सु.) **एवं** सहायक विद्युत निरीक्षक **ऊर्जा विभाग** | मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत इंजीनियरिंग में उपाधि (डिग्री) | Electrical Engineering |
| | | अनुभव-विद्युत इंजीनियरिंग के व्यवसाय में 3 वर्ष का अधिकारी स्तर का अनुभव ऐसे प्रतिष्ठानों का जो कम से कम 500 अश्वशक्ति की मोटर का उपयोग करता हो और/या उच्च विभव (हाईटेंशन) उपभोक्ता हो। | |

2. उक्त विज्ञापन में शासन से माँगपत्र प्राप्त होने पर निम्न पदों का भी संयोजन किया जा सकेगा।

| क्र. | पद का नाम | अर्हता | संबन्धित अभियांत्रिकी विषय |
|---|---|---|---|
| 1. | सहायक यंत्री (सिविल) (शासन के विभिन्न विभाग) | मान्यता प्राप्ता संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि (डिग्री) | Civil Engineering |
| 2. | सहायक यंत्री (मैकेनिकल) (शासन के विभिन्न विभाग) | मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि (डिग्री) | Mechanical Engineering |
| 3. | सहायक यंत्री (इलेक्ट्रिकल) (शासन के विभिन्न विभाग) | मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत इंजीनियरिंग में उपाधि (डिग्री) | Electrical Engineering |

3. आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन-पत्र दिनांक 16.01.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से 15.02.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
4. उपरोक्त परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

**B. आयु की गणना :-**

1. **आयु की गणना 01 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी।**
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी, जो अभ्यर्थी की 10वीं (High School) की अंकसूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उक्त अंकसूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

**C. शुल्क संबंधी निर्देश :-**

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट-02 का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

**D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-**

1. **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 20.01.2023 से 17.02.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र रुपये 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।**
2. **अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अतः वे प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।**
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (**देखें परिशिष्ट-2**) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/ दिव्यांगता/भूतपूर्व सैनिक/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा अभ्यर्थी से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

**E. पात्रता :-**

1. **शैक्षणिक अर्हता - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में इंजीनियरिंग उपाधि या उसके समकक्ष योग्यता।**
2. **रोज़गार पंजीयन -**
   (क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
   (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
   (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक- अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता/अनुभव/वांछनीय अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे उस विभाग को अपनी शिकायत प्रेषित कर सकते हैं।

**F. परीक्षा केन्द्र तथा प्रवेश-पत्र :-**

1. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर स्थित परीक्षा केन्द्रों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि एवं प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि को यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।
2. आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा केन्द्र आवंटन हेतु शहर की अग्रमान्यता एवं उपलब्ध्ता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अग्रमान्यता उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु Reimbursement का वर्गीकरण प्रावधानित है, जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है। अतएव इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**G. परीक्षा नियम/निर्देश आदि :-**

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
   चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोज़गार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
2. पाठ्यक्रम निर्धारण समिति द्वारा विज्ञापन के संदर्भ में प्रकाशित पाठ्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो तद्नुसार संशोधित पाठ्क्रम परीक्षा के यथोचित समय पूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा उपरोक्तानुसार संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. **उक्त. विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।**

**अन्य निर्देश :-**

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ, संशोधन आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अतः समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त E-mail Address/पत्राचार/दूरभाप संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतिम परीक्षा परिणाम के पश्चात अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टतः परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ तथा परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें, ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

**एक** भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2022 के अंतर्गत निम्न पदों हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विभिन्न वर्गों हेतु उल्लेखित पदों की संख्या विभागों द्वारा प्रेषित मांगपत्रों के अनुसार है :-

| क्र. | विभाग का नाम | रिक्त पदों की संख्या | | | | | | रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या | | | | | रिक्तियों में से म.प्र. के मूल निवासी निःशक्त अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या | | | | वेतनमान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UR | SC | ST | OBC | EWS | कुल | UR | SC | ST | OBC | EWS | LD | VH | HH | MD | |
| | **सहायक यंत्री सिविल** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | लोक निर्माण विभाग | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15600-39100 5400 |
| | **सहायक कृषि यंत्री** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15600-39100 5400 |
| | **सहायक यंत्री (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ऊर्जा विभाग | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600-39100 5400 |

**दो - पद का विवरण**

(1) (अ) पद का नाम : **सहायक यंत्री सिविल**

(ब) विभाग का नाम : **मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग**

(स) अर्हता : **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**

भारत के किसी अभियांत्रिकी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अभियांत्रिकी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि।

(द) कर्तव्य : **लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क, पुल, भवन के निर्माण, संधारण, रूपांकन आदि।**

(इ) श्रेणी तथा वेतनमान : **राजपत्रित द्वितीय श्रेणी (स्थायी पद)**

15600-39100 + 5400 ग्रेड पे

**छठे वेतन आयोग अनुसार। सातवें वेतन आयोग के तत्स्थानी वेतनमान देय होंगे।**

(2) (अ) पद का नाम : **सहायक कृषि यंत्री**

(ब) विभाग का नाम : **मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग**

(स) अर्हता : **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**

कृषि इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक कम से कम द्वितीय श्रेणी

(द) कर्तव्य : **जिले में कृषि यंत्रीकरण से संबंधित गतिविधियों का संचालन एवं कृषि यंत्रों का प्रदर्शन एवं उनकी जानकारी से कृषकों को प्रशिक्षित करना।**

(इ) श्रेणी तथा वेतनमान : **राजपत्रित द्वितीय श्रेणी (स्थायी पद)**

15600-39100 + 5400 ग्रेड पे

**छठे वेतन आयोग अनुसार। सातवें वेतन आयोग के तत्स्थानी वेतनमान देय होंगे।**

(3) (अ) पद का नाम : **सहायक यंत्री (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक**

(ब) विभाग का नाम : **ऊर्जा विभाग**

(स) अर्हता : **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उपाधि या उसके समकक्ष योग्यता

(द) अनुभव : अनुभव-विद्युत इंजीनियरिंग के व्यवसाय में 3 वर्ष का अधिकारी स्तर का अनुभव ऐसे प्रतिष्ठानों का जो कम से कम 500 अश्विशक्ति की मोटर का उपयोग करता हो और/या उच्च विभव (हाईटेंशन) उपभोक्ता हो। (अनुभव प्रमाण पत्र हेतु परिशिष्ट-4)

(इ) कर्तव्य : **स्थापनाओं का निरीक्षण कार्य।**

(ई) श्रेणी तथा वेतनमान : **राजपत्रित द्वितीय श्रेणी (स्थायी पद)**

15600-39100 + 5400 ग्रेड पे

**छठे वेतन आयोग अनुसार। सातवें वेतन आयोग के तत्स्थानी वेतनमान देय होंगे।**

**तीन** (i) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। किन्तु पदों की संख्या में वृद्धि केवल परीक्षा के परिणाम के पूर्व तक ही की जा सकेगी। पदों में वृद्धि की स्थिति में कोई अतिरिक्त आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं किए जायेंगे तथा सभी पदों हेतु केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा किया है।

(ii) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

(iii) किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

(iv) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिला तथा निःशक्तजन को देय आरक्षण एवं आयु सीमा की छूट एवं भूतपूर्व सैनिकों को देय आयु सीमा की छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में मान्य किए जाएंगे। जो पद उक्त वर्गों के लिए आरक्षित नहीं हैं उन पर इन वर्गों के अभ्यर्थी अनारक्षित के रूप में विचारित किए जाएंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य लाभ देय नहीं होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर में न आने के संदर्भ में **परिशिष्ट-2** में यथा विनिर्दिष्ट अभिवचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(v) मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

**चार** **आयु सीमा :** आयु सीमा- 21 की आयु पूर्ण कर ली हो परंतु 40 वर्ष पूर्ण न की हो।

**पाँच** **आयु संगणना तिथि 01.01.2023 होगी।**

अधिकतम आयु सीमा में दी गयी छूट के लिए **परिशिष्ट-1** देखें।

**छः** **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएँ (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोष-सिद्ध ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

**सात** **महत्वपूर्ण :-** ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें की उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है या नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गयी कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

**आठ** **अधिवार्षिकी आयु : 62 वर्ष**

**नौ** **चयन प्रकिया :-**

इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर स्थित परीक्षा केन्द्रों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम, परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा आयोजन से संबन्धित समस्त जानकारियां, परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि एवं प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि आदि यथासमय आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

**चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।**

**दस** **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-2** का अवलोकन करें।

**ग्यारह** विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनायें, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

**बारह** कोविड-19 के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

**तेरह** विज्ञापन के प्रकाशन में हुई किसी भी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि में सुधार का आयोग का सर्वाधिकार सुरक्षित है।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट-1**

(ii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-2**

(iii) आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश **परिशिष्ट-3**

(iv) अनुभव प्रमाण पत्र हेतु **परिशिष्ट-4**

**सचिव**

---

**परिशिष्ट-1**

**आयु सीमा में छूट**

**(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूट**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/दिव्यांगजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

**तथा**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

**स्पष्टीकरण :-**

भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

**(दो) प्रोत्साहनस्वरूप दी गयी छूट**

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

**टीपः-** (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है। अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।

(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

**नोट :-** (01) उपरोक्त परिशिष्ट - "एक" में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होंगी, किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

**परिशिष्ट-2**

## आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-
   1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे - **1. mppsc.mp.gov.in, 2. www.mppsc.mp.gov.in**
   2. अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
   3. अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

      **फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-**
      1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
      2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
      3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टतः दिख रही हों।
      4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
      5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफेद हो।
      6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।
   4. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।
   5. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भली-भांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।
   6. आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात उसका **नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सब्मिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

      अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।
   7. **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 20.01.2023 से 17.02.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक** प्रति त्रुटि सुधार सत्र रुपये 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। **अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अतः आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपये 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।**

      ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।
   8. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। **विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।**

2. परीक्षा हेतु तथा आवेदन तथा परीक्षा शुल्क

| मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु | शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु |
|---|---|
| रुपये 250/- | रुपये 500/- |

**टीप :-** आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3. **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि -**

   ऑनलाइन आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि 15.02.2023 है।** अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

   ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें:-

   **दूरभाष :- हेल्पलाइन नं. 0755-6720220 तथा 0755-6720221**

   **E-mail :- mppsconline@gmail.com**

4. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

   **आयु संबंधी प्रमाण के लिए :-** केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

   **शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :-** हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

   **शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :-** यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

   **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :-** दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http:\\www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा।

   **जाति के प्रमाण-पत्र :-** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

   **अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाण भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-**

   **घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप**

   मैं ........................ आयोग के राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2022 के विज्ञापन क्रमांक **13/2022 दिनांक 30.12.2022** के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं।

   1. मैं ........................ पुत्र/पुत्री श्री ........................ निवासी ग्राम/कस्वा/शहर ........................ जिला ........................, मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं ........................ जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
   2. मैं शपथपूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूं।

   दिनांक ........................ हस्ताक्षर ........................<br>
   नाम ........................<br>
   रोल नंबर ........................

   तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

   **कार्यरत/छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :-** नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

   **परिशिष्ट-1** की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

   **परिशिष्ट-1** की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश :-**

   यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

   01. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
   02. प्रतिरूपण किया हो; या
   03. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
   04. कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
   05. ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या
   06. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
   07. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
   08. परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक छति पहुंचाई हो; या
   09. उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
   10. परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

   **तब आयोग द्वारा :-**

   (क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा<br>
   और/या<br>
   उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

   (ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

   (ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

   **एवं तब शासन द्वारा :-**

   उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं :-** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-**

   01. परीक्षा का परिणाम केवल 'रोज़गार और निर्माण' समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।
   02. परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अतः सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा

**www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

03. साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(अ) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

(द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(फ) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

**परिशिष्ट-3**

## आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश

**टीपः-** ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन आप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जाएगा अतः ओ.एम.आर. शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यन्त सावधानीपूर्वक करें।

1. आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम दो काले बाल प्वाइंट पेन अवश्य लाएं।
2. गोले भरने के लिए केवल काला बाल प्वाइंट पेन का ही उपयोग करें। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्कैनर द्वारा जांची नहीं जा सकेगी।
3. ओ.एम.आर. शीट पर किसी प्रकार का रफ कार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्नपत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है, उस स्थान का ही उपयोग करें।
4. ओ.एम.आर. शीट अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा।
5. उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. शीट पर सभी प्रविष्टियाँ सही रूप से की गई हैं। अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त प्रश्न पत्र सेट ए.बी.सी.डी. अंकन न करने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
6. आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (×) लगाने पर ओ.एम.आर. शीट कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी।
7. **ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकन के लिए - सामान्य निर्देश -**

(अ) **प्रश्नों के उत्तर** : ओ.एम.आर. शीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओ.एम.आर. शीट पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए.बी.सी.डी. बने हैं। प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ए.बी.सी.डी. दिए हैं। इनमें से एक सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला काले बाल पाईन्ट पेन से गहरा काला करें। एक से अधिक गोलों को काला करने पर प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

OMR Sheet में उत्तर अंकित कर उसे काटने/मिटाने/व्हाइटनर लगाने से उक्त प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

(ब) ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, प्रश्न पत्र कोड आदि भरने के लिए बने खानों में प्रविष्टि के लिए काले बाल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र A, B, C, D set में से कोई एक ही सेट दिया जाएगा। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें।

(स) हस्ताक्षर - ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर बाल पेन से हस्ताक्षर करें।

(द) ओ.एम.आर. शीट के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, प्रश्न पत्र कोड के कॉलम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिए काला बाल प्वाइंट पेन का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। अभ्यर्थी उसे आवंटित प्रश्न पत्र के सेट कोड ध्यान से देखें तथा सेट की जानकारी सुनिश्चित होने के पश्चात ही प्रश्न पत्र के सेट कोड के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (ABCD के गोले) के आधार पर ही उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाएगा। सेट कोड गलत भरने पर त्रुटि सुधार नहीं होगा। मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा भरे गए सेट कोड की उत्तर कुंजी के आधार पर होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

(इ) आवश्यक प्रविष्टियाँ सही स्थान पर उचित रूप से न भरने पर अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य नहीं किया जाएगा। जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा।

8. **रोल नम्बर की प्रविष्टि (चित्र एक)**

रोल नम्बर के खाने में बायें से दायें 1 से 6 तक स्तम्भ हैं। पहला स्तम्भ लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चौथा स्तम्भ सैकड़े का, पांचवां स्तम्भ दहाई का एवं छठा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले हैं। इन्हीं में आपको अपने रोल नम्बर भरना है। उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाइन में चौकोर खानों में दर्शाए अनुसार रोल नम्बर काला बाल प्वाइंट पेन से लिखें तत्पश्चात पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पांचवे स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को काला बाल प्वाइंट से गहरा काला करें।

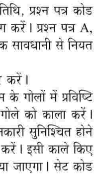


अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

**परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश -**

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा।

**एक- प्रवेश -**

01. परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्रावधिक है।
02. परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
03. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र तथा मान्य फोटो युक्त परिचय-पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ रखें।
04. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी की जाँच की जाएगी। परीक्षार्थी अपने साथ केवल दो काले बाल प्वाइंट पेन, प्रवेश-पत्र एवं मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएं तथा अभ्यर्थी अपने साथ सामान्य केल्क्यूलेटर ला सकता है। इसके अतिरिक्त मोबाइल, पेजर एवं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।

**दो- निर्गमन**

01. सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।
02. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भले ही उसने प्रश्न पत्र हल कर लिया हो।
03. प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किए जाने के उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।
04. निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा (केवल दृष्टिबाधित तथा ऐसे अस्थिबाधित जो दोनों ही हाथों से लिखने में असमर्थ हैं तथा वे जिन्होंने सहलेखक की सुविधा ली है, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा में 20 मिनिट प्रति घण्टा अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

**तीन- ओ.एम.आर. शीट पर नाम और अनुक्रमांक -**

**चित्र चार**

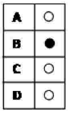


ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखें। ओ.एम.आर. शीट के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। ओ.एम.आर. शीट पर पेंसिल, रबर एवं व्हाइटनर का उपयोग करने या अभ्यर्थी के पास कक्ष में पाए जाने पर अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। ओ.एम.आर. शीट में (आपको दिए गए A, B, C, D प्रश्न पत्र सेट में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्न पत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोले को काले पेन से अनिवार्यतः काला करें। आपके द्वारा प्रश्न पत्र सेट के गोले को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही ओ.एम.आर. शीट मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट-B को काला किया है। सेट का गोला काला नहीं करने पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

**उत्तर अंकित करने हेतु अनुदेश -**

1. केवल काली स्याही वाले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें।
2. प्रत्येक प्रश्न का उत्तर - पत्र में दिए गए प्रश्न क्रमांक के सामने संबद्ध गोले को काला करें।
3. प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु केवल एक ही गोले को गहरा काला करना है, जैसे नीचे दिखाया गया है :-

4. पूरे गोले को गहरा काला कीजिए।
5. उत्तर के लिए दिए गए गोले को काला कीजिए एक से अधिक गोले काले करने/चिह्न (.) होने पर भी उत्तर मान्य नहीं होगा।
6. उत्तर पत्र पर कच्चा काम करना मना है। इस काम के लिए प्रश्न पत्र के अंत में खाली जगह का ही उपयोग कीजिए।
7. प्रश्न-पत्र के सेट के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। उत्तर-पत्र में काले किए गए सेट के गोले के आधार पर ही उसे जांचा जाएगा। गलत गोला काला करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. अभ्यर्थी अगर प्रश्न पुस्तिका सेट का गोला नहीं भरता है, तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा एवं वह अयोग्य माना जाएगा।
9. अभ्यर्थी अगर अपने अनुक्रमांक के गोले नहीं भरता है, तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा एवं वह अयोग्य माना जाएगा।
10. अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका कक्ष के वीक्षक को ही जमा करें।
11. अभ्यर्थी अगर अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका पर उत्तर के गोले भरने/मिटाने के लिए यदि पेंसिल/व्हाइटनर का उपयोग करता है, तो नकल का प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

**चार- अनुचित साधन -**

परीक्षा हॉल/कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण जैसे मोबाइल, वॉच, डिजिटल डायरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पेजर आदि तथा पेंसिल, रबर व्हाइटनर जैसी सामग्री के साथ पाया जाता है, तो अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। उनके पास कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या कागज जो परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करने में सहायक हो। अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर नकल प्रकरण दर्ज होगा।

परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दण्डनीय है। परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप विशेषकर मोबाइल, इलेक्ट्रानिक उपकरण तथा अन्य वर्जित वस्तुएं आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माना जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी ओ.एम.आर. शीट से नकल करना अथवा अपनी शीट से अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से ओ.एम.आर. शीट बदलना, परीक्षा भवन में जोर-जोर से बोलना, किसी भी प्रकार की सांकेतिक भाषा अथवा किसी प्रकार भाव-भंगिमा से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जाएगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य प्रदेशों के आयोगों की परीक्षा एवं साक्षात्कारों से वंचित किए जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।

**परीक्षा की गोपनीयता :- परीक्षा पूर्व/दौरान/पश्चात प्रश्न-पत्र की गोपनीयता के भंग होने की किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों/व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाकर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।**

(शेष अगले पृष्ठ पर)

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 48/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (सांख्यिकी) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11.05.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (सांख्यिकी) के कुल-5 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 48/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 12.04.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 11.05.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/48014/2023 **सचिव**

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 50/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (वेद) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11.05.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (वेद) के कुल-1 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 50/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 12.04.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 11.05.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/48016/2023 **सचिव**

(पिछले पृष्ठ का शेष)

**पांच- प्रश्न संबंधी शिकायत -**
प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षार्थी परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के निर्दिष्ट तिथियों पर 07 दिवस के अंदर निर्धारित शुल्क (100 रुपये प्रति प्रश्न तथा रुपये 40 प्रति सत्र पोर्टल चार्ज प्रथक से देय) आपत्ति शुल्क एवं पोर्टल चार्ज किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। जमा कर ऑनलाइन पद्धति से आपत्ति दर्ज कराएं। परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर ऑनलाइन पद्धति से दर्ज शिकायतों पर ही विचार किया जाएगा। इसके पश्चात एवं अन्य किसी पद्धति से प्रस्तुत आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। आपत्ति दर्ज कराने पर देय शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। दर्ज आपत्तियां सही पाई जाने पर संशोधन का लाभ समस्त अभ्यर्थियों को प्राप्त होगा। भले ही उनके द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं की गई हो।

**छः- ओ.एम.आर. शीट का लौटाना -**
परीक्षार्थी परीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक को ही सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना गम्भीर अपराध माना जाएगा और इस हेतु उसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

**सात- ओ.एम.आर. शीट पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियां -**
1. ओ.एम.आर. शीट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड के सही गोले भरें। साथ ही प्रश्न पत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें। इस संबंध में दिए गए निर्देशों को गम्भीरतापूर्वक पढ़ने के पश्चात ही आवश्यक प्रविष्टियां की जाएं।
2. ओ.एम.आर. शीट पर कोई दाग/चिह्न न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें।

**आठ- प्रश्न पत्र पर अंकन -**
परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर भी अनुक्रमांक लिखें तथा रफ कार्य प्रश्न पत्र में दिए गए पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्न पत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्न पत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

**नौ- उपस्थिति पत्रक -**
प्रत्येक प्रश्न पत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।

**दस- दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु सहलेखक संबंधी नियम -**

**अ. अभ्यर्थियों का विवरण जिन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी :-**
1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) दिव्यांग तथा सेरिब्रल पाल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तम (स्पेस्टिक) डाइसलेक्सिक पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो ओर इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5. उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को सहलेखक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

**ब. प्रदान की जाने वाली सुविधाएं :-**
उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जाएगी। उपरोक्त सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र सहित परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना होगी ताकि नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी। लेखन सहायक से घोषणा-पत्र भरवाया जाएगा।

**(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-**
लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की अर्हता से कम होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता स्नातक से कम होना चाहिए। (अर्थात् स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए) यदि किसी पद की परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि है तो सहलेखक की योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि से कम होनी चाहिए (अर्थात् स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए)।

**(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-**
ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें उपरोक्तानुसार सहलेखक की सुविधा प्रदान की गई है, निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

| | |
|---|---|
| 3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए | 60 मिनट |
| 2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए | 40 मिनट |

**स. इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं :-**
यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जाएगा।

द. अभ्यर्थी को पात्र सहलेखक साथ में लेकर परीक्षा हेतु आना होगा। आयोग/केन्द्राध्यक्ष द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

**टीप :-** 1. उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त दिव्यांगजन सम्बन्धित अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं निर्णय लिए जाने हेतु आयोग के सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।
2. दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें सहलेखक एवं भूतल पर बैठने की व्यवस्था की आवश्यकता है वे अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उक्त आवश्यकताओं की प्रविष्टि करेंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आकस्मिक दुर्घटना एवं बीमारी के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में अभ्यर्थियों को उक्त सुविधाएं उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर ही देय होगी।

**ग्यारह- विविध -**
1. परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्न पत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेंन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेंन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लाएंगे। अभ्यर्थी अपने साथ सामान्य केल्क्यूलेटर ला सकता है।
2. परीक्षार्थियों को अपने साथ पेंसिल, व्हाइटनर, डिजिटल डायरी, वॉच, सेल्युलर फोन, पेजर तथा अन्य electronic gadgets लाना वर्जित हैं। उपरोक्त वर्जित वस्तुएं अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर अनुचित साधन प्रकरण अंतर्गत नकल प्रकरण बनाया जाएगा।

**बारह-** परीक्षार्थी ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्न पत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं/निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें व अनिवार्यतः उनका पालन करें।

**तेरह- अनुशासन व शालीनता -**
1. परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करना/अशिष्ट, अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।
2. परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
3. परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाना चाहिए। यह दण्डनीय है।
4. यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा। उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे परीक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किए जाएं। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।

**परिशिष्ट-4**

### अनुभव प्रमाण पत्र

**क्रमांक** ................ **दिनांक** ...............

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. ........................................... (आवेदन का नाम) हमारी संस्था में ......................... पद ............................ पर दिनांक ...................... से दिनांक ....................... तक कार्यरत रहे हैं। उनके द्वारा धारित पद हमारे प्रतिष्ठान की पदक्रम सूची में अधिकारी स्तर का है।

2. पद का विवरण ..........................................
संस्था का नाम ..........................................
पता ..........................................
संस्था का कार्यक्षेत्र ..........................................

**संस्था का पंजीयन विवरण-**

| | | |
|---|---|---|
| पंजीयक प्राधिकारी | | Service tax पंजीयन क्रमांक/दिनांक |
| पंजीयन क्रमांक/दिनांक | | VAT पंजीयन क्रमांक/दिनांक |

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि - (जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

अ. हमारा प्रतिष्ठापन 500 या अधिक (............. (हार्सपावर लिखें)) हार्सपावर की क्षमता की मोटर का उपयोग करता है।

ब. हमारा प्रतिष्ठापन उच्च विभव (High tension) उपभोक्ता है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-
HT Connection No. ..........................................
Last Bill Paid Month ..........................................
Last Bill Paid Amount Rs. ..........................................

**जारीकर्ता के हस्ताक्षर** ..........................
**जारीकर्ता का नाम** ..........................

**जी-21070/आर-47978/2023**

# मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

| विज्ञापन क्रमांक 12/2022 | प्रवेश-पत्र की उपलब्धता तिथि | ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि |
|---|---|---|
| दिनांक 30.12.2022 | 14.05.2023 | 09.02.2023 दोपहर 12:00 बजे तक |

## राज्य वन सेवा परीक्षा-2022

**प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 21.05.2023 (रविवार)**

| | | |
|---|---|---|
| प्रथम प्रश्न पत्र : | सामान्य अध्ययन | प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक |
| द्वितीय प्रश्न पत्र : | सामान्य अभिरुचि परीक्षण | अपरान्ह 02:15 बजे से 04:15 बजे तक |

## महत्वपूर्ण निर्देश

**A. आवेदन-पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-**

1. राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे उम्मीवदवार कृपया यहां नोट करें कि राज्य वन सेवा (लिखित एवं साक्षात्कार) परीक्षा के दूसरे चरण में शामिल होने के लिए उन्हें राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होना एवं अर्ह होना अनिवार्य होगा। राज्य सेवा परीक्षा 2022 के विज्ञापन हेतु आयोग के विज्ञापन क्रमांक 11/2022, दिनांक 30.12.2022 का अवलोकन करें। राज्य सेवा परीक्षा 2022 एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 के लिए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में राज्य सेवा परीक्षा अथवा राज्य वन सेवा परीक्षा अथवा दोनों परीक्षाओं में शामिल होने हेतु विकल्प सावधानीपूर्वक चयन करें। चयनित विकल्प के अनुसार ही अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा और इस संबंध में आवेदन-पत्र अंतिम रूप से Submit होने के पश्चात कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. उपरोक्त प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.01.2023 को (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 09.02.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकेंगे। इसके पश्चात ये लिंक बंद हो जाएगी।
3. राज्य सेवा परीक्षा 2022 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

**B. आयु की गणना :-**

1. **आयु की गणना 01 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी।**
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं (High School) की अंकसूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंकसूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि का ही उल्लेख करें।

**C. शुल्क संबंधी निर्देश :-**

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट-02 का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

**D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-**

1. **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 16.01.2023 से 11.02.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र रु. 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।**
2. **अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अतः वे प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।**
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता हैं तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/भूतपूर्व सैनिक/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा अभ्यर्थी से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

**E. पात्रता :-**

1. **शैक्षणिक अर्हता - राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 हेतु विज्ञान/इंजीनियरिंग/तकनीकी की किसी भी शाखा में स्नातक उपाधि।**
2. **रोज़गार पंजीयन -**
   (क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
   (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
   (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता/अनुभव/वांछनीय अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे उस विभाग को अपनी शिकायत प्रेषित कर सकते हैं।

**F. परीक्षा केन्द्र तथा प्रवेश-पत्र :-**

1. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा **दिनांक 21.05.2023 को** दो सत्रों में सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा के 10 दिन पूर्व से परीक्षा शहर की जानकारी E-mail द्वारा तथा परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र दिनांक 14.05.2023 से **www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा केन्द्र आवंटन हेतु शहर की अग्रमान्यता एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अग्रमान्यता उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु Reimbursement का वर्गीकरण प्रावधानित है, जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है। अतएव इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**G. परीक्षा नियम/निर्देश आदि :-**

1 उक्त परीक्षा राज्य सेवा परीक्षा नियम-2015 (यथा संशोधित) अनुसार आयोजित की जाएगी।
2. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
3. चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोज़गार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
4. पाठ्यक्रम निर्धारण समिति द्वारा विज्ञापन के संदर्भ में प्रकाशित पाठ्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो तदनुसार संशोधित पाठ्यक्रम परीक्षा के यथोचित समयपूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा उपरोक्तनुसार संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
5. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
6. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. **उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87 प्रतिशत तथा प्रावधिक भाग 13 प्रतिशत के आधार पर जारी किया जाएगा।**

**अन्य निर्देश :-**

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्तः आवश्यक सूचनाएँ, संशोधन आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अतः समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त E-mail/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3 आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टतः परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें, ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

**एक-** भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के अन्तर्गत सहायक वन संरक्षक (Assistant Conservator of Forest), वन क्षेत्रपाल (Forest Ranger) एवं परियोजना क्षेत्रपाल के स्थायी पदों की भर्ती संयुक्त परीक्षा द्वारा किए जाने के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों की वर्गवार संख्या विभाग द्वारा प्रेषित मांगपत्र के अनुसार दर्शाई गई है :-

| पद का नाम | कुल पद | रिक्तियों की वर्गवार संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अना. | अनु. जाति | अनु. जनजाति | अ.पि.व. | EWS |
| सहायक वन संरक्षक | वर्तमान में विभाग द्वारा इन पदों का मांगपत्र आयोग में प्रेषित नहीं किया है। राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 का प्रारंभिक परीक्षा का चयन परिणाम घोषित होने के पूर्व यदि विभाग द्वारा इन पद/पदों का मांगपत्र आयोग को प्रेषित किया जाता है तो शुद्धिपत्र के माध्यम से प्राप्त पद/पदों को उक्त परीक्षा में शामिल किया जाएगा। | | | | | |
| वन क्षेत्रपाल | | | | | | |
| परियोजना क्षेत्रपाल | 15 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |

**टीप :-** (1) शासन द्वारा पदों का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है किन्तु पदों की संख्या में वृद्धि केवल राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 के परिणाम घोषित होने के पूर्व तक ही

की जा सकेगी। पदों में वृद्धि की स्थिति में कोई अतिरिक्त आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे तथा सभी पदों हेतु केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा किया है। चयन के किसी भी स्तर पर पदों की संख्या में कमी की जा सकती है।

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 में अधिसूचना क्रमांक सी 3-10-12-एक-3, दिनांक 26 सितम्बर 2015, द्वारा महिला आरक्षण वन विभाग को छोड़कर प्रावधानित किया गया है।

**(3) सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल/परियोजना क्षेत्रपाल के पदों हेतु किसी भी श्रेणी के दिव्यांगजन उम्मीदवार आवेदन करने हेतु पात्र नहीं हैं। उक्त पद हेतु शारीरिक मापदंड निर्धारित है उम्मीदवार आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शारीरिक मापदंड पूरा करते हैं। (देखें विज्ञापन की कंडिका-3)**

**(4) परियोजना क्षेत्रपाल के पदों की चयन प्रक्रिया में वन क्षेत्रपाल के पद के समान ही विचार किया जाएगा। साक्षात्कार के पूर्व पात्र अभ्यर्थियों से वन क्षेत्रपाल तथा परियोजना क्षेत्रपाल के पदों हेतु अग्रमान्यता प्राप्त की जाएगी तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अग्रमान्यता तथा गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा।**

**दो- पद का विवरण-**

**(A) पद का नाम : सहायक वन संरक्षक**
(B) विभाग का नाम : **मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग**
(C) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
(D) पदस्थिति : स्थायी
(E) वेतनमान (7वें वेतनमान अनुसार) : रुपये 56,100-1,77,500/- तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
(F) अर्हता
**1. शैक्षणिक :** विज्ञान/इंजीनियरिंग/तकनीकी की किसी भी शाखा में स्नातक उपाधि।
**2. प्रशिक्षण :** दो वर्ष की पत्रोपाधि लेने हेतु वन महाविद्यालय देहरादून अथवा शासन द्वारा निर्धारित उसके समकक्ष भारतवर्ष के किसी भी अन्य प्रशिक्षण, वन विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा दो वर्ष का प्रशिक्षण विभाग में प्राप्त करना होगा एवं नियमानुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
**3. शारीरिक मापदण्ड एवं क्षमता परीक्षण** - बिन्दु तीन में उल्लेखित शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण के प्रावधानों को पूर्ण करना होगा।
(G) कर्तव्य : वानिकी संबंधी समस्त कार्य।

**(A) पद का नाम : वन क्षेत्रपाल**
(B) विभाग का नाम : **मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग**
(C) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
(D) पदस्थिति : स्थायी
(E) वेतनमान (7वें वेतनमान अनुसार) : रुपये 36200-114800/- तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
(F) अर्हता
**1. शैक्षणिक :** विज्ञान/इंजीनियरिंग/तकनीकी की किसी भी शाखा में स्नातक उपाधि।
**2. प्रशिक्षण :** 18 माह की प्रशिक्षण अवधि होगी। प्रशिक्षण भारतवर्ष के किसी भी वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय में प्राप्त करना होगा।
**3. शारीरिक मापदण्ड एवं क्षमता परीक्षण** - बिन्दु तीन में उल्लेखित शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण के प्रावधानों को पूर्ण करना होगा।
(G) कर्तव्य : वनों का प्रबंधन, विकास एवं सुरक्षा।

**(A) पद का नाम : परियोजना क्षेत्रपाल**
(B) विभाग का नाम : **मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लि.**
(C) श्रेणी : द्वितीय श्रेणी (अराजपत्रित)
(D) पदस्थिति : स्थायी
(E) वेतनमान : रुपये 9300-34800 + 3600/- ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। उपरोक्त वेतनमान छठे वेतनमान के हैं, सातवें वेतनमान के तत्स्थानी वेतनमान देय होंगे।
(F) अर्हता :
**1. शैक्षणिक :** विज्ञान/इंजीनियरिंग/तकनीकी की किसी भी शाखा में स्नातक उपाधि।
**2. प्रशिक्षण :** उक्त पद हेतु चयनित अधिकारी बीच में प्रशिक्षण छोड़ता है तो समस्त व्यय चयनित अधिकारी को मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम को देना होगा तथा प्रशिक्षण उपरांत विभाग में चयनित परियोजना क्षेत्रपाल को निगम में 05 वर्ष सेवा करना अनिवार्य होगा।
**3. शारीरिक :** बिन्दु तीन में उल्लेखित शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण के प्रावधानों को पूर्ण करना होगा।
(G) कर्तव्य : वनों का प्रबंधन, विकास एवं सुरक्षा।

**टीप-** उपर्युक्त पदों के लिए उम्मीदवार के पास निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं, राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। इसके पश्चात किसी भी दिनांक को उक्त अर्हताएं अर्जित करने वाले उम्मीदवार उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे। परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित किए जाने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि उम्मीदवार को पद के योग्य मान लिया गया है। **चयन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर अयोग्य पाए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।**

**तीन- शारीरिक मापदंड**

| | पुरुष | महिला |
|---|---|---|
| 1. ऊंचाई अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग | 163 से.मी. | 150 से.मी. |
| 2. ऊंचाई अनुसूचित जनजाति | 152 से.मी. | 145 से.मी. |
| 3. सीने की परिधि | 79 से.मी. | 74 से.मी. |
| ◆ न्यूनतम विस्तार | 5 से.मी. | 5 से.मी. |
| ◆ पूर्ण विस्तारित | 84 से.मी. | 79 से.मी. |
| 4. शारीरिक क्षमता परीक्षण चार घंटे पैदल चलना | 25 कि.मी. | वन क्षेत्रपाल/परियोजना क्षेत्रपाल हेतु : 16 कि.मी. |

**टीप-** (1) चिकित्सा मंडल द्वारा उम्मीदवारों की ऊंचाई एवं सीने के मापदंड लिए जाएंगे तथा उम्मीदवारों की श्रवण शक्ति, दृष्टि एवं वन विभाग में बाह्य सेवा (आउट डोर वर्क) हेतु न्यूनतम शारीरिक मापदंड का परीक्षण किया जाएगा।
(2) शारीरिक क्षमता परीक्षण राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।
(3) जो अभ्यर्थी शारीरिक मापदण्ड को पूरा करने में अथवा शारीरिक क्षमता परीक्षण अथवा मेडिकल परीक्षण में असफल होते हैं, उनका चयन शासन द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

**चार-** (1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित हैं। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे उम्मीदवार जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हैं आरक्षण हेतु पात्र नहीं हैं। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जाएगा।
(2) मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

**पांच- मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अन्तर्गत अनर्हता -**
(अ) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु जहां किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।
(ब) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :
परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

**छह- आयु सीमा-**
◆ **सहायक वन संरक्षक हेतु - 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो।**
◆ **वन क्षेत्रपाल/परियोजना क्षेत्रपाल हेतु - 21 की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 33 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो।**

**आयु संगणना तिथि 01.01.2023 होगी।**
आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिए **परिशिष्ट-1** देखें।

**सात- महत्वपूर्ण** - यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं उम्मीदवार की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले उम्मीदवार अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि उम्मीदवार को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर उम्मीदवार के अनर्ह पाए जाने पर उम्मीदवार का आवेदन-पत्र निरस्त कर उम्मीदवार की उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।

**आठ- अधिवार्षिकी आयु - 62 वर्ष**

**नौ- परिवीक्षा- सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्रपाल तथा परियोजना क्षेत्रपाल के पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।**

**दस- अनुबंध निष्पादन-** चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण संस्थान में जाने से पूर्व विभाग द्वारा निर्धारित अनुबंध निष्पादित करना होगा-
1. चयनित अधिकारी बीच में प्रशिक्षण छोड़ता है तो प्रशिक्षण पर होने वाला समस्त व्यय चयनित अधिकारी को राज्य सरकार को देना होगा।
2. प्रशिक्षण उपरांत विभाग में सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के पद पर नियुक्ति प्राप्त हो जाने पर चयनित अधिकारी को विभाग में 5 वर्ष सेवा करना अनिवार्य होगा।

**ग्यारह- चयन प्रक्रिया-**
चयन प्रक्रिया के पांच क्रमिक चरण होंगे -
(अ) राज्य वन सेवा (मुख्य परीक्षा) के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार ओ.एम.आर. शीट आधारित)
(ब) राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार से ऑनलाइन परीक्षा पद्धति द्वारा)
(स) **साक्षात्कार-** लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश द्वारा।
(द) शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक क्षमता का परीक्षण-राज्य शासन द्वारा (पुरुष उम्मीदवारों को 25 कि.मी. की दूरी चार घंटे में पैदल चलकर तथा महिला उम्मीदवारों को सहायक वन संरक्षक हेतु 14 कि.मी. तथा वन क्षेत्रपाल/परियोजना क्षेत्रपाल हेतु 16 कि.मी. की दूरी चार घंटे में पैदल चलकर तय करनी होगी।)
(इ) **स्वास्थ्य परीक्षण-** मध्यप्रदेश शासन के चिकित्सक मंडल द्वारा।
**(फ) परीक्षा योजना -**
**प्रारंभिक परीक्षा-** राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2022 ही राज्य वन सेवा परीक्षा-2022 हेतु आयोजित अर्हकारी परीक्षा होगी। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के (बहुविकल्पीय प्रश्न) दो प्रश्न पत्र होंगे। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में गुणानुक्रम सूची केवल प्रथम प्रश्न पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जाती है तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में अनारक्षित श्रेणी में 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है। किन्तु राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की गुणानुक्रम सूची बनाते समय प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों में ही प्राप्त अंकों के योग के आधार पर गुणानुक्रम सूची वर्गवार, श्रेणीवार बनाई जाएगी। क्योंकि राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु केवल विज्ञान/इंजीनियरिंग/तकनीकी संकाय के अभ्यर्थी ही पात्र हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम अनारक्षित 40 प्रतिशत अंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 30 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक होगा। यह परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण के रूप में ली जाएगी। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य/अर्ह घोषित किया जाएगा। अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर कुल रिक्त स्थानों के 20 गुना अभ्यर्थियों को राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया जावेगा। Negative Marking नहीं होगी।

**मुख्य परीक्षा :-**
प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा एक प्रश्न पत्र की होगी, जिसके दो खण्ड "अ" तथा "ब" होंगे तथा परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से ली जाएगी। मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के साथ ही आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जा रहा है।

**परीक्षा परिणामों के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-**
प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की पेपर सेटर/मॉडरेटर द्वारा तैयार प्रावधिक उत्तर-कुंजी आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपए (Non-Refundable) शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क (रुपये 40/-) पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु देय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जाएगी :-
1. ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक उत्तर-कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है तब प्रावधिक उत्तर-कुंजी को संशोधित किया जाएगा।
2. प्रश्न के हिन्दी तथा अँग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिन्दी अनुवाद ही मान्य होगा।
3. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हैं, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा।
4. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर न हो को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जाएगा।
5. विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम

**(शेष पृष्ठ 23 पर)**

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट

## मध्यप्रदेश की क्षमताओं से रू-ब-रू होंगे निवेशक

**भोपाल,** भारत का दिल मध्यप्रदेश, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) के माध्यम से संभावित निवेशकों के लिए राज्य की क्षमताओं का विकास, निवेश के माहौल और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शित करने के लिए विकास का एक नया युग लिखने के लिए तैयार है। राज्य के सबसे स्वच्छ शहर एवं वाणिज्यिक राजधानी इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 11-12 जनवरी को आयोजित की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री ने समिट में और राज्य में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए दिल्ली, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु में रोड शो किए। उद्योगपतियों से नियमित रूप से वन-टू-वन चर्चा एवं प्रति सप्ताह उद्योगपतियों से अपने निवास पर भेंट भी की। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न देशों के संभावित निवेशकों के साथ भी बातचीत की।

'मध्यप्रदेश-भविष्य के लिए तैयार राज्य' थीम पर होने जा रही इस समिट में पर्यावरण-संरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया है। यह कार्यक्रम 'कार्बन न्यूट्रल' और 'जीरो वेस्ट' पर आधारित होगा। मध्यप्रदेश में देश और विदेश के निवेशकों को राज्य में लाने के लिए राज्य के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का प्रदर्शन किया जायेगा।

'इन्वेस्ट मध्यप्रदेश-ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' मध्यप्रदेश का प्रमुख द्विवार्षिक निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम है। वर्ष 2007 में संकल्पित, मध्यप्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट दुनियाभर के निवेशकों और व्यापार समुदाय के लिए बहुत बड़ा सुअवसर बना। इस बार भी जीआईएस एक ऐसा मंच होगा, जहां वैश्विक नेता, उद्योगपति और विशेषज्ञ उभरते बाजारों/प्रवृत्तियों पर अपने आख्यान साझा करने, निवेश क्षमता का दोहन करने और फ्यूचर रेडी, मध्यप्रदेश की सफलता की कहानी का हिस्सा बनने के लिए एक साथ आएंगे।

इस बार की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 65 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। इसमें 20 से अधिक देशों के राजदूत/उच्चायुक्त/महावाणिज्य दूतावास/राजनयिक भाग लेंगे। जीआईएस के अंतर्राष्ट्रीय मंडप में, 9 भागीदार देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन अपने देशों के विभिन्न पहलुओं का प्रदर्शन करेंगे। समिट के माध्यम से राज्य के निर्यातकों को संभावित विदेशी खरीददार से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा।

## पेयजल प्रबंध और स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों में मध्यप्रदेश में अच्छी प्रगति

### प्रदेश में इस वित्त वर्ष के अंत तक 70 लाख परिवारों को नल कनेक्शन मिल जाएंगे

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुये।

**भोपाल,** मध्यप्रदेश ने जल जीवन मिशन के कार्यों को पूरा करने में प्राथमिकता से कार्य किया है। नल-जल योजनाओं के संचालन और संधारण में भी ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा का उपयोग किया जा रहा है। मध्यप्रदेश प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, गोबर धन संयंत्रों की शुरुआत और स्वच्छ भारत मिशन कार्यों में भी अग्रणी बना है। केंद्र सरकार से प्राप्त सहयोग से मध्यप्रदेश इन क्षेत्रों में बेहतर परिणाम देगा। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ समत्व भवन के मंथन सभाकक्ष में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यों के संबंध में चर्चा करते हुये कहीं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हर घर जल पहुंचाने के लिए मध्यप्रदेश में तेजी से कार्य हो रहा है। जहां वर्ष 2019 में सिर्फ 138 ग्राम तक यह सुविधा पहुंची थी, वहीं अब तक 7 हजार से अधिक ग्रामों में हर घर तक टोंटी द्वारा जल पहुंच रहा है। प्रदेश के 119.87 लाख परिवार को नल कनेक्शन देने के लक्ष्य के मुकाबले 55 लाख से अधिक परिवारों को यह सुविधा पहुंचाई जा चुकी है। इस वित्त वर्ष के अंत तक यह संख्या 70 लाख परिवार हो जाएगी। समूह योजनाओं के कार्य भी पूरे हो रहे हैं। हर घर तक जल पहुंचाने के कार्य में बुरहानपुर जिला देश में प्रथम आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों की निरंतर समीक्षा की है। वे जिलों पर केंद्रित बैठकों में भी हर घर जल पहुंचाने के कार्यों की समीक्षा करते हैं। मध्यप्रदेश में स्व-सहायता समूह की महिलाएं भी मिशन के कार्यों में सहयोगी बनी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के साथ ही अन्य विषयों पर भी केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत के साथ चर्चा की।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की कल्पना के अनुसार जल जीवन मिशन के कार्यों का मध्यप्रदेश में बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। केंद्र सरकार से आए वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मध्यप्रदेश के प्रदर्शन को श्रेष्ठ बताया। श्री शेखावत ने कहा कि अब देश में ऐसे ग्रामों को लक्ष्य कर कार्य किया जा रहा है जहां पानी का एक भी स्रोत नहीं है। पुनर्भरण और अन्य प्रयासों से प्रत्येक ग्राम को लाभान्वित किया जाएगा। जल जीवन सर्वेक्षण भी इस कार्य में मददगार बनेगा। ग्रामों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होने की शुरुआत उत्सव के रूप में करने की पहल की गई है। इस कार्य में भी मध्यप्रदेश अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आगामी 31 जुलाई तक सभी विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के संबंध में आवश्यक वित्तीय सहयोग राज्यों को प्रदान किया जा रहा है। मध्यप्रदेश को भी कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि मिलती रहेगी।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश के सभी ग्रामों को इस वर्ष के अंत तक विभिन्न श्रेणियों में ओडीएफ प्लस घोषित किये जाने का लक्ष्य है। प्रदेश में गोबर धन परियोजनाओं की संख्या 52 है।

## नागौद में सौ एकड़ क्षेत्र में बनेगा ईको टूरिज्म पार्क - वन मंत्री

**सतना,** नागौद शहर में अमरन नदी के दूसरे किनारे की 100 एकड़ जमीन पर ईको टूरिज्म पार्क बनाया जाएगा। वन विभाग को पार्क के लिए दी गई भूमि के बदले 5 हेक्टेयर भूमि में वन विभाग का उपखण्ड कार्यालय और विभाग की आदर्श कॉलोनी बनाई जाएगी। यह बात वन मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने नागौद शहर के भ्रमण के दौरान कही।

वन मंत्री ने वन और राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि वन कार्यों की कार्य-योजना प्राथमिकता के आधार पर बनाई जाए। उन्होंने शासकीय जलद त्रिमूर्ति महाविद्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।

वन मंत्री ने बस स्टैण्ड के पास दिहाड़ी विक्रेताओं से चर्चा की। उन्होंने एक सब्जी विक्रेता और एक मोची का कार्य करने वाले हितग्राही को स्ट्रीट वेंडर योजना में 10-10 हजार रुपये की राशि स्वीकृति के निर्देश दिए। डॉ. शाह ने बताया कि नागौद शहर में 5 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बस स्टैण्ड के लिए वन विभाग के साथ कार्यालय की जमीन स्थानांतरित की जाएगी। इनके बदले नगर परिषद दुकानों का निर्माण करायेगी।

## स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार के साथ निजी पहल भी आवश्यक

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में अपोलो सेज अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुये।

**भोपाल,** स्वस्थ शरीर जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि हम स्वस्थ हैं तो अपने सभी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समर्पित भाव से निरंतर प्रयास कर सकते हैं। बीमार होते ही अस्पताल हमारी आवश्यकता और सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाता है। राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में विस्तार के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। फिर भी इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के उद्यमियों को पहल करने की भी बहुत आवश्यकता है। भोपाल में आरंभ अपोलो सेज अस्पताल, सेवा और बेहतर इलाज के नये कीर्तिमान स्थापित करेगा। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के बावड़िया कला क्षेत्र में निर्मित अपोलो सेज अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों का यह प्रयास होना चाहिए कि इस अस्पताल से कोई भी गरीब निराश नहीं जाए। हमारी कोशिश यह हो कि जो भी व्यक्ति अस्पताल आया है उसे पूर्ण स्वास्थ्य लाभ और संतुष्टिदायक सेवा प्राप्त हो। सेवा-भाव के साथ अस्पताल का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

श्री चौहान को सेज ग्रुप के चेयरमैन इंजीनियर श्री संजीव अग्रवाल ने अस्पताल भवन का अवलोकन करवाया तथा उपलब्ध कराई जा रही विशेषज्ञ सेवाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री को सेज ग्रुप की ओर से स्मृति-चिन्ह भेंट किया गया।

उद्घाटन कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, सहकारिता, लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, श्रीमती कृष्णा गौर, श्री शैलेन्द्र जैन और भोपाल महापौर श्रीमती मालती राय उपस्थित थीं।

## समन्वित प्रयास कर मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा

**भोपाल,** मध्यप्रदेश में मोटे अनाज (मिलेट) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न विभागों के कार्य निर्धारित कर दिये गये हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 में विभिन्न विभाग समन्वित प्रयास कर आम जनता में मोटे अनाज के उपयोग को प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे। जनवरी से दिसम्बर 2023 तक मोटे अनाज के उपयोग को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिये विभागीय स्तर पर गतिविधियां की जायेंगी। इसके लिये विभागीय गतिविधियां भी निर्धारित की गई हैं। मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग, पर्यटन विकास के लिए होटलों में मिलेट आधारित व्यंजनों का प्रचार-प्रसार करेगा। फूड फेस्टिवल और रोड-शो का आयोजन करेगा। एमपीटीसी होटलों में मिलेट प्रदर्शनी, फूड गैलरी और सोवेनियर शॉप की व्यवस्था होगी।

अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष में प्रदेश में किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग कृषि उपज मण्डियों, कृषि विभाग के कार्यालयों तथा संबंधित विभागों में बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स तथा दीवार-लेखन से प्रचार-प्रसार करेगा। साथ ही राज्य स्तरीय मिलेट प्रतियोगिता का आयोजन भी करेगा। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण और मध्यप्रदेश राज्य विपणन बोर्ड मिलेट प्रसंस्करण इकाइयों का प्रचार-प्रसार, विपणन गतिविधियों को बढ़ावा देना, सेमिनार, वर्कशॉप और अन्य कार्यक्रम करेगा। मध्यप्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण बोर्ड मिलेट फसलों के जैविक प्रमाणीकरण के लिये जागरूकता कार्यक्रम चलाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) मिलेट आधारित उत्पादों के प्रसंस्करण एवं आयात-निर्यात की संभावनाओं पर कार्यक्रम करेगा। राज्य स्तरीय कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान मिलेट आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम करेगा। कृषि अभियांत्रिकी एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालय अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि अभियांत्रिकी द्वारा मिलेट आधारित वेबिनार, सेमिनार, मूल्य संवर्द्धन, मिलेट प्र-संस्करण तथा मैकेनाइजेशन आधारित प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला करेंगे। कृषि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मिलेट आधारित व्याख्यान, संभाग स्तरीय वर्कशॉप और प्रक्षेत्र दिवस के कार्यक्रम होंगे। मृदा परीक्षण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करने के साथ कोदो-कुटकी के लाभ संबंधी आलेख प्रकाशित किए जाएंगे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला-बाल विकास और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मिलेट उत्सव सप्ताह का आयोजन और मिलेट आधारित गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिलेट को आहार में शामिल करने के लिये लोगों को जागरूक करेंगे।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

# पेसा नियमों का क्रियान्वयन जल्द से जल्द करना है सुनिश्चित - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाओं के पोर्टल का शुभारंभ करते हुये।

**भोपाल**, पेसा नियम जनजातीय भाई-बहनों के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में सामाजिक क्रांति है। अधिनियम के प्रावधानों और नियमों की जानकारी का गांव-गांव तक विस्तार करने के लिए युवाओं को जोड़कर अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। मैं स्वयं भी जनजातीय विकासखंडों में जाऊंगा। हमें हर हाल में पेसा नियमों का क्रियान्वयन जल्द से जल्द सुनिश्चित करना है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मंत्रालय में मध्यप्रदेश जनजातीय मंत्रणा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुये कहीं।

मुख्यमंत्री ने जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाओं के पोर्टल का शुभारंभ भी किया। संचालनालय, जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं, द्वारा बैठक में पेसा नियमों पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। साथ ही परिषद के सदस्यों से प्राप्त सुझावों पर चर्चा भी हुई। परिषद ने मुख्यमंत्री का पेसा नियम लागू करने के लिए आभार माना।

श्री चौहान ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि 268 ग्राम सभाओं ने तेन्दूपत्ता तोड़ने और बेचने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया है। आरंभ में इस गतिविधि में वन विभाग पूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। पेसा नियम प्रदेश के 20 जिलों के 89 विकासखंडों में लागू हैं। प्रदेश के सभी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पेसा नियम के प्रावधान लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। इस दिशा में कार्य के लिए विशेष टीम का गठन किया जाएगा। वृक्षारोपण गतिविधियों में बनोपज देने वाले पौधों को लगाने को प्राथमिकता दी जाएगी। जनजातीय नृत्य, गायन तथा वादन जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों के संरक्षण के लिए विशेष छात्रावास विकसित करने पर भी विचार किया जाएगा। जनजातीय भाई-बहनों को कोदो-कुटकी का उचित मूल्य प्राप्त हो, इस दिशा में भी प्रयास होंगे।

बैठक में प्रदेश के जनजातीय युवाओं के स्व-रोज़गार व विकास के लिए आरंभ तीन नवीन योजनाओं भगवान बिरसा मुंडा स्व-रोज़गार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना संबंधी जानकारी दी गई। रतलाम ग्रामीण विधायक श्री दिलीप मकवाना तथा परिषद के अन्य सदस्यों द्वारा सभी जनजातीय क्षेत्रों में पेसा नियम लागू करने का अनुरोध किया। बैठक में जनजातीय छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा में वृद्धि, आउटसोर्सिंग से भरे जाने वाले पदों में आरक्षण की व्यवस्था, शिक्षकों के अध्यापन स्तर के मूल्यांकन, जनजातीय क्षेत्रों में सीएम राइज स्कूल आरंभ करने संबंधी भी चर्चा हुई।

# आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने की मजबूत पहल है प्रदेश की स्टार्टअप नीति

**भोपाल**, मध्यप्रदेश की स्थापना के 67 साल बाद ही सही प्रदेश का औद्योगिक परिवेश अब लगातार और बेहतर हो रहा है। बेहतरी की इसी कड़ी में नया आयाम है, राज्य सरकार द्वारा राज्य में स्टार्टअप्स के लिए एक जीवंत और अनुकूल इकोसिस्टम विकसित करने की प्रतिबद्धता।

पिछले कुछ समय में ही मध्यप्रदेश को युवाओं, निवेशकों और भारत सरकार से लगातार मिले समर्थन से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप गतिविधियों में आशा से अधिक वृद्धि देखी गई है। प्रदेश में वर्ष 2016 में डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त सिर्फ 7 स्टार्टअप थे, अब डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त लगभग 2584 से अधिक स्टार्टअप प्रदेश में हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इनमें 44 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप की प्रवर्तक महिलाएं हैं।

मध्यप्रदेश के स्टार्टअप एरोनॉटिक्स, रक्षा, कृषि, ए.आई., एनीमेशन, फैशन, फिन-टेक, खाद्य प्रसंस्करण जैसे विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत है। इन स्टार्टअप में शीर्ष 5 क्षेत्र आईटी परामर्श, निर्माण और इंजीनियरिंग, कृषि तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण और व्यवसाय सहायता सेवाएं प्रमुख हैं।

प्रदेश का स्टार्टअप ईकोसिस्टम अब मध्यप्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के नियमों के अंतर्गत काम करने लगा है। पॉलिसी का क्रियान्वयन एमएसएमई विभाग कर रहा है। विभाग अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए डीपीआईआईटी और स्टार्टअप इंडिया के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। डीपीआईआईटी द्वारा जारी 'राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग' के दोनों संस्करण में मध्यप्रदेश अग्रणी रहा है।

यही नहीं राज्य के स्टार्टअप ईकोसिस्टम की और भी कई उपलब्धियां रही हैं। स्टार्टअप से जुड़े सभी हितधारकों जैसे स्टार्टअप, इन्क्यूबेटर सेंटर, निवेशक, स्टार्टअप पार्टनर, राज्य सरकार और एमपी स्टार्टअप सेंटर को स्टार्टअप पोर्टल से जोड़ा गया है। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर पहले से पंजीकृत और मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, अपने मौजूदा लॉग-इन का उपयोग कर एमपी स्टार्टअप पोर्टल में प्रवेश कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश का स्टार्टअप ईकोसिस्टम विभिन्न क्षेत्र के स्टार्टअप के वर्गीकरण के साथ विकसित हुआ है। राज्य सरकार ने इसके लिये एक स्वतंत्र निकाय का गठन किया है। नई नीति में स्टार्टअप के लिए कई प्रक्रियाओं को सरल और आसान बनाया गया है। सार्वजनिक खरीद को आसान बनाने से लेकर नई स्टार्टअप नीति में इन्क्यूबेटरों को ज्यादा समर्थन की पेशकश की गई है। नई नीति एक मजबूत वित्त पोषण तंत्र का विकास भी करती है।

प्रदेश की नीति के प्रमुख तत्वों में से एक प्रदेश के स्टार्टअप सेंटर की स्थापना है। यह सेंटर राज्य के स्टार्टअप को सुविधाएं और जरूरी सहायता देगा। सेंटर राज्य में स्टार्टअप तंत्र को बढ़ावा देने, उन्हें मजबूत करने और सुविधा देने के लिए एक समर्पित एजेंसी के रूप में काम करेगा।

मध्यप्रदेश की स्टार्टअप नीति 2022 की अनेक विशेषताएं हैं, जो इसे देश में अलग पहचान देती है। संस्थागत रूप से विषय-विशेषज्ञों के साथ मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर की स्थापना, मजबूत ऑनलाइन पोर्टल का विकास, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों/विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से जरूरी शैक्षणिक सहायता का आदान-प्रदान का प्रावधान नीति की विशेषताएं हैं।

## मंत्रिपरिषद के निर्णय

# मध्यप्रदेश में 45 सीएम राइज विद्यालयों के लिये राशि स्वीकृत

**भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल स्थित मंत्रालय में सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 45 सीएम राइज विद्यालयों के लिये 1807 करोड़ 57 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रदेश में सी.एम. राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 275 स्कूल विकसित किये जा रहे हैं। इनमें से 45 स्कूलों के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार कर परियोजना परीक्षण समिति के समक्ष 7 दिसम्बर, 2022 को प्रस्तुत किये गये। विभागीय प्रस्ताव के अनुक्रम में परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा पर 45 सर्वसुविधायुक्त स्कूलों के निर्माण का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में कुल 9 हजार 200 सी.एम. राइज स्कूलों का निर्माण किया जाना है। इसकी मंत्रिपरिषद से सैद्धांतिक स्वीकृति जुलाई, 2021 में जारी की जा चुकी है। इसमें से प्रथम चरण में 370 स्कूलों का निर्माण हो रहा है, जिनमें 275 स्कूल शिक्षा विभाग में तथा शेष 95 स्कूल जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं। पूर्व में मंत्रिपरिषद द्वारा 2 हजार 660 करोड़ रुपये की लागत के 73 स्कूलों को स्वीकृति दी जा चुकी है।**

- मंत्रिपरिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा रीवा में 433 नई पी.जी. सीट वृद्धि का निर्णय लिया। चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के लिए 192 करोड़ 24 लाख रुपये, चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के लिए 62 करोड़ 82 लाख रुपये, चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर के लिए राशि 100 करोड़ 66 लाख रुपये तथा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के लिए 82 करोड़ 68 लाख रुपये, इस प्रकार कुल राशि 438 करोड़ 40 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
- मंत्रिपरिषद ने जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्रतिष्ठित संस्थाओं से संभाग स्तर पर दिये जाने के लिए योजना का अनुमोदन एवं ऑफलाइन कोचिंग को प्रतिवर्ष और ऑनलाइन कोचिंग पायलेट प्रोजेक्ट में आगामी 4 वर्षों के संचालन के लिए वित्तीय भार 30 करोड़ 54 लाख 71 हजार रुपये का अनुमोदन किया।
- इस योजना में ऑफलाइन कोचिंग के लिए वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक (2 वर्षीय पाठ्यक्रम अनुसार) 1600 विद्यार्थियों को ऑफलाइन कोचिंग से लाभान्वित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन कोचिंग के लिए 10 विशिष्ट विद्यालयों के 25 विद्यार्थियों के मान से 4 वर्षों में कुल 250 विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
- मंत्रिपरिषद ने पंचायत प्रतिनिधियों के निर्वाचन में आम सहमति और निर्विरोध निर्वाचन को प्रोत्साहित करने की योजना में अभी तक ऐसी ग्राम पंचायत जिनके सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए, उनको एक लाख रुपये, ऐसी ग्राम पंचायत जिनके सरपंच एवं सभी पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए, उनको 5 लाख रुपये तथा ऐसी ग्राम पंचायतें जिनके सरपंच एवं सभी पंच महिला हैं को 10 लाख रुपये प्रदाय किये जाते थे।
- योजना को पुनरीक्षित करते हुए अब नई श्रेणियां एवं पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, उन्हें 5 लाख रुपये। सरपंच पद के लिए वर्तमान निर्वाचन एवं पिछला निर्वाचन निरंतर निर्विरोध रूप से होने पर 7 लाख रुपये। ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच एवं सभी पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए, उन्हें 7 लाख रुपये। ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच तथा सभी पंच महिला निर्वाचित हुए हैं, उनको 12 लाख रुपये, पंचायत में सरपंच एवं पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन निर्विरोध होने पर 15 लाख रुपये दिये जाने का निर्णय लिया गया।
- मुख्यमंत्री द्वारा 7 दिसम्बर, 2022 को सरपंचों के राज्य-स्तरीय उन्मुखीकरण, प्रशिक्षण-सह-सम्मेलन में घोषणा की गई थी कि सरपंचों का मानदेय 1,750 से बढ़ा कर 4,250 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। इस संदर्भ में पंचायत राज संचालनालय से जारी आदेश का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुसमर्थन किया गया। इससे प्रदेश की 23 हजार 12 ग्राम पंचायतों के सरपंच, दूरभाष एवं सत्कार भत्ता सहित 4,250 रुपये प्रतिमाह मानदेय प्राप्त करेंगे।
- मंत्रिपरिषद ने सी.एम. हेल्पलाइन 181 को प्रभावी रूप से संचालित करने के उद्देश्य से कई निर्णय लिया। इसके अनुसार सी.एम. हेल्पलाइन 181 के इनबाउंड एवं आउटबाउंड कॉल सेंटर की कुल क्षमता क्रमशः 300 सीट्स एवं 120 सीट्स की जाए एवं सात तकनीकी संविदा पदों का सृजन किया जाए।
- मंत्रिपरिषद ने ज्ञानोदय विद्यालयों में सृजित किये गये शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों की पूर्ति की स्वीकृति दी। ज्ञानोदय विद्यालय में स्वीकृत प्रयोगशाला सहायक को प्रयोगशाला शिक्षक (संविदा शिक्षक वर्ग 3) के समकक्ष घोषित किये जाने तथा 10 संभागीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों के लिए बालक एवं बालिका छात्रावासों में सहायक अधीक्षकों के 20 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन किया गया।
- मंत्रिपरिषद ने जनजातीय कार्य विभाग की 'ग्रेन बैंक' योजना के प्रावधान अनुसार 2846 ग्रेन बैंकों के माध्यम से गरीब असहाय जनजातीय परिवारों को वितरित 15 करोड़ 75 लाख रुपये का खाद्यान्न वापस न मिलने पर इसकी लागत पर शासन को हुई हानि राशि 15 करोड़ 75 लाख रुपये का अपलेखन किए जाने के निर्णय का अनुमोदन किया।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनांतर्गत पूर्व में प्रथम प्रसव वाली पात्र गर्भवती एवं धात्री माता को 5 हजार रुपये दिये जाने का प्रावधान था। मंत्रिपरिषद ने योजना के नवीन दिशा-निर्देशों में प्रथम प्रसव पर 5 हजार रुपये के साथ द्वितीय प्रसव पर बालिका के जन्म होने पर योजना के पात्र हितग्राही को 6 हजार रुपये दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की।
- 'मिशन शक्ति के सामर्थ्य' घटक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 प्रदेश के सभी जिलों में परिवर्तित दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित करने की स्वीकृति भी दी गई।
- मंत्रिपरिषद द्वारा शौर्या दल योजना में वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक की व्यय राशि की कार्योत्तर स्वीकृति एवं योजना को आगामी 3 वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि में संचालित किये जाने की स्वीकृति दी गई।
- मंत्रिपरिषद द्वारा राजस्व विभाग की वार्ड नं. 35, तलावली चांदा के पास, इंदौर, स्थित भूमि परिसम्पत्ति जिसका सर्वे नंबर 4/2 कुल रकबा 8280 वर्गमीटर है, के निर्वर्तन के लिए आमंत्रित द्वितीय निविदा के H-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 10 करोड़ 23 लाख रुपये, जो रिजर्व मूल्य राशि 2 करोड़ 15 लाख रुपये का 4.76 गुना है, की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।
- मंत्रिपरिषद ने राजस्व विभाग की वार्ड क्रमांक 47, खसरा क्रमांक 184/1 ग्राम तिलिमाफी, पार्सल क्रमांक 1, जिला सागर, मध्यप्रदेश स्थित भूमि परिसम्पत्ति कुल रकबा 6119 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिए H-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 14 करोड़ 73 लाख 98 हजार रुपये, जो रिजर्व मूल्य 8 करोड़ 5 लाख रुपये का 1.83 गुना है, की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाए, का निर्णय लिया गया।
- मंत्रिपरिषद ने राजस्व विभाग की वार्ड क्रमांक 9, खसरा क्रमांक 215/1, 216/1, 217/1/2, 218/2 एवं 219/2 भू-खण्ड प्लॉट क्रमांक 3, गाडराखेड़ी, तहसील मल्हारगंज, जिला इंदौर स्थित परिसम्पत्ति कुल रकबा 8187 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिए H-I निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 48 करोड़ 90 लाख 48 हजार रुपये, जो रिजर्व मूल्य राशि 5.68 करोड़ रुपये का 8.61 गुना है, की संस्तुति करते हुए H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय लिया।

*(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)*

# मध्यप्रदेश में सुदृढ़ और सशक्त होती पंचायती राज संस्थाएं

**भोपाल,** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का न केवल यह दृढ़ विश्वास है कि लोकतंत्र में असली मालिक जनता होती है, अपितु उन्होंने प्रदेश में इसे चरितार्थ भी किया है। प्रदेश में सुदृढ़ और सशक्त होती पंचायती राज संस्थाएं इसका जीता-जागता उदाहरण हैं। पंचायती राज की मूल अवधारणा भी यही है कि गांव-गांव, नगर-नगर शासन की जिम्मेदारी जनता के हाथों में हो और वे अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार अपने गांव, नगर का विकास कर सकें। जन-प्रतिनिधि और अधिकारी-कर्मचारी शासक नहीं, अपितु जनता के सहयोगी और सहायक की भूमिका में हों।

मध्यप्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए पंचायतों और पंचायत प्रतिनिधियों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों के राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण सम्मेलन में स्पष्ट रूप से कहा कि 'पंचायत प्रतिनिधि मेरी आंख और कान हैं। व्यवस्था में सुधार के लिए वे मुझे निरंतर सुझाव दें। जिस प्रकार ग्राम पंचायत में सरपंच होता है उसी प्रकार मैं मध्यप्रदेश का सरपंच हूं।' किसी पंचायत प्रतिनिधि के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है।

मध्यप्रदेश में ग्राम सभाओं को गांवों के विकास के लिए व्यापक अधिकार दिए गए हैं। वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास की योजनाएं बना सकती हैं और उन पर अमल कर सकती हैं। पंचायतों को अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करते हुए शासकीय कार्यों की मंजूरी के लिए उन्हें 25 लाख रुपये तक के अधिकार दे दिए गए हैं। प्रदेश की पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की 1472 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है। सरपंचों का मानदेय जो पहले 1750 रुपये था, अब बढ़ाकर अब 4250 रुपये कर दिया गया है। निर्माण कार्यों के लिए अब नया s-o-r बनाने का भी निर्णय लिया गया है। पंचायतों के सचिवों के रिक्त पदों की पूर्ति भी शीघ्र की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोज़गार सहायक नियुक्त होंगे और उनका एक पंचायत से दूसरी पंचायत में स्थानांतरण किया जा सकेगा। पंचायत पदाधिकारियों को विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

ग्रामों के सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री ने शहरों की तरह गांव का भी मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। हर कार्य योजनाबद्ध तरीके से हो। ग्राम सभा के पदाधिकारी गांव में कराए जाने वाले कार्यों का निर्धारण करें। कांक्रीट की सड़क हो या खेल का मैदान, मास्टर प्लान के अनुरूप स्थानीय स्तर पर कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। गांव के विकास के लिए कपिलधारा योजना और सुदूर संपर्क सड़क योजना को दोबारा प्रारंभ किया गया है। अब शासकीय योजनाओं की राशि पंचायतों के खाते में सीधे पहुंच रही है।

मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार अब गांव में भी प्रत्येक माह रोज़गार दिवस मनाया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक ग्रामीण युवाओं को रोज़गार प्राप्त हो सकेगा। स्व-सहायता समूहों को शक्तिशाली बनाकर आर्थिक और अन्य गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। विभिन्न स्व-रोज़गार योजनाओं में ग्रामीण युवाओं को लाभ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप प्रदेश में ग्राम पंचायतों को समरस, स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी बनाया जा रहा है। पंचायतों में छोटे-मोटे झगड़े गांव स्तर पर ही निपट जाएं और ग्राम की समस्याओं का ग्राम स्तर पर ही हल हो जाए, इस अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है। गांवों में स्वच्छता पर विशेष कार्य हो रहा है। श्री चौहान ग्रामीणों से खुशी एवं पुण्य अवसरों पर पौधे लगाने और गांवों को नशा मुक्त बनाने के लिए निरंतर अपील कर रहे हैं।

समाधान ऑनलाइन

# मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं का कराया समाधान

**मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिये नागरिकों की समस्याओं के समाधान के निर्देश देते हुये।**

**भोपाल,** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने समाधान ऑनलाइन में प्रदेश के विभिन्न नागरिकों की लंबित समस्याओं का समाधान करवाया और अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने समाधान ऑनलाइन में प्रस्तुत प्रकरणों में आम जनता के कार्यों में विलंब के दोषी 2 शासकीय सेवकों के निलंबन और 3 शासकीय सेवकों की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए।

समाधान ऑनलाइन में प्रकरणों के निराकरण के बाद सीएम हेल्पलाइन को प्राप्त होने वाली शिकायतों और निराकरण की कार्यवाही की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने श्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जिलों को बधाई देते हुए अन्य जिलों को भी नागरिकों की समस्याओं के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री द्वारा विभागों के प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई। उच्च प्रदर्शन वाले 5 विभागों में सामाजिक न्याय, ऊर्जा, गृह, परिवहन और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इन जिलों के कलेक्टर्स और अन्य अधिकारियों को अच्छे कार्य निष्पादन के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने अन्य विभागों से भी जन-समस्याओं को जल्द हल करने की अपेक्षा की। प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में तत्परता से कार्यवाही कर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तीन अधिकारी सुश्री प्रियंका अग्रवाल झाबुआ, श्री आर.के. गोयल बुरहानपुर और श्री रविशंकर द्विवेदी अशोकनगर को मुख्यमंत्री ने बधाई दी।

श्री चौहान ने बालाघाट जिले के श्री लक्ष्मण प्रसाद के प्रकरण में निर्देश दिए कि श्रम एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग परस्पर समन्वय कर इस तरह के सभी लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करें। प्रकरण में अवगत कराया गया कि लक्ष्मीबाई कटरे ने 27 जुलाई 2021 को लोक सेवा केंद्र में विवाह सहायता राशि के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकरण में तत्काल पंचायत समन्वय अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 2 जनवरी 2023 से एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।

समाधान ऑनलाइन में आई शिकायत से शिकायतकर्ता के प्रकरण में निराकरण के साथ ही 723 अन्य हितग्राहियों को भी विवाह सहायता की राशि मिल गई। यह प्रकरण कुछ समय से लंबित थे। मुख्यमंत्री ने प्रकरणों में विलंब पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्रम विभाग को अभियान चला कर इस तरह के लंबित प्रकरण तत्काल हल करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री को ग्राम पंचायत पिपरिया जिला अशोक नगर के आवेदक श्री श्यामलाल पंथी ने बताया कि हितग्राही श्रीमती सोनम पंथी की प्रसूति 12 अक्टूबर, 2021 को सिविल अस्पताल में हुई थी, लेकिन अभी तक प्रसूति सहायता योजना का लाभ नहीं मिला है। आवेदक श्री पंथी के प्रकरण में कार्य में लापरवाही करने वाले विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी और प्रभारी विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए।

# युवा शक्ति के साथ आगे बढ़ता मध्यप्रदेश

**भोपाल,** मध्यप्रदेश में युवाओं की शक्ति, साहस और असीम ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करने के उद्देश्य से उन्हें हुनरमंद बनाया जा रहा है। बिजनेस हो या बाजार, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, गांव हो या शहर हर जगह ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो स्किल्ड हों। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के युवाओं को कौशल से जोड़ कर उनके हाथों में हुनर देने पर अधिक जोर दिया है। भोपाल में निर्माणाधीन भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। करीब एक हजार 548 करोड़ रुपये की लागत से सिंगापुर के तकनीकी परामर्श एवं सहयोग से इसका निर्माण 30 एकड़ क्षेत्र में किया जा रहा है। जून 2023 तक यह पूर्ण कर लिया जायेगा। इस पार्क के बन जाने पर हर वर्ष करीब 10 हजार युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोज़गार से जोड़ने का लक्ष्य है।

प्रदेश की तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया का मानना है कि हमारी शिक्षा का तकनीकी के साथ सामंजस्य और संतुलन अत्यंत आवश्यक है। युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रदेश के आईटीआई में पारंपरिक पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त मशीन लर्निंग, एआई जैसे पाठ्यक्रमों को लागू किया जा रहा है।

**वर्ष 2022 की उपलब्धियां**

- **शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं वर्ल्ड बैंक की नवीन परियोजना** : मल्टी डिसिप्लीनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूमेंट इन टेक्नीकल एजुकेशन (एमईआरआईटीई) के लिए 15 चुने गए राज्यों में मध्यप्रदेश को शामिल किया गया।
- शैक्षणिक-सत्र 2022-23 से प्रदेश के 6 इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं 6 पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में हिन्दी माध्यम से तकनीकी पाठ्यक्रमों के अध्यापन की व्यवस्था की गई।
- इंजीनियरिंग महाविद्यालय रीवा में 3 नवीन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग (सिविल इंजीनियरिंग), थर्मल इंजीनियरिंग (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) एवं पॉवर सिस्टम (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) प्रारंभ।
- शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय पन्ना में सिविल इंजीनियरिंग एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नये पाठ्यक्रम प्रारंभ।
- इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक-सत्र 2022-23 से अकादमिक ऑडिट की शुरुआत।
- तकनीकी शिक्षा विभाग और आईआईटी इंदौर के मध्य एमओयू किया जाकर राज्य के 8 स्वशासी एवं शासकीय अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आईआईटी इंदौर की प्रयोगशालाओं के विजिट एवं लर्निंग रिसोर्स सेंटर्स के उपयोग के साथ ही इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया।
- मल्टीनेशनल कंपनियों में इंजीनियरिंग महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के प्लेसमेंट के अवसरों में वृद्धि के लिए एमपीकॉन के माध्यम से विदेशी भाषाओं जैसे जापानी, फ्रेंच एवं जर्मन भाषाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शेड्यूल तैयार किया गया। जापानी भाषा के बैच का प्रशिक्षण कार्य पूर्ण।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए मल्टी डिसिप्लीनरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) के माध्यम से प्रदेश के 20 इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में योग पर 06 माह का 'सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योग' के लिये संस्थाओं द्वारा चयनित 200 विद्यार्थियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ।
- पहली बार तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए प्रशिक्षण कैलेंडर जारी किया गया। इस कैलेंडर में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों/स्टाफ के लिए एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर भोपाल, एनआईटीटीटीआर भोपाल, क्रिस्प भोपाल एवं MPCON भोपाल के माध्यम से ऑन जॉब ट्रेनिंग कार्यक्रमों का निर्धारण।
- वर्ष 2022-23 के लिए इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के प्लेसमेंट के अवसरों में वृद्धि एवं इन्हें इंडस्ट्री में रोज़गार पाने के योग्य बनाने के उद्देश्य से 'Placement and Skilling Initiatives 2022' में संस्थाओं को कार्य-योजना जारी।
- राष्ट्रीय स्तर की प्रोफेशनल एजेन्सीज नेस्कॉम, सेल्स फोर्स एवं सिस्को के साथ एमओयू।
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में शैक्षणिक-सत्र 2022-23 में दिसम्बर 2022 की स्थिति में 39 हजार 453 मेधावी विद्यार्थी लाभान्वित। विद्यार्थियों को योजना में अभी तक 162 करोड़ 91 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई।

*(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)*


**एजेंसी देना है**

मध्यप्रदेश का सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला साप्ताहिक समाचार पत्र

रोज़गार और निर्माण

प्रदेश में **खरगोन, बालाघाट, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, बीना, धार** एवं **अशोकनगर** जिलों में एजेंसी नियुक्त करना है।

एजेंसी संबंधित कार्य के लिए कार्यालीन समय में संपर्क करें

0755-2760006, 9424442725, 9424444174

प्रमुख आकर्षण

- कॅरियर की खबरें
- सम-सामयिक विषयों पर विशेषज्ञों की टिप्पणियां
- खेल जगत की उल्लेखनीय खबरें
- सप्ताह की प्रमुख घटनाएं
- मध्यप्रदेश सरकार के निर्णयों और योजनाओं की जानकारियां
- विज्ञान की बातें

मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नंबर : 0755-2551330, 0755-2760006
www.mpmadhyam.in
madhyam.rojgar@gmail.com

आज ही खरीदें
प्रमुख बुक-स्टॉलों पर उपलब्ध

बेंजामिन नेतन्याहू

## फिर से इजरायल के प्रधानमंत्री बने

इजरायल में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले 73 वर्षीय बेंजामिन नेतन्याहू फिर से इजरायल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेतन्याहू को इजरायली संसद नेसेट के 120 सदस्यों में से 64 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। नई सरकार के गठन के समय बेंजामिन ने कहा कि उनकी सरकार के तीन 'राष्ट्रीय लक्ष्य' हैं, जिनमें ईरान को परमाणु आयुधों की ओर बढ़ने से रोकना, पूरे देश में बुलेट ट्रेन चलाना और अब्राहम समझौतों के दायरे में और अधिक अरब देशों का लाना है।

दिनेश शुक्ला

## एईआरबी के अध्यक्ष बने

जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व छात्र और वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को भारत सरकार ने अगले 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। ज्ञात रहे कि दिनेश जबलपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक करने के बाद 1981 में परमाणु ऊर्जा विभाग में शामिल हुए। आरओडी, बीएआरबी के प्रमुख के रूप में वे ट्रॉम्बे में अनुसंधान रिएक्टरों के संचालन की जिम्मेदारी निभा चुके हैं।

स्कॉटलैंड में

## नया ब्रिटिश-भारतीय सैन्य स्मारक बनेगा

स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में एक नया ब्रिटिश-भारतीय सैन्य स्मारक बनेगा। स्थानीय परिषद ने इसकी योजना को अनुमति दे दी है। यह स्मारक उन लाखों भारतीय सैनिकों की याद में निर्मित किया जाएगा, जिन्होंने दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। 'ग्लासगो सिटी काउंसिल' ने हाल ही में इस योजना से जुड़े आवेदन को सशर्त मंजूरी दे दी है। इससे 'केल्विनग्रोव आर्ट गैलरी एवं म्यूजियम' के पास निर्मित किए जाने वाले इस स्मारक के डिजाइन को अंतिम रूप देने का रास्ता साफ हो गया है।

थलप्पिल प्रदीप

## आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर को मिला विनफ्यूचर अवॉर्ड

आईआईटी मद्रास के रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को 'विनफ्यूचर प्राइज' से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सालाना चार श्रेणियों में दिया जाता है। 71 देशों से करीब एक हजार व्यक्तियों को चयनित किया गया था। इनमें से प्रोफेसर प्रदीप को चयनित किया गया। उन्होंने स्वच्छ पानी का उत्पादन करने के लिए सस्ती और टिकाऊ नैनो सामग्री की खोज की है।

नॉर्मा लूसिया पिना हर्नांडिस

## मेक्सिको में सुप्रीम कोर्ट को मिली पहली महिला चीफ जस्टिस

मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने नॉर्मा लूसिया पिना हर्नांदिस को पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया। उन्हें फेडरल ज्यूडिशरी में 34 साल का अनुभव है। उन्होंने 6-5 से बहुमत हासिल किया। जस्टिस पिना ने चार साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली है। उन्होंने 11 सदस्यीय अदालत के प्रमुख रहते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता बनाए रखने का वचन दिया। न्यायिक स्वतंत्रता पर बोलते हुए जस्टिस पिना ने कहा, 'सरकार की शाखाओं के बीच संघर्षों को हल करने के लिए न्यायिक स्वतंत्रता जरूरी है।' उन्होंने कहा, 'मेरा मुख्य प्रस्ताव अपनी व्यक्तिगत दृष्टि को छोड़कर बहुमत हासिल करने के लिए काम करना है।' देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने पर उन्होंने कहा, 'मैं अनदेखी बाधाओं को तोड़ने के इस पूरी अदालत के बहुमत के महत्वपूर्ण निर्णय को स्वीकार करती हूं।'

'अमृत महोत्सव' पर

## सर्बिया में स्टैंप जारी

सर्बिया की राष्ट्रीय डाक सेवा ने भारत की 'आजादी का अमृत महोत्सव' के सम्मान में विशेष स्टैंप जारी किया है। इस दौरान सर्बिया के फर्स्ट डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इविका डासिस ने सर्बिया और भारत के राजनयिक संबंधों को महत्वपूर्ण बताया।

डॉक्टर महिमा स्वामी

## भारतीय वैज्ञानिक यूरोप में सम्मानित

बेंगलुरु निवासी भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर महिमा स्वामी को प्रतिष्ठित यूरोपियर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गनाइजेशन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल किया गया है। यह उन्हें यूरोप में जीव विज्ञान में शीर्ष प्रतिभाओं में से एक के रूप में मान्यता देता है।

सित्विनी राबुका

## फिजी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने

संसद की बैठक में 74 वर्षीय सित्विनी राबुका को एक वोट से जीत के बाद प्रधानमंत्री नामित किया गया है। दो दशक पहले भी राबुका फिजी के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पीपुल्स एलायंस पार्टी के प्रमुख राबुका को दो और दलों का समर्थन मिला है।

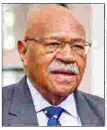

कुदरत दत्ता

## अमेरिका में आयुक्त बनीं

चंडीगढ़ में जन्मीं वकील कुदरत दत्ता चौधरी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर और काउंटी के लिए अप्रवासी अधिकार आयोग की आयुक्त बनने वाली भारतीय मूल की पहली अप्रवासी बन गई हैं। यह आयोग अप्रवासियों के मुद्दों पर काम करता है।

राजवीर सिंह

## भारतवंशी ने जीती 5 हजार पाउंड की स्कॉलरशिप

बेंगलुरु के 18 वर्षीय छात्र राजवीर सिंह ने 5 हजार पाउंड की एक स्कॉलरशिप जीती है, जो ब्रिटेन के डुंडी विश्वविद्यालय में पेश किए गए 24 विषयों में से किसी एक अंडरग्रेजुएट को दी जाती है। राजवीर डुंडी विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान और फ्रेंच का अध्ययन कर रहे हैं। उन्हें जयंती दास सागर मेमोरियल स्कॉलरशिप दी गई है। यह अवॉर्ड प्रतिवर्ष भारत के ही छात्र को दिया जाता है। यह स्कॉटलैंड के पहले गैर-श्वेत निर्वाचित राजनेता और डॉक्टर जयंतीदास सागर को सम्मानित करता है, जिन्होंने 100 साल पहले विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए पंजाब से यात्रा की थी।

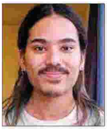

जोएल स्ट्रैसर ने

## दाढ़ी पर ही सजा दिया क्रिसमस ट्री

अमेरिका के सीरियल रिकॉर्ड-ब्रेकर जोएल स्ट्रैसर ने अपनी दाढ़ी को क्रिसमस ट्री में बदल लिया है। उन्होंने इस बार 710 बाउबल्स की मदद से अपनी दाढ़ी को रंगीन बनाया। जोएल ने पहली बार 2019 में 302 बाउबल्स का इस्तेमाल कर रिकॉर्ड तोड़ा। फिर 2020 में 542 बाउबल्स और तीसरी बार 2021 में 686 बाउबल्स के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें, 710 बाउबल्स को दाढ़ी में जोड़ने और हटाने में उन्हें साढ़े 3 घंटे से अधिक का समय लगा।

मिकी होथी

## लोदी सिटी के पहले सिख मेयर बने

अमेरिका में भारतवंशी भारतीय मूल के मिकी होथी उत्तरी कैलिफोर्निया प्रांत के लोदी सिटी के सर्वसम्मति से महापौर चुने गए हैं। इतिहास में पहली बार लोदी सिटी में कोई सिख शीर्ष पद के लिए निर्वाचित हुआ है। होथी ने ट्वीट किया कि वे लोदी शहर के 117वें मेयर के रूप में शपथ ग्रहण कर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। 2008 में टोके हाईस्कूल से स्नातक होथी ने कहा कि आर्मस्ट्रांग रोड पर सिख मंदिर की स्थापना में उनके परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

रिचर्ड आर. वर्मा

## अमेरिका के विदेश विभाग में मुख्य राजनयिक नामित

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतवंशी रिचर्ड आर. वर्मा को विदेश विभाग में मुख्य राजनयिक के लिए नामित किया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडेन ने वर्मा को प्रबंधन और संसाधन राज्य का उप सचिव बनाने की घोषणा की। ज्ञात रहे कि वर्मा अभी मास्टरकार्ड में मुख्य कानूनी अधिकारी और ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी हेड हैं। वे पूर्ववर्ती ओबामा सरकार में विधायी मामलों के राज्य के सहायक सचिव भी थे।

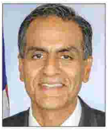

विवेक मालेक

## अमेरिका के मिसौरी में पहले अश्वेत कोषाध्यक्ष बने

भारतीय मूल के 45 वर्षीय विवेक मालेक को अमेरिका के मिसौरी राज्य का पहला गैर अश्वेत कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसकी घोषणा मिसौरी के गवर्नर माइक पार्सन ने की। विवेक स्टेट ऑडिटर चुने गए स्कॉट फिट्ज़पैट्रिक की जगह लेंगे। विवेक मालेक 2002 में हरियाणा के रोहतक से मिसौरी की स्टेट यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए गए थे। हालांकि बाद में वे बूटेल में ही सैटल हो गए।

नताशा पिर्क मुसर

## स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं

स्लोवेनिया में 54 वर्षीय नताशा पिर्क मुसर ने नेशनल असेम्बली के औपचारिक सत्र के दौरान राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वह देश की पांचवीं और पहली महिला राष्ट्रपति हैं। निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने वाली मुसर बोरुत पाहोर की जगह लेंगी, जो पिछले 10 वर्षों से इसी पद पर थे। राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में उन्होंने स्लोवेनिया के नागरिकों को संबोधित किया।

सैम बैंकमैन फ्राइड

## क्रिप्टो एक्सचेंज के संस्थापक 2071 करोड़ रुपये के बॉन्ड पर रिहा

अमेरिका के मैनहट्टन की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के फाउंडर सैन बैंकमैन-फ्राइड को 2071 करोड़ रुपए (25 करोड़ डॉलर) के बॉन्ड पर रिहा कर दिया है। उन्हें सशर्त जमानत दी गई है। एफटीएक्स के दिवालिया होने के मामले में मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक उन्हें कैलिफोर्निया के अपने घर में रहना होगा। वे अदालत की अनुमति के बिना शहर से बाहर नहीं जा सकेंगे।

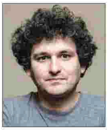

लूला डी सिल्वा

## तीसरी बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति के तौर पर ली शपथ

ब्राज़ील में 77 वर्षीय नेता लुइज़ इनासियो लूला डी सिल्वा ने देश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। ब्राज़ील में अक्टूबर में हुए चुनावों में जेयर बोल्सोनारो को हराने के बाद लूला देश के राष्ट्रपति चुने गए थे। इससे पहले लूला 2003 से 2010 के बीच दो बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। लूला डी सिल्वा ने पद संभालने के बाद अपने पहले संबोधन में देश को फिर से पटरी पर लाने पर जोर दिया और अपने पूर्ववर्ती जायर बोल्सोनारो के प्रशासन के सदस्यों को उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराने का संकल्प किया।

भारतीय सेना ने

## अहमदाबाद में पहली दो मंजिला 3-डी प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया

भारतीय सेना ने अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3-डी प्रिंटेड आवासीय इकाई (ग्राउंड प्लस वन कॉन्फिगरेशन के साथ) का उद्घाटन किया। इस आवास इकाई का निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज (एमईएस) द्वारा एमआईसीओबी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से नवीनतम 3-डी की तेजी से निर्माण करने वाली प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए किया गया है। यह ढांचा 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' को बढ़ावा देने में भारतीय सेना की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। इस तकनीक में एक ठोस 3डी प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, जो कम्प्यूटरीकृत त्रि-आयामी डिज़ाइन पर कार्य करता है और खास तौर पर इस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किए गए विशेष प्रकार के कंक्रीट को बाहर निकालकर परत-दर-परत तरीके से 3-डी संरचना तैयार करता है।

# स्मृति शेष

## पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का निधन

जर्मनी में जन्में पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का 95 साल की उम्र में वेटिकन में निधन हो गया है। रोमन कैथोलिक चर्च के 265वें लीडर रहे बेनेडिक्ट कुछ समय से बीमार थे। वह 8 साल से कम समय तक कैथोलिक चर्च के पोप रहे और 2013 में ग्रेगरी XII (1415) के बाद इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। पद छोड़ने के बाद वह सार्वजनिक जीवन में कभी कभार ही दिखे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने वेटिकन की एक मोनेस्ट्री में अपना जीवन गुजारा, वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स ने संवेदना जताई है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'दुनिया ने कैथोलिक चर्च की बड़ी हस्ती और एक प्रखर धर्मशास्त्री को खो दिया है।'

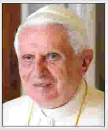

## मशहूर फिल्म निर्माता नितिन मनमोहन का निधन

'बोल राधा बोल' जैसी फिल्मों के मशहूर निर्माता 62 वर्षीय नितिन मनमोहन का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उनकी निर्देशित फिल्मों लाडला, यमला पगला दीवाना, आर्मी स्कूल, लव के लिए कुछ भी करेगा, ने अपार लोकप्रियता प्राप्त की थी।

*(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)*

**(पृष्ठ 18 का शेष)**

उत्तर-कुंजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति/पत्र-व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा।

6. उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।

मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित पदों की संख्या के 3 गुने तथा अंतिम चयनित उम्मीदवार के समान अंक पाने वाले उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए अर्ह घोषित किए जाएंगे। सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल/परियोजना क्षेत्रपाल हेतु मुख्य परीक्षा में अर्ह उम्मीदवारों की दो पृथक गुणानुक्रम सूची बनाई जाएंगी तथा दोनों पदों हेतु अर्ह उम्मीदवार दोनों ही सूची में सम्मिलित रहेंगे। परियोजना क्षेत्रपाल के पदों की चयन प्रक्रिया में वन क्षेत्रपाल के पद के समान ही विचार किया जाएगा। साक्षात्कार के पूर्व पात्र अभ्यर्थियों से वन क्षेत्रपाल तथा परियोजना क्षेत्रपाल के पदों हेतु अग्रमान्यता प्राप्त की जाएगी तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अग्रमान्यता तथा गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा।

**बारह- चयन विधि**

(1) उम्मीदवार सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल एवं परियोजना क्षेत्रपाल में से किसी एक पद के लिए अथवा तीनों पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवार इस विज्ञापन में दर्शित अर्हता का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं, तत्पश्चात ही आवेदन करें।

(2) मुख्य परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन-पत्र में पद चयन हेतु तीन विकल्प हैं (A) सहायक वन संरक्षक हेतु (B) वन क्षेत्रपाल/परियोजना क्षेत्रपाल हेतु तथा (C) दोनों पदों हेतु। दोनों पदों हेतु वे उम्मीदवार ही आवेदन करें जो दोनों पदों हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हों।

(3) राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 20 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया जाएगा। समान रूप से मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किया जाएगा। इस हेतु सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल/परियोजना क्षेत्रपाल हेतु पृथक-पृथक गुणानुक्रम सूची वर्गवार, श्रेणीवार बनाई जाएगी।

(4) साक्षात्कार के पश्चात अंतिम मेरिट सूची A+C (सहायक वन संरक्षक) B+C (वन क्षेत्रपाल/परियोजना क्षेत्रपाल) के आधार पर बनाई जाएगी। A+C (सहायक वन संरक्षक) का चयन परिणाम बनाने के बाद उसमें चयन हेतु सफल उम्मीदवारों के अतिरिक्त C श्रेणी के जो उम्मीदवार होंगे वे अग्रमान्यता के आधार पर वन क्षेत्रपाल/परियोजना क्षेत्रपाल के पद हेतु भी विचारित किए जाएंगे।

**तेरह- महत्वपूर्ण :-**

- आयोग में परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- **चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।**

**चौदह- आवेदन प्रक्रिया-** उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र मात्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-दो** का अवलोकन करें।

**पंद्रह- प्रवेश पत्र प्राप्ति प्रक्रिया-** अभ्यर्थियों को परीक्षा के 10 दिन पूर्व से परीक्षा शहर की जानकारी E-mail द्वारा तथा परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 14.05.2023 से आयोग की वेबसाइट **www.mponline.gov.in** तथा **mppsc.mp.gov.in** पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेंगे। अर्हताधारी उम्मीदवार अपने प्रवेश-पत्र उक्त वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकेंगे। पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु उम्मीदवार को वेबसाइट में विहित स्थान पर उसके आवेदन-पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि करनी होगी। एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु 5 रुपये पोर्टल शुल्क देय होगा।

**सोलह-** अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में अंकित वर्तमान E-Mail ID पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र-व्यवहार किया जाएगा। अभ्यर्थी के E-Mail ID में परिवर्तन की दशा में अभ्यर्थी को तत्काल नए E-Mail ID की सूचना आयोग को आवश्यक पत्र व्यवहार हेतु लिखित में देनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा E-Mail ID परिवर्तन की स्थिति में नए E-Mail ID की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र-व्यवहार पुराने E-Mail ID पर ही किया जाएगा जिसके फलस्वरूप उम्मीदवार को सूचना प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में उम्मीदवार का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार अपने वर्तमान डाक पते में परिवर्तन के संबंध में भी आयोग को तत्काल लिखित में सूचना प्रेषित करें।

**सत्रह-** राज्य वन सेवा परीक्षा 2022, राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 (यथा संशोधित सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-6-4-2015-एक(1), दिनांक 20.12.2022) के अनुसार आयोजित की जाएगी। उक्त नियम आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किए गए हैं।

**अठारह-** कोविड-19 के संदर्भ मे अभ्यर्थियों द्वारा केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

**उन्नीस-** अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें -

(1) आयु सीमा की छूटें **परिशिष्ट - एक**

(2) आवेदन-पत्र भरने तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-दो**

(3) आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश हेतु राज्य सेवा परीक्षा 2022 के **परिशिष्ट-तीन** का अवलोकन करें।

(4) प्रारंभिक परीक्षा की योजना तथा पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किए जा रहे हैं।

**सचिव**

**परिशिष्ट-एक**

**आयु सीमा में छूट**

**(01) वन क्षेत्रपाल/परियोजना क्षेत्रपाल हेतु -**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-14/2019/एक/3, दिनांक 19 दिसंबर 2019 के अनुसार महिला उम्मीदवार (अनारक्षित वर्ग), पुरुष/महिला उम्मीदवार (अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

**तथा**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक सी. 3-14/2019/एक/3, दिनांक 19 दिसंबर 2019 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष के स्थान पर 41 वर्ष होगी।

**(02) सहायक वन संरक्षक हेतु -**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/दिव्यांगजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

**तथा**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

(03) भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा की गई सेवा के आधार पर अधिकतम 03 वर्ष की छूट होगी जो कि अधिकतम आयुसीमा 48 वर्ष के अध्यधीन होगी।

**स्पष्टीकरण-**

(1) भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985" के नियम 2 (ग) में अद्यतन संशोधन द्वारा यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक।

(2) ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को जो सैनिक सेवा में हैं उन्हें भूतपूर्व सैनिक का लाभ नहीं दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व सेना से डिस्चार्ज होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

**(04) प्रोत्साहन स्वरूप देय छूट :-**

**(01) अधिकतम 5 वर्ष तक** :- यदि अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित अन्तर्जातीय विवाह योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त सवर्ण पार्टनर हो;

**(02) अधिकतम 5 वर्ष तक** :- यदि अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/8/85/3/1, दिनांक 3 सितम्बर, 1985 के अनुसार 'विक्रम अवार्ड' से सम्मानित खिलाड़ी हो :

परन्तु उक्त शिथिलीकरण के मामले में अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात अधिकतम लाभ वाली किसी एक छूट का ही हकदार होगा।

**टिप्पणी:-**

(1) समस्त छूटों को सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित अधिकतम आयु सीमा (48 वर्ष) से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष या अधिक होगी वे सहायक वन संरक्षक के पद हेतु आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। वन क्षेत्रपाल के पद हेतु यह आयु सीमा 41 वर्ष होगी।

(2) आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट के समस्त लाभ केवल मध्यप्रदेश राज्य के सन्दर्भ में उपलब्ध होंगे, अतएव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट तथा अन्य लाभ केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को अनुज्ञेय होंगे। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में माने जाएंगे।

(3) अभ्यर्थी को शासकीय सेवक के तौर पर आयु सीमा मे छूट तभी प्रदाय की जाएगी जब वह प्रारंभिक परीक्षा से साक्षात्कार तक निरंतर शासकीय सेवक हो।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पि. वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होंगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 41 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 41 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

उक्त रियायतों के सिवाय आयु सीमा में कोई भी अन्य छूट अनुज्ञेय नहीं होगी। अभ्यर्थियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आयोग केवल वही जन्म तिथि स्वीकार करेगा जो मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र में या उसके समकक्ष समझी गई परीक्षा के प्रमाण पत्र में अभिलिखित की गई हो। मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र के साथ-साथ हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के प्रमाण पत्र/अंकसूची जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो अनिवार्य रूप से अपलोड की जानी चाहिए, इसमें असफल रहने पर आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आयु से संबंधित अन्य दस्तावेज जैसे जन्मपत्री, शपथ पत्र, नगर निगम सेवा अभिलेखों इत्यादि से लिए गए जन्म संबंधी उद्धरण और इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन-पत्र में उक्त प्रक्रिया के अनुसार एक बार जन्म तिथि सत्यापित होने तथा अभिलिखित हो जाने के बाद इसमें परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा तथा सभी अभ्यावेदन अमान्य होंगे। प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र में दी गई जानकारियों में विसंगतियां पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा।

**परिशिष्ट-दो**

**राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी**

**1. राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-**

1. ऑनलाइन आवेदन-पत्र वेबसाइट **www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उम्मीदवार MPonline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भर कर कियोस्क पर ही परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं।

2. उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त उम्मीदवार निम्न माध्यमों से भी शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:-

   1. स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड (Master card/VISA/Maestro अथवा Rupay) के माध्यम से कर सकते हैं।
   2. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।

3. MPonline के अधिकृत कियोस्कों की सूची **www.mponline.gov.in** पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।

4. उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अपने अद्यतन पासपोर्ट साइज की फोटो ग्राफ तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। **www.mponline.gov.in** के KIOSK पर स्कैनिंग की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।

5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में वही नाम/उपनाम/जन्म तिथि को उल्लेखित करें जो उनकी हाई स्कूल की अंकसूची में उल्लेखित है। यदि अभ्यर्थी द्वारा नाम परिवर्तन करवाया गया है तब भी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हाई स्कूल की अंकसूची में उल्लेखित उक्त विवरण ही मान्य होंगे।

6. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिए गए निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।

7. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, उम्मीदवार द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र Submit करने के पूर्व उम्मीदवार अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभाँति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन Submit करें।

8. आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले pop up window में उम्मीदवार को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएँ अर्थात् उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग, आधार कार्ड आदि की जानकारी दी जाएगी जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Pop up window

में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी, जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "proceed to payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। उम्मीदवार उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें। उम्मीदवार उक्त आवेदन-पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि का प्रयोग कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।

9. **त्रुटि सुधार सुविधा :-** उम्मीदवार अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 16.01.2023 से 11.02.2023 तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उम्मीदवार द्वारा स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन-पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/निःशक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई भी पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

10. उम्मीदवार उक्त आवेदन-पत्र को सुरक्षित रखें। आवेदन-पत्र में अंकित आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक की प्रविष्टि कर इंटरनेट के माध्यम से वे प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले सकेंगे।

11. **अत्यावश्यक :-**
यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में वर्टिकल श्रेणी (अना./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) गलत भरी गयी है तो उसे अनारक्षित (ओपन) के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर अनारक्षित (ओपन) श्रेणी में उम्मीदवारी मान्य होगी और यदि होरीजोंटल आरक्षण (महिला/भूतपूर्व सैनिक/निःशक्तजन) में गलत श्रेणी भरी है तो उसी वर्ग के ओपन के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर उस वर्ग के ओपन में उम्मीदवारी मान्य की जाएगी।

**ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश और विधि :-**

1. कृपया आवेदन-पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदन-पत्र दिनांक 10.01.2023 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 09.02.2023 को दोपहर 12.00 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
2. आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 16.01.2023 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 11.02.2023 को दोपहर 12.00 बजे तक ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटि सुधार शुल्क के भुगतान के पश्चात आवेदन-पत्र में वांछित सुधार किया जा सकेगा।
3. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी उम्मीदवार द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग करने की मांग की जाती है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि रु. 250/- का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

4. **आवेदन एवं परीक्षा शुल्क :-**

| मप्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क | शेष सभी श्रेणी एवं मध्यप्रदेश से बाहर के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क |
|---|---|
| रुपये 250/- | रुपये 500/- |

सभी श्रेणी के उम्मीदवारों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रुपये 40/- (सेवाकर सहित) अतिरिक्त देय होगा। जो अभ्यर्थी राज्य सेवा तथा वन सेवा दोनों हेतु आवेदन करेंगे उन्हें भी उपरोक्त अनुसार ही शुल्क एक बार ही देना होगा।

टीपः-1. प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के बाद आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन माड्यूल की सहायता से रुपये 50/- शुल्क का भुगतान कर अभ्यर्थी उनकी OMR शीट Download कर सकेंगे।

2. सूचना के अधिकार के तहत प्रारंभिक परीक्षा की OMR शीट की फोटोकॉपी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात प्रदान की जाएगी किन्तु राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के संदर्भ में ऑनलाइन परीक्षा संबंधी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में जानकारी हेतु **परिशिष्ट-चार** देखें।

3. प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान अलग से करना होगा।

आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की माँग की जाती है तो एमपी ऑनलाइन के निम्नांकित दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

**हेल्पलाइन : 0755-6720220 तथा 0755-6720221**

किसी भी स्थिति में आयोग को भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के किसी भी दावे पर न तो विचार किया जाएगा और न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा/चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा।

5. **ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी :-**
म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 के लिए आवेदन-पत्र वेबसाइट **https://www.mponline.gov.in**, एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर ऑनलाइन उपलब्ध है। उम्मीदवार परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरकर परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से किया जा सकता है। एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए **https://www.mponline.gov.in** पर locateKiosk/CSCsLink देखें। उम्मीदवार हेल्पलाइन नं. 0755-4019400 से भी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

6. **प्रारंभिक परीक्षा दिनांक :- 21.05.2023**

7. **इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म/परीक्षा शुल्क भरने की विधि :-**
उम्मीदवार **https://www.mponline.gov.in** वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर CitizenServices पर क्लिक करें इसके उपरांत Application लिंक पर जाकर MPPSC बटन को क्लिक करें। अब उसे यहां निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगे :

**Click here to Apply**
**Pay for unpaid Application/DuplicateReceipt**
**Click here to Edit**
**Download Admit Card Duplicate Receipt/View Application Status**
**Click Here to View Advertisement**

उम्मीदवार फार्म भरने से पहले Click here to View Advertisement को क्लिक कर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके उपरांत ही उम्मीदवार Click here to Apply को क्लिक करें। इसके उपरांत उम्मीदवार को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। उम्मीदवार को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियां को सही-सही भरना अनिवार्य है। उम्मीदवार को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Upload Image दिखाई देगा। इसमें उम्मीदवार को अपना फोटो-हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के दाहिनी ओर उम्मीदवार को फोटो-हस्ताक्षर के (प्रारूप हेतु इस लिंक्स) दिखाई देंगी। Links को क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फार्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फार्मेट को स्कैन कर jpg फार्मेट में ही सेव करें। अब उम्मीदवार Upload Image बटन क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में उम्मीदवार ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो-हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।

उम्मीदवार फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई हैं वह सही हैं। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही Submit बटन दबाएं। इससे उम्मीदवार को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत उम्मीदवार परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए Proceed to Payment बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु निम्नानुसार ऑप्शन दिखाई देंगे :-

1. इंटरनेट बैंकिंग (सभी राष्ट्रीयकृत बैंक)
2. क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड (मान्य कार्ड जैसे Visa, Rupay, Master Card, Maestro card)

**इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान -** उम्मीदवार चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग से कर सकता है। इसके लिए उम्मीदवार के पास स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अथवा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की नेट बैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। उम्मीदवार फार्म भरने के उपरांत Proceed to Payment का बटन दबाएगा। यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग आपशन दिखाई देखा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लागिन होगा। इस प्रक्रिया से उम्मीदवार अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उम्मीदवार को स्क्रीन पर पावती नम्बर और उम्मीदवार का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें एवं संभालकर रखें।

**क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान -** उम्मीदवार किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। उम्मीदवार द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए Proceed to Payment का बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर आईसीआईसीआई बैंक का पैमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कंफर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। उम्मीदवार को परीक्षा शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण होने के पश्चात कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी अंकित होगी। उम्मीदवार इस रसीद को संभालकर रखें।

सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उम्मीदवार को स्क्रीन पर पावती नंबर और उम्मीदवार का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें।

8. **एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म/परीक्षा शुल्क भरने की विधि :-**
उम्मीदवार आवेदन फार्म भरने के लिए अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाएगा। कियोस्क संचालक **https://www.mponline.gov.in** वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लागिन टाइप में कियोस्क सिलेक्ट कर लागिन करेगा। इसके उपरांत सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में MPPSC सिलेक्ट कर सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां उम्मीदवार को उपलब्ध कराएगा। उम्मीदवार इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें, ताकि मांगी गई समस्त जानकारियां फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरांत उम्मीदवार कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जाएं। कियोस्क उम्मीदवार का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरांत उम्मीदवार फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां अच्छी तरह पढ़ लें। उम्मीदवार सभी जानकारियां सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का कहें। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर दो पृष्ठीय कम्प्यूटराइज्ड रसीद उम्मीदवार को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही उम्मीदवार से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी।

**उम्मीदवार इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और तथा अपने पास संभालकर रखें।**
**जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व उम्मीदवार का ही होगा।**

9. यदि उम्मीदवार के पास क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गए फार्म का कियोस्क के माध्यम से Pay for unpaid Application/Duplicate Receipt लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है :-
इसके लिए उम्मीदवार को उपरोक्त बताए गए बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गए फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरांत कियोस्क संचालक Pay for unpaid Application/ Duplicate Receipt लिंक पर क्लिक कर उक्त जानकारियां भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक उम्मीदवार कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ उम्मीदवार द्वारा भरी गई समस्त जानकारियाँ अंकित होंगी।

- उम्मीदवारों से निवेदन है कि 'ऑनलाइन आवेदन' की पावती पृष्ठ की प्रति भविष्य के लिए संभालकर रखें।
- ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा या एमपी ऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी उम्मीदवार की ही मानी जाएगी।

**नोट :-** यदि आपको ऑनलाइन फार्म में भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर तत्काल संपर्क करें -

**एमपी ऑनलाइन लिमिटेड**
**निरुपम शापिंग मॉल**
**द्वितीय तल अहमदपुर**
**होशंगाबाद रोड,**
**भोपाल-422026, हेल्पलाइन नं. 0755-4019400**

2. **अन्य निर्देश/जानकारी :-**

1. राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवार का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है, क्योंकि आयोग ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक योग्यता/जन्मतिथि/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/मूल निवासी प्रमाण पत्र/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा/भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र आदि नहीं मांग रहा है। अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न न करें। समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा हेतु सफल आवेदकों द्वारा मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना है तथा साक्षात्कार के समय मूलतः प्रस्तुत करना है।
2. राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए केवल अनुवीक्षण [Screening] परीक्षा होती है। उम्मीदवारों के अंतिम चयन में इस परीक्षा में प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाएगा।
3. राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की अंकसूचियां जारी नहीं की जाती हैं।
4. आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
5. उम्मीदवार को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, परीक्षा का नाम, पंजीयन क्रमांक, अनुक्रमांक परीक्षा केन्द्र, पूर्ण पता तथा मोबाइल नंबर लिखना चाहिए।

6. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में अंकित वर्तमान E-Mail ID पर ही आयोग द्वारा आवश्यक होने पर पत्र-व्यवहार किया जाएगा। अभ्यर्थी के E-Mail ID में परिवर्तन की दशा में अभ्यर्थी को तत्काल नए ई-मेल आई.डी. की सूचना आयोग को आवश्यक पत्र व्यवहार हेतु लिखित में देनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा E-Mail ID परिवर्तन की स्थिति में नए ई-मेल आई.डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र व्यवहार पुराने E-Mail ID पर ही किया जाएगा जिसके फलस्वरूप उम्मीदवार को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में उम्मीदवार का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार अपने वर्तमान डाक पते में परिवर्तन के संबंध में भी आयोग को तत्काल लिखित में सूचना प्रेषित करे।

7. परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक व प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास, दी गई ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्न पत्र को क्षति पहुंचाना, धोंस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुंचाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण, परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका जमा न करना आदि को दण्डनीय माना जाएगा।

**8. पहचान चिन्ह** :- ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। यदि उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक या अन्य अंक, अपना नाम या अन्य नाम या किसी प्रकार का चिन्ह लगाएंगे तो उसे पहचान चिन्ह बनाया माना जाएगा। ऐसे पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में उम्मीदवार को नोटिस देना अनिवार्य नहीं होगा तथा बिना किसी सूचना के उसकी उम्मीदवारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकेगी।

9. परीक्षा परिसर तथा साक्षात्काकर कक्ष में मोबाइल फोन या अन्य संचारी यंत्र वर्जित है।

10. उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि सभी स्थानों अर्थात उनके आवेदन-पत्र, परीक्षा हाल में उपस्थिति सूची पर तथा आयोग के साथ किए गए समस्त पत्र व्यवहार में उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक समान होने चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। यदि विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

11. उम्मीदवार की अर्हता/पात्रता हेतु देखिए राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 के नियम 6, 8, 9, 10 एवं 12 तथा दंड/शास्ति हेतु देखिए नियम 14

**3. आवेदन की अंतिम तिथि :-**

ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा करने की **अंतिम तिथि 09.02.2023** है। अंतिम तिथि को दोपहर 12.00 के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

**4. नियोक्ता की अनापत्ति :-**

जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवक के रूप में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, (जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं) या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत हैं, उनको यह अभिवचन [Under taking] (जैसा कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की घोषणा में छपा है) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को चयन के किसी भी स्तर पर उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने से संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

5. उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। निम्नांकित समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपलोड किए जाने आवश्यक होंगे।

**आयु संबंधी प्रमाण के लिए** - केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।

**शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र**- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें उम्मीदवार ने उत्तीर्ण किया है। समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की सत्यापित अंकसूचियां। उपाधि संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा।

**जाति प्रमाण-पत्र**- उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण अथवा अन्य किसी रियायत के लिए दावा करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपलोड करना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है, अनुप्रमाणन पत्र के साथ अनिवार्यतः अपलोड करना चाहिए। विवाहित महिलाओं के मामले में उसके पिता के नाम का उल्लेख करने वाला जाति प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में जाति प्रमाण पत्रों में यह प्रमाणन आवश्यक है कि उम्मीदवार क्रीमीलेयर में नहीं आता है। जिन प्रमाणपत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे किसी भी प्रकार की छूट हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र के साथ निम्न प्रारूप में घोषणा-पत्र (Declaration) अपलोड करना होगा कि वे शासन द्वारा अभिनिर्धारित नवीनतम मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आते :-

**टीप : क्रीमीलेयर में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरें।**

**घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप**

मैं .................. आयोग के विज्ञापन क्रमांक 12/2022 दिनांक 30.12.2022 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ

1. मैं ................ पुत्र/पुत्री श्री .............. निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/ ................ जिला ...................., मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं .................... जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इस संदर्भ में जारी अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

दिनांक : ...................

हस्ताक्षर ...........................

नाम ...........................

रोल नंबर ...........................

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करें)

यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय मूल जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति मूलतः प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसकी अभ्यर्थिता अस्वीकृत कर दी जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी के किसी वचन पत्र अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाएगा। वांछित प्रमाण-पत्रों के अभाव में किसी शिथिलीकरण/रियायत की पात्रता के बारे में विचार नहीं किया जाएगा।

शासकीय सेवकों/भूतपूर्व सैनिकों को देय छूट हेतु नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत देय छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।

विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को देय छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

**महत्वपूर्ण टीप** :- उपरोक्त में से उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत सत्यापित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

**6. कदाचरण और उसके लिए कार्यवाही** :- कोई अभ्यर्थी, जो आयोग द्वारा निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है:-

01 जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो या वैसा करने का प्रयास किया हों; या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन किए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो; या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन का आश्रय लिया हो; या

07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृन्द को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या

09 उनके प्रवेश-पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृन्द द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो; या

11 परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात यदि अभ्यर्थी कर्तव्यरत अधीक्षणकर्ता (इनविजिलेटर) के पास उसकी ओ.एम.आर. शीट जमा करने में असफल रहता है या ओ.एम.आर. शीट को क्षति पहुंचाता है; या

12 परीक्षा के पूर्व किसी भी रीति से प्रश्नपत्र अभिप्राप्त करता है या उसके लिए प्रयास करता है; तो आयोग-

(एक) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा, ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(दो) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(तीन) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

**एवं तब शासन द्वारा उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।**

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।

**7. प्रवेश पत्र -**

01 अभ्यर्थी को राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यदि :-

(क) वह, आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र धारण न करता हो, और

(ख) वह, आयोग द्वारा जारी विज्ञापन/प्रवेश-पत्र में उल्लिखित फोटो परिचय-पत्रों की कोई एक मूल फोटो परिचय-पत्र धारण न करता हो, और

(ग) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र के संलग्न फोटो से उसके चेहरे का मिलान न होता हो, और

(घ) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो का, आयोग द्वारा विहित उसके द्वारा लाए गए फोटोयुक्त परिचय-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो से मिलान न होता हो।

02 प्रवेश पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.com** एवं **www.mppsc.nic.in** तथा **https://www.mponline.gov.in** पर दिनांक 14.05.2023 से तक उपलब्ध होंगे। आवेदकों को वेबसाइट से ही परीक्षा के प्रवेश पत्र प्राप्त करना होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। प्रवेश पत्र एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से डाउनलोड करने पर पांच रुपये पोर्टल शुल्क देय होगा।

03 यदि प्रवेश पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो आयोग अथवा एम.पी. ऑनलाइन से संपर्क करें।

04 यदि किसी उम्मीदवार का नाम नामिनल रोल में सम्मिलित नहीं है परन्तु उसे प्रवेश पत्र प्राप्त हो चुका है तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत करें। केन्द्राध्यक्ष संतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे।

**05 अत्यंत महत्वपूर्ण** - उम्मीदवार कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र के साथ निम्न मान्य मूल फोटो युक्त पहचान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने एवं उससे उम्मीदवार की पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | आधार कार्ड | 6 | केन्द्र शासन/राज्य शासन/सार्वजनिक सेवा के उपक्रम के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र |
| 2 | मतदाता पहचान पत्र | 7 | बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक |
| 3 | ड्रायविंग लायसेंस | 8 | शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र |
| 4 | पैन कार्ड | 9 | राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय पत्र |
| 5 | पासपोर्ट | | |

परीक्षाओं में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय भी फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक स्वप्रमाणित छायाप्रति लेकर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है। फोटो परिचय पत्र द्वारा उम्मीदवार की पहचान की पुष्टि न होने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार देने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

06 आयोग द्वारा अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के पश्चात लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार की संयुक्त अंक सूची उम्मीदवारों को ऑनलाइन उपलब्ध करायी जाएगी। आयोग द्वारा पहचान चिन्ह प्रकरण एवं अनुचित साधन प्रयोग करने वाले उम्मीदवारों की परीक्षा निरस्त की जाएगी। अतः ऐसे उम्मीदवारों की अंकसूची ऑनलाइन उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

07 विज्ञापित पदों का अग्रमान्यता पत्रक साक्षात्कार के समय उम्मीदवारों से प्राप्त किया जाता है तथा इसी अग्रमान्यता पत्रक के अनुसार गुणानुक्रम में उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। उम्मीदवारों द्वारा अग्रमान्यता पत्रक प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें परिवर्तन/संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे अग्रमान्यता पत्रक भरते समय विशेष सावधानी बरतें।

08 मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं ऐसे उम्मीदवार जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हों (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित उम्मीदवार मान्य नहीं होंगे) उन्हें भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। नमूना निम्नानुसार हैः-

(शेष अगले पृष्ठ पर

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 49/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (उर्दू) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11.05.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (उर्दू) के कुल-19 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 49/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 12.04.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 11.05.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/48015/2023 **सचिव**



## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 51/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (प्राणीशास्त्र) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11.05.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (प्राणीशास्त्र) के कुल-115 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 51/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 12.04.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 11.05.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/48017/2023 **सचिव**


(पिछले पृष्ठ का शेष)

**अभिवचन (Undertaking) का प्रारूप**

मैंने राज्य वन सेवा परीक्षा-2022 के विज्ञापन क्रमांक 12/2022 दिनांक 30.12.2022 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत किया है तथा मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। अतः भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाए। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर...............................

नाम .......................................

रोल नंबर .................

(उक्त अभिवचन पत्र एवं प्रमाण-पत्र मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करें)

**8. राज्य वन सेवा परीक्षाओं के पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-**

**(अ) राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा**

01. राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम केवल **"रोजगार और निर्माण"** समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। उम्मीदवार को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जावेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

02. राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा परिणाम के साथ ही मुख्य परीक्षा के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जावेंगी। अतः सफल उम्मीदवार उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही मुख्य परीक्षा से संबंधित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप मुख्य परीक्षा का आवेदन-पत्र राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में उल्लेखित मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जमा करें तथा अपनी पात्रता आए संबन्धित सभी अभिलेख अपलोड करें।

03. मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक मुख्य परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन जमा न करने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी समाप्त हो जावेगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में उम्मीदवार को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

**(ब) राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा**

01. राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा का परिणाम केवल **"रोजगार और निर्माण"** समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। उम्मीदवार को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जावेगा।

02. राज्यी वन सेवा (मुख्य) परीक्षा के परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जावेंगी। परीक्षा परिणाम में ही साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि भी निर्धारित रहेगी। अभ्यर्थी निम्नानुसार निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेख आयोग को प्रेषित करेंगे।

अ. आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** में "Download Format" लिंक पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक Download करें।

ब. अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक की प्रविष्टियों की पूर्ति करें। एक सेट के साथ अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र तथा निम्नांकित अभिलेखों की छायाप्रतियां अधोलिखित क्रम में अनिवार्यतः संलग्न करें:-

1. मुख्य परीक्षा का आवेदन-पत्र
2. प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन-पत्र
3. हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें उम्मीदवार ने उत्तीर्ण किया है एवं समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियां।
4. मूल निवास/स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, अपिव के अभ्यर्थियों के क्रीमीलेयर में न आने संबंधी घोषणा पत्र (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों हेतु)
5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र की प्रति।
6. भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र की प्रति।
7. अनुप्रमाणन-पत्रक की तीन मूल प्रति प्रस्तुत करें।
8. व्यक्तिगत विवरण-पत्रक की एक मूल प्रति एवं 05 छायाप्रति प्रस्तुत करें।
9. उपस्थिति पत्रक की एक मूल प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें।
10. पहचान प्रमाण-पत्र हेतु आधार कार्ड की प्रति।
11. अन्य अनुसंगत अभिलेख।

उक्त अभिलेखों के सेट की एक प्रति स्व-प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग को निम्नांकित पते पर प्रस्तुत करें -

स. सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया, इंदौर, मध्यप्रदेश 452001

03. केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाएगा जिन्हें ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किए गए अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात अर्ह पाया जाएगा।

**9. परीक्षा हेतु वर्जित वस्तुएँ** :- परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व पुलिस/केंद्र पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी द्वारा तलाशी (Frisking) की जाएगी जिससे कि परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार की वर्जित वस्तुएं अन्दर न ले जा सके।

सामान्यतः परीक्षाओं में ऐसा पाया गया है कि परीक्षार्थी अपने कपड़ों, कफलिंक, चश्मा, जूते-मोज़े, हाथ के बैंड, हाथ के बंधे बंधन इत्यादि में नाना प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करते हैं। अतः परीक्षा में किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग को रोकने के लिए परीक्षा कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सैंडल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढंककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। एसेसरीज जैसे बालों को बांधने का क्लचर/बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्मे, पर्स, वालेट, टोपी वर्जित हैं। सिर, नाक, कान, गला, हाथ, पैर, कमर में पहने जाने वाले सभी प्रकार के आभूषण तथा हाथ में बंधे धागे/कलावा/रक्षा सूत्र आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण कर वीक्षकों द्वारा परीक्षार्थी के कक्ष में जाने के पूर्व तलाशी ली जाएगी।

**10. यात्रा व्यय का भुगतान -**

(अ) मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों जो कहीं सेवारत नहीं हैं, मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लेखित वर्तमान पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने जाने के यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केंद्र पर केंद्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। उम्मीदवारों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष को वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होगा:-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

(द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(फ) जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने हेतु देय यात्रा भत्ता का ऑनलाइन भुगतान प्राप्त नहीं होता है वे इस संदर्भ में संबंधित कलेक्टर/कमिश्नर कार्यालय से पत्र व्यवहार करें। इस संदर्भ में आयोग से कोई पत्र व्यवहार न करें। इस संदर्भ में आयोग में प्राप्त पत्र बिना किसी कार्यवाही के नस्तीबद्ध किए जाएंगे।

(ज) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

**जी-21064/47977/2023**


## M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

**(Government of Madhya Pradesh Undertaking)**
**(Formerly M.P. Audyogik Kendra Vikas Nigam (I) Ltd.)**
**REGIONAL OFFICE : 101, First Floor, Atulya IT Park, Near Crystal IT Park Khandwa Road, Indore–452001 (M.P.), Phone : (O) 0731-2970611, 2974363 2971311, Fax No. : 0731-2972629, (CIN : U51102MP1977SGC001392)**
**Website : invest.mp.gov.in, E-mail : ed.roind@mpidc.co.in**

**No. MPIDC/RO/IND/TECH/23/10569** **Dated 05.01.2023**

### NOTICE INVITING TENDER (II Call)

Online tenders are invited on behalf of the Executive Director, MPIDC RO Indore, from registered contractors in any State/Central Government/any Government undertaking or reputed firms for the following work. The Tenders would be made available on the e-portal **https://www.mptenders.gov.in.**

| Name of Work | Probable Amount of Contract (in Lakh) | EMD (in Rs.) | Cost of Tender Form (in Rs.) | Last Date of Submission of Tender |
|---|---|---|---|---|
| Supply, Installation & Commissioning with 36 months operation & maintenance of 100 Nos. drinking water purifier & cooler at various industrial areas of MPIDC. | 305.00 | 305000/- | 17700/- | 28.01.2023 |

Detailed NIT along with other details can be viewed on above mentioned portal.
M.P. Madhyam/108007/48041/2023 **EXECUTIVE ENGINEER**

# मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

## रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

## ग्रंथपाल परीक्षा - 2022

## उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु ग्रंथपाल के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

**विज्ञापन क्रमांक 52/2022/30.12.2022** — **ऑनलाइन आवेदन करने की**
**उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन** — **अंतिम तिथि 19.05.2023 दोपहर 12.00 बजे तक**

### महत्वपूर्ण निर्देश

**A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-**

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन **दिनांक 20.04.2023** को (दोपहर 12:00 बजे) से **दिनांक 19.05.2023** (दोपहर 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकेंगे। इसके पश्चात ये लिंक बंद हो जाएगी।
2. ग्रंथपाल के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी भी प्रकार से भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

**B. आयु की गणना :-**

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी।
2. **आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।**

**C. शुल्क संबंधी निर्देश :-**

1. **उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट-02 का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी को दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से भली भांति अवलोकन करने के पश्चात ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

**D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-**

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 20.04.2023 से 21.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹ 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखे कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि परीक्षा के आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अतः वे परीक्षा का आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/भूतपूर्व सैनिक/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता/अनुभव/वांछनीय अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे उस विभाग को अपनी शिकायत प्रेषित कर सकते हैं।

**F. परीक्षा केन्द्र तथा प्रवेश-पत्र :-**

1. परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि की जानकारी यथासमय आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित की जाएगी।
2. आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा केन्द्र आवंटन हेतु शहर की अग्रमान्यता एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अग्रमान्यता उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु Reimbursement का वर्गीकरण प्रावधानित है, जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है। अतएव इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**G. परीक्षा नियम/निर्देश आदि :-**

1. **चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।**
2. **चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोज़गार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।**
3. **पाठ्यक्रम निर्धारण समिति द्वारा विज्ञापन के संदर्भ में प्रकाशित पाठ्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो तदानुसार संशोधित पाठ्यक्रम परीक्षा के यथोचित समयपूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा उपरोक्तानुसार संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।**
4. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
5. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

**अन्य निर्देश :-**

1. **विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं, संशोधन आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अतः समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।**
2. **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।**
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टतः परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अभ्यर्थियों की अन्य कोई भी औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर आयोग को अविलम्ब सूचित कर दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

**एक** भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, के अंतर्गत ग्रंथपाल निम्नानुसार पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

| विषय | रिक्त पदों की संख्या | | | | | | रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या | | | | | रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | UR | SC | ST | OBC | EWS | कुल | UR | SC | ST | OBC | EWS | LD | VH | HH | MD |
| ग्रंथपाल (Librarian) | 57 | 24 | 97 | 56 | 21 | 255 | 19 | 8 | 32 | 18 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 |

**Abbreviations :** UR - Unreserved, SC - Scheduled Caste, ST - Scheduled Tribe, OBC - Other Backward Classes, EWS - Economically Weaker Sections LD - Locomotor Disability, VH -Visual Handicapped, HH - Hearing Handicapped, MD - Multiple Disability

**दो -** पद का विवरण

- **(A) विभाग का नाम** : **मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग**
- **(B) श्रेणी** : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
- **(C) पद स्थिति** : स्थायी
- **(D) वेतनमान** : युक्तियुक्त एंट्री पे रु. 57,700 अकादमिक स्तर 10
- **(E) कर्तव्य** : शैक्षणिक कार्य
- **(F) पद का नाम** : **ग्रंथपाल**
- **(G) अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता** : (i) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ पुस्तकालय विज्ञान, सूचना विज्ञान अथवा प्रलेखन विज्ञान में निष्णायत उपाधि अथवा समतुल्य पेशेवर उपाधि। **2/** पुस्तकालय में कम्प्यूटरीकरण के ज्ञान के साथ सतत् रूप से बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड। **3/** उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के अलावा अभ्यर्थी को वि.अ.आ., सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा यथा एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण करनी होगी अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक व प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 एवं समय-समय पर इनमें किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की गई हो। वशर्ते कि दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व पीएच.डी. की उपाधि के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी ऐसी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के मौजूदा अध्यादेशों/उपविधियों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे तथा ऐसे पीएच.डी. अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त होगी।

क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो।

ख) पीएच.डी. शोध प्रबंध का कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया गया हो।

ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो।

घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो, जिनमें से कम से कम एक रेफर्ड जर्नल में प्रकाशित हुआ हो।

ङ) अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/आईसीएसएसआर/सीएसआईआर अथवा इसी प्रकार की एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्टियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किए हों।

**नोट :** 1. इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा।

2. ऐसे निणायत कार्यक्रमों में एनईटी/एसएलईटी/एसईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा, जिसके लिए वि.अ.आ. सीएसआईआर द्वारा एनईटी/एसएलईटी/एसईटी अथवा वि.अ.आ. द्वारा एस.एल.ई.टी./एसईटी जैसी परीक्षा आयोजित नहीं की जाती हो।

**(H) आयु सीमा : 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।**

**(I) आयु संगणना तिथि 01.01.2023**

**तीन** (i) आवेदक के पास उपर्युक्त अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19.05.2023 तक होना चाहिए आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हतायें अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

(ii) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या मे लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने के पूर्व तक वृद्धि की जा सकेगी। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(iii) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

(iv) **किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।**

(v) **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के http:\\www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।**

(vi) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिला तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है तथा अन्य प्रदेशों के दिव्यांगजन तथा महिला अभ्यर्थी आरक्षण हेतु पात्र नहीं है। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जाएगा।

(vii) मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

आयु सीमा में दी गयी अन्य छूटों के लिए **परिशिष्ट-1** देखें।

**चार मध्यप्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

**अ.** कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

**ब.** कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

**पांच महत्वपूर्ण** :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।

**छः** अधिवार्षिकी आयु :- **62 वर्ष**

**सात चयन प्रक्रिया :-**

(1) उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांक तथा यदि अभ्यर्थी मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान (ग्रंथपाल) है तो इस रूप में कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक के योग के गुणानुक्रम के आधार पर होगा।

(2) ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस प्रकार उनके लिए लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। 40% तथा 30% अंकों की गणना में अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंक सम्मिलित नहीं होंगे।

(3) परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंक जोड़कर प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर चयन सूची जारी की जाएगी।

(4) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। **चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।**

**प्रतियोगी परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से (वस्तुनिष्ठ ओ.एम.आर. आधारित) आयोजित की जाएगी। ओ.एम.आर. संबंधित निर्देशों हेतु परिशिष्ट 4 (आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश) का अवलोकन करें। यदि ऑनलाइन पद्धति से परीक्षा आयोजित की जाती है तो उससे संबंधित निर्देश यथासमय आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किए जाएंगे।**

**परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि तथा परीक्षा केन्द्रों की जानकारी यथासमय आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी।**

**आठ प्रतियोगी परीक्षा की तिथि तथा केंद्र :-**

| कोड | नाम | कोड | नाम | कोड | नाम | कोड | नाम | कोड | नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | भोपाल | 02 | इन्दौर | 03 | ग्वालियर | 04 | जबलपुर | 05 | सागर |
| 06 | उज्जैन | 07 | शहडोल | 08 | चंबल | 09 | रीवा | 10 | नर्मदापुरम |

परीक्षा केन्द्रों के संबंध में आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त में से प्राथमिकता क्रम में चार परीक्षा शहर का चयन करेंगे।

अभ्यर्थियों की संख्या तथा प्रशासकीय कारणों से परीक्षा केन्द्रों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है की अभ्यर्थी को उसके द्वारा चयनित केंद्र ही आवंटित किया जावे। प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से पृथक केंद्र भी आवंटित किया जा सकेगा। परीक्षा की समय सारिणी तथा अन्य आवश्यक जानकारियां यथासमय '**रोज़गार और निर्माण**' समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

**नौ आवेदन प्रक्रिया** :- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-2** का अवलोकन करें।

**दस** अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते अथवा ई-मेल आईडी. पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र व्यवहार किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी का वर्तमान पते अथवा ई-मेल आईडी. परिवर्तित होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को चाहिए कि वह अविलंब नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आईडी. की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करे। अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान पते अथवा ई-मेल आईडी. परिवर्तन की स्थिति में नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आईडी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र-व्यवहार पुराने वर्तमान पते अथवा ई-मेल आईडी. पर किया जाएगा जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति निर्मित होती है, तो अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

**ग्यारह आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-**

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट-1**

(ii) मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों हेतु देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट की व्यवस्था **परिशिष्ट-2**

(iii) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-3**

(iv) परीक्षा योजना हेतु **परिशिष्ट-4**

(v) परीक्षा के संबंध में निर्देश **परिशिष्ट-5**

**सचिव**

## परिशिष्ट-1

### उच्चतर आयु सीमा में देय छूट

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/दिव्यांगजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

तथा

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

**अतिथि विद्वानों को देय आयु-सीमा में छूट :-**

उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में ग्रंथपाल का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है तथा उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार निर्धारित आयु-सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र अनुसार छूट की अधिकतम आयु-सीमा से अधिक नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण** - सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष निर्धारित है जो 03 वर्ष की विशेष छूट को मिलाकर 48 वर्ष है।

**टीप** :- उपरोक्त आयु-सीमा में छूट केवल उन अतिथि विद्वानों को दी जाएगी जो सत्र 2019-20 में किसी शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत थे।

**(2) अन्य छूट :- प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट :-**

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
2. विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 3.9.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
3. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 427/1422/1(3)82, दिनांक 14 जून 1982 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुज्ञेय आयु सीमा में छूट भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा की गयी सेवा के आधार पर अधिकतम 3 वर्षों की छूट होगी जो की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के अध्यधीन होगी।
4. उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (1,2,3) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।
5. समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूटें मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।

नोट :- **(01) उपरोक्त परिशिष्ट-1 बिन्दु 1 तथा 2 में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।**

**(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी।**

**(03) अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी तथा उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष रहेगी।**

**(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होंगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।**

**परिशिष्ट-2**

**मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान (ग्रंथपाल) के रूप में कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट संबंधी व्यवस्था**

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-42/2017/38/1, दिनांक 20.12.2022 द्वारा आयु सीमा में छूट का निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

1. उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में ग्रंथपाल का कार्य अतिथि विद्वान के रुप में किया है, उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार निर्धारित आयु-सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र अनुसार छूट की अधिक्तम आयु-सीमा से अधिक नहीं होगी।
2. उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में ग्रंथपाल का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है, उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रति सत्र अधिकतम 04 अतिरिक्त वरीयता अंक के मान से अधिकतम 20 अंक की सीमा तक वरीयता अंक दिए जाएंगे, वरीयता अंक अंतिम मेरिट सूची तैयार करते समय जोड़े जाएंगे।

| |
|---|
| उपरोक्त कंडिका 01 एवं 02 दी गई छूट वर्ष 2022 तक मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापित होने वाली चयन प्रक्रियाओं में केवल उन अतिथि विद्वानों को दी जाएगी, जो सत्र 2019-20 में किसी शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान (ग्रंथपाल) के रूप में कार्यरत थे। |

3. उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में संबन्धित विषयों का अध्यापन कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों को निम्नानुसार वरीयता अंक तथा अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी :-

**वरीयता अंक :-**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | एक शैक्षणिक सत्र में 151 या 151 से अधिक कार्य दिवसों पर | 04 अंक |
| 2. | एक शैक्षणिक सत्र में 101 या 150 तक के मध्य कार्य दिवसों पर | 03 अंक |
| 3. | एक शैक्षणिक सत्र में 51 से 100 तक के कार्य दिवसों पर | 02 अंक |
| 4. | एक शैक्षणिक सत्र में 25 से 50 तक के कार्य दिवसों पर | 01 अंक |
| वरीयता अंक का लाभ मध्यप्रदेश के मूल निवासी विद्वानों तथा मध्यप्रदेश के बाहर से आए अतिथि विद्वानों के लिए भी मान्य होगी। | | |

**आयु सीमा में छूट :-**

| | | |
|---|---|---|
| | एक शैक्षणिक सत्र में अनुभव के चार अंक प्राप्त होने पर | 01 वर्ष |
| **टीप** | 1. अभ्यर्थी सम्पूर्ण अतिथि अध्यापन अवधि में कार्य अनुभव के आधार पर प्रति सत्र अधिकतम 04 वरीयता अंक अधिकतम 20 अंक एवं प्रति सत्र 04 अंक प्राप्त करने पर ही एक वर्ष की छूट अधिकतम 5 वर्ष की छूट का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे जो मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-12/2017/38-1, दिनांक 14.08.2017 द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी। (45+03 वर्ष विशेष छूट = 48 वर्ष) | |

4. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है वे इस परिशिष्ट-2 से संलग्न **प्रपत्र-एक** में संबंधित महाविद्यालय/महाविद्यालयों के प्राचार्य से अनुभव प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे।
5. उक्त प्रमाण-पत्र/प्रमाण-पत्रों के आधार पर इस परिशिष्ट-2 से संलग्न प्रपत्र-दो (गणना-पत्रक) की अध्यापन अनुभव के आधार पर पूर्ति करेंगे तथा तत्पश्चात उक्त गणना पत्रक को प्रमाणीकरण हेतु अग्रणी महाविद्यालय में प्राधिकृत जांचकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
6. अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित गणना-पत्रक के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट का उल्लेख अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथा-स्थान किया जाएगा जिससे उसे 48 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अध्यधीन अधिकतम आयु सीमा में गणना-पत्रक में अभिप्रमाणित छूट प्राप्त हो सकेगी।

**प्रपत्र-एक**

कार्यालय प्राचार्य, (शासकीय महाविद्यालय का नाम)........................................................

शासकीय महाविद्यालय का पता..................................दूरभाष एवं ई-मेलः..................................

**अनुभव प्रमाण-पत्र**

**(केवल लोक सेवा आयोग द्वारा जारी ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी सीधी भर्ती के सन्दर्भ में मान्य)**

**(अतिथि विद्वान के रूप में शैक्षणिक कार्य सम्पादित करने हेतु)**

क्रमांकः .................... स्थानः........................, दिनांकः..................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ...................................... (अतिथि विद्वान का नाम)

आत्मज/आत्मजा श्री .................................ने इस महाविद्यालय के..................................

विभाग में अतिथि विद्वान के रूप में निम्नानुसार सत्रों में शैक्षणिक कार्य संपन्न किया :

| क्रमांक | शैक्षणिक सत्र | कुल कार्य दिवसों की संख्या | रिमार्क |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**टीपः** यह अनुभव प्रमाण-पत्र महाविद्यालयीन लेखा एवं अन्य अभिलेखों के आधार पर जारी किया गया है।

**स्थानः**.......................................

**(हस्ताक्षर)**

**प्राचार्य का नाम** ......................

**प्राचार्य की पद मुद्रा**

**प्रपत्र-2**

**अनुभव के अधिभार की गणना हेतु पत्रक**

**(अतिथि विद्वान के रूप में शासकीय महाविद्यालयों में कार्य अनुभव के अधिभार की गणना बावत)**

| विषयः | |
|---|---|

**आवेदक का पूरा नाम :** ........................................................................................

**पिता/पति का नाम :** ........................................................................................

आवेदक को उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने पर, अनुभव के आधार पर वरीयता अंक अंतिम मेरिट में जोड़े जाएंगे। अधिभार की गणना हेतु प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी के रूप में कार्य करने पर निम्न तालिकानुसार अनुभव के अंक प्रदान किए जाएंगेः

1. एक शैक्षणिक सत्र में 151 से अधिक कार्यदिवसों पर : 04 अंक
2. एक शैक्षणिक सत्र में 101 से 150 के मध्य कार्यदिवसों पर : 03 अंक
3. एक शैक्षणिक सत्र में 51 से 100 के मध्य कार्यदिवसों पर : 02 अंक
4. एक शैक्षणिक सत्र में 25 से 50 तक के कार्यदिवसों पर : 01 अंक

**अधिभार की गणना की तालिका**

| शैक्षणिक सत्र (अधिकतम पांच) | क्रमांक | महाविद्यालयों का/के नाम | महाविद्यालयवार कार्यदिवस की संख्या | सत्रवार कार्यदिवस की कुल संख्या | सत्रवार अनुभव के अंक | संलग्न प्रमाणपत्र का क्रमांक एवं दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (प्रथम सत्र) | ........<br>........<br>........ | .............<br>.............<br>............. | .............<br>.............<br>............. | ........ | ........ | ........<br>........<br>........ |
| (द्वितीय सत्र) | ........<br>........<br>........ | .............<br>.............<br>............. | .............<br>.............<br>............. | ........ | ........ | ........<br>........<br>........ |
| (तृतीय सत्र) | ........<br>........<br>........ | .............<br>.............<br>............. | .............<br>.............<br>............. | ........ | ........ | ........<br>........<br>........ |
| (चतुर्थ सत्र) | ........<br>........<br>........ | .............<br>.............<br>............. | .............<br>.............<br>............. | ........ | ........ | ........<br>........<br>........ |
| (पंचम सत्र) | ........<br>........<br>........ | .............<br>.............<br>............. | .............<br>.............<br>............. | ........ | ........ | ........<br>........<br>........ |
| **अनुभव के कुल अंकों का योग : (अधिकतम अंक 20)** | | | | | | |

| **अग्रणी महाविद्यालय द्वारा अभिप्रमाणीकरण के लिए आरक्षित स्थान** | |
|---|---|
| **अनुभव के कुल अंक :** | (जांचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं नाम)<br>................................ |
| प्राचार्य/कुलसचिव के हस्ताक्षर एवं मोहरः | |

**दिनांक**...................... **(आवेदक के हस्ताक्षर)**

**टीप :- जिले के अग्रणी महाविद्यालय से अनुभव के अंक एवं आयु सीमा में छूट का अभिप्रमाणीकरण कराने का दायित्व आवेदक का ही होगा।**

**परिशिष्ट-तीन**

**ग्रंथपाल के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी**

**1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-**

1. ऑनलाइन आवेदन-पत्र वेबसाइट पर **www.mponline.gov.in** तथा **mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध है। जिसे ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं।
2. उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त अभ्यर्थी निम्नांकित माध्यमों से भी शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:-
   अ. स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं।
   ब. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।
3. अभ्यर्थी MPONLINE के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से शुल्क का नगद भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। MPONLINE के अधिकृत कियोस्कों की सूची **www.mponline.gov.in** पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध हैं।
4. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अपने अद्यतन पासपोर्ट साइज की फोटो ग्राफ तथा हस्ताक्षर की 25 KB से 200 KB तक की स्केन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय **Upload** करना होगा। **www.mponline.gov.in** के KIOSK पर स्कैनिंग की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।
   **फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-**
   1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें, जिस पर अभ्यर्थी का नाम एवं फोटो खींचने का दिनांक अंकित हो जो तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
   2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
   3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखे स्पष्टतः दिख रही हों।
   4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं है। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य है किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढँकना चाहिए।
   5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफेद हो।
   6. कृपया सेल्फी द्वारा ली गयी फोटो का प्रयोग न करें।
5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में वही नाम/उपनाम/जन्मतिथि को उल्लेखित करे जो उनकी हाईस्कूल की अंकसूची में उल्लेखित है। यदि अभ्यर्थी द्वारा नाम परिवर्तन करवाया गया है तब भी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हाईस्कूल की अंकसूची में उल्लेखित उक्त विवरण ही मान्य होंगे।
6. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिए गए निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।
7. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अंकित की गयी जानकारी ही प्रमाणिक जानकारी मानी जाएगी। अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र Submit करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन Submit करें।
8. आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले pop up window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लेखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Pop up window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।
   अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "proceed to payment"

बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें। अभ्यर्थी उक्त आवेदन-पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि का प्रयोग कर प्रवेश-पत्र डाऊनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थी "Payment Done" उल्लेखित आवेदन-पत्र की प्रिंटआउट प्राप्त करने के पश्चात ही आवेदन-पत्र को जमा मानें।

9. **त्रुटि सुधार सुविधा** :- अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 20.04.2023 से 21.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे)** तक प्रति सत्र त्रुटि सुधार सत्र **रु. 50/-** शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए ऐसे अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन-पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन-पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई भी पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

**महत्वपूर्ण** :- त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात अभ्यर्थी से प्राप्त अभ्यावेदनों के द्वारा अथवा आयोग को प्राप्त शिकायतों से यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की गयी है तो उसके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकेगी।

10. अभ्यर्थी उक्त आवेदन-पत्र को सुरक्षित रखें। आवेदन-पत्र में अंकित आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक की प्रविष्टि कर इंटरनेट के माध्यम से वे प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर प्रिंटआउट ले सकेंगे।

11. **अत्यावश्यक** :-
यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में वर्टिकल श्रेणी (अना./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) गलत भरी गयी है तो उसे अनारक्षित (ओपन) के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर अनारक्षित (ओपन) श्रेणी में उम्मीदवारी मान्य होगी और यदि होरीजोंटल आरक्षण (महिला/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांगजन) में गलत श्रेणी भरी है तो उसी वर्ग के ओपन के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर उस वर्ग के ओपन में उम्मीदवारी मान्य की जाएगी।

**ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश और विधि :-**

1. कृपया आवेदन-पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदन-पत्र दिनांक 20.04.2023 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 19.05.2023 को दोपहर 12.00 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
2. आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 20.04.2023 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 21.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे) को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- शुल्क के भुगतान के पश्चात आवेदन-पत्र में वांछित सुधार किया जा सकेगा।
3. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग करने की मांग की जाती है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. **आवेदन एवं परीक्षा शुल्क :-**

| **म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क** | **शेष सभी श्रेणी एवं मध्यप्रदेश से बाहर के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क** |
|---|---|
| ₹ 250/- | ₹ 500/- |

सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क ₹ 40/- (सेवाकर सहित) अतिरिक्त देय होगा। जो अभ्यर्थी राज्य सेवा तथा वन सेवा दोनों हेतु आवेदन करेंगे उन्हें भी उपरोक्त अनुसार ही शुल्क एक बार ही देना होगा।

| | | |
|---|---|---|
| **टीप :-** | 1. | परीक्षा के परिणाम के बाद आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन माड्यूल की सहायता से ₹ 50/- शुल्क का भुगतान कर अभ्यर्थी उनकी OMR शीट Download कर सकेंगे। |

आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपी ऑनलाइन के निम्नांकित दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

**हेल्पलाइन नं. 0755-6720210 तथा 0755-6720211**

केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आवेदन एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा, किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

5. **ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी :-**
म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए आवेदन-पत्र वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं **www.mponline.gov.in** पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरकर परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लाक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से किया जा सकता है। एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए **www.mponline.gov.in** पर locateKiosk/CSCsLink देखें। **अभ्यर्थी हेल्पलाइन नं. 0755-6720210 तथा 0755-6720211** से भी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
7. **इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन-पत्र/परीक्षा शुल्क भरने की विधि :-**

| |
|---|
| अभ्यर्थी **https://www.mponline.gov.in** वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर CitizenServices पर क्लिक करें इसके उपरांत Application लिंक पर जाकर MPPSC बटन को क्लिक करें। अब उसे यहां निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगे। |
| Click here to Apply |
| Pay for unpaid Application/DuplicateReceipt |
| Click here to Edit |
| Download Admit Card Duplicate Receipt/View Application Status |
| Click Here to View Advertisement |

अभ्यर्थी फार्म भरने से पहले Click here to View Advertisement को क्लिक कर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके उपरांत ही अभ्यर्थी Click here to Apply को क्लिक करें। इसके उपरांत अभ्यर्थी को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। अभ्यर्थी को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियां को सही-सही भरना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Upload Image दिखाई देगा। इसमें अभ्यर्थी को अपना फोटो-हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के दाहिनी ओर अभ्यर्थी को फोटो-हस्ताक्षर के (प्रारूप हेतु इस लिंक्स) दिखाई देंगी। Links. को क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फार्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फार्मेट को स्कैन कर jpg फार्मेट में ही सेव करें। अब अभ्यर्थी Upload Image बटन क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में अभ्यर्थी ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो-हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।

अभ्यर्थी फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर ले कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई हैं वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही Submit बटन दबाएं। इससे अभ्यर्थी को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए Proceed to Payment बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगे :-

1. इंटरनेट बैंकिंग (सभी राष्ट्रीयकृत बैंक)
2. क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड

**इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान** - अभ्यर्थी चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग से कर सकता है। अभ्यर्थी फार्म भरने के उपरांत Proceed to Payment का बटन दबाएगा। यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग आप्शन दिखाई देखा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई डी पासवर्ड डालकर लॉगिन होगा। इस प्रक्रिया से अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को स्क्रीन पर पावती नम्बर और अभ्यर्थी का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें एवं उसे संभालकर रखें।

**क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान** - अभ्यर्थी किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए Proceed to Payment का बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर बैंक का पेमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कंफर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण होने के पश्चात कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी अंकित होगी। अभ्यर्थी इस रसीद को संभालकर रखें। सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को स्क्रीन पर पावती नंबर और अभ्यर्थी का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें। **अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन-पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिसपर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो।**

8. **एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन-पत्र/परीक्षा शुल्क भरने की विधि :-**
अभ्यर्थी आवेदन फार्म भरने के लिए अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाएगा। कियोस्क संचालक **www.mponline.gov.in** वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन टाइप में कियोस्क सिलेक्ट कर लॉगिन करेगा। इसके उपरांत सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में MPPSC सिलेक्ट कर सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां अभ्यर्थी को उपलब्ध कराएगा। अभ्यर्थी इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ ले ताकि मांगी गई समस्त जानकारियां फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरांत अभ्यर्थी कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जाए। कियोस्क संचालक अभ्यर्थी का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरांत अभ्यर्थी फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां अच्छी तरह पढ़ लें। अभ्यर्थी सभी जानकारियां सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का कहे। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर दो पृष्ठीय कम्प्यूटराइज्ड रसीद अभ्यर्थी को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही अभ्यर्थी से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी।
**अभ्यर्थी इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन-पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिसपर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो। जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।**
9. यदि अभ्यर्थी के पास क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गए फार्म का कियोस्क के माध्यम से Pay for unpaid Application/Duplicate Receipt लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है :-
इसके लिए अभ्यर्थी को उपरोक्त बताए गए बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गए फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरांत कियोस्क संचालक Pay for unpaid Application/Duplicate Receipt लिंक पर क्लिक कर उक्त जानकारियां भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक अभ्यर्थी कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ अभ्यर्थी द्वारा भरी गई समस्त जानकारियां अंकित होंगी। **अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन-पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिसपर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो।**

- अभ्यर्थियों से निवेदन है कि "ऑनलाइन आवेदन" की पावती पृष्ठ की प्रति भविष्य के लिए संभाल कर रखें।
- ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा या एमपी ऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही मानी जाएगी।

**नोटः-** यदि आपको ऑनलाइन फार्म में भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए एम.पी. ऑनलाइन के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें

**हेल्पलाइन नं. 0755-6720210 तथा 0755-6720211**

2. **अन्य निर्देश/जानकारी :-**
1. अभ्यर्थी को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, परीक्षा का नाम, पंजीयन क्रमांक, अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र, पूर्ण पता तथा मोबाइल नंबर लिखना चाहिए।
2. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अंकित मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. पर ही SMS या ई-मेल द्वारा आवश्यक होने पर सूचनाएं दी जाएंगी।
3. परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक व प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास, आपस में बातचीत करना, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना, ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्न पत्र को क्षति पहुंचाना, धौंस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुंचाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण, परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका को क्षति पहुंचाना एवं उत्तर पुस्तिका को जमा न करना आदि को दण्डनीय माना जाएगा।

4. **पहचान चिह्न** :- ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। यदि उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक या अन्य अंक, अपना नाम या अन्य नाम या किसी प्रकार का चिह्न लगाएंगे तो उसे पहचान चिन्ह बनाया माना जाएगा। ऐसे पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकेगी।
5. परीक्षा परिसर तथा साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्जित हैं।
6. उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि सभी स्थानों अर्थात उनके आवेदन-पत्र, परीक्षा हाल में उपस्थिति सूची पर तथा आयोग के साथ किए गए समस्त पत्र व्यवहार में उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक समान होना चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। यदि विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

3. **आवेदन की अंतिम तिथि :-**
ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 19.05.2023 है। अंतिम तिथि को दोपहर 12.00 के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4. **नियोक्ता की अनापत्तिः-**
जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवक के रूप में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, (जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है) या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत हैं, उनको यह अभिवचन [Undertaking] (जैसा कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की घोषणा में छपा है) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को चयन के किसी भी स्तर पर उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने से संबंद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

5. **साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन-पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं अनुप्रमाणन-पत्रक के साथ निम्न अभिलेख संलग्न कर आयोग को प्रस्तुत करना होगा :-**
1. परीक्षा का आवेदन पत्र
2. आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** में "Download Format" लिंक पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक Download करें।
3. **आयु संबंधी प्रमाण के लिए** - केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।
4. **शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र** - हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है एवं समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की स्वसत्यापित अंकसूचियां। उपाधि संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा।
5. **मूल-निवासी/स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र।**
6. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु मध्यप्रदेश शासन के विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।**
7. **जाति प्रमाण-पत्र** - उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण अथवा अन्य किसी रियायत के लिए दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है, अनुप्रमाणन-पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न करना चाहिए। विवाहित महिलाओं के मामले में उसके पिता के नाम का उल्लेख करने वाला जाति प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण-पत्रों में यह प्रमाणन आवश्यक है कि अभ्यर्थी क्रीमीलेयर में नहीं आता है। जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे किसी भी प्रकार की छूट हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को अनुप्रमाणन पत्रक के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों में निम्न प्रारूप में घोषणा-पत्र (Declaration) प्रस्तुत करना होगा कि वे शासन द्वारा अभिनिर्धारित नवीनतम मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आतेः-
**क्रीमीलेयर में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में मान्य किए जाएंगे।**

**घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप**

मैं......................आयोग के विज्ञापन क्रमांक **52/2022 दिनांक 30.12.2022** के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं

1. मैं........................पुत्र/पुत्री श्री........................निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/........................जिला..............,मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं..........................जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/ करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूं।

दिनांक :-................ **हस्ताक्षर**........................

**नाम**............................

**रोल नंबर**........................

यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय मूल जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति मूलतः प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसकी अभ्यर्थिता अस्वीकृत कर दी जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी के किसी वचन पत्र अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाएगा। वांछित प्रमाण-पत्रों के अभाव में किसी शिथिलीकरण/ रियायत की पात्रता के बारे में विचार नहीं किया जाएगा।

8. **दिव्यांगजन श्रेणी होने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थी हेतु)**
**दिव्यांगता प्रमाण-पत्र** : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http:\\www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।
9. **शासकीय सेवकों/भूतपूर्व सैनिकों को देय छूट हेतु** नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
10. **अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत देय छूट हेतु** शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।
11. **विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को देय छूट हेतु** विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।
12. **अतिथि विद्वान अनुभव प्रमाण-पत्र।**

उक्त अभिलेखों के सेट की एक प्रति स्वप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग को निम्नांकित पते पर प्रस्तुत करें :-
सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया,
इंदौर, मध्यप्रदेश 452001

**टीप -**
1. लिफाफे के शीर्ष पर "ग्रंथपाल" के साक्षात्कार हेतु अभिलेख' तथा प्रेषक के स्थान पर अभ्यर्थी के परीक्षा का रोल नम्बर, नाम एवं पते का उल्लेख अनिवार्यतः करें।
2. अभिलेखों के दो सेट सुरक्षित रखें। उक्त सेट मूल अभिलेखों के साथ साक्षात्कार के समय अनिवार्यतः साथ लाएं।
3. केवल उन्ही अभ्यार्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाएगा जिन्हें अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात अर्ह पाया जाएगा।

**महत्वपूर्ण टीप :-** परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय भी फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक स्वप्रमाणित छायाप्रति लेकर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है। फोटो परिचय पत्र द्वारा अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
यदि आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। डाक विभाग अथवा अन्य किसी भी माध्यम से निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त अभिलेख मान्य नहीं किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी अंतिम निर्धारित तिथि के पूर्व स्वयं के अभिलेख आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. **कदाचरण और उसके लिए कार्यवाही :-** कोई अभ्यर्थी, जो आयोग द्वारा निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है :-
01 जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो या वैसा करने का प्रयास किया हो, या
02 प्रतिरूपण किया हो; या
03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
04 कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
05 ऐसे कथन किए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन का आश्रय लिया हो, या
07 परीक्षा कक्ष में अथवा अन्य किसी भी स्थान पर अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृन्द को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
09 उनके प्रवेश-पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृन्द द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो, या
10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
11 परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि अभ्यर्थी कर्तव्यरत अधीक्षणकर्ता (इनविजिलेटर) के पास उसकी ओ.एम.आर. शीट जमा करने में असफल रहता है या ओ.एम.आर. शीट को क्षति पहुंचाता है, या
12 परीक्षा के पूर्व किसी भी रीति से प्रश्नपत्र अभिप्राप्त करता है या उसके लिए प्रयास करता है, तो आयोग -
(एक) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
(दो) यदि वह शासन के आधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के आधीन उस पर आनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।
(तीन) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।
एवं तब शासन द्वारा उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके आधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।
**ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है, उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।**

7. **प्रवेश-पत्र -**
01 अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यदिः-
(क) वह, आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र धारण न करता हो, और
(ख) वह, आयोग द्वारा जारी विज्ञापन/प्रवेश-पत्र में उल्लिखित फोटो परिचय-पत्रों की कोई एक मूल फोटो परिचय-पत्र धारण न करता हो, और
(ग) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र के संलग्न फोटो से उसके चेहरे का मिलान न होता हो, और
(घ) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो का, आयोग द्वारा विहित उसके द्वारा लाए गए फोटोयुक्त परिचय-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो से मिलान न होता हो।
02 प्रवेश-पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा के 10 दिन पूर्व से परीक्षा शहर की जानकारी e-Mail द्वारा तथा परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र दिनांक (निर्धारित नहीं) से 52/2022 **www.mponline.gov.in** तथा **mppsc.mp.gov.in** पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेंगे। आवेदकों को वेबसाइट से ही परीक्षा के प्रवेश-पत्र प्राप्त करना होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। प्रवेश-पत्र एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से डाउनलोड करने पर पांच रुपए पोर्टल शुल्क देय होगा।
03 यदि प्रवेश-पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो आयोग अथवा एम.पी. ऑनलाइन से संपर्क करें।
04 यदि किसी अभ्यर्थी का नाम नॉमिनल रोल में सम्मिलित नहीं है परन्तु उसे प्रवेश-पत्र प्राप्त हो चुका है तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करें। केन्द्राध्यक्ष संतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे।
05 **अत्यंत महत्वपूर्ण** - अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र के साथ निम्न मान्य मूल फोटो युक्त पहचान प्रमाण-पत्र में से कोई एक प्रस्तुत करने एवं उससे अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | आधार कार्ड | 6 | केन्द्र शासन/राज्य शासन/सार्वजनिक सेवा के उपक्रम के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र |
| 2 | मतदाता पहचान पत्र | 7 | बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक |
| 3 | ड्रायविंग लायसेंस | 8 | शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र |
| 4 | पैन कार्ड | 9 | राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय पत्र |
| 5 | पासपोर्ट | | |

08 मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे) उन्हें भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। प्रारूप निम्नानुसार है :-

**अभिवचन (Undertaking) का प्रारूप**

मैंने ग्रंथपाल के विज्ञापन क्रमांक 52/2022 दिनांक 30.12.2022 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत किया है तथा मैं भूतपूर्व सैनिक हूं। अतः भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाए। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर............................
पूरा नाम............................
रोल नंबर............................

01. ग्रंथपाल के पदों का परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** तथा "रोज़गार और निर्माण" समाचार पत्र पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थी को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

**10. यात्रा व्यय का भुगतान -**

(अ) निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी :-

1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।
2. मध्यप्रदेश के मूल निवासी 40% या अधिक दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. दिव्यांगता के प्रमाणन हेतु जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
3. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

(द) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ एवं आधार कार्ड की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(फ) जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने हेतु देय यात्रा भत्ता का ऑनलाइन भुगतान प्राप्त नहीं होता है वे इस संदर्भ में कलेक्टर/कमिश्नर कार्यालय से पत्र व्यवहार करें। इस संदर्भ में आयोग से कोई पत्र व्यवहार न करें। इस संदर्भ में आयोग में प्राप्त पत्र बिना किसी कार्यवाही के नस्तीबद्ध किए जाएंगे।

(ज) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

**परिशिष्ट-चार**

**आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश**

**टीप** - ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन आप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जाएगा अतः ओ.एम.आर. शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यन्त सावधानी पूर्वक करें।

1. आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम दो काले बाल प्वाइंट पेन अवश्य लाए।
2. गोले भरने के लिए केवल काला बाल प्वाइंट पेन का ही उपयोग करें। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्कैनर द्वारा जांची नहीं जा सकेगी।
3. ओ.एम.आर. शीट पर किसी प्रकार का रफकार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्नपत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है, उस स्थान का ही उपयोग करें।
4. ओ.एम.आर. शीट अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा।
5. उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. शीट पर सभी प्रविष्टियां सही रूप से की गई है। अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त प्रश्न पत्र सेट ए.बी.सी.डी. अंकन न करने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
6. आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (×) लगाने पर ओ.एम.आर. शीट कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी।
7. **ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकन के लिए - सामान्य निर्देश -**

(अ) प्रश्नों के उत्तरः ओ.एम.आर. शीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओ.एम.आर. शीट पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए.बी.सी.डी. बने हैं। प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ए.बी.सी.डी. दिए हैं। इनमें से एक सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला काले बाल प्वाइन्ट पेन से गहरा काला करें। एक से अधिक गोलों को काला करने पर प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

OMR Sheet में उत्तर अंकित कर उसे काटने/मिटाने/व्हाइटनर लगाने से उक्त प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

(ब) ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, प्रश्नपत्र कोड आदि भरने के लिए बने खानों में प्रविष्टि के लिए काले बाल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र A,B,C,D set में से कोई एक ही सेट दिया जाएगा। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें।

(स) हस्ताक्षर - ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर बाल पेन से हस्ताक्षर करें।

(द) **ओ.एम.आर. शीट के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, प्रश्नपत्र कोड के कॉलम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिए काला बाल प्वाइंट पेन का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। अभ्यर्थी उसे आवंटित प्रश्न पत्र के सेट कोड ध्यान से देखें तथा सेट की जानकारी सुनिश्चित होने के पश्चात ही प्रश्न पत्र के सेट कोड के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (ABCD के गोले) के आधार पर ही उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाएगा। सेट कोड गलत भरने पर त्रुटि सुधार नहीं होगा। मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा भरे गए सेट कोड की उत्तर कुंजी के आधार पर होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। आवश्यक प्रविष्टियां सही स्थान पर उचित रूप से न भरने पर अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य नहीं किया जाएगा।**

8. **रोल नम्बर की प्रविष्टि (चित्र एक)**

रोल नम्बर के खाने में बायें से दायें 1 से 6 तक स्तम्भ है। पहला स्तम्भ का लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चौथा स्तम्भ सैकड़े का, पांचवां स्तम्भ दहाई का एवं छठा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले हैं। इन्हीं में आपको अपने रोल नम्बर भरना है। उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाइन में चौकोर खानों में दर्शाए अनुसार रोल नम्बर काला बाल प्वाइंट पेन से लिखें तत्पश्चात पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पांचवे स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को काला बाल प्वाइंट से गहरा काला करें। अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम.आर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

रोल नं. चित्र -1

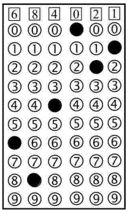

**परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश**

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा।

**एक - प्रवेश**

01 परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्रावधिक है।

02 परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

03 परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र तथा मान्य फोटो युक्त परिचय-पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ रखें।

04 परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी की जांच की जाएगी। परीक्षार्थी अपने साथ केवल दो काले बाल प्वाइंट पेन, प्रवेश-पत्र एवं मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएं। इसके अतिरिक्त मोबाइल, केलक्युलेटर, पेजर एवं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।

**दो - निर्गमन**

01 सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।

02 किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भले ही उसने प्रश्नपत्र हल कर लिया हो।

03 प्रश्नपत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किए जाने के उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।

04 निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा (केवल दृष्टिबाधित तथा ऐसे अस्थिबाधित जो दोनों ही हाथों से लिखने में असमर्थ हैं तथा वे जिन्होंने सहलेखक की सुविधा ली है, ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में 20 मिनिट प्रति घण्टा अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

**तीन - ओ.एस.आर. शीट पर नाम और अनुक्रमांक :-**

ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखें। ओ.एम.आर. शीट के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। ओ.एस.आर. शीट पर पेंसिल, रबर एवं व्हाइटनर का उपयोग करने या अभ्यर्थी के पास कक्ष में पाए जाने पर अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। ओ.एम.आर. शीट में (आपको दिए गए A, B, C, D प्रश्न पत्र सेट में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्नपत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोले को काले पेन से अनिवार्यतः काला करें। आपके द्वारा प्रश्नपत्र सेट के गोले को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही ओ.एम.आर. शीट मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट-B को काला किया है। सेट का गोला काला नहीं करने पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

**चित्र - चार**

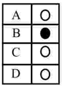

**उत्तर अंकित करने हेतु अनुदेश -**

1. केवल काली स्याही वाले बॉल प्वाइंट पेन का प्रायोग करें।
2. प्रत्येक प्रश्न का उत्तर-पत्र में दिए गए प्रश्न क्रमांक के सामने संबद्ध गोले को काला करें।
3. प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु केवल एक ही गोले को गहरा काला करना है, जैसे नीचे दिखाया गया है :-

4. पूरे गोले को गहरा काला कीजिए।
5. उत्तर के लिए दिए गए गोले को काला कीजिए एक से अधिक गोले काले करने/चिह्न (.) होने पर भी उत्तर मान्य नहीं होगा।
6. उत्तर पत्र पर कच्चा काम करना मना है। इस काम के लिए प्रश्न पत्र के अंत में खाली जगह का ही उपयोग कीजिए।
7. प्रश्न-पत्र के सेट के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। उत्तर-पत्र में काले किए गए सेट के गोले के आधार पर ही उसे जांचा जाएगा। गलत गोला काला करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. अभ्यर्थी अगर प्रश्न पुस्तिका सेट का गोला नहीं भरता है, तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। एवं वह अयोग्य माना जाएगा।
9. अभ्यर्थी अगर अपने अनुक्रमांक के गोले नहीं भरता है, तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। एवं वह अयोग्य माना जाएगा।
10. अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका कक्ष के विक्षक को ही जमा करें।
11. अभ्यर्थी अगर अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका पर उत्तर के गोले भरने/मिटाने के लिए यदि पेंसिल/व्हाइटनर का उपयोग करता है, तो नकल का प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

**चार - अनुचित साधन :-**

परीक्षा हॉल/कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण जैसे मोबाइल, वॉच, डिजिटल डायरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पेजर, केल्कुलेटर आदि तथा पेंसिल, रबर व्हाइटनर जैसी सामग्री के साथ पाया जाता है, तो अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। उनके पास कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांछित

(शेष अगले पृष्ठ पर)

# कार्यालय कार्यपालन यंत्री
## राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रीवा संभाग
## माधवराव सप्रे मुख्य मार्ग 03, भोपाल मध्यप्रदेश

**निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 06/री.सं./2022-23/651** **भोपाल, दिनांक : 27.12.2022**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्य संपादित करने के लिये निविदा पोर्टल ऑनलाइन (निविदा ई-टेंडरिंग के माध्यम) (http://mptenders.gov.in) Department Directorate of Health Services से स.क्र. 1 पर 05 तक 03 लिफाफा पद्धति से प्रोजेक्ड डायरेक्टर पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग भोपाल द्वारा भवन एवं विद्युतीकरण एस.ओ.आर. 01.12.2020 निविदा सूचना जारी होने तक किये गये संशोधनों सहित (भारत सरकार द्वारा प्रावधानित जी.एस.टी की शर्ते लागू होंगी) प्रपत्र "अ" फॉर्म में परसेंटेज बेसिस पर उपयुक्त श्रेणी में पंजीबद्ध ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है-

**निविदा आमंत्रण सूचना 06.2022-23 दिनांक 27.12.2022 (द्वितीय आमंत्रण)**

**सरल क्रमांक एवं कार्य का नाम :-** **1.** जिला सतना अंतर्गत विकासखण्ड मझगांव के 5 ग्रामों क्रमशः चितहरा, केलहोरा, लालपुर चकेर, पडरी एवं पथरकचार में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन मय सीएचओ आवास सहित सेनेट्री फिटिंग विद्युतीकरण, नलकूप खनन एवं बाउण्ड्रीवाल इत्यादि का निर्माण कार्य **(द्वितीय आमंत्रण)।**

| टेन्डर नं. | ठेके की अनुमानित राशि रु. (लाख में) | अमानत राशि रुपये | निविदा प्रपत्र का मूल्य | कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाऋतु सहित) | ठेकेदार की श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022_DHS_240315 | 219.38 | 219380/- | 15000/- | 15 माह | लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार |

**2.** जिला सीधी अंतर्गत विकासखण्ड रामपुर नैकिन के 3 ग्रामों क्रमशः बुडगौना, मोहनिया एवं सनडा में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन मय सीएचओ आवास सहित सेनेट्री फिटिंग विद्युतीकरण, नलकूप खनन एवं बाउण्ड्रीवाल इत्यादि का निर्माण कार्य **(द्वितीय आमंत्रण)।**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022_DHS_240316 | 131.63/- | 131630/- | 12500/- | 12 माह | लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार |

**3.** जिला अनूपपुर अंतर्गत विकासखण्ड पुष्पराजगढ़ के 4 ग्रामों क्रमशः अतरिया, कचरा टोला, कंचनपुर, कन्डीकापा में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन मय सीएचओ आवास सहित सेनेट्री फिटिंग विद्युतीकरण, नलकूप खनन एवं बाउण्ड्रीवाल इत्यादि का निर्माण कार्य **(द्वितीय आमंत्रण)।**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022_DHS_240317 | 175.51/- | 175510/- | 12500/- | 15 माह | लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार |

**4.** जिला रीवा अतंर्गत विकासखण्ड रायपुर कर्चुलियान के 2 ग्रमों क्रमशः इटहा, मनखारी, एवं विकासखण्ड रीवा के 3 ग्रामों दादर, कचोर, नीगा में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन मय सीएचओ आवास सहित सेनेट्री फिटिंग विद्युतीकरण, नलकूप खनन एवं बाउण्ड्रीवाल इत्यादि का निर्माण कार्य **(द्वितीय आमंत्रण)।**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022_DHS_240320 | 219.38 | 219380/- | 15000/- | 15 माह | लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार |

**5.** जिला रीवा अतंर्गत विकासखण्ड त्योथर के 5 ग्रामों क्रमशः चंद्रपुर, चौखरा, मंगी, परसिया एवं सोहागी में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन मय सीएचओ आवास सहित सेनेट्री फिटिंग विद्युतीकरण, नलकूप खनन एवं बाउण्ड्रीवाल इत्यादि का निर्माण कार्य **(द्वितीय आमंत्रण)।**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022_DHS_240322 | 219.38 | 219380/- | 15000/- | 15 माह | लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार |

1. कार्य से संबंधित एन.आई.टी. वेबसाइट (http://mptenders.gov.in) पर देखी जा सकती है।
2. निविदा प्रपत्र ऑनलाइन **दिनांक 02.01.2023 प्रातः 10.30 बजे से दिनांक 17.01.2023 सायं 17.30 बजे** तक क्रय किये जा सकते हैं।
3. एन.आई.टी. में कोई भी संशोधन होने की स्थिति में वेबसाइट (http://mptender.gov.in) पर प्रकाशित किया जावेगा एवं समाचार पत्रों में नहीं।
4. जो निविदाकार लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत नहीं हैं, ऐसे निविदाकार लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हो वे भी निविदा में भाग लेने की पात्रता रखते हैं लेकिन अनुबंध निष्पादन के पूर्व लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

**कार्यपालन यंत्री**
**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रीवा संभाग**
**जी-21117/47973/2023** **माधवराव सप्रे मुख्य मार्ग 03, भोपाल**

---

**(पिछले पृष्ठ का शेष)**

सामग्री, कोई पुस्तक या कागज जो परीक्षा में प्रश्नपत्र हल करने में सहायक हो। अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर नकल प्रकरण दर्ज होगा।

परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दण्डनीय है। परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप विशेषकर मोबाइल, इलेक्ट्रानिक उपकरण तथा अन्य वर्जित वस्तुएं आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माना जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी ओ.एम.आर. शीट से नकल करना अथवा अपनी शीट से अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से ओ.एम.आर. शीट बदलना, परीक्षा भवन में जोर-जोर से बोलना, किसी भी प्रकार की सांकेतिक भाषा अथवा किसी प्रकार भावभंगिमा से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जाएगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य प्रदेशों के आयोगों की परीक्षा एवं साक्षात्कारों से वंचित किए जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।

**परीक्षा की गोपनीयता :-** परीक्षा पूर्व/दौरान/पश्चात प्रश्न-पत्र की गोपनीयता के भंग होने की किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों/व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जा कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

**पांच - प्रश्न संबंधी शिकायत**

प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षार्थी परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के निर्दिष्ट तिथियों पर 07 दिवस के अंदर निर्धारित शुल्क (100 रुपए प्रति प्रश्न तथा रुपए 40 प्रति सत्र पोर्टल चार्ज प्रथक से देय) आपत्ति शुल्क एवं पोर्टल चार्ज किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। जमा कर ऑनलाइन पद्धति से आपत्ति दर्ज कराए। परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर ऑनलाइन पद्धति से दर्ज शिकायतों पर ही विचार किया जाएगा। इसके पश्चात एवं अन्य किसी भी पद्धति से प्रस्तुत आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। आपत्ति दर्ज कराने पर देय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। दर्ज आपत्तियां सही पाई जाने पर संशोधन का लाभ समस्त अभ्यर्थियों को प्राप्त होगा। भले ली उनके द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं की गई हो।

**छः - ओ.एम.आर. शीट का लौटाना -**

परीक्षार्थी परीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक को ही सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना गम्भीर अपराध माना जाएगा और इस हेतु उसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

**सात - ओ.एम.आर. शीट पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियां**

1. ओ.एम.आर. शीट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड के सही गोले भरें। साथ ही प्रश्न पत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें। इस संबंध में दिए गए निर्देशों को गम्भीरता पूर्वक पढ़ने के पश्चात ही आवश्यक प्रविष्टियां की जाएं।
2. ओ.एम.आर. शीट पर कोई दाग/चिह्न न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें।

**आठ - प्रश्नपत्र पर अंकन**

परीक्षार्थी प्रश्नपत्र पर भी अनुक्रमांक लिखे तथा रफ कार्य प्रश्नपत्र में दिए गए पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्नपत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्नपत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

**नौ - उपस्थिति पत्रक**

प्रत्येक प्रश्नपत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।

**दस - दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु सहलेखक संबंधी नियम**

**अ. अभ्यर्थियों का विवरण जिन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी :-**

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पाल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तम (स्पेस्टिक) डाइसलेक्सिक पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो ओर इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5. उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को सहलेखक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

**ब. प्रदान की जाने वाली सुविधाएं :-**

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जाएगी। उपरोक्त सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र सहित परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना होगी ताकि नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तो के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी। लेखन सहायक से घोषणा-पत्र भरवाया जाएगा।

**(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्ते :-**

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की अर्हता से कम होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता स्नातक से कम होना चाहिए। (अर्थात् स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए) यदि किसी पद की परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि है तो सहलेखक की योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि से कम होनी चाहिए (अर्थात् स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए)

**(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्ते :-**

ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें उपरोक्तानुसार सहलेखक की सुविधा प्रदान की गई है, निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

| | |
|---|---|
| 3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए | 60 मिनट |
| 2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए | 40 मिनट |

**स. इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं :-**

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जाएगा।

**द.** अभ्यर्थी को पात्र सहलेखक साथ में लेकर परीक्षा हेतु आना होगा। आयोग/केन्द्राध्यक्ष द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

**टीप-**
1. उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त दिव्यांगजन सम्बन्धित अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं निर्णय लिए जाने हेतु आयोग के सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।
2. दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें सहलेखक एवं भूतल पर बैठने की व्यवस्था की आवश्यकता है वे अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उक्त आवश्यकताओं की प्रविष्टि करेंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आकस्मिक दुर्घटना एवं बीमारी के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में अभ्यर्थियों को उक्त सुविधाएं उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर ही देय होगी।

**ग्यारह- विविध**

1. परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्नपत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेंसिल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेंसिल परीक्षा भवन में नहीं लाएंगे।
2. परीक्षार्थियों को अपने साथ पेंसिल, व्हाइटनर, डिजिटल डायरी, वॉच, केल्क्युलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर तथा अन्य electronic gadgets लाना वर्जित हैं। उपरोक्त वर्जित वस्तुएं अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर अनुचित साधन प्रकरण अंतर्गत नकल प्रकरण बनाया जाएगा।

**बारह-** परीक्षार्थी ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्नपत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं/निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें व अनिवार्यतः उनका पालन करें।

**तेरह- अनुशासन व शालीनता**

1. परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करना/अशिष्ट, अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।
2. परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
3. परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाना चाहिए। यह दण्डनीय है।
4. यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा। उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे परिक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किए जाए। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।

**जी-21337/48020/2023**

## MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

**(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)**
**5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, BHOPAL–462011 (M.P.)**
**(GST No. 23AAATM9054A3ZX)**

**No./126/22/D-12/NIT-Maint./2022** **Bhopal, Dated : 04.01.2023**

### NOTICE INVITING TENDER No. 200/MTN/2023

Online Tenders for the following works are invited on the E-Procurement System portal **https://mptenders.gov.in** as detailed below :

**1. Table No. 1 : Name of Work – REPAIR/MAINTENANCE OF THE RURAL ROADS FOR FIVE YEARS CONSTRUCTED UNDER PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJNA (POST 5 YEAR).**

| S. No. | Name of District | No. of Packages | Total PAC (in Rs.) | S. No. | Name of District | No. of Packages | Total PAC (in Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ashoknagar | 1 | 11252165.00 | 10. | Rajgarh | 1 | 8261246.00 |
| 2. | Barwani | 1 | 10398029.00 | 11. | Rewa | 4 | 12069703.00 |
| 3. | Bhind | 1 | 4954044.00 | 12. | Sagar | 5 | 21405741.00 |
| 4. | Chhindwara | 2 | 27402822.00 | 13. | Singrauli | 3 | 43350265.00 |
| 5. | Dindori | 2 | 34274583.00 | 14. | Shivpuri | 3 | 22833154.00 |
| 6. | Dewas | 5 | 44627698.00 | 15. | Shajapur | 1 | 4937425.00 |
| 7. | Harda | 1 | 5393278.00 | 16. | Seoni | 6 | 60781397.00 |
| 8. | Mandla | 1 | 15510740.00 | 17. | Ujjain | 3 | 9839340.00 |
| 9. | Raisen | 1 | 7938168.00 | | | | |

**2. Table No. 2 : Name of Work – REPAIR/MAINTENANCE OF THE RURAL ROADS FOR FIVE YEARS CONSTRUCTED UNDER PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJNA (POST 10 YEAR).**

| S. No. | Name of District | No. of Packages | Total PAC (in Rs.) | S. No. | Name of District | No. of Packages | Total PAC (in Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ashoknagar | 1 | 9093666.00 | 10. | Raisen | 1 | 10018854.00 |
| 2. | Chhindwara | 4 | 71245011.00 | 11. | Seoni | 4 | 49871937.00 |
| 3. | Datia | 1 | 8636533.00 | 12. | Sagar | 4 | 43737212.00 |
| 4. | Dewas | 1 | 9537476.00 | 13. | Sehore | 1 | 10501331.00 |
| 5. | Khandwa | 1 | 9857450.00 | 14. | Satna | 3 | 29743972.00 |
| 6. | Narsinghpur | 1 | 11394551.00 | 15. | Shivpuri | 1 | 18301816.00 |
| 7. | Panna | 1 | 15801444.00 | 16. | Shahdol | 1 | 29215420.00 |
| 8. | Rewa | 2 | 18869211.00 | 17. | Ujjain | 2 | 20726213.00 |
| 9. | Ratlam | 1 | 9914380.00 | 18. | Vidisha | 1 | 7383870.00 |

**3. Table No. 3 : Name of Work – REPAIR/MAINTENANCE OF THE RURAL ROADS FOR FIVE YEARS CONSTRUCTED UNDER PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJNA (POST 15 YEAR).**

| S. No. | Name of District | No. of Packages | Total PAC (in Rs.) | S. No. | Name of District | No. of Packages | Total PAC (in Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bhind | 1 | 29879950.00 | 6. | Rewa | 1 | 1100861.00 |
| 2. | Chhindwara | 1 | 22153814.00 | 7. | Shahdol | 1 | 8289442.00 |
| 3. | Dewas | 2 | 20245903.60 | 8. | Shivpuri | 5 | 59816397.00 |
| 4. | Jabalpur | 1 | 8744104.00 | 9. | Satna | 1 | 1031935.00 |
| 5. | Narmadapuram | 1 | 6747034.00 | | | | |

1. Tender document can be purchased only online from the above website **from 09.01.2023 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

M.P. Madhyam/107953/48036/2023 **CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)**

## HOLY FAITH COLLEGE OF EXCELLENCE, HARDA

**(Affiliated to Barkatullah University, Bhopal)**

Applications are invited for the appointment for teaching posts under College code 28 of the University.

**(Requirement)**

| S.N. | Post | Sub./Qualification | Post |
|---|---|---|---|
| 1. | Principal | University Norm | 02 |
| 2. | Asst. Professor | Seed Technology | 02 |
| 3. | Asst. Professor | Management | 02 |
| 4. | Asst. Professor | Computers | 02 |
| 5. | Asst. Professor | Physics | 02 |
| 6. | Asst. Professor | Chemistry | 02 |
| 7. | Asst. Professor | Mathematics | 02 |
| 8. | Asst. Professor | Botany | 02 |
| 9. | Asst. Professor | Accounts | 02 |
| 10. | Asst. Professor | Taxation | 02 |
| 11. | Asst. Professor | History | 02 |
| 12. | Asst. Professor | Poli. Science | 02 |
| 13. | Asst. Professor | Economics | 02 |

**Qualification :** As per U.G.C. Guidelines the application with complete details should reach the following address by e-mail by **12.01.2023.**
**Add : Indore Road, Harda**
**Email : holyfaithcollege.harda@gmail.com**

R-48046/2023 **Principal**

## मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

**कार्यालय परियोजना यंत्री, भदभदा रोड संभाग क्रमांक-03, भोपाल-462003**
**Mobile No. : 9425601545, ई-मेल : mpphidcbpl3@gmail.com**
**क्र.-मप्रपुआअविनि/04/पयं/भोपाल-03/तशा/2022-23 भोपाल, दि. : 02.01.2023**

### प्रेस विज्ञप्ति

भोपाल संभाग-3 के अंतर्गत निविदा क्रमांक-17/2022-23 (ऑनलाइन निविदा क्रमांक-241570) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 11.01.2023 सायं 5:00 बजे तक** ऑनलाइन खरीदे एवं दस्तावेज अपलोड किये जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/107931/48034/2023 **परियोजना यंत्री**

## मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

**कार्यालय परियोजना यंत्री, भदभदा रोड, संभाग क्रमांक-02, भोपाल**
**Mobile No. : 9425601534, ई-मेल : bhopaldivision2@gmail.com**
**क्र.- मप्रपुआअविनि/07-08/प.यं/भोपाल-02/तशा/23 भोपाल, दिनांक 03.01.23**

### प्रेस विज्ञप्ति

"सीएम राईज योजना अंतर्गत जिला भोपाल में (1) शासकीय कन्या उ.मा.वि. बरखेड़ी परिसर में स्थित बालक छात्रावास, स्टीमलेव एवं अन्य भवन का ध्वस्तीकरण कार्य तथा मलबे को हटाकर स्थल की साफ-सफाई का कार्य एवं (2) शासकीय कन्या उ.मा.वि. कमला नेहरू टी.टी. नगर भोपाल परिसर में स्थित पुराना नूतन सुभाष विद्यालय, लाईब्रेरी, स्टोर एवं अन्य संबंधित संरचनाओं का ध्वस्तीकरण कार्य तथा मलबे को हटाकर स्थल की साफ-सफाई के कार्य हेतु निविदा क्रमांक-12/2022-23 एवं निविदा क्रमांक-13/2022-23 ऑनलाइन निविदा क्रमांक-MPPHCL/TENDER No. 2023_MPPHC_241752_1 एवं 2023_MPPHC_241793_1 आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 10.01.2023 समय 5.00 बजे तक ऑनलाइन से खरीदे जा सकते हैं, विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/107951/48035/2023 **परियोजना यंत्री**

## MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

**(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)**
**5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopal (M.P.) 462011**
**(GST No. 23AAATM9054A3ZX)**
**No./378/22/D-12/MPRRDA/2023 Bhopal, Dated 05.01.2023**

### NOTICE INVITING TENDER No. 1051 (PMGSY-III, Batch-I Year 2021-22)

Online item rate Tenders for Construction/Up-gradation of Rural Roads/CDs with 5 years maintenance are invited on the E-Procurement System portal **https://www.pmgsytenders.gov.in** as detailed below :

- **Name of work** : Construction/Up-gradation of Rural Roads under PMGSY using "Full Depth Reclamation (FDR) by in-situ Stabilization using cement/cement with additives", including maintenance for Five Year after construction.

| S. No. | Name of District | No. of Packages | Total PAC (In Rs.) |
|---|---|---|---|
| 1. | Indore | 1 | 232832000.00 |

1. **Availability of Bid Documents and mode of submission :** The bid document is available online and should be submitted online in **www.pmgsytenders.gov.in**. The bidder would be required to register in the website which is free of cost. For submission of the bids, the bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities.
2. Bid document may be purchased online from **10.01.2023 (17:30 hrs.)** and last date for online bid submission is **27.01.2023 (17:00 hrs.)**
3. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document (June-2020) on the above-mentioned portal and concerned PIU.

**CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)**
M.P. Madhyam/108009/48043/2023

## म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल

**'चयन भवन' मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क ईस्ट, भोपाल-462011,**
**दूरभाष क्रमांक : 0755-2578801, 02**

### आम-सूचना

"सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा (समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3, स्टेनोटायपिस्ट, शीघ्रलेखक, व अन्य पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023) का आयोजन किया जाना है। उक्त परीक्षा बिना किसी विवाद के संचालित हो सके इस संबंध में बोर्ड द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, खंडपीठ इंदौर एवं खंडपीठ ग्वालियर म.प्र. के समक्ष केवियट दायर की जा रही है। यदि किसी अन्य द्वारा इस संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की जाती है तो इसकी एक प्रति बोर्ड के अधिवक्ता- (1) श्री राहुल दिवाकर अधिवक्ता-751 अग्रवाल कालोनी, जबलपुर (2) श्री कौस्तुभ पाठक अधिवक्ता-102 बी ब्लॉक प्रकृति कार्पोरेट 18/2 वाय.एन. रोड, इंदौर एवं (3) श्री प्रवीण नेवास्कर अधिवक्ता-के.ऑफ श्री के.एन. गुप्ता सीनियर एडवोकेट सरदार आंगरे का बाड़ा लाला का बाजार, लश्कर, ग्वालियर म.प्र. को उपलब्ध कराने का कष्ट करें"। विज्ञापन क्रमांक 42/2023

म.प्र. माध्यम/108003/48040/2023 **संचालक**

# मध्यप्रदेश को वर्ष 2022 में मिले अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार

**भोपाल**, वर्ष 2022 मध्यप्रदेश के लिए उल्लेखनीय उपलब्धियों वाला वर्ष रहा है। इस वर्ष कई क्षेत्रों में मध्यप्रदेश ने देश में अग्रणी रहने का गौरव और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश को 16 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में इंदौर लगातार छठी बार देश का नंबर वन शहर बना। मध्यप्रदेश स्वच्छता में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। प्रदेश के इंदौर नगर को 7 स्टार रेटिंग मिली, वहीं 99 अन्य नगरीय निकायों को स्टार रेटिंग प्राप्त हुई। कृषि अधोसंरचना निधि के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। खनिज क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश को 7 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी। वर्ष 2022 में प्रदेश का बुरहानपुर जिला जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल सर्टिफाइड जिला बना। मध्यप्रदेश को नशामुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। राज्य को इस वर्ष 8 नेशनल टूरिज्म अवॉर्ड और साथ ही मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवॉर्ड भी प्राप्त हुआ। मध्यप्रदेश को आयुष्मान भारत योजना में नवाचार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला।

## मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

**कार्यालय परियोजना यंत्री, भदभदा रोड, संभाग क्रमांक-02, भोपाल**
**Mobile No. : 9425601534, ई-मेल : bhopaldivision2@gmail.com**
**क्र.- मप्रपुआअविनि/22/पयं/भोपाल-02/तशा/23 भोपाल, दिनांक : 05.01.23**

### प्रेस विज्ञप्ति

"138 आरक्षक आवास गृह पुलिस रेडियो कालोनी भोपाल में बाह्य विद्युतीकरण के कार्य हेतु निविदा क्रमांक-15/2022-23 ऑनलाइन निविदा क्रमांक - MPPHCL/TENDER No. - 2023_MPPHC_242237_1) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 10.01.2023 समय 5.00 बजे तक** ऑनलाइन से खरीदे जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/107999/48037/2023 **परियोजना यंत्री**

## म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

**कार्यालय परियोजना यंत्री, रीवा (म.प्र.)**
**फोन नं. : 9425601523/8871571988**

### प्रेस-विज्ञप्ति

संभाग रीवा के अंतर्गत बाह्य विद्युतीकरण कार्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नागौद जिला सतना के कार्य हेतु निविदा क्रमांक 17/2022-23 (ऑनलाइन निविदा क्रमांक MPPHC/TENDER No. 2023_MPPHC_242208_1) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 23.01.2023 समय 17:00 बजे तक** ऑनलाइन खरीदे एवं प्रस्तुत किये जा सकते हैं एवं निविदा सूचना व अन्य विवरण **Portal : http://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/108000/48037/2023 **परियोजना यंत्री**

## MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, BHOPAL M.P.-462 011
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)

### NOTICE INVITING TENDER No. 201/MTN/2023

No./442/22/D-12/NIT-Maint./2023 Bhopal, Dated : 06.01.2023

Online Tenders for the following works are invited on the E-Procurement System portal **https://mptenders.gov.in** as detailed below:

1. **Table No. 1 : Name of Work – REPAIR/MAINTENANCE OF THE RURAL ROADS FOR FIVE YEARS CONSTRUCTED UNDER PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJNA. (POST 5 YEAR)**

| S. No. | Name of District | No. of Packages | Total PAC (in Rs.) |
|---|---|---|---|
| 1. | Ashoknagar | 5 | 29093405.00 |
| 2. | Alirajpur | 1 | 16053466.00 |
| 3. | Balaghat | 1 | 10051724.00 |
| 4. | Barwani | 1 | 10233917.00 |
| 5. | Bhind | 3 | 13312236.00 |
| 6. | Betul | 2 | 28980338.00 |
| 7. | Bhopal | 1 | 1642000.00 |
| 8. | Datia | 3 | 39896453.00 |
| 9. | Dhar | 4 | 45540515.00 |
| 10. | Damoh | 2 | 15311850.00 |
| 11. | Dewas | 5 | 27913631.41 |
| 12. | Guna | 7 | 78265018.00 |
| 13. | Gwalior | 5 | 27006129.00 |
| 14. | Khandwa | 4 | 15996689.00 |
| 15. | Khargone | 1 | 8207298.00 |
| 16. | Narmadapuram | 3 | 46915577.00 |
| 17. | Rajgarh | 1 | 9183672.00 |
| 18. | Raisen | 7 | 41790317.00 |
| 19. | Rewa | 1 | 1914220.00 |
| 20. | Sagar | 8 | 58300595.00 |
| 21. | Satna | 1 | 5672956.00 |
| 22. | Seoni | 2 | 42263877.00 |
| 23. | Sheopur | 2 | 82247443.00 |
| 24. | Sehore | 1 | 3455596.00 |
| 25. | Shajapur | 1 | 8892500.00 |
| 26. | Singrauli | 1 | 12627260.00 |
| 27. | Ujjain | 1 | 2859202.00 |

2. **Table No. 2 : Name of Work – REPAIR/MAINTENANCE OF THE RURAL ROADS FOR FIVE YEARS CONSTRUCTED UNDER PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJNA. (POST 10 YEAR)**

| S. No. | Name of District | No. of Packages | Total PAC (in Rs.) |
|---|---|---|---|
| 1. | Alirajpur | 1 | 4074361.00 |
| 2. | Betul | 1 | 10177979.00 |
| 3. | Dhar | 2 | 43930807.00 |
| 4. | Guna | 1 | 24385206.00 |
| 5. | Harda | 2 | 26709924.00 |
| 6. | Khargone | 2 | 18084401.00 |
| 7. | Khandwa | 1 | 21690644.00 |
| 8. | Morena | 1 | 8835352.00 |
| 9. | Panna | 1 | 1771785.00 |
| 10. | Raisen | 3 | 23580425.00 |
| 11. | Sagar | 4 | 27357375.00 |
| 12. | Satna | 2 | 14724311.00 |
| 13. | Sehore | 1 | 4238709.00 |
| 14. | Shajapur | 3 | 30302872.00 |

3. **Table No. 3 : Name of Work – REPAIR/MAINTENANCE OF THE RURAL ROADS FOR FIVE YEARS CONSTRUCTED UNDER PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJNA. (POST 15 YEAR)**

| S. No. | Name of District | No. of Packages | Total PAC (in Rs.) |
|---|---|---|---|
| 1. | Betul | 1 | 7376829.00 |
| 2. | Dhar | 2 | 25861316.00 |
| 3. | Datia | 2 | 18696106.00 |
| 4. | Damoh | 2 | 38985500.00 |
| 5. | Harda | 2 | 27903561.00 |
| 6. | Khandwa | 2 | 19079940.00 |
| 7. | Panna | 1 | 9020393.00 |
| 8. | Rajgarh | 1 | 14695057.00 |
| 9. | Sehore | 1 | 12961413.00 |
| 10. | Vidisha | 1 | 23552965.00 |

1. Tender document can be purchased only online from the above website from **12.01.2023 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

**CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)**

M.P. Madhyam/108032/48048/2023



## कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति नसरूल्लागंज, जिला-सीहोर म.प्र.

क्र./मंडी/निर्माण/22-23/878 नसरूल्लागंज, दिनांक : 05.01.2023

### निविदा आमंत्रण सूचना

प्रमुख अभियंता म.प्र. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त (केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली) पंजीकृत निविदाकारों से प्रतिशत दर आधार पर सिस्टम निविदा क्रमांक 2023_MPSAM_242368_1, 2023_MPSAM_242370_1, 2023_MPSAM_242371_1, 2023_MPSAM_242372_1, 2023_MPSAM_242373_1, 2023_MPSAM_242374_1 के अन्तर्गत ऑनलाइन निविदायें **दिनांक 02.02.2023 को शाम 5:30 बजे तक** आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल **https://mptenders.gov.in** पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल **www.mpmandiboard.co.in** पर भी अवलोकनीय होगी।

**नोटः-** आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/108008/48042/2023 **सचिव**



## MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopal M.P. – 462 011

### IFB No. - WB –55/1050

No./331/FA/WB/CMGSY/2023 Bhopal, Dated : 05.01.2023

Online item rate bids are invited on e-procurement portal **https://www.mptenders.gov.in** for construction and up-gradation of Rural Roads of Gravel Standard Constructed under CMGSY to Black top Standards under World Bank and AIIB Financed MPRC Project P-157054, as under :

| S. No. | Name of District | Number of Packages | No. of Roads | Total Estimated Cost (In Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Narsinghpur | 1 | 4 | 19123000.00 |

1. Tender document can be purchased only online from the above website **from 06.01.2023 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed IFB and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

**CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)**

M.P. Madhyam/108002/48039/2023



## SHRI VAISHNAV INSTITUTE OF MANAGEMENT, INDORE

Approved by AICTE, Affiliated to DAVV, Indore and RGPV, Bhopal (M.P.)
UGC - NAAC accredited 'A' Grade Institute

**REQUIRES**

### ASSISTANT PROFESSOR

Hospital Administration, Foreign Trade, Bioinformatics, Biotechnology, Chemistry, English and Yoga Teacher.

**Eligibility:** As per UGC/AICTE norms for all the positions.

### SOFT SKILLS TRAINER

Professionally qualified having minimum 5 years experience in grooming the students for a successful career. The candidate should be a post graduate with good academic record in relevant discipline.

**Salary:** As per UGC norms

Interested candidates may send application on email: recruitments@svimi.org along with resume, photo and testimonials and send the same in hard copy (Compulsory) on Institute's address within 15 days of publication of advertisement.

**Scheme No. 71, Gumasta Nagar, INDORE-452 009**
**0731-2780011, 2789925**

**Note:** Applications of the candidates who have applied earlier will not be considered.

deepak

R-48044/2023


## जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना 2030 तैयार करने में मध्यप्रदेश अग्रणी

**भोपाल**, पर्यावरण विभाग ने केंद्रित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा जारी मार्ग दर्शिका के अनुसार भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कम करने के लक्ष्यों पर त्वरित गति से कार्ययोजना बनाकर अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को भेजी है। कार्य-योजना वर्ष 2030 तक की समयावधि के लिए तैयार की गई है। इसमें 103 रणनीति और 406 कार्य बिंदु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति से अनुमोदन के बाद केंद्र सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि पर्यावरण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश जलवायु परिवर्तन कार्य-योजना (MP SAPCC v 2.0) तैयार किया गया है। भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लक्ष्यों और सतत विकास लक्ष्यों को केन्द्रित करते हुए राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना का दूसरा संस्करण बनाया गया है। कार्ययोजना बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर जलवायु परिवर्तन से जुड़े विभिन्न विषयों से जुड़ें विशेषज्ञों को शामिल किया गया।


## मान ग्रुप ऑफ कॉलेज

सुल्तानिया रोड, स्टेट बैंक चौराहे के पास, भोपाल–462001
इन्द्र विहार कालोनी, एयरपोर्ट रोड़, भोपाल–462032
Tel. No. 9425010770, 9425605962

इंडियन नर्सिंग कांउसिल, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कांउसिल, भोपाल, म.प्र. पैरामेडिकल कांउसिल, म.प्र. मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय, जबलपुर एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. से मान्यता प्राप्त

### प्रवेश जारी सत्र 2022-23

| क्र. | पाठ्यक्रम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | मास्टर ऑफ नर्सिंग (एम.एस.सी नर्सिंग)– योग्यता बी.एस.सी. नर्सिंग | 2 वर्ष |
| 2. | मास्टर ऑफ मेडिकल लेब टेक्निशियन (एम.एम.एल.टी.) योग्यता बी.एम.एल.टी. | 2 वर्ष |
| 3. | बैचलर इन फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी.)– 6 माह इंटर्नशिप | 4½ वर्ष |
| 4. | बी एस, सी इन एक्स–रे (बी.एक्स.आर.टी) | 3 वर्ष |
| 5. | डिप्लोमा इन मेडिकल लेब टेक्निशियन (डी.एम.एल.टी.) | 2 वर्ष |
| 6. | सर्टिफिकेट इन एक्स–रे रेडियोग्राफर टेक्निशियन | 1 वर्ष |

क्रमांक 3 से क्रमांक 6 के लिए योग्यता 12वीं जीव विज्ञान विषय से। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिये शासन अनुसार छात्रवृत्ति की सुविधा।

LAKECITY

R-48049/2023


उपलब्धियों और नवाचारों का एक वर्ष

# प्रदेश में गांव बन रहे हैं आत्मनिर्भर और महिलाएं स्वावलंबी

**भोपाल**, मध्यप्रदेश के गांवों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। एक ओर जहां गांवों में अच्छी अधोसंरचना विकसित हो रही है, वहीं सबको बुनियादी सुविधाओं युक्त आवास, हर घर नल से जल और हर हाथ को काम मिल रहा है। स्वच्छता में प्रदेश के गांव अब शहरों को पीछे छोड़ रहे हैं। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र जो विकास की तेज रफ्तार में पीछे रह गए थे, को पेसा एक्ट लागू कर मुख्य धारा में लाया गया है।

यह सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजनरी नेतृत्व और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के अनवरत प्रयासों से।

प्रदेश की ग्रामीण आत्मनिर्भरता और सर्वांगीण विकास का सबसे सुखद पहलू यह है कि यहां राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से महिलाएं पारिवारिक और ग्रामीण स्वावलंबन का जरिया बन रही हैं। ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं के सशक्त स्व-सहायता समूह बनाये जाकर उनका संस्थागत विकास तथा आजीविका के संवहनीय अवसर उपलब्ध कराने के लिये 313 विकासखण्डों में सघन रूप से मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब तक 53 हजार 50 समूहों से 5 लाख 31 हजार परिवारों को जोड़ा जा चुका है। समूहों से जुड़े परिवारों में से इस वर्ष अब तक लगभग 3 लाख 20 हजार परिवारों को कृषि एवं पशुपालन आजीविका गतिविधियों और 22 हजार समूह की महिलाओं को गैर कृषि आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है। चालू माली साल में स्व-सहायता समूहों को बैंकों के माध्यम से 94 हजार 795 प्रकरणों में 1 हजार 416 करोड़ रुपये का ऋण दिलाया गया है।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटर शेड विकास, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, सबकी योजना-सबका विकास जन अभियान, ग्रामीण पर्यटन योजना आदि से प्रदेश के गांवों में अच्छी अधोसंरचना विकसित हो रही है। इस वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग 1, 2, 3 में वार्षिक भौतिक लक्ष्य 4 हजार किमी के विरुद्ध माह नवम्बर 2022 तक 1 हजार 190 करोड़ रुपये व्यय करते हुए 2 हजार 19 किमी सड़कों एवं 106 पुलों का निर्माण किया गया।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, प्रदेश के 15 जिलों की 166 ग्राम पंचायतों के 336 ग्रामों में लागू है। मिशन में चिन्हित रूर्बन घटकों जैसे पाइप द्वारा जलापूर्ति, कौशल विकास, कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि सेवा और वेयरहाउसिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, विद्यालयों की अधोसंरचना एवं शिक्षा सुविधाओं का उन्नयन, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक परिवहन, एलपीजी गैस कनेक्शन, डिजिटल साक्षरता, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नागरिक सेवाएँ उपलब्ध कराना/ई-ग्राम कनेक्टिविटी के लिए सिटीजन सर्विस सेंटर जैसे कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जा रहे हैं। चयनित रूर्बन संकुलों में 199 करोड़ 77 लाख करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत होकर संचालित किये जा रहे हैं।

प्रदेश के गांवों में हर हाथ को काम दिलाया जा रहा है। वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा में 66 लाख 88 हजार सक्रिय जॉब कार्ड धारी परिवार हैं और 1 करोड़ 19 लाख मजदूर हैं। इस वर्ष विगत 9 माह में 40 लाख 74 हजार से अधिक परिवारों को रोज़गार उपलब्ध कराया गया। इसमें 62 हजार से अधिक 425 परिवारों ने 100 दिवस का रोज़गार प्राप्त किया। इस वर्ष अभी तक करीब साढ़े 18 करोड़ से अधिक मानव दिवस का सृजन हुआ है। अनुसूचित जनजाति के परिवारों को मनरेगा से रोज़गार उपलब्ध कराने में मध्यप्रदेश पूरे देश में अग्रणी स्थान पर रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 13 लाख 38 हजार अनुसूचित जनजाति के परिवारों को 5 करोड़ 86 लाख मानव दिवस से अधिक का रोज़गार उपलब्ध कराया गया, जो कुल मानव दिवस का 32 प्रतिशत है। रोज़गार मेलों और रोज़गारोन्मुखी प्रशिक्षण से 60 हजार से अधिक युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराये गये।

# विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये महत्वपूर्ण प्रश्न

# सामान्य ज्ञान

1. **निम्नलिखित में से कौनसा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपसमूह है?**
(अ) मलेशिया
(ब) दमन व दीव
(स) इंडोनेशिया
(द) इनमें से कोई नहीं
**उत्तर- (स) इंडोनेशिया**

2. **बंगाल का शोक किसको कहा जाता है?**
(अ) गंडक (ब) गंगा
(स) दामोदर (द) कोसी
**उत्तर- (स) दामोदर**

3. **भूकम्प की तीव्रता को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है?**
(अ) स्टेनोग्राफ
(ब) रिक्टर स्केल
(स) ऑडियोग्राफ
(द) इनमें से कोई नहीं
**उत्तर- (ब) रिक्टर स्केल**

4. **कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती?**
(अ) बांग्लादेश (ब) चीन
(स) भारत (द) नेपाल
**उत्तर- (द) नेपाल**

5. **राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई?**
(अ) 6 अगस्त, 1952
(ब) 9 अगस्त, 1951
(स) 6 अगस्त, 1951
(द) 9 अगस्त, 1952
**उत्तर- (अ) 6 अगस्त, 1952**

6. **शुष्क वन अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहां स्थित है?**
(अ) रायबरेली
(ब) चित्तौड़गढ़
(स) लखनऊ
(द) जोधपुर
**उत्तर- (द) जोधपुर**

7. **'शून्य मील केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर को कहा जाता है?**
(अ) तमिलनाडु (ब) नागपुर
(स) भोपाल (द) जबलपुर
**उत्तर- (ब) नागपुर**

8. **निम्न में कौन से संत मोची का कार्य करते थे?**
(अ) तुलसीदास (ब) सूरदास
(स) रैदास (द) मलूकदास
**उत्तर- (स) रैदास**

9. **भारत में वाणिज्यिक बैंकों की उनकी उत्कृष्टता पर कितना खर्चा करना होता है?**
(अ) 25% (ब) 30%
(स) 40% (द) 45%
**उत्तर- (स) 40%**

10. **भारत में फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट किसे कहा जाता है?**
(अ) NGOS
(ब) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
(स) वाणिज्यिक बैंक
(द) इनमें से कोई नहीं
**उत्तर- (स) वाणिज्यिक बैंक**

11. **न्गुलट्रम किस देश की मुद्रा है?**
(अ) नेपाल (ब) भूटान
(स) पाकिस्तान (द) चीन
**उत्तर- (ब) भूटान**

12. **राष्ट्रीय आवास बैंक किसका 100% नियंत्रित उपक्रम है?**
(अ) RBI (ब) SBI
(स) ICICI (द) HDOC
**उत्तर- (अ) RBI**
**व्याख्या-** राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 9 जुलाई, 1988 में हुई।

13. **निम्न में से मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं है?**
(अ) जीवन प्रत्याशा
(ब) शिक्षा
(स) प्रति व्यक्ति आय
(द) सामाजिक असमानता
**उत्तर- (द) सामाजिक असमानता**

14. **भारतीय रुपये के लिए ISO कोड क्या है?**
(अ) ISO 15000
(ब) ISO 4217
(स) ISO 9001
(द) ISO 19001
**उत्तर- (ब) ISO 4217**

15. **लावी मेला कहां आयोजित होता है?**
(अ) उत्तराखंड
(ब) हिमाचलप्रदेश
(स) झारखंड
(द) उत्तरप्रदेश
**उत्तर- (ब) हिमाचलप्रदेश**

16. **निम्नलिखित में से चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौनसी है?**
(अ) मुरूगन (ब) नटराज
(स) वेंकटेश्वर (द) विष्णु
**उत्तर- (ब) नटराज**

17. **वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवॉर्ड निम्नलिखित में से किसको मिला?**
(अ) पेरिस (ब) बोगोटा
(स) हैदराबाद (द) केरल
**उत्तर- (स) हैदराबाद**
**व्याख्या-** हैदराबाद को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स (AIPH) द्वारा दिया गया जो कि दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित हुआ।

18. **पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस प्रदेश में किया जाना है?**
(अ) उत्तरप्रदेश (ब) सिक्किम
(स) मध्यप्रदेश (द) राजस्थान
**उत्तर- (स) मध्यप्रदेश**

19. **गंगैकोंड चोलपुरम् की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की?**
(अ) राजराज चोल
(ब) राजेन्द्र चोल I
(स) महेन्द्र वर्मन - I
(द) महेन्द्र वर्मन - II
**उत्तर- (ब) राजेन्द्र चोल I**

20. **भुवन चक्षु किससे संबंधित था?**
(अ) पृथ्वी (ब) अग्नि
(स) जंगल (द) चंद्रमा
**उत्तर- (ब) अग्नि**

21. **नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई?**
(अ) स्कंदगुप्त (ब) कुमारगुप्त
(स) समुद्रगुप्त (द) चंद्रगुप्त-I
**उत्तर- (ब) कुमारगुप्त**

22. **निम्नलिखित में से कौनसा मिलान सही नहीं है?**
(1) तक्षशिला - गांधार
(2) विराटनगर - मत्स्य
(3) सूरसेन - कौशाम्बी
(4) अंग - चंपा
(अ) 1 (ब) 2
(स) 3 (द) 4
**उत्तर- (स) 3**

23. **अशोक द्वारा तीसरी बौद्ध संगीति कहां आयोजित कराई गई?**
(अ) मगध (ब) कुण्डलवन
(स) राजगृह (द) पाटलिपुत्र
**उत्तर- (द) पाटलिपुत्र**

24. **वैदिक युग में निम्नलिखित में से किस विवाह में एक लड़की को उसके पिता ने एक ऋषि को दिया था?**
(अ) ब्रह्म विवाह (ब) दैव विवाह
(स) अर्श विवाह (द) गंधर्व विवाह
**उत्तर- (स) अर्श विवाह**

25. **निम्नलिखित में से किस भटकते हुए तपस्वी के साथ बुद्ध ने तपस्या की थी?**
(1) कौडिन्य (2) भद्रिक
(3) वप्र (4) महानाम
(अ) केवल 1 (ब) 1 व 2
(स) केवल 3 (द) उपरोक्त सभी
**उत्तर- (द) उपरोक्त सभी**

26. **निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किये गये ?**
(अ) इंडो यूनानी (ब) प्रतिहार
(स) शक (द) पर्शियन
**उत्तर- (अ) इंडो यूनानी**

27. **निम्नलिखित में से प्रमुख भूमध्य रेखीय फसल कौनसी है?**
(अ) केला (ब) रबड़
(स) नारियल (द) ताड़
**उत्तर- (अ) केला**

28. **भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौनसा है?**
(अ) तमिलनाडु (ब) आंध्रप्रदेश
(स) कर्नाटक (द) केरल
**उत्तर- (स) कर्नाटक**

29. **अरनमुला कन्नड़ी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है**
(अ) मिठाई
(ब) हस्तशिल्प
(स) सॉफ्टड्रिंक
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं
**उत्तर- (ब) हस्तशिल्प**

30. **निम्नलिखित में से गलत जोड़ा कौनसा है?**
(1) सुखना झील - चंडीगढ़
(2) वंडूर बीच - अंडमान व निकोबार
(3) बंगाराम बीच - लक्षद्वीप
(4) देवका बीच - गोवा
(अ) 1 (ब) 2
(स) 3 (द) 4
**उत्तर- (द) 4**

31. **भारत का पावरहाउस किसे कहा जाता है?**
(अ) राजस्थान
(ब) महाराष्ट्र
(स) उत्तरपूर्वी भारत
(द) उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड
**उत्तर- (स) उत्तरपूर्वी भारत**

32. **भारतीय फसल प्रसंस्करण तकनीक संस्थान किस स्थान पर स्थित है?**
(अ) मदुरै (ब) कोच्चि
(स) अठी (द) तंजावुर
**उत्तर- (द) तंजावुर**
**व्याख्या-** भारतीय फसल प्रसंस्करण तकनीक संस्थान को अब बदलकर भारतीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीक संस्थान रखा गया है।

33. **जाखम बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?**
(अ) गुजरात (ब) राजस्थान
(स) उत्तरप्रदेश (द) मध्यप्रदेश
**उत्तर- (ब) राजस्थान**
**व्याख्या-** जाखम बांध राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इस बांध का निर्माण 1986 में पूरा हुआ था।

34. **निम्नलिखित में से कौन से राज्य का पिनकोड का पहला अंक गलत है?**
(अ) राजस्थान 3 (ब) आंध्रप्रदेश 5
(स) गोवा 4 (द) सिक्किम 8
**उत्तर- (द) सिक्किम 8**
**व्याख्या-** सिक्किम का पिनकोड 7 से शुरू होता है।

35. **भारतीय वायु सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां स्थित है?**
(अ) गुवाहाटी (ब) शिलांग
(स) कलकत्ता (द) ईटानगर
**उत्तर- (ब) शिलांग**
**व्याख्या-** भारतीय वायु सेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय मेघालय के शिलांग में स्थित है। पूर्वी कमांड की स्थापना 1985 में की गई।

36. **निम्नलिखित में से किस नहर को सतलज और व्यास नदी से जल प्राप्त होता है?**
(अ) बर्किंघम नहर
(ब) इंदिरा गांधी नहर
(स) सेतु नहर
(द) गंगा नहर
**उत्तर- (ब) इंदिरा गांधी नहर**
**व्याख्या-** इंदिरा गांधी नहर भारत की बड़ी नहरों में से एक है। इस नहर की पहली स्टेज 1983 में बन कर तैयार हुई।

37. **करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित है?**
(अ) मध्यप्रदेश (ब) तमिलनाडु
(स) उत्तरप्रदेश (द) गुजरात
**उत्तर- (अ) मध्यप्रदेश**

38. **हिंडोला महल मध्यप्रदेश के किस जिले में स्थित है?**
(अ) धार (ब) छतरपुर
(स) इंदौर (द) झाबुआ
**उत्तर- (अ) धार**

39. **आसियान में कुल कितने सदस्य हैं?**
(अ) 10 (ब) 11
(स) 13 (द) 9
**उत्तर- (अ) 10**

40. **नवम्बर में आयोजित "No Money for Terror" सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की?**
(अ) चीन
(ब) अमेरिका
(स) भारत
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं
**उत्तर- (स) भारत**
**व्याख्या-** NMFT इस वर्ष 18 और 19 नवम्बर को दिल्ली में आयोजित की गई। इस सम्मेलन का उदेश्य आतंकवाद के वित्त-पोषण का मुकाबला करने पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के लिए मंच तैयार करना है।

41. **सतीपति सम्प्रदाय निम्नलिखित में से कहां का आदिवासी समुदाय है?**
(अ) मध्यप्रदेश (ब) गुजरात
(स) राजस्थान (द) उत्तरप्रदेश
**उत्तर- (ब) गुजरात**

42. **संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है?**
(अ) हिन्दू (ब) बौद्ध
(स) सिख (द) जैन
**उत्तर- (द) जैन**

- पूर्वी जैन
(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी विषयों पर लेखन करते हैं)

## भारतीय खोज के कारण दुनिया कर रही है उन्नति

**भोपाल,** भारत युवाओं का देश है। युवाओं के सम्पूर्ण विकास और उनकी व्यापक सहभागिता के लिये राज्य शासन ने मध्यप्रदेश युवा नीति बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि युवा नीति युवाओं के सुझाव से ही बने। ये बातें उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव ने भोपाल स्थित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में मध्यप्रदेश युवा नीति के संदर्भ में युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहीं।

डॉ. यादव ने विभिन्न ऐतिहासिक उदाहरण देकर भारत की परम्परा और संस्कृति को सुदृढ़ बताते हुए कहा कि भारतीय खोज के कारण आज दुनिया उन्नति कर रही है। उन्होंने कहा कि 'शून्य' और 'दशमलव' भारत की खोज है। इनके बगैर किसी भी चीज की गणना मुश्किल है।

उच्च शिक्षा मंत्री कहा कि युवा नीति के लिये हर स्तर पर विचार मंथन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश युवा नीति को स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू किया जायेगा। युवा नीति नई पीढ़ी के समग्र विकास के लिये महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

## जनता की सहभागिता से तैयार होगा बजट - वित्त मंत्री

**भोपाल,** वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि देश की पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में मध्यप्रदेश का अधिकाधिक योगदान रहेगा। इसके लिये वर्ष 2023-24 का बजट बनाने में नागरिकों से भी सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। श्री देवड़ा ने कहा कि प्रदेश में शासन एवं संबंधित संस्थानों में एक लाख से अधिक पदों की पूर्ति की जाना लक्षित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य में मध्यप्रदेश भी 550 बिलियन डॉलर का योगदान देने के लिए संकल्पित है।

श्री देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ रोज़गार के नये अवसर दिये जा रहे हैं। प्रदेश के समग्र विकास और आम नागरिकों का जीवन खुशहाल बनाने, विकास की गति सतत बनाये रखने, आधारभूत सुविधाओं का विकास और सभी वर्गों के कल्याण के लिये बजट निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें सभी नागरिकों की भागीदारी और उनकी महत्वाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति होना चाहिए।

वित्त मंत्री ने कहा कि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के वर्ष 2023-24 के बजट को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों से प्राप्त सुझावों, मार्गदर्शन, प्राथमिकताओं आदि से प्रदेश का बजट, सर्वांगीण विकास की दिशा में बढ़ाया गया एक अहम कदम साबित होगा।

MPMYGov द्वारा नागरिकों को सुझाव, मार्गदर्शन आमंत्रित किए गए हैं। सुझाव 26 जनवरी, 2023 तक उपलब्ध कराये जा सकते हैं। सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला पिनकोड भी अंकित करने का आग्रह किया गया है। मुख्य रूप से शिक्षा, रोज़गार, कृषि, उद्योग, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, सड़क, अधोसंरचना, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कल्याण, राजस्व संग्रहण, प्रशासनिक सुधार एवं अन्य विषयों पर सुझाव आमंत्रित किये गये हैं।

# केंद्र सरकार के प्रयासों से प्राकृतिक खेती को मिल रहा है बढ़ावा

प्राकृतिक खेती एक रासायनिक मुक्त कृषि प्रणाली है, जो पारिस्थितिकी, संसाधन रीसाइक्लिंग और ऑन-फार्म संसाधन अनुकूलन की आधुनिक समझ से समृद्ध है। इसे कृषि पारिस्थितिकी आधारित विविध कृषि प्रणाली के रूप में माना जाता है, जो कार्यात्मक जैव विविधता के साथ फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करती है। यह बड़े पैमाने पर ऑन-फार्म बायोमास रीसाइक्लिंग पर आधारित है, जिसमें बायोमास मल्चिंग, ऑन-फार्म गाय के गोबर-मूत्र फॉर्मूलेशन के उपयोग पर प्रमुख जोर दिया जाता है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने पर भी काम किया जाता है। प्राकृतिक खेती में केवल प्राकृतिक आदानों का उपयोग होता है। केंद्र सरकार लगातार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। केंद्र सरकार ने 2019-2020 से परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) नामक एक उप-मिशन के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। अब तक लगभग 409 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) के अंतर्गत लाया गया है।

### बीपीकेपी क्या है?

भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) का उद्देश्य पारंपरिक स्वदेशी पद्धतियों को बढ़ावा देना है, जो किसानों को बाहरी रूप से खरीदे गए उत्पादों से मुक्ति दिलाती है। यह बायोमास मल्चिंग पर मुख्य रूप से जोर देते हुए ऑन-फार्म बायोमास रीसाइक्लिंग; गोबर-मूत्र मिश्रणों का उपयोग और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी सिंथेटिक रासायनिक आदानों के बहिष्करण पर केंद्रित है। केंद्र प्रायोजित इस योजना का लक्ष्य किसान के लाभ को बढ़ाना, गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता और मिट्टी की उर्वरता और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली करने के साथ-साथ रोज़गार सृजन और ग्रामीण विकास में योगदान करना है।

### प्राकृतिक खेती की जरूरत क्यों है?

प्राकृतिक खेती एक पारिस्थितिक कृषि दृष्टिकोण है, जहां कृषि प्रणाली प्राकृतिक जैव विविधता के साथ काम करती है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की पैदावार अच्छी होती है और मुनाफा भी ज्यादा होता है। चूंकि प्राकृतिक खेती में किसी भी सिंथेटिक रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए स्वास्थ्य जोखिम और खतरे समाप्त हो जाते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। इससे मिट्टी में पाए जाने वाले रोगाणुओं और अन्य जीवित जीवों जैसे केंचुओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। केमिकल युक्त कृषि करने से मिट्टी में रहने वाले जीवों की मृत्यु हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि हरित क्रांति प्रौद्योगिकियों ने भारतीय कृषि को निर्वाह से कई गुना अधिक उत्पादक उद्यम में बदल दिया है। लेकिन रासायनिक आदानों (उर्वरक, कीटनाशक और हार्मोन) के अंधाधुंध उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता में गिरावट आई, प्राकृतिक संसाधनों में कमी आई और पर्यावरण, पानी, भोजन में प्रदूषण हुआ। इन सभी चिंताओं ने वैकल्पिक कृषि प्रणालियों की खोज की आवश्यकता को रेखांकित किया है, जो टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल, गैर-अपमानजनक, गैर-दूषित हैं और नागरिकों को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन के साथ-साथ किसानों को बेहतर आय के अवसर प्रदान करती है। इसीलिए केंद्र सरकार भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और इस खेती को प्रोत्साहित करने के लिए तत्पर है।

### केंद्र सरकार के प्रयास

भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) के तहत, 500 हेक्टेयर के क्लस्टर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें तीन साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें डीबीटी के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 2000 रुपये भेजे जाते हैं। बीपीकेपी के तहत, प्राकृतिक कृषि उत्पादों की मार्केटिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए, तीन साल के लिए पीजीएस सर्टिफिकेट और अवशिष्ट विश्लेषण के लिए 2700 रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाते हैं। किसान प्राकृतिक कृषि उत्पादों की मार्केटिंग, मूल्य संवर्धन और प्रचार के लिए पीकेवीवाई निधियों से 3 वर्षों के लिए 8800 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को प्रेस और प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार, पत्रिकाओं/पुस्तिकाओं के प्रकाशन, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, किसान मेलों, राज्य/भारत सरकार के वेब पोर्टलों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार करके प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

### किसानों को प्रशिक्षण

कृषि और किसान कल्याण विभाग, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान और राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र के माध्यम से प्राकृतिक खेती की तकनीकों के बारे में ट्रेनरों और किसानों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण से ग्राम-प्रधान जैसे जनप्रतिनिधि भी प्राकृतिक खेती की तकनीक और लाभों के बारे में जागरूक हुए हैं। इस प्रशिक्षण की अध्ययन सामग्री 22 क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार की गई है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान के माध्यम से 56 हजार से ज्यादा ग्राम प्रधानों के लिए प्राकृतिक खेती पर 900 से ज्यादा प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने प्राकृतिक कृषि के लाभों को दर्शाने के लिए 400 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्रों में प्रदर्शनी के अलावा प्राकृतिक कृषि तकनीकों को सिद्ध के लिए कई स्थानों पर अनुसंधान शुरू किया है।

### डिजिटल वेब पोर्टल

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल वेब पोर्टल (naturalfarming.dac.gov.in) शुरू किया गया है जो कार्यान्वयन ढांचे, संसाधनों, कार्यान्वयन की प्रगति, किसान पंजीकरण, ब्लॉग आदि के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है।

### प्राकृतिक खेती के फायदे

प्राकृतिक खेती का उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करना, विविधता को बनाए रखना, पशु कल्याण सुनिश्चित करना, प्राकृतिक/स्थानीय संसाधनों के कुशल उपयोग पर जोर देना और पारिस्थितिक निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। प्राकृतिक खेती एक पारिस्थितिक कृषि दृष्टिकोण है जहां कृषि प्रणाली प्राकृतिक जैव विविधता के साथ काम करती है। मिट्टी की जैविक गतिविधि को प्रोत्साहित करती है और खाद्य उत्पादन प्रणाली के साथ-साथ पौधों और जानवरों दोनों के जीवित जीवों की जटिलता का प्रबंधन करती है।

**प्राकृतिक कृषि निम्न उद्देश्य की पूर्ति करती है :-**

- **उपज में सुधार :** प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की पैदावार पारंपरिक खेती करने वाले किसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा है और उनका मुनाफा की परंपरागत कृषि करने वाले किसानों से ज्यादा दर्ज किया गया है। कई मामलों में, प्रति फसल अधिक पैदावार भी दर्ज की गई।
- **बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना :** चूंकि प्राकृतिक खेती में किसी भी सिंथेटिक रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए स्वास्थ्य जोखिम और खतरे समाप्त हो जाते हैं। भोजन में उच्च पोषण घनत्व होता है और इसलिए यह बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है।
- **पर्यावरण संरक्षण :** प्राकृतिक खेती बेहतर मृदा जीव विज्ञान, बेहतर कृषि जैव विविधता और बहुत छोटे कार्बन और नाइट्रोजन पदचिह्नों के साथ पानी का अधिक विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करती है।
- **किसानों की आय में वृद्धि :** प्राकृतिक खेती का उद्देश्य लागत में कमी, कम जोखिम, समान पैदावार, अंतर-फसल से होने वाली आय के कारण किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि करके खेती को व्यवहार्य और महत्वाकांक्षी बनाना है।
- **रोज़गार सृजन :** प्राकृतिक खेती इनपुट उद्यमों, मूल्यवर्धन, स्थानीय क्षेत्रों में विपणन आदि के कारण यह खेती रोज़गार पैदा करती है। प्राकृतिक खेती से अधिशेष गांव में ही निवेश किया जाता है।
- **कम पानी की खपत :** वाष्पीकरण के माध्यम से अनावश्यक पानी के नुकसान को रोकने के लिए इसमें मिट्टी को कवर करते हैं, प्राकृतिक खेती 'प्रति बूंद फसल' की मात्रा का अनुकूलन करती है।
- **उत्पादन की न्यूनतम लागत :** प्राकृतिक खेती का उद्देश्य किसानों को ऑन-फार्म, प्राकृतिक और घरेलू संसाधनों का उपयोग करके आवश्यक जैविक इनपुट तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करके उत्पादन लागत में भारी कटौती करता है।
- **सिंथेटिक रासायनिक प्रयोग की समाप्ति:** कृत्रिम उर्वरकों, विशेष रूप से यूरिया, कीटनाशकों, खरपतवारनाशी आदि के अति प्रयोग से मिट्टी के जैविक कार्बन और उर्वरता के बाद के नुकसान के साथ मिट्टी की जीव विज्ञान और मिट्टी की संरचना बदल जाती है ऐसे में प्राकृतिक कृषि में सिंथेटिक रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता।
- **मृदा स्वास्थ्य को फिर से जीवंत करना:** प्राकृतिक खेती का सबसे तात्कालिक प्रभाव मिट्टी के जीव विज्ञान पर पड़ता है। रोगाणुओं और अन्य जीवित जीवों जैसे केंचुओं पर प्राकृतिक कृषि के सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।
- **पशुधन स्थिरता :** कृषि प्रणाली में पशुधन का एकीकरण प्राकृतिक खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने में मदद करता है। जीवामृत और बीजामृत जैसे पर्यावरण के अनुकूल जैव-आदान गाय के गोबर और मूत्र और अन्य प्राकृतिक उत्पादों से तैयार किए जाते हैं।

**- रश्मि रंजन**

**(लेखिका, समसामयिक मुद्दों पर लेखन करती हैं।)**

---

मध्यप्रदेश के जिलों को जानिए

# चंदेरी साड़ियों के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध है अशोकनगर जिला

अशोकनगर, मध्यप्रदेश के ग्वालियर संभाग का एक जिला है। यह जिला मध्यप्रदेश के शिवपुरी, गुना, विदिशा और सागर जिले की सीमा से घिरा हुआ है। उत्तरप्रदेश की सीमा भी इसे छूती है। अशोकनगर भारत के बीचों-बीच स्थित है। जिले की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं नदियों के द्वारा अन्य जिलों की सीमाओं से विभक्त हैं, बेतवा नदी जिले के पूर्वी भाग में बहती है तथा सिन्ध नदी, मुख्य नदी के रूप में पश्चिमी सीमा के साथ बह रही है। अशोकनगर पूर्व में पछार के नाम से जाना जाता था। 2003 तक अशोकनगर, मध्यप्रदेश के गुना जिले का एक हिस्सा था। 15 अगस्त, 2003 को अशोकनगर को अलग जिला घोषित किया गया।

यह जिला देशभर में बड़ी अनाज मंडी और शरबती गेहूं के लिए जाना जाता है। जिले की चंदेरी तहसील में बनने वाली साड़ियों के कारण यह जिला देश-विदेश में साड़ी उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है।

### इतिहास

इस जिले का इतिहास महाभारत तथा मौर्यकाल से जुड़ा है। वर्तमान अशोकनगर जिले का क्षेत्र महाभारत काल में शिशुपाल के चेदि राज्य का हिस्सा था एवं जनपद काल में चेदि जनपद था। इसके बाद मध्ययुगीन काल में चंदेरी राज्य का हिस्सा था। छठवीं शताब्दी ई. पूर्व में चंदेरी क्षेत्र (अशोकनगर जिले का क्षेत्र) अवंती, दर्शाण एवं चेदि जनपदों में आता था, जो कि नन्द, मौर्य, शुंग एवं मगध राज्यों का भाग रहा था।

यह माना जाता है कि महान सम्राट अशोक, उज्जैन को जीतकर जाते समय एक रात क्षेत्र में रुके थे इसलिए इस क्षेत्र का नाम अशोकनगर पड़ा। मगध, नाग, शुंग और शकों ने यहां शासन किया। इसके बाद यह क्षेत्र गुप्त एवं मौखारी के शासन के पश्चात हर्षवर्धन साम्राज्य का हिस्सा बना। 8वीं-9वीं शताब्दी ई. में यह प्रतिहार राजपूत वंश के अधीन हो गया। प्रतिहार राजवंश के 7वें वंशज राजा कीर्तिपाल ने 10वीं-11वीं शताब्दी ई. में चंदेरी शहर की स्थापना की एवं इसे अपने राज्य की राजधानी बनाया।

प्रतिहार वंश के पतन के बाद, जेजक चंदेलों ने भी यहां कुछ समय के लिए शासन किया। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के बार-बार आक्रमण से चंदेरी साम्राज्य भी प्रभावित हुआ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद तुर्क, अफगान और मुगलों ने इस पर शासन किया। चंदेरी के बुंदेला शासक मोरप्रहलाद के शासनकाल में ग्वालियर के शासक दौलतराव सिंधिया ने अपने सेनापति जॉन बैप्टिस्ट को चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। उसने चंदेरी, ईसागढ़ और आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया। चंदेरी के अंतिम बुंदेला शासक राजा मर्दन सिंह ने 1857-58 ई. में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सर्वोच्च बलिदान दिया।

### अर्थव्यवस्था

अशोकनगर जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहां अधिकतर व्यवसाय कृषि से ही जुड़े हुए हैं। इस जिले में मुख्य फसलें चावल, बाजरा, ज्वार, गेहूं, मक्का और जौ हैं। गन्ना, तिल और अलसी का उत्पादन भी यहां होता है।

यह जिला वस्त्र, मोटर वाहन, बर्तन, सीमेंट और सोने के गहने आदि के व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध है, यह एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है। अशोकनगर जिले की चंदेरी तहसील एक विश्व विख्यात ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है। यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय हस्तकला है। यहां बनने वाली साड़ियां, चंदेरी साड़ियों के नाम से दुनियाभर में पहचानी जाती हैं, यह साड़ियां हथकरघे पर बनाई जाती हैं। चंदेरी में सैकड़ों लूम स्थापित हैं। अशोकनगर जिला मलमल (मसलिन) उद्योग के लिए भी जाना जाता है।

### अशोकनगर जिले के प्रमुख तथ्य

1. जिले का गठन- 15 अगस्त, 2003
2. संभाग- ग्वालियर
3. जिला मुख्यालय- अशोकनगर
4. क्षेत्रफल- 4674 वर्ग किलोमीटर
5. जनसंख्या- 844979 (पुरुष-444651, महिलाएं-400328)
6. लिंग अनुपात- 900
7. जनघनत्व- 181 प्रति वर्ग किलोमीटर
8. साक्षरता- 67.9 प्रतिशत
9. तहसीलें- 8 (अशोकनगर, चंदेरी, ईसागढ़, मुंगावली, शाढ़ौरा, पिपरई, नई सराय, बहादुरपुर)
10. विकासखंड- 4
11. ग्राम पंचायत- 328
12. ग्राम- 912
13. नगर परिषद- 4
14. नगर पालिका- 2
15. विधानसभा क्षेत्र- 3 (अशोकनगर, चंदेरी, मुंगावली)
16. लोकसभा क्षेत्र- 1 ( गुना)
17. भाषा एवं बोली- हिन्दी, बुंदेली

***(सभी आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार)***

### अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

- अशोकनगर जिले की चंदेरी तहसील का इतिहास 11वीं सदी से जुड़ा है, जब यह मध्य भारत का एक प्रमुख व्यापार केंद्र था। चंदेरी, मालवा सुल्तानों और बुंदेला राजपूतों के समय से ऐतिहासिक महत्व का शहर रहा है, जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर शासन किया था। चंदेरी किला, संग्रहालय और प्राचीन जैन मंदिरों ने इस क्षेत्र को प्रदेश के एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाई।
- जिले की ईसागढ़ तहसील में स्थित श्री आनंदपुर साहिब, भक्ति और आध्यात्म के मुख्य केंद्र के रूप में देशभर में प्रसिद्ध है। यह श्री अद्वैत परमहंस संप्रदाय का वैश्विक मुख्यालय है। साल में दो बार वैशाखी एवं गुरु पूर्णिमा के दौरान दुनियाभर से शिष्य अपने गुरू से आशीर्वाद लेने आनंदपुर आते हैं।
- अशोकनगर जिला, त्रिकाल चौबीसी जैन मंदिर के लिये भी देशभर में प्रसिद्ध है, जहां भूत, भविष्य एवं वर्तमान काल के 24 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां विराजमान हैं। जिले में स्थित थूवोन जी भी जैन धर्मावलंबियों का अतिशय क्षेत्र है।
- अशोकनगर से 35 किलोमीटर दूर करीला नाम का स्थान है जहां जानकी माता का मंदिर स्थित है। इसको लव-कुश के जन्म स्थान के रूप में भी जाना जाता है। यहां रंगपंचमी पर धार्मिक-सांस्कृतिक मेले का आयोजन होता है जिसमें बुंदेलखंड के राई नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है।
- अशोकनगर जिले का एक छोटा-सा गांव कदवाया भी प्राचीन शिव मंदिर, गढ़ी और बीजासन माता मंदिर के लिये जाना जाता है। यहां 10वीं और 11वीं शताब्दी के शैव सम्प्रदाय के प्राचीन मंदिर हैं, जो खजुराहो की शैली में निर्मित हैं, जिन्हें मुरायतन के मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा यहां प्राचीन गढ़ी भी देखने लायक है।
- चंदेरी किला, खूनी दरवाजा, कौशक महल, शहजादी का रोजा, परमेश्वर ताल, जामा मस्जिद चंदेरी, बादल महल गेट और राजा-रानी महल अशोकनगर, तूमैन जैन तीर्थ, काले सैयद का मकबरा आदि अशोकनगर जिले के अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं।

**- रीता मोदी**

(लेखिका, समसामयिक विषय पर लेखन कार्य करती हैं)

खेल चर्चा

### जयदेव उनादकट ने रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में ली हैट्रिक

**राजकोट**, भारत के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने रणजी ट्रॉफी में इतिहास रच दिया है। रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र की कप्तानी कर रहे उनादकट ने दिल्ली के खिलाफ मैच में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहले ओवर में शानदार हैट्रिक ली। उनादकट रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। उनादकट ने इस मैच में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए पहली पारी में 12 ओवरों में 39 रन देकर 8 विकेट झटके।

### शतरंज विश्व चैम्पियनशिप में सविता ने जीता कांस्य पदक

**अल्माटी**, भारत की उभरती महिला शतरंज खिलाड़ी बी सविता श्री ने कजाखस्तान में आयोजित फिडे विश्व रेपिड शतरंज चैम्पियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। 15 वर्षीय सविता श्री ने प्रतियोगिता में 11 दौर की बाजियों में आठ अंक हासिल कर तीसरा स्थान अर्जित कर कांस्य पदक पर कब्जा किया। प्रतियोगिता में चीन की तेन झोंग्यी ने कजाखस्तान की दिनारा सदुआकासोवा को प्ले ऑफ में हराकर खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत की अनुभवी खिलाड़ी कोनेरू हंपी भी खेल रहीं थीं।

### रसेल डोमिंगो ने बांग्लादेश के कोच पद से दिया इस्तीफा

**ढाका**, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रसेल डोमिंगो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डोमिंगो ने भारत के और बांग्लादेश के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश को मिली हार के बाद यह फैसला लिया है। डोमिंगो को वर्ष 2019 में स्टीव रोड्स की जगह बांग्लादेश क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। डोमिंगो का कार्यकाल आईसीसी क्रिकेट विश्वकप-2023 तक के लिए था, लेकिन डोमिंगो ने इससे एक वर्ष पहले अचानक इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के परिचालन प्रमुख जलाल यूनुस ने भारत के हाथों हार के बाद टीम में बदलाव के संकेत दिये थे, जिससे नाराज होकर डोमिंगो ने मुख्य कोच पद से इस्तीफा दिया है।

### ऑस्ट्रेलिया ने पारी और 182 रन से जीता मेलबर्न टेस्ट

**मेलबर्न**, ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न टेस्ट को जीतकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाकर अपना कब्जा सुनिश्चित कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज के दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को पारी और 182 रन से हराया। मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 189 रन बनाये। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जमकर रन बटोरे और 8 विकेट खोकर 575 रन बनाकर पारी घोषित की। ऑस्ट्रेलिया के लिए डेविड वॉर्नर ने दोहरा शतक जड़ा और 200 रन की पारी खेली। वॉर्नर के बाद एलेक्स कैरी ने भी 111 रनों की शतकीय पारी खेली। पहली पारी में 386 रनों से पिछड़ने के बाद दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज पूरी तरह दबाव में नजर आये। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में फिर नाकाम साबित हुए। टेम्बा बावूमा (65) के आलावा कोई भी बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल पाया। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीकी टीम 204 रन बनाकर ऑल आउट हो गई।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो

# सऊदी अरब के अल नासेर क्लब से जुड़े

**रियाद**, पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नासेर के साथ ढाई वर्ष का करार किया है। इस करार के साथ ही रोनाल्डो विश्व के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अल नासेर क्लब और रोनाल्डो के बीच 5 हजार करोड़ रुपये की डील हुई है। अल नासेर क्लब ने आधिकारिक पोस्ट कर कहा है कि रोनाल्डो आपके नए घर में आपका स्वागत है। यह एक ऐसी डील है, जो ना सिर्फ हमारे क्लब, बल्कि देश और आने वाली पीढ़ियों को खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित करेगा।

रिपोर्ट के अनुसार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अल नासेर क्लब के साथ वर्ष 2025 तक के लिए डील की है। इस डील के तहत रोनाल्डो को एक वर्ष में 200 मिलियन यूरो (लगभग 1730 करोड़ रुपये से अधिक) मिलेंगे। जो कि किसी भी फुटबॉलर को मिलने वाली सबसे ज्यादा रकम है। इस तरह रोनाल्डो को ढाई वर्षों में लगभग 5 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे।

इस डील के बाद रोनाल्डो अपने प्रतिद्वंद्वी और अर्जेंटीना को विश्व चैम्पियन बनाने वाले खिलाड़ी लियोनेल मेसी से बहुत आगे निकल गए हैं। मेसी अभी क्लब फुटबॉल में फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) के लिए खेलते हैं। पीएसजी से मेसी को सालाना 350 करोड़ रुपये मिलते हैं, जो रोनाल्डो के मुकाबले काफी कम है। इसके अलावा रोनाल्डो ने क्लब फुटबॉल में सबसे ज्यादा कीमत हासिल करने वाले किलियन एम्बाप्पे का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।

- **क्रिस्टियानो रोनाल्डो पांच बार प्रतिष्ठित बेलोन डि ओर अवॉर्ड जीत चुके हैं।**
- **लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड सात बार बेलोन डि ओर अवॉर्ड जीता है।**
- **रोनाल्डो इससे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और जुवेंटस क्लब के लिए भी खेल चुके हैं।**
- **रोनाल्डो के नाम अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा 118 गोल करने का रिकॉर्ड दर्ज है।**

**एशिया में अनुभव साझा करेंगे रोनाल्डो**

क्लब से जुड़ने के बाद रोनाल्डो ने कहा कि वह एक अलग देश में नई फुटबॉल लीग का अनुभव हासिल करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि मैंने यूरोपीय फुटबॉल में वह सब हासिल किया है, जो मैं करना चाहता था। मुझे लगता है कि अब एशिया में अपना अनुभव साझा करने का सही समय है।

### वन-डे सीरीज के लिए भारतीय टीम में बुमराह की वापसी

**मुंबई**, लंबे समय से चोट से जूझ रहे स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी हुई है। बुमराह को श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली वन-डे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। बुमराह ने भारत के लिए पिछला मैच सितंबर 2022 में खेला था। इसके बाद वे पीठ की चोट के कारण टीम से बाहर हो गए थे। वे ऑस्ट्रेलिया में खेले गए आईसीसी ट्वेंटी-20 विश्वकप में भी नहीं खेल सके थे। बुमराह के गैर मौजूदगी में भारत का गेंदबाजी आक्रमण बेहद कमजोर रहा था। बीसीसीआई ने कहा कि चयन समिति ने बुमराह को वन-डे सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह दी है।

### मार्टिना नवरातिलोवा फिर हुईं कैंसर का शिकार

**न्यूयॉर्क**, दुनिया की महानतम टेनिस खिलाड़ियों में शुमार अमेरिका की मार्टिना नवरातिलोवा एक बार फिर कैंसर की शिकार हो गई हैं। नवरातिलोवा को गले और ब्रेस्ट में कैंसर डिटेक्ट हुआ है। 66 वर्षीय नवरातिलोवा को वर्ष 2010 में भी ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, लेकिन वो कुछ ही महीनों में स्वस्थ हो गई थीं। मार्टिना नवरातिलोवा ने कहा कि वह इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हैं और न्यूयॉर्क में अपना इलाज करवाएंगी। मार्टिना नवरातिलोवा ने अपने टेनिस कॅरियर में कुल 59 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। इनमें 18 एकल, 31 महिला युगल और 10 मिश्रित युगल खिताब शामिल हैं।

# भारत ने पहले ट्वेंटी-20 मैच में श्रीलंका को हराया

**मुंबई**, भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ष 2023 में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। भारत ने ट्वेंटी-20 सीरीज के पहले मैच में एशियन चैम्पियन श्रीलंका को 2 रन से हराया।

मैच में श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। सलामी बल्लेबाज ईशान किशन और शुभमन गिल ने भारत को आक्रामक शुरुआत दिलाई। हालांकि शुभमन महज 7 रन बनाकर आउट हो गए। बीते वर्ष ट्वेंटी-20 क्रिकेट में यादगार प्रदर्शन करने वाले सूर्यकुमार यादव इस मैच में कोई कमाल नहीं दिखा सके और 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद किशन (37) ने हार्दिक पंड्या (29) के साथ मिलकर पारी को संभाला। इन दोनों के आउट होने के बाद लगा कि भारतीय टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगी, लेकिन दीपक हुड्डा (41) और अक्षर पटेल (31) ने अंतिम ओवरों में 35 गेंदों में 68 रनों की नाबाद साझेदारी कर भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया।

श्रीलंका को जीत के लिए 20 ओवरों में 163 रनों का लक्ष्य मिला। अपने

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॅरियर का पहला मैच खेल रहे शिवम मावी ने अपने पहले ओवर में पथुम निशांका और दूसरे ओवर में धनंजय डिसिल्वा को आउट कर श्रीलंका की लय बिगाड़ दी। श्रीलंकाई टीम एक समय 68 रन पर 5 विकेट गवांकर संकट से घिर गई थी, लेकिन कप्तान दसुन शनाका (45) ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर पारी को संभाला। श्रीलंकाई टीम को अंतिम ओवर में जीत के लिए 13 रन चाहिए थे, लेकिन अक्षर पटेल ने महज 10 रन खर्च किए, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 2 रन से मैच जीतने में सफल रही। मैच में भारत के लिए शिवम मावी ने 4 तथा हर्षल पटेल और उमरान मलिक ने 2-2 विकेट लिए। दीपक हुडा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

आईसीसी महिला ट्वेंटी-20 विश्वकप

# हरमनप्रीत कौर करेंगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व

**नई दिल्ली**, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाले आईसीसी महिला ट्वेंटी-20 विश्वकप के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में रहेगी, वहीं स्मृति मंधाना टीम की उपकप्तान होंगी।

भारतीय टीम में अनुभवी तेज गेंदबाज शिखा पांडे की वापसी हुई है। शिखा अक्टूबर 2021 से भारतीय महिला टीम से बाहर चल रही थीं। शिखा के पास ट्वेंटी-20 क्रिकेट का बड़ा अनुभव है। उन्होंने भारत के लिए 56 ट्वेंटी-20 अंतर्राष्ट्रीय, 55 वन-डे अंतर्राष्ट्रीय और तीन टेस्ट मैच खेले हैं, इसे देखते हुए ही उन्हें टीम में जगह दी गई है।

विश्वकप में भारत को ग्रुप-बी में पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ रखा गया है। भारत विश्वकप में अपने अभियान की शुरुआत 12 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। इसके

बाद भारतीय टीम 15 फरवरी को वेस्टइंडीज, 18 फरवरी को इंग्लैंड और 20 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ मैच खेलेगी।

**विश्वकप के लिए भारतीय टीम**

हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, ऋचा घोष, जेमिमा रोड्रिगेज, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, देविका वैघ, राधा यादव, रेणुका ठाकुर, अंजलि सरवानी, पूजा वस्त्रकार, राजेश्वरी गायकवाड़ और शिखा पांडे।

बीसीसीआई

# फिटनेस के लिए शुरू करेगा यो-यो टेस्ट

**मुंबई**, बीसीसीआई ने पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया में खेले गए आईसीसी ट्वेंटी-20 विश्वकप में भारतीय टीम के प्रदर्शन की आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में इस वर्ष भारत में आयोजित होने वाले आईसीसी क्रिकेट विश्वकप की तैयारियों के मद्देनजर कई अहम निर्णय लिये गए। बीसीसीआई ने राष्ट्रीय टीम में चयन मानदंडों में यो-यो टेस्ट एक बार फिर से शामिल कर लिया है। इसके अलावा बीसीसीआई ने डेक्सा (हड्डी का स्कैन टेस्ट) को भी चयन मानदंडों में शामिल किया है।

बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने कहा कि यो-यो और डेक्सा टेस्ट अब चयन के आधार में शामिल होंगे। यो-यो टेस्ट एक एरोबिक फिटनेस टेस्ट है, जिसमें दम-

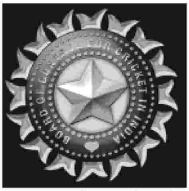


खम का आकलन किया जाता है। इस टेस्ट में 20-20 मीटर की दूरी पर रखे गए मार्कर के बीच बढ़ती हुई गति से दौड़ना होता है। इस टेस्ट में पास होने के लिए न्यूनतम 16.5 स्कोर करना होता है।

जय शाह ने बताया कि भारतीय क्रिकेट टीम के एफटीपी और आईसीसी क्रिकेट विश्वकप को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) आईपीएल टीमों के साथ मिलकर आईपीएल-2023 में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के वर्कलोड की निगरानी करेगा। इससे खिलाड़ियों को चोटिल होने से बचाया जा सकेगा।

इसके अलावा बीसीसीआई ने विश्वकप को ध्यान में रखते हुए 20 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया है। इन 20 खिलाड़ियों में से 15 खिलाड़ी विश्वकप में खेलते हुए नजर आयेंगे। बीसीसीआई ने कहा कि इन 20 खिलाड़ियों को अलग-अलग सीरीज में रोटेट किया जायेगा, ताकि विश्वकप की पुख्ता तैयारी हो सके। बीसीसीआई श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली वन-डे सीरीज से इस योजना पर अमल करेगा।

### सूर्यकुमार आईसीसी अवॉर्ड्स के लिए हुए नामित

**दुबई**, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने वर्ष 2022 के लिए दिये जाने वाले वार्षिक पुरस्कार के लिए नामांकन जारी किए हैं। आईसीसी ने भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को वर्ष का आईसीसी ट्वेंटी-20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। इस पुरस्कार के लिए सूर्यकुमार यादव के अलावा पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान, इंग्लैंड के सैम करन और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा को भी नामांकित किया गया है। आईसीसी ने भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को आईसीसी वूमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवॉर्ड के लिए नामांकित किया है। मंधाना को आईसीसी वूमेन ट्वेंटी-20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए भी नामांकित किया गया है।

*(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)*

# सामयिकी

## नॉर्थ कोरिया ने 15 मिनट में दागीं 3 बैलिस्टिक मिसाइल

नॉर्थ कोरिया ने 31 दिसंबर 2022 को जापान के समुद्र में एक के बाद एक तीन बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। जापान के

रक्षा मंत्रालय ने इसका दावा किया है। जापान ने बताया है कि ये बैलिस्टिक मिसाइलें सुबह 8 बजे के बाद 15 मिनट के भीतर दागी गईं। इन सभी को नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में बने सेंटर से लॉन्च किया गया था। सभी बैलिस्टिक मिसाइलें 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक गईं और इन्होंने 350 किलोमीटर की दूरी तय की। जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि नॉर्थ कोरिया की ओर से दागीं गईं मिसाइल के रास्ते में कई एयरक्राफ्ट और जहाज थे। अगर वो उसकी चपेट में आते तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा, नॉर्थ कोरिया की ओर से की गई इस तरह की कार्रवाई से पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को खतरा है।

108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस

# "भारत की साइंटिफिक कम्युनिटी 21वीं सदी में नया मुकाम हासिल कराएगी" - प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस (आईएससी) को संबोधित

- **आईएससी का 108वां वार्षिक सत्र राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया, जो इस वर्ष अपनी शताब्दी भी मना रहा है।**
- **इस वर्ष के आईएससी का मुख्य विषय 'महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी' है।**

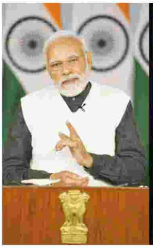

किया। इस वर्ष के आईएससी का मुख्य विषय 'महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी था, जहां सतत विकास, महिला सशक्तिकरण और इसे प्राप्त करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका के मुद्दों पर चर्चा की गई है।

सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने अगले 25 वर्षों में भारत के विकास की गाथा में भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, जब विज्ञान में जुनून के साथ राष्ट्रीय सेवा की भावना का संचार होता है, तो परिणाम अभूतपूर्व होते हैं। मुझे यकीन है, भारत का वैज्ञानिक समुदाय हमारे देश के लिए एक ऐसी जगह सुनिश्चित करेगा, जिसके वह हमेशा से हकदार रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अवलोकन विज्ञान की जड़ है और यह इस प्रकार के अवलोकन द्वारा वैज्ञानिक एक पैटर्न का अनुसरण करते हुए आवश्यक परिणामों पर पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री ने डेटा एकत्र करने और परिणामों का विश्लेषण करने के महत्व के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, 21वीं सदी के आज के भारत में हमारे पास दो चीजें बहुतायत में हैं। पहली- डेटा और दूसरी टेक्नोलॉजी। इन दोनों में भारत की साइंस को नई बुलंदियों पर पहुंचाने की ताकत है। उन्होंने यह भी बताया कि डेटा विश्लेषण का क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है जो सूचना को अंतर्दृष्टि और विश्लेषण को क्रियाशील ज्ञान में बदलने में बहुत मदद करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साइंस के क्षेत्र में भारत तेजी से वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में शामिल हो रहा है। 2015 तक हम 130 देशों की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें नंबर पर आते थे। लेकिन, 2022 में हम 40वें नंबर पर पहुंच गए हैं। भारत पीएच.डी. और स्टार्टअप इकोसिस्टम की संख्या के मामले में दुनिया के शीर्ष तीन देशों में शामिल है।

राष्ट्र में विज्ञान के विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाले मुद्दों की ओर इशारा करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, भारत में साइंस का विकास, हमारे वैज्ञानिक समुदाय की मूल प्रेरणा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में साइंस, भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 17-18 प्रतिशत मानव आबादी भारत में निवास करती है और इस तरह के वैज्ञानिक विकास से पूरी आबादी को लाभ होना चाहिए। उन्होंने उन विषयों पर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया जो संपूर्ण मानवता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व की बात है कि भारत के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। उन्होंने बताया कि भारत के मोटे अनाज और इसके उपयोग में सुधार के लिए काम किया जा सकता है, जबकि जैव-प्रौद्योगिकी की मदद से वैज्ञानिक समुदाय द्वारा फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं।

श्री मोदी ने भविष्य के विचारों और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया जहां कोई भी काम नहीं हो रहा है। उन्होंने एआई, एआर और वीआर को प्राथमिकता के तौर पर रखने को कहा। उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय को सेमीकंडक्टर चिप्स में नवाचार करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें सेमीकंडक्टर आधारित भविष्य को अभी से तैयार रखने के बारे में सोचने के लिए कहा। उन्होंने कहा, 'अगर देश इन क्षेत्रों में पहल करता है तो हम उद्योग 4.0 का नेतृत्व करने की स्थिति में होंगे।'

संबोधन का समापन करते हुए, प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस के इस सत्र के दौरान विभिन्न रचनात्मक बिंदुओं पर भविष्य के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार किया जाएगा। श्री मोदी ने अपने संबोधन के अंत में कहा, अमृत काल में, हमें भारत को आधुनिक विज्ञान की सबसे उन्नत प्रयोगशाला बनाना है।

श्रीलंका

## देश के लिए अहम होगा वर्ष 2023 - रानिल विक्रमसिंघे

श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे देश के लिए 2023 एक 'महत्वपूर्ण वर्ष'

- **विक्रमसिंघे ने कहा, 'वास्तव में, 2023 एक महत्वपूर्ण वर्ष होगा, जिसमें हम अर्थव्यवस्था में बदलाव की योजना बना रहे हैं। 2023 ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी का 75वां साल भी है।'**

होगा और उनकी सरकार संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के भरसक प्रयास कर रही है।

ज्ञात रहे कि विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी के कारण श्रीलंका 2022 में एक अभूतपूर्व वित्तीय संकट की चपेट में आ गया था। इसके चलते देश में राजनीतिक उथल-पुथल पैदा हो गई थी और शक्तिशाली राजपक्षे परिवार को सत्ता गंवानी पड़ी थी। विक्रमसिंघे ने नव वर्ष संदेश में कहा, 'पिछले साल सबसे मुश्किल दौर, अपार कठिनाइयों, अनिश्चितताओं और निराशा से गुजरने के बाद हम नए साल 2023 में प्रवेश कर रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'मैं उस भारी बोझ को समझता हूं जो हम सभी पर आ पड़ा है और उन झटकों को भी जो देश के दयनीय आर्थिक पतन के कारण हममें से अधिकतर लोगों को झेलने पड़े हैं।' अप्रैल से जुलाई तक, श्रीलंका में अराजकता का माहौल देखने को मिला था।

ईंधन केंद्रों पर लंबी कतारें लगी थीं और खाली रसोई गैस सिलेंडर लिए हजारों लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए थे। श्रीलंका सरकार ने पिछले साल मई में घोषणा की थी कि 50 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज में फंसा श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पर है।

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद

# पहली बार फिर से 'समुराई' बन रहा जापान

जापान जिसे महात्मा बुद्ध की धरती कहा जाता है, अब फिर से समुराई बनने को तैयार है। समुराई, जापान के ऐसे सैन्य

- **द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जापान की पहचान एक ग्लोबल असैन्य ताकत के तौर पर थी।**
- **अब जापान ने अपनी पहचान बदलने की ठान ली है।**

योद्धा थे जो मध्यकाल से लेकर 12वीं सदी के अंत तक देश में रहे। सन् 1876 में इन योद्धाओं का अंत हो गया। अब जापान फिर से इन्हीं योद्धाओं की तरह बनने को तैयार है। साल 2028 तक जापान ने अपनी सेनाओं पर ज्यादा खर्च करने के मकसद से तय किया है कि वह रक्षा बजट को दोगुना करेगा। साल 1993 में एक आर्टिकल में लिखा गया था कि जापान में जो संस्थान हैं और उसका जो बर्ताव है, उससे साफ होता है कि जापान एक बार फिर से वैश्विक ताकतों के बीच अपना खोया हुआ रुतबा हासिल कर सकता है। कई दशकों के बाद अब जापान फिर से ग्लोबल पावर बनने की ख्वाहिश रखे है। रक्षा बजट में इजाफा इसी तरफ इशारा करता है। जापान वह इकलौता देश है जिसने परमाणु हमला झेला है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की पहचान एक ग्लोबल असैन्य ताकत के तौर पर थी। जापान की सुरक्षा नीति से जुड़ी एक किताब के लेखक क्रिस्टोफर ह्यूज ने जापान को एक ग्लोबल मिलिट्री पावर करार दिया है। उनका दावा है कि जापान हर उस मिसाइल का प्रदर्शन कर रहा है जिसके बाद वह और ज्यादा सक्षम सैन्य ताकत बन सकता है। साथ ही वह सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं रह जाएगा बल्कि वैश्विक सैन्य ताकत बन सकता है। ह्यूज की एक और किताब में जापान के सैन्य ताकत बनने पर पूरी जानकारी दी गई है। साल 1950 में जब जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेज की शुरुआत हुई उसी समय से जापान ने मिलिट्री पावर बनने की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। पूर्व प्रधानमंत्री याशुहिरो नाकासोने, जुनिचिरो कोइज़ूमी और शिंजो आबे के कार्यकाल तक यह प्रक्रिया जारी रही थी।

उत्तर कोरिया में

# बढ़ेगा परमाणु हथियारों का उत्पादन

उत्तर कोरिया ने नए साल के पहले ही दिन एक मिसाइल का परीक्षण किया। वहीं उसके नेता किम जोंग उन ने देश के परमाणु शस्त्रागार का विस्तार करने और नई एवं अधिक शक्तिशाली अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने का आदेश दिया है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि किम जोंग का अधिक परमाणु और नई हथियार प्रणालियों का उत्पादन पर जोर भविष्य में होने वाली वार्ताओं में उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए है।

सरकारी समाचार एजेंसी 'कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी' (केसीएनए) के मुताबिक, किम ने हाल में सत्तारूढ़ पार्टी की बैठक में कहा था कि 'वे मानव इतिहास में अप्रत्याशित तौर पर उत्तर कोरिया को

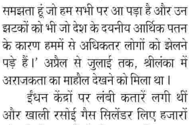

अलग-थलग करने और दबाने पर लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए दोगुने प्रयास करने की जरूरत है जो उत्तर कोरिया की संप्रभुता, सुरक्षा और मौलिक हितों की सुरक्षा की गारंटी है।

किम जोंग ने आरोप लगाया कि दक्षिण कोरिया अविवेकपूर्ण तरीके से खतरनाक हथियारों के निर्माण पर तुला हुआ है और उत्तर कोरिया के साथ खुले तौर पर युद्ध की तैयारी का ढिंढोरा पीट रहा है। केसीएनसी के मुताबिक, किम जोंग ने कहा है कि परमाणु हथियारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की जरूरत है। उन्होंने देश के परमाणु शस्त्रागार में तेजी से वृद्धि करने का आदेश भी दिया। केसीएनए ने कहा कि किम ने एक अन्य अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया है, जिसका मकसद तेजी से जवाबी परमाणु हमला करना है। किम जोंग ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह दक्षिण कोरिया में परमाणु हमले के लिए हथियार तैनात कर रहा है और नाटो जैसा क्षेत्रीय सैन्य संगठन स्थापित करने की कोशिश में है। किम जोंग ने यह भी कहा कि उत्तर कोरिया जल्द से जल्द अपना पहला सैन्य टोही उपग्रह भी प्रक्षेपित करेगा तथा इसको लेकर तैयारी अपने अंतिम चरण में है।

## सऊदी अरब में महिला ट्रेन ड्राइवर का पहला जत्था तैयार

सऊदी अरब में पहली बार महिलाएं बुलेट ट्रेन चलाने जा रही हैं। सऊदी अरब रेलवे कंपनी सार ने 32 सऊदी महिलाओं के

- **महिला ट्रेन ड्राइवरों का पहला जत्था दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों में से एक हारमिआन एक्सप्रेस को चलाएगा।**
- **ये महिला ट्रेन ड्राइवर पूरे पश्चिम एशिया में पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बन गई हैं।**

ग्रेजुएशन का जश्न मनाया है। सार ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इन महिलाओं के ट्रेन को चलाने की ट्रेनिंग को दिखाया है। इन महिला ट्रेन ड्राइवरों के ट्रेनर और ट्रेन के कैप्टन मोहन्नद शाकेर ने कहा कि हारमिआन ट्रेन अपने पुरुष और महिला कैप्टन को ट्रेनिंग देने की इच्छुक है ताकि वे सुरक्षा के सर्वोच्च मानक को हासिल कर सकें। इस अवसर को हासिल करने के बाद महिलाओं के खुशी की सीमा नहीं रही। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों और यात्रियों को पहुंचाकर उन्हें शानदार तरीके से काम करने की प्रेरणा मिलती है।

बताया जा रहा है कि ये महिलाएं बुलेट ट्रेन को सऊदी अरब के पवित्र शहरों मक्का से मदीना के बीच में चलाएंगी। यह ट्रेन दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में शामिल है जिसकी रफ्तार 450 कि.मी. प्रतिघंटे से लेकर 300 कि.मी. प्रतिघंटा है। यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ट्रेन है और इसे इस्लाम के दो सबसे पवित्र शहरों मक्का और मदीना के बीच में साल 2018 में लॉन्च किया गया था।

*(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)*

**मास्क पहनें और भीड़-भाड़ से रहें दूर, कोरोना से बचने का टीका लगवायें जरूर।**

G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

मध्यप्रदेश शासन

आज़ादी का अमृत महोत्सव

**नरेन्द्र मोदी,** प्रधानमंत्री

**शिवराज सिंह चौहान,** मुख्यमंत्री

# अद्भुत मध्यप्रदेश

### श्री महाकाल महालोक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा
भव्य-दिव्य लोकार्पण

### चीतों की वापसी

70 साल बाद कूनो अभयारण्य में
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चीतों का पुनर्स्थापन

### पेसा नियम

जनजातीय समुदाय को जल, जंगल, ज़मीन, मजदूरों,
महिलाओं व संस्कृति संरक्षण के अधिकार

### रोज़गार

एक लाख शासकीय पदों पर भर्तियां जारी, युवाओं को
प्रतिमाह 2 लाख से अधिक स्व-रोज़गार के अवसर

### माफिया पर कार्रवाई

23 हजार एकड़ ज़मीन मुक्त कराई,
बनेंगे गरीबों के घर

### मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान

83 लाख से अधिक हितग्राही
विभिन्न योजनाओं से जुड़े

### स्वच्छ भारत मिशन

शहरी और ग्रामीण स्वच्छता में अग्रणी,
इंदौर लगातार 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर

**नववर्ष में प्रवासी भारतीय दिवस, ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट,
खेलो इंडिया यूथ गेम्स और जी-20 बैठकों का आयोजन**

आइये, विकास के नये अध्याय जोड़ें

## नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

D-11180/R-47969

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2022

स्वामी- मध्यप्रदेश माध्यम, प्रकाशक- राघवेन्द्र कुमार सिंह, मुद्रक- राघवेन्द्र कुमार सिंह द्वारा मेसर्स डी.बी. कॉर्प लिमिटेड, 10-11, सेक्टर-B, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल से मुद्रित एवं मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल-462011 (म.प्र.) से प्रकाशित। सम्पादक - पुष्पेन्द्र पाल सिंह।

# मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

## रेसीडेन्सी एरिया - इन्दौर

## क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा - 2022

**उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु क्रीड़ा अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन**

**विज्ञापन क्रमांक 53/2022/ 30.12.2022** — **ऑनलाइन आवेदन करने की**

**उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन** — **अंतिम तिथि 27.05.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

### महत्वपूर्ण निर्देश

**A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-**

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 28-04-2023 को (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 27.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकेंगे। इसके पश्चात् ये लिंक बंद हो जाएगी।
2. क्रीड़ा अधिकारी के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी भी प्रकार से मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

**B. आयु की गणना :-**

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी ।
2. **आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।**

**C. शुल्क संबंधी निर्देश :-**

1. **उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट- 02 का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी को दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से भली-भांति अवलोकन करने के पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

**D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-**

1. **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 28-04-2023 से 29.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।**
2. **अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि परीक्षा के आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अतः वे परीक्षा का आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।**
3. **त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।**
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/भूतपूर्व सैनिक/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त) होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
5. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता/अनुभव/वांछनीय अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे उस विभाग को अपनी शिकायत प्रेषित कर सकते हैं।

**F. परीक्षा केन्द्र तथा प्रवेश-पत्र :-**

1. परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि एवं परीक्षा केन्द्रों की जानकारी यथा-समय आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी।
2. आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा केन्द्र आवंटन हेतु शहर की अग्रमान्यता एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अग्रमान्यता उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु Reimbursement का वर्गीकरण प्रावधानित है, जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है। अतएव इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**G. परीक्षा नियम / निर्देश आदि :-**

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा-समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. पाठ्यक्रम निर्धारण समिति द्वारा विज्ञापन के संदर्भ में प्रकाशित पाठ्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो तदनुसार संशोधित पाठ्यक्रम परीक्षा के यथोचित समय पूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा उपरोक्तानुसार संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा
4. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
5. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. **उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।**

**अन्य निर्देश :-**

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ, संशोधन आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अतः समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षा सूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टतः परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौनसी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अभ्यर्थियों की अन्य कोई भी औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं रोजगार और निर्माण समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर आयोग को दें अविलम्ब सूचित कर ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

**एक-** भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन**, के अंतर्गत **क्रीड़ा अधिकारी** के निम्नानुसार पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

| विषय | रिक्त पदों की संख्या | | | | | | रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या | | | | | रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | UR | SC | ST | OBC | EWS | कुल | UR | SC | ST | OBC | EWS | LD | VH | HH | MD |
| क्रीड़ा अधिकारी (Sports Officer) | 23 | 9 | 77 | 15 | 5 | 129 | 8 | 3 | 25 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 |

Abbreviations : UR - Unreserved, SC- Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, OBC- Other Backward Classes EWS-Economically Weaker Sections LD - Locomotor Disability, VH -Visual Handicapped, HH - Hearing Handicapped , MD- Multiple Disability.

**दो** - पद का विवरण

(A) **विभाग का नाम** : **मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग**
(B) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
(C) पद स्थिति : स्थायी
(D) वेतनमान : युक्तियुक्त एंट्री पे रु. 57,700 अकादमिक स्तर 10
(E) कर्तव्य : शैक्षणिक कार्य
(F) **पद का नाम** : **क्रीड़ा अधिकारी**
(G) अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता : (i) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान अथवा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान में 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां पाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ निष्णायत उपाधि।

2/ अंतरविश्वविद्यालयी/अंतरमहाविद्यालयी प्रतिस्पर्धाओं अथवा राज्य और/अथवा राष्ट्रीय चैंपियनशिपों में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने का रिकार्ड।

3/ उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के अलावा अभ्यर्थी को वि.अ.आ., अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा यथा एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण करनी होगी अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक व प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 एवं समय-समय पर इनमें किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार शारीरिक शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद अथवा खेल विज्ञान में पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की गई हो। बशर्ते कि दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व पीएच.डी. की उपाधि के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी ऐसी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के मौजूदा अध्यादेशों/उपविधियों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे तथा ऐसे पीएच.डी. धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त होगी।

क) अभ्यर्थी को पीएच.डी. की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो।
ख) पीएच.डी. शोध प्रबंध का कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया गया हो।
ग) पीएच.डी. के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो।
घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो, जिनमें से कम से कम एक रेफर्ड जर्नल में प्रकाशित हुआ हो।

ङ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. कार्यों के आधार पर सम्मेलन/विचार गोष्ठियों में कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो।

नोट- (क) से (ङ) में दी गई इन शर्तों पर खरा उतरने के संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना होता है।

4/ ऐसी विधाओं में निष्णायत कार्यक्रमों में एनईटी/एसएलईटी/एसईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा, जिसके लिए वि.अ.आ., सीएसआईआर द्वारा एनईटी/एसएलईटी/एसईटी अथवा वि.अ.आ. द्वारा एसएलईटी/एसईटी जैसी परीक्षा आयोजित नहीं की जाती हो।

5/ इन विनियमों के अनुसार आयोजित की गई शारीरिक-फिटनेश परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

अथवा

ख) एशियाई खेल अथवा राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता, जिनके पास कम से कम स्नातकोत्तर स्तर की उपाधि हो।

(H) शारीरिक स्वास्थ्यता जाँच संबंधी मानदंड :- क) इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन सभी अभ्यर्थी जिनके लिए शारीरिक स्वास्थता जाँच करना अपेक्षित है, उन्हें ऐसी जांच करवाने से पूर्व एक चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा कि वह ऐसी जांच करने के लिए चिकित्सीय रूप से स्वस्थ्य हैं।

ख) उपरोक्त उपखंड (क) में वर्णित ऐसे प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी को निम्न मानक के अनुसार शारीरिक परीक्षा में भाग लेना अपेक्षित होगा :

**नियमन जो पुरुषों के लिए है**
**12 मिनट वाली दौड़/चलने का परीक्षण**

| 30 वर्ष तक के लिए | 40 वर्ष तक के लिए | 45 वर्ष तक के लिए | 50 वर्ष तक के लिए |
|---|---|---|---|
| 1800 मीटर | 1500 मीटर | 1200 मीटर | 800 मीटर |

**नियमन जो महिलाओं के लिए है**
**8 मिनट वाली दौड़/चलने का परीक्षण**

| 30 वर्ष तक के लिए | 40 वर्ष तक के लिए | 45 वर्ष तक के लिए | 50 वर्ष तक के लिए |
|---|---|---|---|
| 1000 मीटर | 800 मीटर | 600 मीटर | 400 मीटर |

(I) **आयु सीमा : 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।**

(J) **आयु संगणना तिथि : 01.01.2023**

**तीन-** (i) आवेदक के पास उपर्युक्त अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27.05.2023 तक होना चाहिए आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हतायें अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

(ii) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या मे लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने के पूर्व तक वृद्धि की जा सकेगी। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(iii) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

(iv) **किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।**

(v) **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के http://www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त- तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।**

(vi) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिला, तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है तथा अन्य प्रदेशों के दिव्यांगजन तथा महिला अभ्यर्थी आरक्षण हेतु पात्र नहीं हैं। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जाएगा।

(vii) मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

आयु सीमा में दी गयी अन्य छूटों के लिए **परिशिष्ट- 1** देखें।

**चार- मध्यप्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

**पांच- महत्वपूर्ण** :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।

**छः** - अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष

**सात- चयन प्रक्रिया :-**

(1) उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांक तथा यदि अभ्यर्थी मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान (क्रीड़ा अधिकारी) है तो इस रूप में कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक के योग के गुणानुक्रम के आधार पर होगा।

(2) ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस प्रकार उनके लिए लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। 40% तथा 30% अंकों की गणना में अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंक सम्मिलित नहीं होंगे।

(3) परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंक जोड़कर प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर चयन सूची जारी की जाएगी।

(4) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/ लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

प्रतियोगी परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से (वस्तुनिष्ठ ओ.एम.आर. आधारित) आयोजित की जाएगी। ओ.एम.आर. संबंधित निर्देशों हेतु परिशिष्ट 4 (ऑप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश) का अवलोकन करें। यदि ऑनलाइन पद्धति से परीक्षा आयोजित की जाती है तो उससे संबंधित निर्देश यथा-समय आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किए जाएंगे।

परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि तथा परीक्षा केन्द्रों की जानकारी यथा-समय आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित की जाएगी।

**आठ- प्रतियोगी परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र**

| कोड | नाम | कोड | नाम | कोड | नाम | कोड | नाम | कोड | नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | भोपाल | 02 | इन्दौर | 03 | ग्वालियर | 04 | जबलपुर | 05 | सागर |
| 06 | उज्जैन | 07 | शहडोल | 08 | चंबल | 09 | रीवा | 10 | नर्मदापुरम् |

परीक्षा केन्द्रों के संबंध में आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त में से प्राथमिकता क्रम में चार परीक्षा शहर का चयन करेंगे ।

अभ्यर्थियों की संख्या तथा प्रशासकीय कारणों से परीक्षा केन्द्रों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है की अभ्यर्थी को उसके द्वारा चयनित केंद्र ही आवंटित किया जावें। प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से पृथक केंद्र भी आवंटित किया जा सकेगा। परीक्षा की समय सारणी तथा अन्य आवश्यक जानकारियां यथा-समय **'रोजगार और निर्माण'** समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराई जाएगी।

**नौ आवेदन प्रक्रिया** :- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट- 2** का अवलोकन करें।

**दस** अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई.डी. पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र व्यवहार किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी का वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई.डी. परिवर्तित होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को चाहिए कि वह अविलंब नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई.डी. की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करे। अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई.डी. परिवर्तन की स्थिति में नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई.डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र-व्यवहार पुराने वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई.डी. पर किया जाएगा जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति निर्मित होती है, तो अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

**ग्यारह-** शासन द्वारा कोविड-19 के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

**बारह-** आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट- 1**

(ii) मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों हेतु देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट की व्यवस्था **परिशिष्ट- 2**

(iii) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट- 3**

(iv) परीक्षा के संबंध में निर्देश **परिशिष्ट- 4**

**सचिव**

**परिशिष्ट- 1**

**उच्चतर आयु सीमा में देय छूट**

1 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/ दिव्यांगजन/ महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

**तथा**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

**अतिथि विद्वानों को देय आयु-सीमा में छूट :-**

उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में क्रीड़ा अधिकारी का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है तथा उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार निर्धारित आयु-सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र अनुसार छूट की अधिकतम आयु-सीमा से अधिक नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण -**

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्ती छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष निर्धारित है जो 03 वर्ष की विशेष छूट को मिलाकर 48 वर्ष है।

**टीप** :- उपरोक्त आयु-सीमा में छूट केवल उन अतिथि विद्वानों को दी जाएगी जो सत्र 2019-20 में किसी शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत थे।

(2) **अन्य छूट** :- प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूटः-

1 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

2 विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 3.9.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 427/1422/1(3)82, दिनांक 14 जून 1982 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुज्ञेय आयु सीमा में छूट भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा की गयी सेवा के आधार पर अधिकतम 3 वर्षों की छूट होगी जो कि अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के अध्यधीन होगी।

4 उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (1,2,3) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

5 समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूटें मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।

**नोट :-** (01) उपरोक्त परिशिष्ट- 1 बिन्दु 1 तथा 2 में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(03) अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी तथा उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष रहेगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होंगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात् जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

### परिशिष्ट- 2

### मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान (क्रीड़ा अधिकारी) के रूप में कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट संबंधी व्यवस्था

**मध्यप्रदेश शासन**, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-42/2017/38/1, दिनांक 20.12.2022 द्वारा आयु सीमा में छूट का निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

1 उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में क्रीड़ा अधिकारी का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है, उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार निर्धारित आयु-सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र अनुसार छूट की अधिकतम आयु-सीमा से अधिक नहीं होगी।

2 उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में क्रीड़ा अधिकारी का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है, उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रति सत्र अधिकतम 04 अतिरिक्त वरीयता अंक के मान से अधिकतम 20 अंक की सीमा तक वरीयता अंक दिए जाएंगे, वरीयता अंक अंतिम मेरिट सूची तैयार करते समय जोड़े जाएंगे।

**उपरोक्त कंडिका 01 एवं 02 दी गई छूट वर्ष 2022 तक मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापित होने वाली चयन प्रक्रियाओं में केवल उन अतिथि विद्वानों को दी जाएगी, जो सत्र 2019-20 में किसी शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान (क्रीड़ा अधिकारी) के रूप में कार्यरत थे।**

3 उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में संबन्धित विषयों का अध्यापन कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों को निम्नानुसार वरीयता अंक तथा अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी :-

**वरीयता अंक :-**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | एक शैक्षणिक सत्र में 151 या 151 से अधिक कार्य दिवसों पर | 04 अंक |
| 2 | एक शैक्षणिक सत्र में 101 या 150 तक के मध्य कार्य दिवसों पर | 03 अंक |
| 3 | एक शैक्षणिक सत्र में 51 से 100 तक के कार्य दिवसों पर | 02 अंक |
| 4 | एक शैक्षणिक सत्र में 25 से 50 तक के कार्य दिवसों पर | 01 अंक |

वरीयता अंक का लाभ मध्यप्रदेश के मूल निवासी विद्वानों तथा मध्यप्रदेश के बाहर से आए अतिथि विद्वानों के लिए भी मान्य होगी।

**आयु सीमा में छूट :-**

एक शैक्षणिक सत्र में अनुभव के चार अंक प्राप्त होने पर 01 वर्ष

**टीप :-** 1. अभ्यर्थी सम्पूर्ण अतिथि अध्यापन अवधि में कार्य अनुभव के आधार पर प्रति सत्र अधिकतम 04 वरीयता अंक अधिकतम 20 अंक एवं प्रति सत्र 04 अंक प्राप्त करने पर ही एक वर्ष की छूट अधिकतम 5 वर्ष की छूट का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे जो **मध्यप्रदेश शासन**, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-12/2017/38-1, दिनांक 14.08.2017 द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी। (45+03 वर्ष विशेष छूट = 48 वर्ष)

4 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप मे किया है वे इस परिशिष्ट-2 से संलग्न **प्रपत्र-एक** में संबंधित महाविद्यालय/ महाविद्यालयों के प्राचार्य से अनुभव प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे।

5 उक्त प्रमाण-पत्र/प्रमाण-पत्रों के आधार पर **इस परिशिष्ट-2 से** संलग्न **प्रपत्र दो** (गणना-पत्रक) की अध्यापन अनुभव के आधार पर पूर्ति करेंगे तथा तत्पश्चात उक्त गणना पत्रक को प्रमाणीकरण हेतु अग्रणी महाविद्यालय में प्राधिकृत जांचकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

6 अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित गणना-पत्रक के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट का उल्लेख अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथा-स्थान किया जाएगा जिससे उसे 48 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अध्यधीन अधिकतम आयु सीमा में गणना-पत्रक में अभिप्रमाणित छूट प्राप्त हो सकेगी।

### प्रपत्र - एक

**कार्यालय** (शासकीय महाविद्यालय का नाम) ........................................................

**प्राचार्य**, शासकीय महाविद्यालय का पता ........................................................

दूरभाष एवं ईमेल........................................................

### अनुभव प्रमाण-पत्र

(केवल लोक सेवा आयोग द्वारा जारी ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी सीधी भर्ती के सन्दर्भ में मान्य)

(अतिथि विद्वान के रूप में शैक्षणिक कार्य सम्पादित करने हेतु)

क्रमांक : .............................. स्थान : ................................... दिनांक : ................

प्रमाणित किया जाता है कि (अतिथि विद्वान का नाम) श्री/सुश्री/श्रीमती ..............................

आत्मज .................................... ने इस महाविद्यालय के ..................................................

विभाग में अतिथि विद्वान ...................................... के रूप में निम्नानुसार सत्रों में शैक्षणिक कार्य संपन्न किया :

| क्रमांक | शैक्षणिक सत्र | कुल कार्य दिवसों की संख्या | रिमार्क |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**टीप :** यह अनुभव प्रमाण-पत्र महाविद्यालयीन लेखा एवं अन्य अभिलेखों के आधार पर जारी किया गया है।

स्थानः ......................................

(हस्ताक्षर)

प्राचार्य का नाम ..................

प्राचार्य की पद मुद्रा

### प्रपत्र - 2

### अनुभव के अधिभार की गणना हेतु पत्रक

**(अतिथि विद्वान के रूप में शासकीय महाविद्यालयों में कार्य अनुभव के अधिभार की गणना बावत्)**

विषय :

**आवेदक का पूरा नाम :** ........................................................

**पिता/पति का नाम :** ........................................................

आवेदक को उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने पर, अनुभव के आधार पर वरीयता अंक अंतिम मेरिट में जोड़े जाएंगे अधिभार की गणना हेतु प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए ग्रंथपाल/ क्रीड़ा अधिकारी के रूप में कार्य करने पर निम्न तालिकानुसार अनुभव के अंक प्रदान किए जाएंगे :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | एक शैक्षणिक सत्र में 151 से अधिक कार्यदिवसों पर | : | 04 अंक |
| 2. | एक शैक्षणिक सत्र में 101 से 150 के मध्य कार्यदिवसों पर | : | 03 अंक |
| 3. | एक शैक्षणिक सत्र में 51 से 100 के मध्य कार्यदिवसों पर | : | 02 अंक |
| 4. | एक शैक्षणिक सत्र में 25 से 50 तक के कार्यदिवसों पर | : | 01 अंक |

**अधिभार की गणना की तालिका**

| शैक्षणिक सत्र (अधिकतम पांच) | क्रमांक | महाविद्यालयों के नाम | महाविद्यालयवार कार्य दिवस की संख्या | सत्रवार कार्य दिवस की कुल संख्या | सत्रवार अनुभव के अंक | संलग्न प्रमाणपत्र का क्रमांक एवं दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| …………… | …….. | …………… | ……………. | | | ………. |
| (प्रथम सत्र) | …….. | …………… | ……………. | ………… | ……… | ………. |
| | …….. | …………… | ……………. | | | ………. |
| …………… | …….. | …………… | ……………. | | | ………. |
| (द्वितीय सत्र) | …….. | …………… | ……………. | ………… | ……… | ………. |
| | …….. | …………… | ……………. | | | ………. |
| …………… | …….. | …………… | ……………. | | | ………. |
| (तृतीय सत्र) | …….. | …………… | ……………. | ………… | ……… | ………. |
| | …….. | …………… | ……………. | | | ………. |
| …………… | …….. | …………… | ……………. | | | ………. |
| (चतुर्थ सत्र) | …….. | …………… | ……………. | ………… | ……… | ………. |
| | …….. | …………… | ……………. | | | ………. |
| …………… | …….. | …………… | ……………. | | | ………. |
| (पंचम् सत्र) | …….. | …………… | ……………. | ………… | ……… | ………. |
| | …….. | …………… | ……………. | | | ………. |

**अनुभव के कुल अंकों का योग : (अधिकतम अंक 20)** ……….

**अग्रणी महाविद्यालय द्वारा अभिप्रमाणिकरण के लिए आरक्षित स्थान**

अनुभव के कुल अंक : (जांचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं नाम)

प्राचार्य/कुलसचिव के हस्ताक्षर एवं मोहर :

दिनांक : ................................... (आवेदक के हस्ताक्षर)

**टीपः-** जिले के अग्रणी महाविद्यालय से अनुभव के अंक एवं आयु सीमा में छूट का अभिप्रमाणीकरण कराने का दायित्व आवेदक का ही होगा।

### परिशिष्ट– तीन

### क्रीड़ा अधिकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

**ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-**

1. ऑनलाइन आवेदन-पत्र वेबसाइट पर **www.mponline.gov.in** तथा **mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध है। जिसे ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं।
2. उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त अभ्यर्थी निम्नांकित माध्यमों से भी शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:-
   - अ. स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं।
   - ब. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।
3. अभ्यर्थी MPONLINE के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से शुल्क का नगद भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। MPONLINE के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध हैं।
4. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अपने अद्यतन पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर की 25 KB से 200 KB तक की स्कैन फाइल तैयार रखें, जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय Upload करना होगा। **www.mponline.gov.in** के KIOSK पर स्कैनिंग की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।

**फोटो स्कैनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-**

1. स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें, जिस पर अभ्यर्थी का नाम एवं फोटो खींचने का दिनांक अंकित हो जो तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते है तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टतः दिख रही हों।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढँकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफेद हो।
6. कृपया सेल्फी द्वारा ली गयी फोटो का प्रयोग न करें।

5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में वही नाम/उपनाम/जन्मतिथि उल्लेखित करें जो उनकी हाईस्कूल की अंकसूची में उल्लेखित है। यदि अभ्यर्थी द्वारा नाम परिवर्तन करवाया गया है तब भी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हाई स्कूल की अंकसूची में उल्लेखित उक्त विवरण ही मान्य होंगे।
6. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिए गए निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।

7. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अंकित की गयी जानकारी ही प्रमाणिक जानकारी मानी जाएगी। अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र Submit करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभाँति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् ही आवेदन Submit करें।
8. आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले pop up window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लेखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात् **उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Pop up window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।
अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "proceed to payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें। अभ्यर्थी उक्त आवेदन-पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि का प्रयोग कर प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थी "Payment Done" उल्लेखित आवेदन-पत्र की प्रिंट आउट प्राप्त करने के पश्चात ही आवेदन-पत्र को जमा मानें।
9. **त्रुटि सुधार सुविधा** :- अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक **28-04-2023 से 29.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे)** तक प्रति सत्र त्रुटि सुधार सत्र **रु. 50/-** शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए ऐसे अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन-पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन-पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/ पुरुष)/ शासकीय सेवक/ दिव्यांगजन/ भूतपूर्व सैनिक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई भी पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।
**महत्वपूर्ण** :- त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात् अभ्यर्थी से प्राप्त अभ्यावेदनों के द्वारा अथवा आयोग को प्राप्त शिकायतों से यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की गयी है तो उसके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकेगी।
10. अभ्यर्थी उक्त आवेदन-पत्र को सुरक्षित रखें। आवेदन-पत्र में अंकित आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक की प्रविष्टि कर इंटरनेट के माध्यम से वे प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले सकेंगे।
11. **अत्यावश्यक** :- यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में वर्टिकल श्रेणी (अना./ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग) गलत भरी गयी है तो उसे अनारक्षित (ओपन) के कटऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर अनारक्षित (ओपन) श्रेणी में उम्मीदवारी मान्य होगी और यदि होरिज़ोंटल आरक्षण (महिला/ भूतपूर्व सैनिक/ दिव्यांगजन) में गलत श्रेणी भरी है तो उसी वर्ग के ओपन के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर उस वर्ग के ओपन में उम्मीदवारी मान्य की जाएगी।

**ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश और विधि** :-

1. कृपया आवेदन-पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। **आवेदन-पत्र दिनांक 28.04.2023 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 27.05.2023 को दोपहर 12.00 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।**
2. आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक **28.04.2023** को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक **29.05.2023** (दोपहर 12:00 बजे) को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- शुल्क के भुगतान के पश्चात् आवेदन-पत्र में वांछित सुधार किया जा सकेगा।
3. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग करने की मांग की जाती है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. **आवेदन एवं परीक्षा शुल्क** :-

| म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क | शेष सभी श्रेणी एवं मध्यप्रदेश से बाहर के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क |
|---|---|
| ₹ 250/- | ₹ 500/- |

सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क ₹ 40/- (सेवा कर सहित) अतिरिक्त देय होगा। जो अभ्यर्थी राज्य सेवा तथा वन सेवा दोनों हेतु आवेदन करेंगे उन्हें भी उपरोक्त अनुसार ही शुल्क एक बार ही देना होगा।

**टीप** :- 1. परीक्षा के परिणाम के बाद आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन माड्यूल की सहायता से ₹ 50/- शुल्क का भुगतान कर अभ्यर्थी उनकी OMR शीट Download कर सकेंगे।

**आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपी ऑनलाइन के निम्नांकित दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।**
**हेल्पलाइन नं. 0755-6720210 तथा 0755-6720211**
**केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आवेदन एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा, किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।**

5. **ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी** :-
म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित **राज्य सेवा परीक्षा 2022** के लिए आवेदन-पत्र वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं **www.mponline.gov.in** पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरकर परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से किया जा सकता है। एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए **www.mponline.gov.in** पर locateKiosk/CSCsLink देखें। **अभ्यर्थी हेल्पलाइन - 0755-6720210 तथा 0755-6720211** से भी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
7. इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन-पत्र/परीक्षा शुल्क भरने की विधि :-

अभ्यर्थी **https://www.mponline.gov.in** वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर Citizen Services पर क्लिक करें इसके उपरांत Application लिंक पर जाकर MPPSC बटन को क्लिक करें। अब उसे यहां निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगे।

| |
|---|
| Click here to Apply |
| Pay for unpaid Application/DuplicateReceipt |
| Click here to Edit |
| Download Admit Card Duplicate Receipt/View Application Status |
| Click Here to View Advertisement |

अभ्यर्थी फार्म भरने से पहले **Click here to View Advertisement** को क्लिक कर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके उपरांत ही अभ्यर्थी **Click here to Apply** को क्लिक करें। इसके उपरांत अभ्यर्थी को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। अभ्यर्थी को फार्म में मांगी गईं समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Upload Image दिखाई देगा। इसमें अभ्यर्थी को अपना फोटो-हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के दाहिनी ओर अभ्यर्थी को फोटो-हस्ताक्षर के **(प्रारूप हेतु इस लिंक्स)** दिखाई देगी। Links को क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फॉर्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फॉर्मेट को स्कैन कर jpg फार्मेट में ही सेव करें। अब अभ्यर्थी Upload Image बटन क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में अभ्यर्थी ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो-हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।
अभ्यर्थी फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई हैं वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही Submit बटन दबाएं। इससे अभ्यर्थी को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए Proceed to Payment बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगे :-
1. इंटरनेट बैंकिंग (सभी राष्ट्रीयकृत बैंक)
2. क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड

**इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान** - अभ्यर्थी चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग से कर सकता है। अभ्यर्थी फार्म भरने के उपरांत Proceed to Payment का बटन दबाएगा। यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग आप्शन दिखाई देखा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई.डी. पासवर्ड डालकर लॉगिन होगा। इस प्रक्रिया से अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को स्क्रीन पर पावती नम्बर और अभ्यर्थी का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें एवं उसे संभालकर रखें।
**क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान** - अभ्यर्थी किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए Proceed to Payment का बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर बैंक का पेमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कन्फर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी अंकित होगी। अभ्यर्थी इस रसीद को संभालकर रखे।
सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को स्क्रीन पर पावती नंबर और अभ्यर्थी का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें। **अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन-पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन का वह प्रिंट आउट हो जिस पर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो।**

8. **एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन-पत्र/परीक्षा शुल्क भरने की विधि** :-
अभ्यर्थी आवेदन फार्म भरने के लिए अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाएगा। कियोस्क संचालक **www.mponline.gov.in** वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आई.डी. और पासवर्ड डालकर लागिन टाइप में कियोस्क सिलेक्ट कर लॉगिन करेगा। इसके उपरांत सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में MPPSC सिलेक्ट कर सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां अभ्यर्थी को उपलब्ध कराएगा। अभ्यर्थी इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें ताकि मांगी गई समस्त जानकारियां फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरांत अभ्यर्थी कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जाएं। कियोस्क संचालक अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरांत अभ्यर्थी फार्म में भरी गईं समस्त जानकारियां अच्छी तरह पढ़ लें। अभ्यर्थी सभी जानकारियां सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का कहे। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर दो पृष्ठीय कम्प्यूटराइज्ड रसीद अभ्यर्थी को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही अभ्यर्थी से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी।
**अभ्यर्थी इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन-पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंट आउट हो जिस पर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो। जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।**
9. यदि अभ्यर्थी के पास क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गए फार्म का कियोस्क के माध्यम से **Pay for unpaid Application/ Duplicate Receipt** लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है :-
इसके लिए अभ्यर्थी को उपरोक्त बताए गए बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गए फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरांत कियोस्क संचालक **Pay for unpaid Application/ Duplicate Receipt** लिंक पर क्लिक कर उक्त जानकारियां भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक अभ्यर्थी कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ अभ्यर्थी द्वारा भरी गई समस्त जानकारियां अंकित होंगी। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन-पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंट आउट हो जिस पर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done' अंकित हो।

- अभ्यर्थियों से निवेदन है कि "ऑनलाइन आवेदन" की पावती पृष्ठ की प्रति भविष्य के लिए संभाल कर रखें।
- ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा या एमपी ऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही मानी जाएगी।

**नोट**:- यदि आपको ऑनलाइन फार्म में भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए एम.पी. ऑनलाइन के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें

**हेल्पलाइन - 0755-6720210 तथा 0755-6720211**

2. **अन्य निर्देश/जानकारी** :-
1 अभ्यर्थी को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, परीक्षा का नाम, पंजीयन क्रमांक, अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र, पूर्ण पता तथा मोबाइल नंबर लिखना चाहिए।
2 अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अंकित मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. पर ही SMS या ई-मेल द्वारा आवश्यक होने पर सूचनाएँ दी जाएंगी।
3 परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक व प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास, आपस में बातचीत करना, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना, ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्न पत्र को क्षति पहुंचाना, धौंस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुंचाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण, परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका को क्षति पहुंचाना एवं उत्तर पुस्तिका को जमा न करना आदि को दण्डनीय माना जाएगा।

4 **पहचान चिन्ह** :- ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। यदि उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक या अन्य अंक, अपना नाम या अन्य नाम या किसी प्रकार का चिन्ह लगाएंगे तो उसे पहचान चिन्ह बनाया माना जाएगा। ऐसे पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकेगी।

5 परीक्षा परिसर तथा साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्जित है।

6 उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि सभी स्थानों अर्थात उनके आवेदन-पत्र, परीक्षा हॉल में उपस्थिति सूची पर तथा आयोग के साथ किए गए समस्त पत्र व्यवहार में उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक समान होना चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। यदि विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

**3. आवेदन की अंतिम तिथि :-**

ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा करने की **अंतिम तिथि 27.05.2023** है। अंतिम तिथि को दोपहर 12.00 के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

**4. नियोक्ता की अनापत्ति :-**

जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवक के रूप में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, (जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है) या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत है, उनको यह अभिवचन [Undertaking] (जैसा कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की घोषणा में छपा है) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को चयन के किसी भी स्तर पर उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने से संबंद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

**5. साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन-पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं अनुप्रमाणन-पत्रक के साथ निम्न अभिलेख संलग्न कर आयोग को प्रस्तुत करना होगा :-**

1 परीक्षा का आवेदन पत्र

2 आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** में "Download Format" लिंक पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक Download करें।

3 **आयु संबंधी प्रमाण के लिए** - केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिकुलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।

4 **शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र** - हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है एवं समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की स्व-सत्यापित अंकसूचियां। उपाधि संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा।

5 **मूल-निवासी/स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र।**

6 **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु मध्यप्रदेश शासन के विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।**

7 **जाति प्रमाण-पत्र** - उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण अथवा अन्य किसी रियायत के लिए दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है, अनुप्रमाणन-पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न करना चाहिए। विवाहित महिलाओं के मामले में उसके पिता के नाम का उल्लेख करने वाला जाति प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण-पत्रों में यह प्रमाणन आवश्यक है कि अभ्यर्थी क्रीमीलेयर में नहीं आता है। जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे किसी भी प्रकार की छूट हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को अनुप्रमाणन पत्रक के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों में निम्न प्रारूप में घोषणा-पत्र (Declaration) प्रस्तुत करना होगा कि वे शासन द्वारा अभिनिर्धारित नवीनतम मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आतेः-

**क्रीमीलेयर में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में मान्य किए जाएंगे।**

**घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप**

मैं ———— आयोग के विज्ञापन **क्रमांक 53/2022 दिनांक 30.12.2022** के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता / करती हूँ

1. मैं ————पुत्र/पुत्री श्री———— निवासी ग्राम/ कस्बा/ शहर/———जिला ———, मध्यप्रदेश का/ की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं ————जाति का/ की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/ करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूँ।

दिनांक :- ————

हस्ताक्षर ————
नाम ————
रोल नंबर ————

यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय मूल जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति मूलतः प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसकी अभ्यर्थिता अस्वीकृत कर दी जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी के किसी वचन पत्र अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाएगा। वांछित प्रमाण-पत्रों के अभाव में किसी शिथिलीकरण/ रियायत की पात्रता के बारे में विचार नहीं किया जाएगा।

8 दिव्यांगजन श्रेणी होने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थी हेतु)

**दिव्यांगता प्रमाण-पत्र** : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

9 **शासकीय सेवकों/ भूतपूर्व सैनिकों को देय छूट हेतु** नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

10 **अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत देय छूट हेतु** शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।

11 **विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को देय छूट हेतु** विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

12 **अतिथि विद्वान अनुभव प्रमाण-पत्र।**

उक्त अभिलेखों के सेट की एक प्रति स्वप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग को निम्नांकित पते पर प्रस्तुत करें :-

सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेंसी एरिया
इंदौर, मध्यप्रदेश - 452001

**टीप** - 1. लिफाफे के शीर्ष पर "क्रीड़ा अधिकारी के साक्षात्कार हेतु अभिलेख" तथा प्रेषक के स्थान पर अभ्यर्थी के परीक्षा का रोल नम्बर, नाम एवं पते का उल्लेख अनिवार्यतः करें।

2. अभिलेखों के दो सेट सुरक्षित रखें। उक्त सेट मूल अभिलेखों के साथ साक्षात्कार के समय अनिवार्यतः साथ लाएं।
3. केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाएगा जिन्हें अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात् अर्ह पाया जाएगा।

**महत्वपूर्ण टीप :-** परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय भी फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक स्व-प्रमाणित छायाप्रति लेकर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है। फोटो परिचय पत्र द्वारा अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

यदि आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। डाक विभाग अथवा अन्य किसी भी माध्यम से निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त अभिलेख मान्य नहीं किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी अंतिम निर्धारित तिथि के पूर्व स्वयं के अभिलेख आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. **कदाचरण और उसके लिए कार्यवाही :-** कोई अभ्यर्थी, जो आयोग द्वारा निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है :-

01 जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो या वैसा करने का प्रयास किया हो, या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन किए हो जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन का आश्रय लिया हो, या

07 परीक्षा कक्ष में अथवा अन्य किसी भी स्थान पर अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृन्द को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

09 उनके प्रवेश-पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृन्द द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो, या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

11 परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि अभ्यर्थी कर्तव्यरत अधीक्षणकर्ता (इनविजिलेटर) के पास उसकी ओ.एम.आर. शीट जमा करने में असफल रहता है या ओ.एम.आर. शीट को क्षति पहुंचाता है, या

12 परीक्षा के पूर्व किसी भी रीति से प्रश्न पत्र अभिप्राप्त करता है या उसके लिए प्रयास करता है, तो आयोग -

(एक) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(दो) यदि वह शासन के आधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के आधीन उस पर आनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(तीन) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा। एवं तब शासन द्वारा उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके आधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

**ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है, उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।**

**7. प्रवेश-पत्र -**

01 अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यदि :-

(क) वह, आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र धारण न करता हो, और

(ख) वह, आयोग द्वारा जारी विज्ञापन/प्रवेश-पत्र में उल्लिखित फोटो परिचय-पत्रों की कोई एक मूल फोटो परिचय-पत्र धारण न करता हो, और

(ग) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र के संलग्न फोटो से उसके चेहरे का मिलान न होता हो, और

(घ) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो का, आयोग द्वारा विहित उसके द्वारा लाए गए फोटोयुक्त परिचय-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो से मिलान न होता हो।

02 प्रवेश-पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा के 10 दिन पूर्व से परीक्षा शहर की जानकारी e-Mail द्वारा तथा परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र दिनांक (निर्धारित नहीं) से 53/2022 www.mponline.gov.in तथा mppsc.mp.gov.in पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेंगे। आवेदकों को वेबसाइट से ही परीक्षा के प्रवेश-पत्र प्राप्त करना होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। प्रवेश-पत्र एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से डाउनलोड करने पर पांच रुपए पोर्टल शुल्क देय होगा।

03 यदि प्रवेश-पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो आयोग अथवा एम.पी. ऑनलाइन से संपर्क करें।

04 यदि किसी अभ्यर्थी का नाम नॉमिनल रोल में सम्मिलित नहीं है परन्तु उसे प्रवेश-पत्र प्राप्त हो चुका है तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करे। केन्द्राध्यक्ष संतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे।

05 **अत्यंत महत्वपूर्ण** - अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र के साथ निम्न मान्य मूल फोटो युक्त पहचान प्रमाण-पत्र में से कोई एक प्रस्तुत करने एवं उससे अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि होने के पश्चात् ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी :-

| | |
|---|---|
| 1. आधार कार्ड | 6. केन्द्र शासन/ राज्य शासन/ सार्वजनिक सेवा के उपक्रम के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र |
| 2. मतदाता पहचान पत्र | 7. बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक |
| 3. ड्रायविंग लायसेंस | 8. शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र |
| 4. पैन कार्ड | 9. राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय पत्र |
| 5. पासपोर्ट | |

08 मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे) उन्हें भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। प्रारूप निम्नानुसार हैः-

| अभिवचन (Undertaking) का प्रारूप |
|---|
| मैंने क्रीड़ा अधिकारी के पदों के विज्ञापन क्रमांक 53/2022 दिनांक 30.12.2022 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत किया है तथा मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। अतः भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाए। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है।<br>हस्ताक्षर...............................<br>पूरा नाम.............................<br>रोल नंबर ............................ |

01. क्रीड़ा अधिकारी के पदों का परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in तथा "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थी को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

10. **यात्रा व्यय का भुगतान -**

(अ) निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी :-

1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।
2. मध्यप्रदेश के मूल निवासी 40% या अधिक दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. दिव्यांगता के प्रमाणन हेतु जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
3. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

(द) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ एवं आधार कार्ड की स्कैन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(फ) जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने हेतु देय यात्रा भत्ता का ऑनलाइन भुगतान प्राप्त नहीं होता है वे इस संदर्भ में कलेक्टर/कमिश्नर कार्यालय से पत्र व्यवहार करें। इस संदर्भ में आयोग से कोई पत्र व्यवहार न करें। इस संदर्भ में आयोग में प्राप्त पत्र बिना किसी कार्यवाही के नस्तीबद्ध किए जाएंगे।

(ज) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

### परिशिष्ट- चार

### ऑप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश

**टीप-** ओ.एम.आर.शीट का मूल्यांकन ऑप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जाएगा अतः ओ.एम.आर.शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यन्त सावधानी पूर्वक करें।

1 आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम दो काले बाल प्वाइंट पेन अवश्य लाएं।

2 गोले भरने के लिए केवल काला बाल प्वाइंट पेन का ही उपयोग करें। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्कैनर द्वारा जांची नहीं जा सकेगी।

3 ओ.एम.आर. शीट पर किसी प्रकार का रफकार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्न पत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है, उस स्थान का ही उपयोग करें।

4 ओ.एम.आर. शीट अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/ऑप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा।

5 उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. शीट पर सभी प्रविष्टियां सही रूप से की गई हैं। अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त प्रश्न पत्र सेट ए.बी.सी.डी. अंकन न करने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा ।

6 आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (×) लगाने पर ओ.एम.आर. शीट कम्प्यूटर/ऑप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी।

7 **ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकन के लिए - सामान्य निर्देश -**

(अ) प्रश्नों के उत्तरः ओ.एम.आर. शीट पर यथा-स्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओ.एम.आर. शीट पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए.बी.सी.डी. बने हैं। प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ए.बी.सी.डी. दिए हैं। इनमें से एक सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला काले बाल पाइन्ट पेन से गहरा काला करें। एक से अधिक गोलों को काला करने पर प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
OMR Sheet में उत्तर अंकित कर उसे काटने/ मिटाने/ व्हाइटनर लगाने से उक्त प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

(ब) ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, प्रश्न पत्र कोड आदि भरने के लिए बने खानों में प्रविष्टि के लिए काले बाल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र A,B,C,D set में से कोई एक ही सेट दिया जाएगा। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें।

(स) हस्ताक्षर - ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर बाल पेन से हस्ताक्षर करें।

(द) ओ.एम.आर. शीट के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, प्रश्न पत्र कोड के कॉलम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिए काला बाल प्वाइंट पेन का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। अभ्यर्थी उसे आवंटित प्रश्न पत्र के सेट कोड ध्यान से देखें तथा सेट की जानकारी सुनिश्चित होने के पश्चात् ही प्रश्न पत्र के सेट कोड के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (ABCD के गोले) के आधार पर ही उत्तर शीट का मूल्यांकन किया जाएगा। सेट कोड गलत भरने पर त्रुटि सुधार नहीं होगा। मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा भरे गए सेट कोड की उत्तर कुंजी के आधार पर होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। आवश्यक प्रविष्टियां सही स्थान पर उचित रूप से न भरने पर अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य नहीं किया जाएगा।

8. **रोल नम्बर की प्रविष्टि (चित्र एक)**

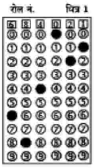


रोल नम्बर के खाने में बायें से दायें 1 से 6 तक स्तम्भ। पहला स्तम्भ लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चौथा स्तम्भ सैकड़े का, पांचवां स्तम्भ दहाई का एवं छठा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले हैं। इन्हीं में आपको अपने रोल नम्बर भरना है। उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाइन में चौकोर खानों में दर्शाए अनुसार रोल नम्बर काला बाल प्वाइंट पेन से लिखें तत्पश्चात् पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पांचवें स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को काला बाल प्वाइंट से गहरा काला करें।

अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

### परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा।

**एक- प्रवेश**

01 परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्रावधिक है।

02 परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

03 परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र तथा मान्य फोटो युक्ति परिचय-पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ रखें।

04 परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी की जाँच की जाएगी। परीक्षार्थी अपने साथ केवल दो काले बाल प्वाइंट पेन, प्रवेश-पत्र एवं मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएं। इसके अतिरिक्त मोबाइल, केलक्युलेटर, पेजर एवं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।

**दो - निर्गमन :**

01 सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।

02 किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भले ही उसने प्रश्नपत्र हल कर लिया हो।

03 प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किए जाने के उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।

04 निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा (केवल दृष्टिबाधित तथा ऐसे अस्थिबाधित जो दोनों ही हाथों से लिखने में असमर्थ हैं तथा वे जिन्होंने सहलेखक की सुविधा ली है, ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में 20 मिनट प्रति घण्टा अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

**तीन-ओ.एस.आर. शीट पर नाम और अनुक्रमांक :-**

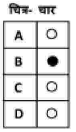


ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखें। ओ.एम.आर. शीट के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। **ओ.एस.आर. शीट पर पेंसिल, रबर एवं व्हाइटनर का उपयोग करने या अभ्यर्थी के पास कक्ष में पाए जाने पर अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा।** ओ.एम.आर. शीट में (आपको दिए गए A, B, C, D प्रश्न पत्र सेट में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्न पत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोले को काले पेन से अनिवार्यतः काला करें। आपके द्वारा प्रश्न पत्र सेट के गोले को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही ओ.एम.आर. शीट मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट- B को काला किया है। सेट का गोला काला नहीं करने पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

**उत्तर अंकित करने हेतु अनुदेश -**

1 केवल काली स्याही वाले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें।

2 प्रत्येक प्रश्न का उत्तर - पत्र में दिए गए प्रश्न क्रमांक के सामने संबद्ध गोले को काला करें।

3 प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु केवल एक ही गोले को गहरा काला करना है, जैसे नीचे दिखाया गया है :-

4 पूरे गोले को गहरा काला कीजिए।

5 उत्तर के लिए दिए गए गोले को काला कीजिए एक से अधिक गोले काले करने / चिह्न (.) होने पर भी उत्तर मान्य नहीं होगा।

6 उत्तर पत्र पर कच्चा काम करना मना है। इस काम के लिए प्रश्न पत्र के अंत में खाली जगह का ही उपयोग कीजिए।

7 प्रश्न-पत्र के सेट के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। उत्तर-पत्र में काले किए गए सेट के गोले के आधार पर ही उसे जाँचा जाएगा। गलत गोला काला करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

8 अभ्यर्थी अगर प्रश्न पुस्तिका सेट का गोला नहीं भरता है, तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा एवं वह अयोग्य माना जाएगा।

9 अभ्यर्थी अगर अपने अनुक्रमांक के गोले नहीं भरता है, तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा एवं वह अयोग्य माना जाएगा।

10 अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका कक्ष के वीक्षक को ही जमा करें।

11 अभ्यर्थी अगर अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका पर उत्तर के गोले भरने/मिटाने के लिए यदि पेंसिल/व्हाइटनर का उपयोग करता है, तो नकल का प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

**चार- अनुचित साधन :-**

परीक्षा हॉल/कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण जैसे मोबाइल, वॉच, डिजिटल डायरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पेजर, केल्कुलेटर आदि तथा पेंसिल, रबर व्हाइटनर जैसी सामग्री के साथ पाया जाता है, तो अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। उनके पास कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या कागज जो परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करने में सहायक हो। अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर नकल प्रकरण दर्ज होगा।

परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दण्डनीय है। परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप विशेषकर मोबाइल, इलेक्ट्रानिक उपकरण तथा अन्य वर्जित वस्तुएं आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माना जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष

**(शेष अगले पृष्ठ पर)**

# औद्योगिक केंद्र के रूप में नई पहचान बना रहा है मंडीदीप

**भोपाल,** किसी भी प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिये आधारभूत अवसंरचना महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश में आधारभूत अवसंरचना को सुविधाजनक बनाने के लिये केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार ने कई पहल की हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने बीते कुछ समय में आधारभूत अवसंरचना निर्माण की दिशा में विशेष ध्यान दिया है, जिसके चलते मध्यप्रदेश निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। बीते डेढ़ दशक में जहां एक ओर प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी की बेहतर सुविधाएं विकसित की गई हैं, वहीं दूसरी ओर निवेशकों की सुविधा के लिये सिंगल-विंडो प्रणाली जैसे अनेक नवाचार भी किये गये हैं। परिणाम में प्रदेश में औद्योगिक निवेश के मौके बढ़े हैं।

**सड़कों ने खोला विकास का नया द्वार**

सड़कें किसी भी देश प्रदेश के विकास की धुरी होती हैं। मध्यप्रदेश ने एक समय वह दौर भी देखा है जब सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, इसका पता नहीं चलता था। उस समय प्रदेश की बदहाल सड़कें औद्योगीकरण के लिए परेशानी का सबब बनी हुई थी। ख़राब सडकों ने विकास, निवेश और रोज़गार की तमाम संभावनाओं पर ग्रहण लगा दिया था। मध्यप्रदेश ने वह दौर भी देखा, जब अघोषित बिजली की कटौती से प्रदेश की जनता का जीना दूभर हो गया था। तब बिजली कटौती की वजह से उद्योगों को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज प्रदेश की स्थिति बदल चुकी है। मध्यप्रदेश में बीते कुछ दशकों में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की औद्योगिक प्रोत्साहन नीतियों के चलते उद्योगों की स्थिति आज बेहतर हो गई है। यही वजह है कि मध्यप्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन कर उभरा है।

**उद्योगों के लिये अनुकूल वातावरण**

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में उद्योग काफी हद तक प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। यहां चूना- पत्थर, कोयला, तिलहन, दालें, बॉक्साइट, लौह अयस्क, हीरा, तांबा, मैंगनीज अयस्क, रॉक फॉस्फेट, सिलिका, सोया, कपास सहित अन्य प्राकृतिक संपदा प्रचुर मात्रा में हैं। राज्य में कपड़ा, सीमेंट, इस्पात, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, ऑटो कम्पोनेंट, फार्मा और ऑप्टिकल फाइबर जैसे क्षेत्रों के लिए एक मजबूत औद्योगिक नींव बनी हुई है। वर्ष 1980 के दशक में, कई परिवर्तनों ने औद्योगिक विकास में मदद की। इस क्षेत्र में उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का गठन किया गया। वर्ष 1983 में मंडीदीप में सिर्फ 49 औद्योगिक इकाइयां थी अब मंडीदीप में ही करीब 650 औद्योगिक प्लांट हैं। इन पर 450 फैक्ट्रियाँ संचालित हो रही हैं। निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने अपनी सरल नीतियों से लगातार कारोबारी माहौल में सुधार किया है।

राज्य शासन की उद्योग संवर्धन नीति में औद्योगिक इकाइयों को जहां अनुकूल सुविधाएं देने का निर्णय हुआ, वहीं औद्योगिक इकाइयों में प्रदेश के स्थायी निवासियों को प्राथमिकता के साथ रोज़गार दिया जा रहा है। प्रदेश में जीएसटी व्यवस्था लागू होने से वृहद श्रेणी के उद्योगों को देय टैक्स सहायता लगातार दिये जाने संबंधी प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण किया गया है। अधिक से अधिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रयोजन के लिये आपसी सहमति से निजी भूमि अर्जन के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी भी लागू की है। इससे औद्योगिक विकास दर में भी इजाफा हुआ है। राज्य सरकार छोटे उद्योगों के लिए भी सस्ती दरों पर जमीन देने के साथ सब्सिडी देने का काम भी कर रही है।

**औद्योगिक इकाइयों का बड़ा हब बना मंडीदीप**

भोपाल से सटा हुआ मंडीदीप अब औद्योगिक इकाइयों के एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है। यहां ल्यूपिन, प्रॉक्टर एन्ड गेम्बल, दावत फ़ूड्स, वर्धमान टेक्सटाइल्स, एचईजी लिमिटेड जैसी कंपनियों की मौजूदगी है, जो हर साल करोड़ों रुपये के उत्पादों का निर्यात कर रही है। इसमें 400 फैक्ट्री एमएसएमई कैटेगरी की हैं। इस क्षेत्र में औद्योगिक निवेश की तमाम योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होने से निवेशक यहां उद्योग लगाने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं।

**एचईजी लिमिटेड औद्योगीकरण का दीया जलाने वाला पहला उद्योग**

मध्यप्रदेश के मंडीदीप में 70 के दशक में औद्योगीकरण का दीया जलाने वाला पहला उद्योग एचईजी था। स्टील प्लांट्स के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने वाली एचईजी के ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की मांग आज दुनियाभर में है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड उन इस्पात उत्पादकों के लिए एक कच्चा माल है, जो पारंपरिक ब्लास्ट फर्नेस प्रक्रिया के बजाय इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट (ईएएफ) का इस्तेमाल करते हैं। मंडीदीप प्लांट से अमरीका, यूरोप और अफ्रीकी देशों में इसकी सप्लाई की जा रही है। प्लांट से 1800 लोगों को रोज़गार मिल रहा है। मंडीदीप एचईजी के पास 76.5 मेगावॉट (दो थर्मल पावर प्लांट और एक हाइड्रोपावर प्लांट) की क्षमता वाले ग्रेफ़ाइट इलेक्ट्रोड के उत्पादन का कारखाना भी है।

एचईजी लिमिटेड मंडीदीप के सीएमडी श्री रवि झुनझुनवाला का कहना है कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिये बेहतरीन माहौल है। राज्य सरकार की औद्योगिक नीति, निवेशकों को आकर्षित कर रही है और मध्यप्रदेश निवेशकों के लिए उपयुक्त राज्य है। उनकी कंपनी की इकाई ग्रेफाइट एनोड के विनिर्माण के लिए प्रदेश में 2 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी। यह निवेश देवास जिले के ग्राम सिरसौदा में किया जाएगा, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 20 हजार मीट्रिक टन होगी। एक जनवरी 2025 तक प्रथम चरण का उत्पादन शुरू होगा और एक जनवरी 2028 तक परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा।

**वर्धमान टेक्सटाइल**

वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड, टेक्सटाइल क्षेत्र में सत्तर के दशक से भारत में काम कर रही है। मध्यप्रदेश में 1991 में इसका प्लांट मंडीदीप में स्थापित हुआ। वर्तमान में 180 एकड़ और 50 एकड़ में यहां कंपनी के दो प्लांट काम कर रहे हैं, जिनमें 15 हजार से अधिक लोगों को सीधा रोज़गार मिल रहा है। इनमें 4,500 महिलाएं भी शामिल हैं। प्रदेश के हर कोने से यहां के प्लांट में स्थानीय युवाओं को रोज़गार मिला है।

---

(पिछले पृष्ठ का शेष)

में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी ओ.एम.आर. शीट से नकल करना अथवा अपनी शीट से अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से ओ.एम.आर. शीट बदलना, परीक्षा भवन में जोर-जोर से बोलना, किसी भी प्रकार की सांकेतिक भाषा अथवा किसी प्रकार भाव-भंगिमा से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जाएगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य प्रदेशों के आयोगों की परीक्षा एवं साक्षात्कारों से वंचित किए जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।

**परीक्षा की गोपनीयता :- परीक्षा पूर्व/दौरान/पश्चात प्रश्न-पत्र की गोपनीयता के भंग होने की किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों/व्यक्तियों के विरुद्ध** आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाकर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

**पांच- प्रश्न संबंधी शिकायत :-**

प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षार्थी परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के निर्दिष्ट तिथियों पर 07 दिवस के अंदर निर्धारित शुल्क (100 रुपये प्रति प्रश्न तथा रुपये 40 प्रति सत्र पोर्टल चार्ज प्रथक से देय) आपत्ति शुल्क एवं पोर्टल चार्ज किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। जमा कर ऑनलाइन पद्धति से आपत्ति दर्ज कराए। परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर ऑनलाइन पद्धति से दर्ज शिकायतों पर ही विचार किया जाएगा। इसके पश्चात् एवं अन्य किसी पद्धति से प्रस्तुत आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। आपत्ति दर्ज कराने पर देय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। दर्ज आपत्तियाँ सही पाई जाने पर संशोधन का लाभ समस्त अभ्यर्थियों को प्राप्त होगा। भले ही उनके द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं की गई हो।

**छः- ओ.एम.आर. शीट का लौटाना :-**

परीक्षार्थी परीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक को ही सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना गम्भीर अपराध माना जाएगा और इस हेतु उसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

**सात-ओ.एम.आर. शीट पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियाँ**

1. ओ.एम.आर. शीट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड के सही गोले भरें। साथ ही प्रश्न पत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें। इस संबंध में दिए गए निर्देशों को गम्भीरता पूर्वक पढ़ने के पश्चात् ही आवश्यक प्रविष्टियां की जाएं।
2. ओ.एम.आर. शीट पर कोई दाग/चिह्न न लगने पाएं, इस बात की सतर्कता बरतें।

**आठ- प्रश्न पत्र पर अंकन**

परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर भी अनुक्रमांक लिखें तथा रफ कार्य प्रश्न पत्र में दिए गए पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्न पत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्न पत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

**नौ - उपस्थिति पत्रक**

प्रत्येक प्रश्न पत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।

**दस- दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु सहलेखक संबंधी नियम**

**अ. अभ्यर्थियों का विवरण जिन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी :-**

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पाल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तम (स्पेस्टिक) डाइसलेक्सिक पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो ओर इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5. उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को सहलेखक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

**ब. प्रदान की जाने वाली सुविधाएं :-**

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जाएगी। उपरोक्त सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र सहित परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना होगी ताकि नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तो के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी। लेखन सहायक से घोषणा-पत्र भरवाया जाएगा।

**(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्ते :-**

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की अर्हता से कम होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता स्नातक से कम होना चाहिए। (अर्थात स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए) यदि किसी पद की परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि है तो सहलेखक की योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि से कम होनी चाहिए (अर्थात् स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए)

**(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्ते :-**

ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें उपरोक्तानुसार सहलेखक की सुविधा प्रदान की गई है, निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

| | |
|---|---|
| 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए | 60 मिनट |
| 2 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए | 40 मिनट |

**स. इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं :-**

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जाएगा।

**द.** अभ्यर्थी को पात्र सहलेखक साथ में लेकर परीक्षा हेतु आना होगा। आयोग/केन्द्राध्यक्ष द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

**टीप :-** 1. उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त दिव्यांगजन सम्बन्धित अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं निर्णय लिए जाने हेतु आयोग के सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।

2. दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें सहलेखक एवं भूतल पर बैठने की व्यवस्था की आवश्यकता है वे अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उक्त आवश्यकताओं की प्रविष्टि करेंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आकस्मिक दुर्घटना एवं बीमारी के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में अभ्यर्थियों को उक्त सुविधाएँ उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर ही देय होंगी।

**ग्यारह- विविध**

1. परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्न पत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लाएंगे।
2. परीक्षार्थियों को अपने साथ पेंसिल, व्हाइटनर, डिजिटल डायरी, वॉच, केल्क्युलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर तथा अन्य electronic gadgets लाना वर्जित हैं। उपरोक्त वर्जित वस्तुएं अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर अनुचित साधन प्रकरण अंतर्गत नकल प्रकरण बनाया जाएगा।

**बारह-** परीक्षार्थी ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्न पत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं/निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें व अनिवार्यतः उनका पालन करें।

**तेरह- अनुशासन व शालीनता**

1. परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करना/अशिष्ट, अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।
2. परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
3. परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाना चाहिए। यह दण्डनीय है।
4. यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा। उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे परिक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किए जाएं। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।

जी-21335/48019/2023

# मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

### लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु खाद्य विश्लेषक/औषधि विश्लेषक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

| | | |
|---|---|---|
| **विज्ञापन क्रमांक 15/2022/30.12.2022** | **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24.02.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)** | **आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 09.03.2023** |

**महत्वपूर्ण निर्देश**

**A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-**

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेतु खाद्य विश्लेषक/औषधि विश्लेषक के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन **दिनांक 25.01.2023 को (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 24.02.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकेंगे। इसके पश्चात ये लिंक बंद हो जाएगी।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

**B. आयु की गणना :-**

1. **आयु की गणना 01 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी।**
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं (High School) की अंकसूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंकसूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

**C. शुल्क संबंधी निर्देश :-**

1. **उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट-02 का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

**D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-**

1. **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 03.02.2023 से 26.02.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र रुपये 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।**
2. **अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अतः वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।**
3. **त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।**
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी/वर्ग/जन्म तिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

**E. पात्रता :-**

1. **शैक्षणिक अर्हता -**

| क्र | पद का नाम | अर्हता |
|---|---|---|
| 1. | खाद्य विश्लेषक | (एक) विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्मजीव विज्ञान या डेयरी रसायन विज्ञान या खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य और पोषण में स्नातकोत्तर उपाधि।<br>**या**<br>डेयरी/तेल में प्रौद्योगिकी स्नातक उपाधि अथवा पशु विज्ञान में उपाधि रखता हो या रसायनज्ञ संस्था (भारत) द्वारा संचालित खाद्य विश्लेषक के वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण करके रसायनज्ञ संस्था (भारत) का कोई सहयुक्त हो<br>**या**<br>ऐसे प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिसूचित किसी अन्य समतुल्य अर्हता रखता हो।<br>**और**<br>खाद्य विश्लेषण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो,<br>**और**<br>(दो) प्राधिकरण द्वारा नियुक्त और अधिसूचित किसी बोर्ड द्वारा खाद्य विश्लेषक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित घोषित किया गया हो<br>ऊपर अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, किसी व्यक्ति को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन गठित बोर्ड द्वारा लोक विश्लेषक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित घोषित किया गया है वह व्यक्ति भी खाद्य विश्लेषक के रूप में पद को धारित करने का पात्र होगा। |
| | | **अभ्युक्ति**- किसी ऐसे व्यक्ति को खाद्य विश्लेषक नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका किसी खाद्य वस्तु के विनिर्माण या विक्रय में कोई वित्तीय हित है। |
| 2. | औषधि विश्लेषक | (क) आयुर्विज्ञान या विज्ञान या फार्मेसी या फार्मास्यूटीकल केमिस्ट्री में स्नातक (भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या ऐसे प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिसूचित कोई समकक्ष अर्हता)<br>**और**<br>औषधि परीक्षण में कम से कम 5 वर्षों का स्नातकोत्तर अनुभव, ऐसी प्रयोगशाला का हो, जिसका नियंत्रण-<br>(एक) अधिनियम (औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940) के अधीन नियुक्त शासकीय विश्लेषक या<br>(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित संस्थान या प्रयोगशाला का प्रमुख<br>**या**<br>(ख) आयुर्विज्ञान या विज्ञान या फार्मेसी या फार्मास्यूटीकल केमिस्ट्री में स्नातकोत्तर उपाधि (भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या ऐसे प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिसूचित कोई समकक्ष अर्हता)<br>**या**<br>इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट (इण्डिया) से एनालिसिस ऑफ ड्रग्स और फार्मास्यूटीकल के एक विषय के साथ एसोसिएटशिप डिप्लोमा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो<br>**और**<br>उपरोक्त स्नातकोत्तर उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात कम से कम तीन वर्ष का औषधि परीक्षण का अनुभव ऐसी प्रयोगशाला से हो, जिसका नियंत्रण (एक) अधिनियम (औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940) के अधीन नियुक्त शासकीय विश्लेषक या (दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित संस्थान या परीक्षण प्रयोगशाला का प्रमुख। |
| | | **अभ्युक्ति** - ऐसे व्यक्ति को औषधि विश्लेषक नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका औषधि/कॉस्मेटिक विनिर्माण, आयात या बिक्री में कोई वित्तीय हित हो। |

2. **रोज़गार पंजीयन -**
   (क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
   (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
   (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता/अनुभव/वांछनीय अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे उस विभाग को अपनी शिकायत प्रेषित कर सकते हैं।

**F. परीक्षा केन्द्र तथा प्रवेश-पत्र :-**

1. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु Reimbursement का वर्गीकरण प्रावधानित है, जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है। अतएव इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**G. परीक्षा नियम/निर्देश आदि :-**

1. **चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।**
2. **चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोज़गार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।**
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. **उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87 प्रतिशत तथा प्रावधिक भाग 13 प्रतिशत के आधार पर जारी किया जाएगा।**

**अन्य निर्देश :-**

1. **विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ, संशोधन आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अतः समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।**
2. **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतिम परीक्षा परिणाम के पश्चात अंतरित किया जाएगा।**
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टतः परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. इस विज्ञापन के तहत पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। किन्तु आवश्यकतानुसार यदि लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है, तो परीक्षा केन्द्रों की जानकारी पृथक से आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in पर यथासमय प्रकाशित की जाएगी।**

6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से **लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन** के निम्नलिखित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

| क्र. | पद का नाम | रिक्त पदों की संख्या | | | | | | रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UR | SC | ST | OBC | EWS | कुल | UR | SC | ST | OBC | EWS |
| 1 | खाद्य विश्लेषक | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | औषधि विश्लेषक | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

**टीपः-** अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संदर्भ में प्रचलित याचिका के अनुक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 द्वारा चयन परिणाम मुख्य भाग 87 प्रतिशत तथा प्रावधिक भाग 13 प्रतिशत के आधार पर जारी किया जाना है। इस संदर्भ में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा यह अवगत कराया गया है कि :-

(क) खाद्य विश्लेषक प्रावधिक भाग में पद संख्या 0 रहेगी। अतः उक्त सभी 4 पद 87 प्रतिशत मुख्य भाग में सम्मिलित रहेंगे।

(ख) औषधि विश्लेषक के पदों हेतु मुख्य भाग 87 प्रतिशत तथा प्रावधिक भाग 13 प्रतिशत का पद विभाजन निम्नानुसार रहेगा :-

| | | UR | SC | ST | OBC | EWS | कुल | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मुख्य भाग (87%) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | प्रावधिक भाग (13%) | 1 (काल्पनिक) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**दो पदों का विवरण**

**1. पद का नाम : खाद्य विश्लेषक**
विभाग का नाम : लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन
श्रेणी : राजपत्रित (प्रथम श्रेणी)
पदों की स्थिति : स्थायी
वेतनमान : रुपए 67300-206900
**पद के मुख्य कर्तव्य : खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46 में दिए गए कृत्यों का निर्वहन करना**

**2. पद का नाम : औषधि विश्लेषक**
विभाग का नाम : लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन
श्रेणी : राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)
पदों की स्थिति : स्थायी
वेतनमान : रुपये 56100-177500
**पद के मुख्य कर्तव्य : औषधि एवं प्रसाधन सामग्री की जाँच करना/करवाना एवं प्रतिवेदन जारी करना।**

**तीन अनुभव के संबंध में आवश्यक निर्देश**

(1) अनुभव प्रमाण-पत्र के प्रारूप हेतु **परिशिष्ट 01** देखें।

(2) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 24.02.2023 तक** अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(3) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है, तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।

**टीप-**

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

(4) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन ही आवेदन कर सकेंगे। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में मान्य हैं अथवा दिव्यांगजन हैं, अनारक्षित श्रेणी के रूप में विचारित किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि वे क्रीमीलेयर श्रेणी में नहीं आते।

(5) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

**चार मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छः **आयु सीमा :** 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

सात **आयु संगणना तिथि 01.01.2023**
**आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिए परिशिष्ट-2 देखें।**

आठ **अधिवार्षिकी आयु : 62 वर्ष**

नौ **चयन प्रक्रिया :-**
**चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा।**
**विभिन्न श्रेणियों/प्रवर्गों हेतु विज्ञापित पदों के आधार पर अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों :-**

| विभिन्न श्रेणियों/प्रवर्गों हेतु विज्ञापित पदों की संख्या | साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या |
|---|---|
| 1 | 2 |
| एक पद के लिए | 12 उम्मीदवारों तक |
| 2 से 3 पदों के लिए | 24 उम्मीदवारों तक |

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित हेतु 41 प्रतिशत तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी हेतु 31 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

**टीपः-**

(1) आवश्यक होने पर ही लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/प्रवर्गों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय "रोज़गार एवं निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क का पृथक से भुगतान करना होगा।
चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-3** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए e-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर e-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही e-mail Address तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

बारह शासन द्वारा समय-समय पर कोविड-19 के संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

तेरह अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-
(1) अर्हता के संबंध में अनुभव प्रमाण-पत्र **परिशिष्ट-1**
(2) आयु सीमा की छूटें **परिशिष्ट-2**
(3) आवेदन-पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-3**

**सचिव**

**परिशिष्ट-1**

**खाद्य विश्लेषक**

**PROFORMA OF CERTIFICATE**

This is to certify that Shri/Kumari/Smt. ............................ S/o, D/o, W/o Shri ................................. possess Master's Degree in Chemistry or Biochemistry or Microbiology or Dairy Chemistry or Food Technology, Food and Nutrition from a University established in India by the Law, **or**

holds Bachelor of Technology in Dairy/Oil or holds degree in Veterinary Sciences from a university established in India by law, **or**

is an associate of the Institution of Chemists (India) by examination in the section of Food Analysts conducted by the Institution of Chemists (India)

**or**

any other equivalent qualification recognized and notified by the Central government for such purposes and has not less than three years experience in the analysis of food; (* give document and reference of Notification and date.)

**and**

Has been declared qualified for appointment as a Food Analyst by a board appointed and notified by the Food Safety and Standards Authority of India, **or**

any person who has been declared qualified for appointment as Public Analyst by the board constituted under Prevention of Food Adulteration Act, 1954

**and**

possess ........... years ........... months experience of testing of Food in a Notified laboratory from FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India

has equivalent qualification recognized and notified* by the Central Government.)

(* give document and reference of Notification and date.)

Date :

(Signature)
Designation and Name of Food Analyst
with Rubber Seal

**or**

(Signature)
Name of the Head of the Institution
with Rubber Seal

**or**

(Signature)
Designation and Name of Referral/Central Food Testing Laboratory)
................................. (Place)

(Strike off whichever is not applicable)

**औषधि विश्लेषक**

**PROFORMA OF CERTIFICATE**

**(For Post Graduate Candidate)**

This is to certify that Shri/Kumari/Smt. ........................... S/o, D/o, W/o Shri ........................... is a post graduate in Medicine or Science or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry of a (University established in India by the Law or has equivalent qualification recognized and notified* by the Central Government.)

(* give reference of Notification and date.)

**or**

possess associates Diploma with subject Analysis of Drug and Pharmaceuticals from the Institute of Chemist (India)

**and**

after possessing the above post graduate degree/diploma possess ........... year and ......... months experience in the testing of drugs in our Laboratory under my control, **or.**

completed two years training on testing of drugs including items stated in schedule C of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 in Central Drugs Laboratory.

Date:

(Signature)
Designation and Name of Government Analyst
with Rubber Seal

**or**

(Signature)
Name of the Head of the Institution
or Testing Laboratory approved for the
purpose by the Appointing Authority
with Rubber seal and Approval number

**or**

(Signature)
Designation and Name
Name of Central Drugs Laboratory
........................... (Place)

(Strike off whichever is not applicable)

**परिशिष्ट-2**

**(एक) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट**

(1) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-8/2016/1/3, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित)/दिव्यांगजन आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

(2) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

**स्पष्टीकरण :-**

भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत है 'मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985' के नियम 2 (ग) में यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक।

**(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूट**

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

**टीप** (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

**(तीन)** मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में आयु सीमा में छूट सहित आवेदन करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

**नोट-** (01) उपरोक्त **परिशिष्ट-2** (एक) (1 से 2), (दो) (1 एवं 2) मे उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूटों को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

**(चार)** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पि. वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी, किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तनुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

**परिशिष्ट-3**

**ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी**

1- ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे -
   **1. www.mponline.gov.in 2. mppsc.mp.gov.in**
2. अभ्यर्थी mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरकर कियोस्क पर ही आवेदन/परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें तथा आवेदन-पत्र की भलीभांति जांचकर सुनिश्चित कर लें कि भुगतान हो चुका है। mponline के अधिकृत कियोस्कों की सूची **www.mponline.gov.in** तथा **mppsc.mp.gov.in** पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
3. अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
4. अभ्यर्थी फॉर्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें, जिन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय अपलोड करना होगा। mponline के अधिकृत कियोस्क पर स्केनिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है, जिसका उपयोग किया जा सकता है।

   **फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-**

   1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
   2. फोटो खिंचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
   3. यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्शन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टतः दिख रही हों।
   4. टोपी, हैट तथा डार्क चश्मे स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
   5. यह सुनिश्चित करें कि फ़ोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफेद हो।
   6. किसी और से अपनी फोटो खिंचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।
5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ मे अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध अनुदेशों तथा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर तदनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरें।
6. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है, वही प्रामाणिक जानकारी है, अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन-पत्र submit करें।
7. आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सब्मिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

   **अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा, जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा, जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।**
8. **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 03.02.2023 से 26.02.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक** प्रति त्रुटि सुधार सत्र रुपये 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। **मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु शुल्क रुपये 250 तथा अन्य श्रेणियों हेतु रुपये 500 निर्धारित है अतः छूट वाली श्रेणियों के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा गैर छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपये 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु गैर छूट श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गई श्रेणी/वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/दिव्यांगता आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।**
9. **आवेदन-पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेशः-**

   (1) आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** के Download Format लिंक से अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक, एवं उपस्थिति-पत्रक डाउनलोड करके उनकी पूर्ति करें। पूर्ति पश्चात उक्त प्रपत्रों की क्रमशः तीन, छः तथा एक छाया प्रति कराएं।

   (2) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने तथा शुल्क भुगतान के पश्चात प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित भुगतान विवरण की जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान हो चुका है। यह भी जांच कर लें कि समस्त प्रविष्टियां सही हैं (त्रुटि होने पर विहित अवधि में त्रुटि सुधार कर लें (देखें बिन्दु-8)। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। उक्त हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपने सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा साथ ही अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, एवं उपस्थिति पत्रक की एक-एक प्रति संलग्न करें। (प्रपत्रों की शेष प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि उन्हें आपको साक्षात्कार के समय अपने मूल अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा)

   (3) एक बड़े लिफाफे पर निम्न विवरण अंकित कर उक्त सेट (आवेदन-पत्र तथा समस्त अभिलेख) इस बड़े लिफाफे में रखकर पंजीबद्ध डाक या स्पीड पोस्ट से आयोग को प्रेषित करें।

   **विज्ञापन क्रमांक 15/2022 दिनांक 30.12.2022**

   **................ विश्लेषक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद हेतु आवेदन-पत्र**

   | | |
   |---|---|
   | | प्रति, |
   | | सचिव |
   | प्रेषक : | मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, |
   | अभ्यर्थी का नाम | रेसीडेंसी एरिया |
   | तथा पता | इंदौर (मध्यप्रदेश) पिन - 452001 |

   (लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक, पद/विभाग का नाम अंकित न होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा)

   (4) ध्यान रखें अभिलेखों सहित उक्त आवेदन-पत्र **दिनांक 09.03.2023 को सायंकाल 06:00 बजे तक** आयोग कार्यालय में पहुंचने पर ही समयावधि में प्राप्त माना जाएगा। आवेदन-पत्र उक्त दिनांक तथा समय तक समस्त कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय (प्रातः 10:00 बजे से सायंकाल 06:00 बजे तक) आयोग कार्यालय में भी प्राप्त किए जाएंगे तथा प्राप्ति की रसीद दी जाएगी। अभ्यर्थी आयोग को प्रेषित आवेदन-पत्र तथा अभिलेखों का एक सेट अपने पास सुरक्षित रखें।
10. विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त किए जाएंगे तथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाय पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र आयोग को प्रेषित करें।
11. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की उमीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2. आवेदन शुल्क

| मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु | शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु |
|---|---|
| रुपये 250/- | रुपये 500/- |
| उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त रुपये 40/- (जीएसटी सहित) पोर्टल शुल्क देय होगा। | |

- परीक्षा की स्थिति में परीक्षा शुल्क का भुगतान पृथक से करना होगा।
- **शुल्क वापसी :-** अपरिहार्य कारणों से विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन शुल्क वापसी आवेदन प्राप्त कर आवेदन शुल्क की राशि वापस की जाएगी किन्तु पोर्टल शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी।

आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो mponline से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं :-

**हेल्पलाइन : 0755-6720200**

**नोट :** यदि आपको ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें :-

(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (0731) 2701624, 2701983

(2) एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, (मध्यप्रदेश शासन तथा टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेज का संयुक्त उपक्रम) ऑफिस ब्लाक OB-14 से 17, चतुर्थ तल, डी.बी. सिटी कार्पोरेट पार्क, अरेरा हिल्स, जोन-1 के सामने, एम.पी. नगर, भोपाल-462011 हेल्पलाइन : 0755-6720200

3. **आवेदन की अंतिम तिथि**

ऑनलाइन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 24.02.2023** है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4. **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें:-**

**आयु संबंधी प्रमाण के लिए :-** केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंक-सूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

**रोज़गार कार्यालय में पंजीयन का प्रमाण-पत्र :-** जिस श्रेणी के अभ्यर्थियों को जीवित रोज़गार पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, वे उपलब्ध होने पर संलग्न करें। उक्त प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

**दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :** दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा।

**शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण-पत्र :-** हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां एवं उपाधि।

**अनुभव के प्रमाण पत्र :-** परिशिष्ट-1 में दिए गए प्रारूप के अनुसार अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

**शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :-** यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

**जाति के प्रमाण-पत्र :-** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का स्थाई जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि (मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है) द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलाएं विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

**अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे।** इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र संलग्न करना होगा :-

**घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप**

मैं ................. आयोग के विज्ञापन **क्रमांक 15/2022 दिनांक 30.12.2022** के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं ................. पुत्र/पुत्री श्री .................. निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/................. जिला ..................., मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ................. जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मैं शपथपूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित अद्यतन मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

दिनांक :- ......................

हस्ताक्षर ......................

नाम ......................

आवेदन-पत्र क्रमांक ..................

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्केन्ड प्रति ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के अभ्यर्थी नवीनतम EWS प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

**शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हेतु :-** नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

**परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1)** के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

**परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2)** के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हों, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश :- (परीक्षा संबंधी अनुदेश परीक्षा की स्थिति में)**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या

07 परीक्षा कक्ष में अथवा अन्यत्र अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक छति पहुंचाई हो; या

09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार; तथा

11 परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु प्राप्त उत्तर-पुस्तिका परीक्षा के समाप्त होने पर परीक्षा कक्ष के वीक्षक / परीक्षक को न जमा करते हुए अपने साथ ले गया हो।

**तब आयोग द्वारा :-**

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहराया जा सकेगा

और/या

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

**एवं तब शासन द्वारा :-**

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं :-** ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।

8. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जो कहीं सेवारत नहीं हैं, मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का भुगतान आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिए वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे :-

(01) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।

(02) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गई है तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, स्वयं के बैंक खाते का नम्बर एवं बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

**जी-21313/48021/2023**

# मध्यप्रदेश में सड़कों के लिए राशि स्वीकृत

**भोपाल,** केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रदेश में 26 सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन के लिए 2332 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने केंद्रीय रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड से दी गई इस स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के प्रति आभार ज्ञापित किया है। श्री भार्गव ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में नयी सड़कों के निर्माण और सड़कों के उन्नयन के लिए लगातार सहयोग किया जा रहा है। परिणामस्वरूप प्रदेश में पिछले चार वर्षों में 22 हजार 394 करोड़ रुपये के व्यय से 10 हजार 195 किलोमीटर नयी सड़कों तथा 45 नये पुलों का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में 31 दिसम्बर को प्रदेश की 26 सड़कों में 625 किलोमीटर मार्ग के निर्माण एवं उन्नयन के लिए स्वीकृति दी गई है।

प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री सुखवीर सिंह ने बताया कि नागौद से मैहर बापा सुरधारू परसामनिया रामपुर रोड में 61 किलोमीटर मार्ग के लिए 178 करोड़, खारदौन कलां उगली शुजालपुर रोड के लिये 71 करोड़ 23 लाख, NH-39 से सकरिया-काकराहटी-गुन्नौर-दिगौरा- से NH-943 के लिये 63 करोड़ 37 लाख, मऊ-पदाना-तेलन के अपग्रेडेशन कार्य के लिये 79 करोड़ 15 लाख, सेमई से विजयपुर रोड के लिये 57 करोड़ 69 लाख, देवतालाब से पथराहा डाडन-हटवा-सोहरेन-अमोचपहाड़ी-निरपत सिंह रोड के लिये 49 करोड़ 72 लाख, एन.एच. 44 से जाडेरूआ-बेहाटा-सूरोचंद्रपूरा-गुठिया-बहुदपुर रोड के लिये 47 करोड़ 62 लाख, शाहपुर-रंगोली-गिरवर-भाईसवाही-हिलगना-धाना-मोकलपुर चौराहे से NH-44 मार्ग के लिये 119 करोड़ 25 लाख, गढ़ाकोटा-बलहे रोड के अपग्रेडेशन कार्य के लिये 33 करोड़ 8 लाख, गढ़ाकोटा-झागरी-केनकारा-सेबास-कनमाड़ रोड के लिये 36.75 करोड़, शैतान सिंह चौराहा से मनीपा मार्केट-बंसल हॉस्पिटल-स्वर्ण जयंती पार्क-बावड़िया तिराहा से कोलार रोड मार्ग के लिये 37 करोड़ 30 लाख, बड़ागांव-करहिया-गोदाना-मुहास-लालपुर-पाली रोड मार्ग के लिये 73 करोड़ 10 लाख, बेगमगंज-सागर रोड से महूखेड़ा कला गोरखा पडारिया-राजधर-रत्नागिरी से सिलवानी-सागर रोड मार्ग के लिये 76 करोड़ 99 लाख, देहगांव-बम्हौरी रोड मार्ग के लिये 59 करोड़ 69 लाख, अमलपुरा-सेवखेड़ा-जावर और सांडखेड़ा-सतवाड़ा-बड़गांवमाली, नहालदा से 5/2 किलोमीटर, एसएच-25 मार्ग के लिये 40 करोड़ 40 लाख, सतरूडा-मुंडी छत्री बिरामावल रोड मार्ग के लिये 48 करोड़, जावरा-कालुखेड़ा-धोंधर रोड के लिये 32 करोड़ 24 लाख, एबी रोड-हरसोला-दतोड़ा-खानवा रोड के अपग्रेडेशन के लिये 38 करोड़ 45 लाख, गाडरवाड़ा से बारहा रोड के लिये 35 करोड़, दिगाओमली से दलोदा धुन्दका रोड अपग्रेडेशन कार्य के लिये 26 करोड़ 48 लाख, 4 लेन रोड पुल बोगदा से रॉयल मार्केट, शाहजहांनाबाद-भोपाल टॉकीज-रेलवे क्रॉसिंग बैरसिया रोड के लिये 75 करोड़ 69 लाख, करपी से मुक्तागिरी रोड के लिये 17 करोड़ 49 लाख, मदियादो-राजपुरा रोड के लिये 40 करोड़ 13 लाख, 4 लेन इलीवेटेड कॉरिडोर फ्लाई ओवर महारानी लक्ष्मी बाई से गिरवाई पुलिस चौकी, एबी रोड NH-48 से स्वर्ण रेखा नदी ग्वालियर में कंस्ट्रक्शन मार्ग के लिये 778 करोड़ 14 लाख, मेगांवादा से अमरोद-मुंगावली जिला अशोकनगर, ब्रिजपुरा-रूसल्ला बजरंज घटवामंडी, महिदपुर- पिपरसाला परसाराई चंदन-बेहता-बाईबेनी-हेदर रोड मार्ग के लिये 121 करोड़ 44 लाख तथा 4L+PS मालीबाया से सलकनपुर नीलकछार मार्ग के लिये 96 करोड़ 8 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

# मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र, इन्दौर

## कराधान सहायक परीक्षा 2022

**विज्ञापन क्रमांक 54/2022/30.12.2022** **आवेदन करने की अंतिम तिथि**
**शासन के विभिन्न विभाग, मध्यप्रदेश शासन** **08.06.2023 (दोपहर 12:00 बजे)**

### महत्वपूर्ण निर्देश

**A. आवेदन-पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-**

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत कराधान सहायक परीक्षा 2022 हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन-पत्र **दिनांक 09.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से 08.06.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. उपरोक्त परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी भी प्रकार से भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

**B. आयु की गणना :-**

1. **आयु की गणना 01 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी।**
2. **आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।**

**C. शुल्क संबंधी निर्देश :-**

1. **उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट-02 का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी को दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से भली-भांति अध्ययन के पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

**D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-**

1. **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 09.05.2023 से 10.06.2023 (दोपहर 12:00 बजे ) तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र रुपये 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।**
2. **अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अतः वे आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।**
3. **त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।**
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/भूतपूर्व सैनिक/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा अभ्यर्थी से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

**E. पात्रता :-**

1. **शैक्षणिक अर्हता** - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक।
2. **रोज़गार पंजीयन -**
   (क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
   (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
   (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता/अनुभव/वांछनीय अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे उस विभाग को अपनी शिकायत प्रेषित कर सकते हैं।

**F. परीक्षा केन्द्र तथा प्रवेश-पत्र :-**

1. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की **OMR** आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि एवं प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि को यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।
2. आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा केन्द्र आवंटन हेतु शहर की अग्रमान्यता एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अग्रमान्यता उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु Reimbursement का वर्गीकरण प्रावधानित है, जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है। अतएव इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**G. परीक्षा नियम/निर्देश आदि :-**

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
   चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
2. पाठ्यक्रम निर्धारण समिति द्वारा विज्ञापन के संदर्भ में प्रकाशित पाठ्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो तद्नुसार संशोधित पाठ्यक्रम परीक्षा के यथोचित समयपूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा उपरोक्तानुसार संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. **उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 एवं इससे संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।**

अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ, संशोधन आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाती है। अतः समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त E-mail Address/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टतः परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ तथा परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए **E-mail Address** तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने **E-mail Address** तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर आयोग को अविलम्ब प्रदान कर दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

**एक** भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत **कराधान सहायक** के निम्न पदों हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विभिन्न वर्गों हेतु उल्लेखित पदों की संख्या विभागों द्वारा प्रेषित मांगपत्रों के अनुसार है :-

| कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या | | | | | रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या | | | | | मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद संख्या | | | | | मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR | SC | ST | OBC | EWS | UR | SC | ST | OBC | EWS | UR | SC | ST | OBC | EWS | OH | VH | HH | MD | |
| 27 | 16 | 20 | 27 | 10 | 9 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 100 |

**वेतनमान :- 9300-34800 + 3600 ग्रेड पे**

**टीप** अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संदर्भ में प्रचलित याचिका के अनुक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 द्वारा चयन परिणाम मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाना है। इस संदर्भ में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पत्र क्रमांक वाक/38:3033:4-ए/तीन/751 दिनांक 26.12.2022, द्वारा विज्ञापित पदों का 87 प्रतिशत एवं 13 प्रतिशत गणना निम्नानुसार उपलब्ध कराई गई है :-

**मुख्य भाग (87%)**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 16 | 20 | 14 | 10 | 9 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 87 |

**प्रावधिक भाग (13%)**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 काल्पनिक | - | - | 13 | - | 4 काल्पनिक | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |

**दो** **पद का विवरण**

- **(अ) पद का नाम** : **कराधान सहायक (Taxation Assistant)**
- **(ब) विभाग का नाम** : **वाणिज्यिक कर विभाग**
- **(स) अर्हता** : **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**
  **किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक।**
- **(द) कर्तव्य** : **कर निर्धारण/टैक्स ऑडिट संबंधी कार्यों में सहयोग।**
- **(इ) श्रेणी तथा वेतनमान** : **तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (स्थायी पद)**
  **9300-34800 + 3600 ग्रेड पे**
  छठे वेतन आयोग अनुसार। सातवें वेतन आयोग के तत्स्थानी वेतनमान देय होंगे।

**तीन** (i) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। किन्तु पदों की संख्या में वृद्धि केवल परीक्षा के परिणाम के पूर्व तक ही की जा सकेगी। पदों में वृद्धि की स्थिति में कोई अतिरिक्त आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं किए जायेंगे तथा सभी पदों हेतु केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा किया है।

(ii) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

(iii) किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

(iv) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिला तथा निःशक्तजन को देय आरक्षण एवं आरक्षण तथा आयु सीमा की छूट एवं भूतपूर्व सैनिकों को देय आयु सीमा की छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में मान्य किए जाएंगे। जो पद उक्त वर्गों के लिए आरक्षित नहीं हैं उन पर इन वर्गों के अभ्यर्थी अनारक्षित के रूप में विचारित किए जायेंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य लाभ देय नहीं होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर में न आने के संदर्भ में **परिशिष्ट-2** में यथा विनिर्दिष्ट अभिवचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(v) मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

**चार** **आयु सीमा : आयु सीमा- 21 की आयु पूर्ण कर ली हो परंतु 40 वर्ष पूर्ण न की हो।**

**पाँच** **आयु संगणना तिथि 01.01.2023 होगी।**
अधिकतम आयु सीमा में दी गयी छूट के लिए **परिशिष्ट-1** देखें।

**छः** **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

**सात** **महत्वपूर्ण** :- ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का गहन अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है या नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गयी कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

**आठ** **अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष**

**नौ** **चयन प्रक्रिया** :- इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम, परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा आयोजन से संबन्धित समस्त जानकारियां, परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि एवं प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि आदि यथासमय आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in पर प्रकाशित किया जाएगा।
**चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।**

**दस** **आवेदन प्रक्रिया** :- उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-2** का अवलोकन करें।

**ग्यारह** विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोवाइल नंबर पर E-mail द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं की प्राप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

**बारह** कोविड-19 के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा यथासमय जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

**तेरह** विज्ञापन के प्रकाशन में हुई किसी भी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि में सुधार करने के लिए आयोग का सर्वाधिकार सुरक्षित है।
अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-
(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट-1**
(ii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-2**
(iii) ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश **परिशिष्ट-3**

**सचिव**

**परिशिष्ट-1**

## आयु सीमा में छूट

**(एक)** उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/दिव्यांगजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

**तथा**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

**स्पष्टीकरण** :-
भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

**(दो)** **प्रोत्साहनस्वरूप दी गयी छूट**
(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

**टीप :-** (1) **परिशिष्ट-1** (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।
(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।
(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

**नोट :-** **(01) उपरोक्त परिशिष्ट "एक" में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।**
**(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।**
**(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।**

**(तीन)** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगा। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

**परिशिष्ट-2**

## आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

**1.** **कराधान सहायक परीक्षा 2022** के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे
**1. mppsc.mp.gov.in 2. www.mppsc.mp.gov.in**
2. अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
3. अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्कैन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह आवश्यक सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।
**फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-**
1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टतः दिख रही हों।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं है। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।
5. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुनः अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।
6. आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सब्मिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।
**अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।**
7. **त्रुटि सुधार सुविधा** :- अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 09.05.2023 से 10.06.2023 (दोपहर 12 बजे)** तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। **नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अतः आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपए 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।**
ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।
8. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। **विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।**

**2.** **परीक्षा हेतु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क**

| मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु | शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु |
|---|---|
| रु. 250/- | रु. 500/- |

**टीपः** आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

**3.** **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि**
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 08.06.2023 है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।
**ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-**
**दूरभाष :- हेल्पलाइन नं. 0755-6720220 तथा 0755-6720221**

E-mail :- mppsconline@gmail.com

4. **अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-**

**आयु संबंधी प्रमाण के लिए :-** केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

**शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :-** हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

**शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :-** यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

**दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :** दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http:\\www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा।

**जाति के प्रमाण-पत्र :-** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

**अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे।** इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

### घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ———— आयोग के **कराधान सहायक परीक्षा 2022** के विज्ञापन क्रमांक 54/2022 **दिनांक 30.12.2022** के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ।

1. मैं ————पुत्र/पुत्री श्री———— निवासी ग्राम/कस्वा/ शहर/———जिला ———,मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ————जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथपूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

दिनांक :-____________

हस्ताक्षर ______________

नाम ______________

रोल नंबर ______________

**तदर्थ रूप से** शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

**कार्यरत/छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :-** नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

**परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1)** के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

**परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2)** के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश :-**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
02 प्रतिरूपण किया हो; या
03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या
06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक छति पहुंचाई हो; या
09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

**तब आयोग द्वारा :-**

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा
और/या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

**एवं तब शासन द्वारा :-**

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं :-** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-**

01 परीक्षा का परिणाम केवल 'रोज़गार और निर्माण' समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

02 परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अतः सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

03 साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयंमेव समाप्त हों जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(अ) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

**(द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्कैन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(फ) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

**परिशिष्ट-तीन**

## आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश

**टीप-** ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन आप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जाएगा अतः ओ.एम.आर. शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यन्त सावधानीपूर्वक करें।

1. आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम दो काले बाल प्वाइंट पेन अवश्य लाएं।
2. गोले भरने के लिए केवल काला बाल प्वाइंट पेन का ही उपयोग करें। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्कैनर द्वारा जांची नहीं जा सकेगी।
3. ओ.एम.आर. शीट पर किसी प्रकार का रफ कार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्न-पत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है, उस स्थान का ही उपयोग करें।
4. ओ.एम.आर. शीट अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा।
5. उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. शीट पर सभी प्रविष्टियाँ सही रूप से की गई हैं। अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त प्रश्न पत्र सेट ए.बी.सी.डी. अंकन न करने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
6. आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (×) लगाने पर ओ.एम.आर. शीट कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी।
7. **ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकन के लिए - सामान्य निर्देश -**

(अ) प्रश्नों के उत्तरः ओ.एम.आर. शीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओ.एम.आर. शीट पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए.बी.सी.डी. बने हैं। प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ए.बी.सी.डी. दिए हैं। इनमें से एक सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला काले बाल पाईन्ट पेन से गहरा काला करें। एक से अधिक गोलों को काला करने पर प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
OMR Sheet में उत्तर अंकित कर उसे काटने/मिटाने/व्हाइटनर लगाने से उक्त प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

(ब) ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, प्रश्नपत्र कोड आदि भरने के लिए बने खानों में प्रविष्टि के लिए काले बाल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र A, B, C, D set में से कोई एक ही सेट दिया जाएगा। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें।

(स) हस्ताक्षर - ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर बाल पेन से हस्ताक्षर करें।

**(द) ओ.एम.आर. शीट के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, प्रश्न-पत्र कोड के कॉलम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिए काला बाल प्वाइंट पेन का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। अभ्यर्थी उसे आवंटित प्रश्न-पत्र के सेट कोड ध्यान से देखें तथा सेट की जानकारी सुनिश्चित होने के पश्चात ही प्रश्न पत्र के सेट कोड के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (ABCD के गोले) के आधार पर ही उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाएगा। सेट कोड गलत भरने पर त्रुटि सुधार नहीं होगा। मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा भरे गए सेट कोड की उत्तर कुंजी के आधार पर होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। आवश्यक प्रविष्टियाँ सही स्थान पर उचित रूप से न भरने पर अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य नहीं किया जाएगा।**

8. **रोल नम्बर की प्रविष्टि (चित्र एक)**

रोल नम्बर के खाने में बायें से दायें 1 से 6 तक स्तम्भ हैं। पहला स्तम्भ लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चौथा स्तम्भ सैकड़े का, पांचवां स्तम्भ दहाई का एवं छठा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले हैं। इन्हीं में आपको अपने रोल नम्बर भरना है। उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाइन में चौकोर खानों में दर्शाए अनुसार रोल नम्बर काला बाल प्वाइंट पेन से लिखें तत्पश्चात पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पांचवे स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को काला बाल प्वाइंट से गहरा काला करें।

अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम.आर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

**परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश**

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा।

**एक प्रवेश**

01 परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्रावधिक है।

02 परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

03 परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र तथा मान्य फोटो युक्त परिचय-पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ रखें।

04 परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी की जाँच की जाएगी। परीक्षार्थी अपने साथ केवल दो काले बाल प्वाइंट पेन, प्रवेश-पत्र एवं मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएँ। इसके अतिरिक्त मोबाइल, केलक्यूलेटर, पेजर एवं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।

**दो निर्गमन**

01 सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।

02 किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भले ही उसने प्रश्न-पत्र हल कर लिया हो।

03 प्रश्न-पत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किए जाने के उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।

04 निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा (केवल दृष्टिबाधित तथा ऐसे अस्थिबाधित जो दोनों ही हाथों से लिखने में असमर्थ हैं तथा वे जिन्होंने सहलेखक की सुविधा ली है, ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में 20 मिनिट प्रति घण्टा अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

**तीन ओ.एम.आर.शीट पर नाम और अनुक्रमांक :-**

ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखें। ओ.एम.आर. शीट के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। **ओ.एम.आर.शीट पर पेंसिल, रबर एवं व्हाइटनर का उपयोग करने या अभ्यर्थी के पास कक्ष में पाए जाने पर अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा।** ओ.एम.आर. शीट में (आपको दिए गए A, B, C, D प्रश्न पत्र सेट में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्नपत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोले को काले पेन से अनिवार्यतः काला करें। आपके द्वारा प्रश्नपत्र सेट के गोले को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही ओ.एम.आर. शीट मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट- B को काला किया है। सेट का गोला काला नहीं करने पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

चित्र-चार

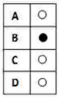


**उत्तर अंकित करने हेतु अनुदेश -**

1 केवल काली स्याही वाले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें।

2 प्रत्येक प्रश्न का उत्तर - पत्र में दिए गए प्रश्न क्रमांक के सामने संबद्ध गोले को काला करें।

3 प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु केवल एक ही गोले को गहरा काला करना है, जैसे नीचे दिखाया गया है :-

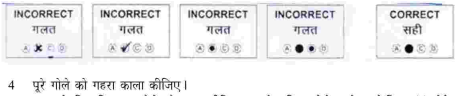


4 पूरे गोले को गहरा काला कीजिए।

5 उत्तर के लिए दिए गए गोले को काला कीजिए एक से अधिक गोले काले करने/चिह्न (.) होने पर भी उत्तर मान्य नहीं होगा।

6 उत्तर पत्र पर कच्चा काम करना मना है। इस काम के लिए प्रश्न पत्र के अंत में खाली जगह का ही उपयोग कीजिए।

7 प्रश्न-पत्र के सेट के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। उत्तर-पत्र में काले किए गए सेट के गोले के आधार पर ही उसे जांचा जाएगा। गलत गोला काला करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

8 अभ्यर्थी अगर प्रश्न पुस्तिका सेट का गोला नहीं भरता है, तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। एवं वह अयोग्य माना जाएगा।

9 अभ्यर्थी अगर अपने अनुक्रमांक के गोले नहीं भरता है, तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। एवं वह अयोग्य माना जाएगा।

10 अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका कक्ष के वीक्षक को ही जमा करें।

11 अभ्यर्थी अगर अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका पर उत्तर के गोले भरने/मिटाने के लिए यदि पेंसिल/व्हाइटनर का उपयोग करता है, तो नकल का प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

**चार अनुचित साधन :-**

परीक्षा हॉल/कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण जैसे मोबाइल, वॉच, डिजिटल डायरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पेजर, केलक्यूलेटर आदि तथा पेंसिल, रबर व्हाइटनर जैसी सामग्री के साथ पाया जाता है, तो अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। उनके पास कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या कागज जो परीक्षा में प्रश्नपत्र हल करने में सहायक हो। अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर नकल प्रकरण दर्ज होगा।

परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दण्डनीय है। परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप विशेषकर मोबाइल, इलेक्ट्रानिक उपकरण तथा अन्य वर्जित वस्तुएँ आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माना जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी ओ.एम.आर. शीट से नकल करना अथवा अपनी शीट से अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से ओ.एम.आर. शीट बदलना, परीक्षा भवन में जोर-जोर से बोलना, किसी भी प्रकार की सांकेतिक भाषा अथवा किसी प्रकार भाव भंगिमा से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जाएगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य प्रदेशों के आयोगों की परीक्षा एवं साक्षात्कारों से वंचित किए जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।

**परीक्षा की गोपनीयता :- परीक्षा पूर्व/दौरान/पश्चात प्रश्न-पत्र की गोपनीयता के भंग होने की किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों/व्यक्तियों के विरुद्ध** आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाकर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

**पांच प्रश्न संबंधी शिकायत**

प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षार्थी परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के निर्दिष्ट तिथियों पर 07 दिवस के अंदर निर्धारित शुल्क (100 रुपए प्रति प्रश्न तथा रुपए 40 प्रति सत्र पोर्टल चार्ज पृथक से देय) आपत्ति शुल्क एवं पोर्टल चार्ज किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। जमा कर ऑनलाइन पद्धति से आपत्ति दर्ज कराएं। परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर ऑनलाइन पद्धति से दर्ज शिकायतों पर ही विचार किया जाएगा। इसके पश्चात एवं अन्य किसी पद्धति से प्रस्तुत आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। आपत्ति दर्ज कराने पर देय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। दर्ज आपत्तियाँ सही पाई जाने पर संशोधन का लाभ समस्त अभ्यर्थियों को प्राप्त होगा। भले ही उनके द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं की गई हो।

**छः ओ.एम.आर. शीट का लौटाना -**

परीक्षार्थी परीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक को ही सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना गम्भीर अपराध माना जाएगा और इस हेतु उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

**सात ओ.एम.आर. शीट पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियाँ**

1. ओ.एम.आर. शीट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड के सही गोले भरें। साथ ही प्रश्न पत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें। इस संबंध में दिए गए निर्देशों को गम्भीरतापूर्वक पढ़ने के पश्चात ही आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाएं।
2. ओ.एम.आर. शीट पर कोई दाग/चिह्न न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें।

**आठ प्रश्नपत्र पर अंकन**

परीक्षार्थी प्रश्नपत्र पर भी अनुक्रमांक लिखे तथा रफ कार्य प्रश्नपत्र में दिए गए पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्नपत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्नपत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

**नौ उपस्थिति पत्रक**

प्रत्येक प्रश्नपत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।

**दस दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु सहलेखक संबंधी नियम**

**अ. अभ्यर्थियों का विवरण जिन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी :-**

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पाल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तम (स्पेस्टिक) डाइसलेक्सिक पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो ओर इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5. उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को सहलेखक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

**ब. प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-**

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जाएगी। उपरोक्त सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र सहित परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना होगी ताकि नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी। लेखन सहायक से घोषणा-पत्र भरवाया जाएगा।

**(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-**

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की अर्हता से कम होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता स्नातक से कम होना चाहिए। (अर्थात् स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए) यदि किसी पद की परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि है तो सहलेखक की योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि से कम होनी चाहिए (अर्थात् स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए)

**(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-**

ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें उपरोक्तानुसार सहलेखक की सुविधा प्रदान की गई है, निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

| | |
|---|---|
| 3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए | 60 मिनट |
| 2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए | 40 मिनट |

**स. इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं :-**

यथासंभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जाएगा।

**द.** अभ्यर्थी को पात्र सहलेखक साथ में लेकर परीक्षा हेतु आना होगा। आयोग/केन्द्राध्यक्ष द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

**टीप :** 1. उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त दिव्यांगजन सम्बन्धित अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं निर्णय लिए जाने हेतु आयोग के सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।

2. दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें सहलेखक एवं भूतल पर बैठने की व्यवस्था की आवश्यकता है वे अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उक्त आवश्यकताओं की प्रविष्टि करेंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आकस्मिक दुर्घटना एवं बीमारी के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में अभ्यर्थियों को उक्त सुविधाएँ उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर ही देय होंगी।

**ग्यारह विविध**

1. परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्नपत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लाएंगे।
2. परीक्षार्थियों को अपने साथ पेंसिल, व्हाइटनर, डिजिटल डायरी, वॉच, केलक्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर तथा अन्य electronic gadgets लाना वर्जित हैं। उपरोक्त वर्जित वस्तुएं अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर अनुचित साधन प्रकरण अंतर्गत नकल प्रकरण बनाया जाएगा।

**बारह** परीक्षार्थी ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्नपत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं/निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें व अनिवार्यतः उनका पालन करें।

**तेरह अनुशासन व शालीनता**

1. परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करना/अशिष्ट, अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।
2. परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
3. परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की छति नहीं पहुँचाई जाना चाहिए। यह दण्डनीय है।
4. यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा। उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे परिक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किए जाएं। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।

**जी-21362/48018/2023**

# मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

## लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

| विज्ञापन क्रमांक | ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि | आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि |
|---|---|---|
| 14/2022/30.12.2022 | 19.02.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक) | 03.03.2023 |

### महत्वपूर्ण निर्देश

**A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-**

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेतु चिकित्सा अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र **दिनांक 20.01.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 19.02.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. चिकित्सा अधिकारी के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

**B. आयु की गणना :-**

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

**C. शुल्क संबंधी निर्देश :-**

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु **परिशिष्ट- 02** का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा (Payment Done) स्पष्टतः उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

**D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-**

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य **दिनांक 25.01.2023 से 21.02.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)** तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र रु. 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अतः वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

**E. पात्रता :-**

1. **शैक्षणिक अर्हता** :- एम.बी.बी.एस. या भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता।
   **समतुल्य अर्हता** :- भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिधारी।
   **वांछनीय अर्हता** :- मध्यप्रदेश चिकित्सा परिषद् में स्थायी पंजीयन।
2. **रोज़गार पंजीयन -**
   (क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
   (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
   (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता/अनुभव/वांछनीय अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे उस विभाग को अपनी शिकायत प्रेषित कर सकते हैं।

**G. परीक्षा नियम/निर्देश आदि :-**

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोज़गार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

**अन्य निर्देश :-**

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं, संशोधन आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अतः समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षा सूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टतः परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं एवं परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

**एक** भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु चिकित्सा अधिकारी के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

| रिक्त पदों की संख्या | | | | | | रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या | | | | | रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR | SC | ST | OBC | EWS | कुल | UR | SC | ST | OBC | EWS | LD | VH | HH | MD |
| 379 | 178 | 477 | 276 | 146 | 1456 | 125 | 59 | 157 | 91 | 48 | 22 | 22 | 22 | 21 |

**टीप -** अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संदर्भ में प्रचलित याचिका के अनुक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 द्वारा चयन परिणाम मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाना है। इस संदर्भ में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा यह अवगत कराया गया है कि चिकित्सा अधिकारियों के पदों हेतु मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% का पद विभाजन निम्नानुसार रहेगा :-

**मुख्य भाग (87%)**

| UR | SC | ST | OBC | EWS | कुल | UR | SC | ST | OBC | EWS | LD | VH | HH | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | 178 | 477 | 143 | 146 | 1323 | 125 | 59 | 157 | 47 | 48 | 22 | 22 | 22 | 21 |

**प्रावधिक भाग (13%)**

| UR | SC | ST | OBC | EWS | कुल | UR | SC | ST | OBC | EWS | LD | VH | HH | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 काल्पनिक | | | 133 | | 133 | 44 काल्पनिक | | | 44 | | | | | |

Abbreviations : UR - Unreserved, SC- Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, OBC- Other Backward Classes EWS-Economically Weaker Sections LD - Locomotor Disability, VH -Visual Handicapped, HH - Hearing Handicapped , MD- Multiple Disability

**दो** पद का विवरण

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | पद का नाम | : | **चिकित्सा अधिकारी (Medical Officer)** |
| | विभाग का नाम | : | **लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन** |
| | श्रेणी | : | **राजपत्रित द्वितीय श्रेणी** |
| | पद स्थिति | : | **अस्थायी** |
| | वेतनमान | : | **रुपए 15600-39100+5400 ग्रेड पे (छठे वेतन आयोग अनुसार। सातवें वेतनमान में तत्स्थानी वेतनमान प्राप्त होंगे।** |
| | पद के मुख्य कर्तव्य | : | **मरीजों की देखभाल एवं उपचार** |

**तीन शैक्षणिक अर्हता :** **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता** :- एम.बी.बी.एस. या भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता।
**समतुल्य अर्हता** :- भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिधारी।
**वांछनीय अर्हता** :- मध्यप्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन।

**रोज़गार पंजीयन -**

(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक-अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।

**विशेष -**

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 19.02.2023 तक** अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप -

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा ऑनलाइन परीक्षा की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

(4) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन ही आवेदन कर सकेंगे। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में मान्य है अथवा दिव्यांगजन है, अनारक्षित श्रेणी के रूप में विचारित किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा की वे क्रीमीलेयर में नहीं आते।

(5) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

**चार मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

**पांच महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

**छः आयु सीमा :** 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो (मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष रहेगी।)

**सात आयु संगणना तिथि :** 01.01.2023

आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिए **परिशिष्ट-1** देखें।

**आठ अधिवार्षिकी आयु :-** 65 वर्ष

**नौ चयन प्रक्रिया :-**

चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर प्रत्येक श्रेणियों/प्रवर्गों हेतु विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों।

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

**टीप :-**

(1) आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय "रोज़गार एवं निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क का पृथक से भुगतान करना होगा। चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

**दस आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-2** का अवलोकन करें।

**ग्यारह** विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

**बारह** अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(1) आयु सीमा की छूटें **परिशिष्ट-1**

(2) आवेदन-पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-2**

**सचिव**

**परिशिष्ट-1**

**(एक) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट**

(1) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 04 जुलाई, 2019 अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित)/दिव्यांगजन आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

**तथा**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

**तथा**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

(2) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

**स्पष्टीकरण :-**

भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत है 'मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985' के नियम 2 (ग) में यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक।

**(दो) प्रोत्साहनस्वरूप दी गई छूटें**

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

**टीपः-** (1) **परिशिष्ट-1** (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

**(तीन) मध्यप्रदेश के चिकित्सालयों में संविदा पर कार्यरत या कार्य कर चुके संविदा चिकित्सा अधिकारियों हेतु विशेष छूट**

1. सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त अनुदेशों के अनुसार मध्यप्रदेश के चिकित्सालयों में संविदा पर कार्यरत या कार्य कर चुके संविदा चिकित्सा अधिकारियों को जिन्होंने न्यूनतम 5 वर्ष की संविदा सेवा की है, उनके द्वारा समकक्ष अथवा उच्चतर श्रेणी के संविदा पद पर जितने वर्ष की सेवा की गई है, उतने वर्ष की छूट अधिकतम आयु सीमा में दी जाएगी किन्तु उक्त छूट को सम्मिलित करते हुए उनकी आयु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. उक्त छूट हेतु अभ्यर्थी को उसकी संविदा सेवा की अवधि के प्रमाणन हेतु विहित अधिकारी द्वारा अनुभव प्रमाण-पत्र आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अभिलेखों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक होगा (दिनांक से दिनांक तक प्रारूप में)। अपेक्षित प्रमाण-पत्र/पत्रों के अभाव में अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र निरस्त किया जाएगा।

**नोट :-** (01) उपरोक्त **परिशिष्ट-1** (एक) (1 से 2), (दो) (1 एवं 2) तथा (तीन) में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूटें देय होंगी किन्तु समस्त छूटों को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। (मध्यप्रदेश के चिकित्सालयों में संविदा पर कार्यरत या कार्य कर चुके संविदा चिकित्सा अधिकारियों को देय छूट को छोड़कर)

**(तीन)** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होंगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

**परिशिष्ट-2**

## ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

**1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-**

1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे

   **1. www.mponline.gov.in, 2. www.mppsc.mp.gov.in**

2. अभ्यर्थी mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही आवेदन/परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें

तथा आवेदन-पत्र की भलीभांति जांचकर सुनिश्चित कर लें कि भुगतान हो चुका है। **mponline** के अधिकृत कियोस्कों की सूची **www.mponline.gov.in**, तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।

3. अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

4. अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्कैन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय अपलोड करना होगा। **mponline** के अधिकृत कियोस्क पर स्कैनिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।

**फोटो स्कैनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-**

1. स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टतः दिख रही हों।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध अनुदेशों तथा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर तदनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरें।

6. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह माना जाएगा कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन-पत्र submit करें।

7. आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सब्मिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8. **त्रुटि सुधार सुविधा** :- अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 25.01.2023 से 21.02.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक** प्रति त्रुटि सुधार सत्र रुपये 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। **मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु शुल्क रु. 250 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु रु. 500 निर्धारित है अतः छूट वाली श्रेणियों के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा गैर छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपये 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु गैर छूट श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।**

ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गई श्रेणी/वर्ग (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/दिव्यांगता आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. **आवेदन-पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश -**

(1) आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in के Download Formate लिंक से अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक, एवं उपस्थिति-पत्रक डाउनलोड करके उनकी पूर्ति करें। पूर्ति पश्चात उक्त प्रपत्रों की क्रमशः तीन, छः तथा एक छायाप्रति करायें।

(2) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने तथा शुल्क भुगतान के पश्चात प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित भुगतान विवरण की जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान हो चुका है। यह भी जांच कर लें कि समस्त प्रविष्टियां सही हैं (त्रुटि होने पर विहित अवधि में त्रुटि सुधार कर लें (देखें बिन्दु-8)। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। उक्त हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपने सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा साथ ही अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, एवं उपस्थिति पत्रक की एक एक प्रति संलग्न करें। (प्रपत्रों की शेष प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि उन्हें आपको साक्षात्कार के समय अपने मूल अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा)

(3) एक बड़े लिफाफे पर निम्न विवरण अंकित कर उक्त सेट (आवेदन-पत्र तथा समस्त अभिलेख) इस बड़े लिफाफे में रखकर पंजीबद्ध डाक या स्पीड पोस्ट से आयोग को प्रेषित करें।

**विज्ञापन क्रमांक 14/2022 दिनांक 30.12.2022**

**चिकित्सा अधिकारी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद हेतु आवेदन-पत्र**

| | |
|---|---|
| | प्रति, |
| | सचिव |
| **प्रेषकः** | मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, |
| अभ्यर्थी का नाम | रेसीडेंसी एरिया |
| तथा पता | इंदौर (मध्यप्रदेश) पिन - 452001 |

(लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक, पद/विभाग का नाम अंकित न होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा)

(4) ध्यान रखें अभिलेखों सहित उक्त आवेदन-पत्र दिनांक 03.03.2023 को सायंकाल 6:00 बजे तक आयोग कार्यालय में पहुंचने पर ही समयावधि में प्राप्त माना जाएगा। आवेदन-पत्र उक्त दिनांक तथा समय तक समस्त कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय (प्रातः 10:00 बजे से सायंकाल 6:00 बजे तक) आयोग कार्यालय में भी प्राप्त किए जाएंगे तथा प्राप्ति की रसीद दी जाएगी। अभ्यर्थी आयोग को प्रेषित आवेदन-पत्र तथा अभिलेखों का एक सेट अपने पास सुरक्षित रखें।

10. विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त किए जाएंगे तथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाय पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र आयोग को प्रेषित करें।

11. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2. **आवेदन शुल्क**

| **मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु** | **शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु** |
|---|---|
| रु. 250/- | रु. 500/- |
| उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त रु. 40/- (जीएसटी सहित) पोर्टल शुल्क देय होगा | |

- ऑनलाइन परीक्षा की स्थिति में परीक्षा शुल्क का भुगतान पृथक से करना होगा
- **शुल्क वापसी**:- अपरिहार्य कारणों से विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन शुल्क वापसी आवेदन प्राप्त कर आवेदन शुल्क की राशि वापस की जाएगी किन्तु पोर्टल शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी।

**आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो mponline से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं :-**

**हेल्पलाइन - 0755-6720200**

**नोटः** यदि आपको ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें :-

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (0731) 2701624, 2701983

एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड, (मध्यप्रदेश शासन तथा टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेज का संयुक्त उपक्रम)

ऑफिस ब्लाक OB-14 से 17, चतुर्थ तल, डी.बी. सिटी कार्पोरेट पार्क,

अरेरा हिल्स, ज़ोन-1 के सामने, एम.पी. नगर,

भोपाल-462011, हेल्पलाइन - 0755-6720200

3. **आवेदन की अंतिम तिथि**

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19.02.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक) है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

**आयु संबंधी प्रमाण के लिए** :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रिक्यूलेशन की अंक-सूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

**रोज़गार कार्यालय में पंजीयन का प्रमाण-पत्र** :- मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन से संबन्धित पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

**दिव्यांगता प्रमाण-पत्र** :- दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ़-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http:\\www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

**शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण-पत्र** :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियां एवं उपाधि।

**शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र** :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

**संविदा सेवा के अनुभव प्रमाण-पत्र** :- यह प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। (दिनांक से दिनांक तक प्रारूप में)

**जाति के प्रमाण-पत्र** :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का स्थाई जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

**अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे।** इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र संलग्न करना होगा :-

**घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप**

मैं ———— आयोग के विज्ञापन क्रमांक **14/2022 दिनांक 30.12.2022** के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ।

1. मैं ————पुत्र/पुत्री श्री———— निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/———जिला ———, मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ———जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथपूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित अद्यतन मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

**दिनांक** :-________________

**हस्ताक्षर**________________

**नाम**________________

**आवेदन-पत्र क्रमांक**________________

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्केन्ड प्रति ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें)

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

(शेष अगले पृष्ठ पर)

# कार्यालय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास
## ग्वालियर संभाग ग्वालियर

क्रमांक/मबावि./आईसीडीएस-2/2022-23/2120-21 ग्वालियर, दिनांक 29.12.2022

## मानदेय आधारित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पद की पूर्ति हेतु विज्ञापन
## आवेदन आमंत्रण सूचना

ग्वालियर संभाग में संचालित एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं में 88 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 201 पद आंगनवाड़ी सहायिका एवं 05 पद मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के आवेदन पूर्णतः अस्थाई एवं मानदेय आधारित पदों के लिए पात्र महिला अभ्यार्थियों से निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

| क्र. | जिले का नाम | परियोजना का नाम | आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद संख्या | आंगनवाड़ी सहायिका पद संख्या | मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्वालियर | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, शहरी क्र.- 01 | 05 | 04 | - |
| 2 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, शहरी क्र.- 02 | 01 | 04 | - |
| 3 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, शहरी क्र.- 03 | 04 | 03 | - |
| 4 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, शहरी क्र.- 04 | 02 | 07 | - |
| 5 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, शहरी क्र.- 05 | 02 | 06 | - |
| 6 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, मुरार | 03 | 02 | - |
| 7 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, डबरा- 01 | 05 | 09 | - |
| 8 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, डबरा- 02 | 01 | 02 | - |
| 9 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, गिर्द | 04 | 04 | - |
| 10 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, भितरवार | 05 | 13 | - |
| 11 | शिवपुरी | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, शिवपुरी ग्रामीण | - | 14 | - |
| 12 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, पोहरी | 05 | 09 | 02 |
| 13 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, पिछोर | 01 | 01 | 01 |
| 14 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, करैरा | 02 | 10 | - |
| 15 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, नरवर | 03 | 03 | 01 |
| 16 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, बदरवास | 08 | 17 | 01 |
| 17 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, खनियाधाना | 01 | 01 | - |
| 18 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, शिवपुरी शहरी | - | 01 | - |
| 19 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, कोलारस | 05 | 07 | - |
| 20 | गुना | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, गुना शहरी | 02 | 04 | - |
| 21 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, गुना ग्रामीण | 03 | 01 | - |
| 22 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, बमौरी | 03 | 04 | - |
| 23 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, आरोन | - | 02 | - |
| 24 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, राघौगढ़ | 01 | - | - |
| 25 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, चाचौड़ा | 02 | 02 | - |
| 26 | अशोकनगर | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, अशोकनगर शहरी | 01 | - | - |
| 27 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, ईसागढ़ | 06 | 08 | - |
| 28 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, अशोकनगर ग्रामीण | 02 | 11 | - |
| 29 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, चंदेरी | 03 | 08 | - |
| 30 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, मुंगावली | 01 | 03 | - |
| 31 | दतिया | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, भाण्डेर | 04 | 12 | - |
| 32 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, दतिया ग्रामीण- 01 | 01 | 01 | - |
| 33 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, दतिया शहरी | 01 | 04 | - |
| 34 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, दतिया ग्रामीण- 02 | - | 07 | - |
| 35 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, इंदरगढ़ | - | 02 | - |
| 36 | | एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, सेंवढा | 01 | 15 | - |
| | | **कुल योग** | **88** | **201** | **05** |

उपरोक्त चार्ट अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों की नामवार सूची एवं नियम निर्देश शर्तें आवेदन का प्रारूप एवं अन्य अर्हताएं संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं संबंधित एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। जिस ग्राम/वॉर्ड में रिक्त पद की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी है, आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व ग्राम की एवं शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए। संबंधित महिला आवेदक अपने पूर्णतः भरे आवेदन मय आवश्यक सहपत्रों सहित संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय में कार्यालयीन दिवसों में **समय 5:30 बजे तक दिनांक 20.01.2023 तक** जमा कराकर निर्धारित प्रारूप मे प्राप्ति अभिस्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं।

**संयुक्त संचालक**
**महिला एवं बाल विकास**
**ग्वालियर संभाग ग्वालियर**

**जी-21359/48031/2023**

# कार्यालय कार्यपालन यंत्री
## लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, ग्वालियर

**Email ID : eepwdbrigwl@mp.nic.in, Phone/Fax No. : (0751) 2452853**

## निविदा आमंत्रण सूचना

**निविदा सूचना 06/एस.ए.सी./2022-23** **ग्वालियर, दिनांक 29.12.2022**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदा प्रपत्र 2.10 पर आमंत्रण की सूचना क्र. 06 ग्वालियर दिनांक 29.12.2022 द्वारा प्रचलित सेतु/पथ कार्यों की दर अनुसूची दिनांक 25.03.2022 पर निविदायें लो.नि.वि. में केन्द्रीयकृत पंजीकृत ठेकेदार श्रेणी हेतु आमंत्रित की जाती हैं। विभाग तकनीकी समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं होगा एवं किसी भी प्रकार के कारणों से की जाने वाली निविदा में परिवर्तन की सूचना वेबसाइट पर ही देखें पृथक से निविदा संबंधित कोई भी संशोधन समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।

| क्र. | ई-टेण्डर आई.डी. क्रमांक | कार्य का नाम | अनुमानित लागत रुपये | धरोहर राशि + निविदा प्रपत्र मूल्य | ठेकेदार की श्रेणी | कार्य पूर्ण करने की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022_ PWDRB_ 240830_1 | लो.नि.वि. सेतु संभाग ग्वालियर के अंतर्गत जिला मुरैना में बिछोला से ककरारी मार्ग के दानोली नाले पर स्थित सबमर्सिबल ब्रिज का निर्माण कार्य। | 358.04 लाख | 358040/- + 15000/- | म.प्र. लो.नि.वि. में केन्द्रीयकृत पंजीकृत ठेकेदार | 10 माह वर्षाकाल सहित |
| 2. | 2022_ PWDRB_ 240831_1 | लो.नि.वि. सेतु संभाग ग्वालियर के अंतर्गत जिला शिवपुरी में कोटा पाली में नदी पर स्थित सबमर्सिबल ब्रिज का निर्माण कार्य। | 305.43 लाख | 305430/- + 15000/- | म.प्र. लो.नि.वि. में केन्द्रीयकृत पंजीकृत ठेकेदार | 10 माह वर्षाकाल सहित |

निविदा आमंत्रण की सम्पूर्ण शर्तें एवं अन्य जानकारी का विस्तृत विवरण वेबसाइट **http://www.mptenders.gov.in** पर **दिनांक 30.12.2022 समय सुबह 10:30 से दिनांक 23.01.2023 समय सायं 17:30 तक** देखी जा सकती हैं।
1. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
2. निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन समाचार प्रत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा, सिर्फ वेबसाइट पर ही किया जावेगा।

**कार्यपालन यंत्री**
**लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, ग्वालियर**

**जी-21377/48033/2023**

(पिछले पृष्ठ का शेष)

**शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हेतु** :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

**परिशिष्ट-1** की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

**परिशिष्ट-1** की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश** :- (ऑनलाइन परीक्षा संबंधी अनुदेश ऑनलाइन परीक्षा की स्थिति में)
यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-
01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
02 प्रतिरूपण किया हो; या
03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या
06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
07 परीक्षा कक्ष में अथवा अन्यत्र अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक छति पहुंचाई हो; या
09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,
11 परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु प्राप्त उत्तर-पुस्तिका परीक्षा के समाप्त होने पर परीक्षा कक्ष के वीक्षक/परीक्षक को न जमा करते हुए अपने साथ ले गया हो।

**तब आयोग द्वारा** :-
(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहराया जा सकेगा
**और/या**
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।
(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

**एवं तब शासन द्वारा** :-
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएँ** :- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।

8. **यात्रा व्यय का भुगतान** :-
मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जो कहीं सेवारत नहीं है, मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का भुगतान आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिए वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबन्धित निम्नांकित अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे :-
(01) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।
(02) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गई है तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम स्वयं के बैंक खाते का नम्बर एवं बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्कैन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

**जी-21072/47979/2023**

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 16/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (जीव रसायन) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14.03.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (जीव रसायन) के कुल-1 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 16/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 15.02.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 14.03.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/47982/2023 **सचिव**

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 17/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (वनस्पतिशास्त्र) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14.03.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (वनस्पतिशास्त्र) के कुल-126 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 17/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 15.02.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 14.03.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/47983/2023 **सचिव**

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 18/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (रसायनशास्त्र) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14.03.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (रसायनशास्त्र) के कुल-160 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 18/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 15.02.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 14.03.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/47984/2023 **सचिव**

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 19/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (रसायन आर्गेनिक) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14.03.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (रसायन आर्गेनिक) के कुल-1 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 19/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 15.02.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 14.03.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/47985/2023 **सचिव**

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 20/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (रसायन भौतिक) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14.03.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (रसायन भौतिक) के कुल-1 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 20/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 15.02.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 14.03.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/47986/2023 **सचिव**

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 21/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14.03.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के कुल-124 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 21/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 15.02.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 14.03.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/47987/2023 **सचिव**

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 22/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (नृत्य) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19.03.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (नृत्य) के कुल-2 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 22/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 20.02.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 19.03.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/47988/2023 **सचिव**

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 23/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19.03.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) के कुल-104 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 23/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 20.02.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 19.03.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/47989/2023 **सचिव**

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 24/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (अंग्रेजी) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19.03.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (अंग्रेजी) के कुल-200 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 24/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 20.02.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 19.03.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/47990/2023 **सचिव**

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 25/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (पर्यावरण विज्ञान) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19.03.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (पर्यावरण विज्ञान) के कुल-1 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 25/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 20.02.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 19.03.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/47991/2023 **सचिव**

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 26/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (भूगोल) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19.03.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (भूगोल) के कुल-23 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 26/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 20.02.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 19.03.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/47992/2023 **सचिव**

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 27/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (भूगर्भशास्त्र) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19.03.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (भूगर्भशास्त्र) के कुल-7 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 27/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 20.02.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 19.03.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/47993/2023 **सचिव**

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 28/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.03.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) के कुल-116 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 28/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 01.03.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 31.03.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/47994/2023 **सचिव**

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 29/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (इतिहास) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.03.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (इतिहास) के कुल-77 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 29/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 01.03.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 31.03.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/47995/2023 **सचिव**

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 30/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.03.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान) के कुल-42 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 30/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 01.03.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 31.03.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/47996/2023 **सचिव**

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 31/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (विधि) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.03.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (विधि) के कुल-29 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 31/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 01.03.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 31.03.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/47997/2023 **सचिव**

### मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
### रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 32/2022, दिनांक 30.12.2022**

**विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (मराठी)**
**के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना**

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.03.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (मराठी) के कुल-4 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 32/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 01.03.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 31.03.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/47998/2023 **सचिव**

### मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
### रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 33/2022, दिनांक 30.12.2022**

**विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (गणित)**
**के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना**

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.03.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (गणित) के कुल-124 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 33/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 01.03.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 31.03.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/47999/2023 **सचिव**

### मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
### रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 34/2022, दिनांक 30.12.2022**

**विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (सैन्य विज्ञान)**
**के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना**

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14.04.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (सैन्य विज्ञान) के कुल-5 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 34/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 15.03.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 14.04.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/48000/2023 **सचिव**

### मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
### रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 35/2022, दिनांक 30.12.2022**

**विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (संगीत)**
**के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना**

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14.04.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (संगीत) के कुल-8 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 35/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 15.03.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 14.04.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/48001/2023 **सचिव**

### मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
### रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 36/2022, दिनांक 30.12.2022**

**विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (संगीत वाद्य)**
**के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना**

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14.04.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (संगीत वाद्य) के कुल-2 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 36/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 15.03.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 14.04.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/48002/2023 **सचिव**

### मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
### रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 37/2022, दिनांक 30.12.2022**

**विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (संगीत गायन)**
**के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना**

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14.04.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (संगीत गायन) के कुल-2 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 37/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 15.03.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 14.04.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/48003/2023 **सचिव**

### मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
### रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 38/2022, दिनांक 30.12.2022**

**विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (चित्रकला)**
**के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना**

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14.04.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (चित्रकला) के कुल-6 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 38/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 15.03.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 14.04.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/48004/2023 **सचिव**

### मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
### रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 39/2022, दिनांक 30.12.2022**

**विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (दर्शनशास्त्र)**
**के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना**

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14.04.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (दर्शनशास्त्र) के कुल-12 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 39/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 15.03.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 14.04.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/48005/2023 **सचिव**

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 40/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (भौतिकशास्त्र) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27.04.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (भौतिकशास्त्र) के कुल-115 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 40/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 28.03.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 27.04.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/48006/2023 **सचिव**

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 41/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (राजनीतिशास्त्र) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27.04.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (राजनीतिशास्त्र) के कुल-118 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 41/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 28.03.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 27.04.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/48007/2023 **सचिव**

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 42/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञान) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27.04.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञान) के कुल-18 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 42/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 28.03.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 27.04.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/48008/2023 **सचिव**

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 43/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (संस्कृत प्राच्य) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27.04.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (संस्कृत प्राच्य) के कुल-2 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 43/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 28.03.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 27.04.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/48009/2023 **सचिव**

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 44/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (संस्कृत) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27.04.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (संस्कृत) के कुल-17 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 44/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 28.03.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 27.04.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/48010/2023 **सचिव**

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 45/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (संस्कृत व्याकरण) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27.04.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (संस्कृत व्याकरण) के कुल-1 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 45/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 28.03.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 27.04.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/48011/2023 **सचिव**

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 46/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (संस्कृत साहित्य प्राच्य) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11.05.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (संस्कृत साहित्य प्राच्य) के कुल-1 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 46/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 12.04.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 11.05.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/48012/2023 **सचिव**

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

**विज्ञापन क्रमांक 47/2022, दिनांक 30.12.2022**

### विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होने की सूचना

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11.05.2023 दोपहर 12:00 बजे तक**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) के कुल-80 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 47/2022, **दिनांक 30.12.2022** आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 12.04.2023 दोपहर (12:00 बजे से) 11.05.2023 (12:00 बजे से) तक www.mponline.gov.in** एवं **www.mppsc.mp.gov.in** पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हेतु mponline के कियोस्क के अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर जमा किए जा सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

03 अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन हेतु आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** का अवलोकन करें।

जी-21363/48013/2023 **सचिव**

# मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

## सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2021

**परीक्षा दिनांक 18.12.2022 (रविवार)**

## परीक्षा परिणाम

**विज्ञप्ति क्रमांक 12502/42/2022/अनु.-10** **इंदौर, दिनांक : 04.01.2023**

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2021 हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

01 विज्ञापन क्रमांक-03/2021/07.06.2021 ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 16.07.2021।

(A) शुद्धि पत्र क्रमांक-01/03/2021, दिनांक 16.07.2021 (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2021, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि में संशोधन।

(B) शुद्धि पत्र क्रमांक-02/03/2021, दिनांक 16.11.2022 (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2021, नवीन पदों के संयोजन की सूचना।

(C) सूचना पत्र क्रमांक-01/03/2021, दिनांक 22.11.2021 (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2021, परीक्षा स्थगन की सूचना।

(D) सूचना पत्र क्रमांक-01/2021, दिनांक 23.11.2021 (आयोग द्वारा जारी विज्ञापनों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा पुनः प्रारंभ करने के संबंध में)

(E) सूचना पत्र क्रमांक-03/03/2021, दिनांक 27.01.2022 (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2021, नवीन पदों के संयोजन की सूचना)

(F) शुद्धि पत्र क्रमांक-04/03/2021, दिनांक 30.05.2022 (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2021, हेतु रोज़गार पंजीयन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आयु सीमा छूट तथा ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा पुनः प्रारंभ करने की सूचना)।

(G) शुद्धि पत्र क्रमांक-05/03/2021, दिनांक 03.11.2022 (परीक्षा के आयोजन विषयक सूचना)

(H) शुद्धि पत्र क्रमांक-06/03/2021, दिनांक 02.12.2022 (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2021, परीक्षा के आयोजन विषयक सूचना)।

02. उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2021 जिला मुख्यालय इंदौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर के केंद्रों पर दिनांक 18.12.2022 (रविवार) को एक सत्र में दोपहर 12.00 बजे से 03.00 बजे तक आयोजित की गई थी।

03. उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है:-

**सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2021**

**Assistant District Public Prosecution Officer Exam-2021**

| क्र. | पद का नाम | रिक्त पदों की संख्या | | | | | रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या | | | | | रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या | | | | कुल पदों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UR | SR | ST | OBC | EWS | UR | SC | ST | OBC | EWS | OH | VH | HH | MD | |
| 1. | सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी | 70 | 42 | 50 | 69 | 25 | 23 | 14 | 17 | 22 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 256 |

04. राज्य सेवा परीक्षा 2019 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं के अंतरिम आदेश के परिप्रेक्ष्य में एवं सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. भोपाल के "पत्र क्रमांक-एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर, 2022" के प्रकाश में आयोग द्वारा अपनी बैठक में दिनांक 29.09.2022 के निर्णय क्र.-26 में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुये राज्य सेवा एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया गया -

**परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का पालन किया जाये :-**

1. सर्वप्रथम सभी विज्ञापनों में अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्तमान विज्ञापित पदों को 27 प्रतिशत मान्य करते हुये उन्हें 14 प्रतिशत मुख्य भाग हेतु एवं 13 प्रतिशत प्रावधिक भाग हेतु गणना कर पृथक-पृथक किया जाये। साथ ही समस्त विभागों से 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के विज्ञापित पदों का विभाजित विवरण मान लिया जाये।
2. उपरोक्त विभाजित 14 प्रतिशत पदों को अन्य वर्गों हेतु विज्ञापित पदों में जोड़कर कुल विज्ञापित पदों के 87 प्रतिशत पदों को मुख्य भाग लेकर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाये।
3. उपरोक्त (1) की गणना के अनुसार प्राप्त अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13 प्रतिशत पदों के लिये अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लेकर विज्ञापित पद संख्या के आधार पर प्रावधिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाये। सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त पत्रानुसार प्रारंभिक परीक्षा/लिखित परीक्षा में चयनित (शार्टलिस्टेड) प्रावधिक अभ्यर्थी परीक्षा के अगले प्रत्येक चरण (मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार) में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोके गये 13 प्रतिशत पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे न कि पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरुद्ध।
4. समस्त चयन प्रक्रियाओं में साक्षात्कार आयोजन के समय तक संबंधित विभागों से सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित पत्र के संदर्भ में पुनरीक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विभाजित पद विवरण सहित सभी पदों का विज्ञापित पद विवरण अनिवार्यतः मांग लिया जाये। विभागों से पुनरीक्षित पद विवरण प्राप्त होने के उपरांत विज्ञापित पदों के मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग के पदों की विज्ञप्ति प्रकाशित की जाये।
5. परीक्षा परिणामों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित) में अर्ह अभ्यर्थी अपने-अपने भाग में ही बने रहेंगे। चयन के किसी भी स्तर पर ये एक-दूसरे से अंतर परिवर्तन (इंटरचेंज) हेतु दावा नहीं कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक अगले चयन हेतु इस आशय का चयन पत्र भी अभ्यर्थियों से अनिवार्यतः प्राप्त किया जाये।
6. साक्षात्कार के उपरांत माननीय न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुये अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करने के पूर्व पूर्वानुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाये।
7. तत्पश्चात मुख्य भाग (87 प्रतिशत) का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर अनुशंसा संबंधित विभागों को प्रेषित की जाये।
8. प्रावधिक भाग का अंतिम चयन परिणाम दोनों वर्गों (अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिये तैयार कर दो पृथक-पृथक सीलबंद लिफाफों में रख दिया जाये। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के पश्चात जिस भी वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय होता है वह लिफाफा खोलकर चयन परिणाम घोषित कर विभागों को अनुशंसा प्रेषित की जाये।
9. सभी लंबित लिखित परीक्षाओं/साक्षात्कार होने वाले या सम्पन्न हो चुके भर्ती परीक्षाओं के परिणाम यथाशीघ्र घोषित किये जाये।
10. उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित पत्र का उल्लेख करते हुये परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जाये।
11. समस्त परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका डब्ल्यू.पी.-5901/2019 एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन होंगे।

05. सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2021 का परीक्षा परिणाम निम्नानुसार दो भागों में है- (अ) मुख्य भाग (87 प्रतिशत) तथा (ब) प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित श्रेणी हेतु रखे जाने हैं)। तदानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विज्ञापित कुल पद-69 हैं, जिसका मुख्य भाग में 14 प्रतिशत के मान से 36 पद तथा प्रावधिक भाग में 13 प्रतिशत के मान से 33 पद लिया गया है।

**मुख्य भाग-अ**

मुख्य भाग-अ के लिये **सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2021** हेतु उपरोक्त पदों के 03 गुना + समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से अर्ह कुल अभ्यर्थियों की श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार हैं-

| श्रेणी | 03 गुना + समान अंक | दिव्यांगजन (PH) |
|---|---|---|
| अनारक्षित (UR) | 223 | दृष्टिबाधित (VH) - 3 |
| अनुसूचित जाति (SC) | 129 | श्रवणबाधित (HH) - 2 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 151 | अस्थिबाधित (OH) - 12 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 122 | बहुविकलांग (MD) - 3 |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | 79 | |
| **कुल** | **704** | **कुल-20** |

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2021 के **परीक्षा परिणाम में मुख्य भाग-अ** के लिये प्रावधिक रूप से साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये कुल-704 आवेदकों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-

## MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

**Assistant District Public Prosecution Officer Examination 2021 PART A (Main)**

**Roll Number Wise list of Candidates Qualified for Interview**

| S.No. | ROLL No. | S.No. | ROLL No. | S.No. | ROLL No. | S.No. | ROLL No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 100010 | 67. | 101005 | 133. | 102217 | 199. | 103304 |
| 2. | 100016 | 68. | 101037 | 134. | 102239 | 200. | 103378 |
| 3. | 100039 | 69. | 101084 | 135. | 102242 | 201. | 103401 |
| 4. | 100047 | 70. | 101100 | 136. | 102251 | 202. | 103536 |
| 5. | 100057 | 71. | 101114 | 137. | 102330 | 203. | 103548 |
| 6. | 100061 | 72. | 101120 | 138. | 102342 | 204. | 103570 |
| 7. | 100069 | 73. | 101141 | 139. | 102349 | 205. | 103587 |
| 8. | 100088 | 74. | 101166 | 140. | 102376 | 206. | 103588 |
| 9. | 100089 | 75. | 101169 | 141. | 102398 | 207. | 103591 |
| 10. | 100108 | 76. | 101203 | 142. | 102405 | 208. | 103596 |
| 11. | 100126 | 77. | 101215 | 143. | 102450 | 209. | 103601 |
| 12. | 100148 | 78. | 101216 | 144. | 102469 | 210. | 103603 |
| 13. | 100159 | 79. | 101239 | 145. | 102510 | 211. | 103610 |
| 14. | 100194 | 80. | 101240 | 146. | 102543 | 212. | 103641 |
| 15. | 100216 | 81. | 101243 | 147. | 102552 | 213. | 103772 |
| 16. | 100220 | 82. | 101250 | 148. | 102582 | 214. | 103777 |
| 17. | 100244 | 83. | 101277 | 149. | 102585 | 215. | 103779 |
| 18. | 100245 | 84. | 101279 | 150. | 102595 | 216. | 103782 |
| 19. | 100255 | 85. | 101291 | 151. | 102627 | 217. | 103832 |
| 20. | 100266 | 86. | 101315 | 152. | 102636 | 218. | 103849 |
| 21. | 100281 | 87. | 101322 | 153. | 102654 | 219. | 103875 |
| 22. | 100285 | 88. | 101334 | 154. | 102661 | 220. | 103909 |
| 23. | 100293 | 89. | 101374 | 155. | 102680 | 221. | 103911 |
| 24. | 100301 | 90. | 101391 | 156. | 102682 | 222. | 103940 |
| 25. | 100391 | 91. | 101396 | 157. | 102687 | 223. | 103958 |
| 26. | 100447 | 92. | 101428 | 158. | 102743 | 224. | 103996 |
| 27. | 100466 | 93. | 101448 | 159. | 102752 | 225. | 104020 |
| 28. | 100468 | 94. | 101453 | 160. | 102758 | 226. | 104048 |
| 29. | 100470 | 95. | 101461 | 161. | 102761 | 227. | 104065 |
| 30. | 100475 | 96. | 101497 | 162. | 102762 | 228. | 104069 |
| 31. | 100477 | 97. | 101512 | 163. | 102765 | 229. | 104072 |
| 32. | 100486 | 98. | 101529 | 164. | 102799 | 230. | 104110 |
| 33. | 100494 | 99. | 101534 | 165. | 102805 | 231. | 104118 |
| 34. | 100520 | 100. | 101537 | 166. | 102854 | 232. | 104140 |
| 35. | 100525 | 101. | 101539 | 167. | 102855 | 233. | 104159 |
| 36. | 100531 | 102. | 101547 | 168. | 102881 | 234. | 104171 |
| 37. | 100544 | 103. | 101560 | 169. | 102913 | 235. | 104200 |
| 38. | 100547 | 104. | 101570 | 170. | 102940 | 236. | 104201 |
| 39. | 100564 | 105. | 101596 | 171. | 102984 | 237. | 104246 |
| 40. | 100582 | 106. | 101609 | 172. | 103005 | 238. | 104247 |
| 41. | 100585 | 107. | 101627 | 173. | 103006 | 239. | 104271 |
| 42. | 100618 | 108. | 101699 | 174. | 103011 | 240. | 104275 |
| 43. | 100630 | 109. | 101700 | 175. | 103015 | 241. | 104302 |
| 44. | 100632 | 110. | 101756 | 176. | 103032 | 242. | 104314 |
| 45. | 100641 | 111. | 101767 | 177. | 103038 | 243. | 104317 |
| 46. | 100645 | 112. | 101784 | 178. | 103040 | 244. | 104336 |
| 47. | 100661 | 113. | 101799 | 179. | 103052 | 245. | 104346 |
| 48. | 100672 | 114. | 101807 | 180. | 103057 | 246. | 104352 |
| 49. | 100712 | 115. | 101809 | 181. | 103082 | 247. | 104360 |
| 50. | 100713 | 116. | 101833 | 182. | 103096 | 248. | 104374 |
| 51. | 100734 | 117. | 101859 | 183. | 103119 | 249. | 104393 |
| 52. | 100754 | 118. | 101919 | 184. | 103132 | 250. | 104416 |
| 53. | 100757 | 119. | 101923 | 185. | 103139 | 251. | 104442 |
| 54. | 100762 | 120. | 101926 | 186. | 103155 | 252. | 104448 |
| 55. | 100780 | 121. | 101944 | 187. | 103160 | 253. | 104482 |
| 56. | 100785 | 122. | 101962 | 188. | 103191 | 254. | 104489 |
| 57. | 100825 | 123. | 101967 | 189. | 103200 | 255. | 104527 |
| 58. | 100866 | 124. | 101976 | 190. | 103204 | 256. | 104536 |
| 59. | 100886 | 125. | 101985 | 191. | 103206 | 257. | 104553 |
| 60. | 100898 | 126. | 101987 | 192. | 103231 | 258. | 104622 |
| 61. | 100900 | 127. | 102077 | 193. | 103241 | 259. | 104639 |
| 62. | 100936 | 128. | 102123 | 194. | 103245 | 260. | 104706 |
| 63. | 100938 | 129. | 102130 | 195. | 103248 | 261. | 104718 |
| 64. | 100966 | 130. | 102143 | 196. | 103249 | 262. | 104730 |
| 65. | 100978 | 131. | 102173 | 197. | 103270 | 263. | 104766 |
| 66. | 100981 | 132. | 102196 | 198. | 103275 | 264. | 104767 |

| S.No. | ROLL No. | S.No. | ROLL No. | S.No. | ROLL No. | S.No. | ROLL No. | S.No. | ROLL No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265. | 104781 | 354. | 108339 | 443. | 111429 | 532. | 114443 | 621. | 117413 |
| 266. | 104842 | 355. | 108405 | 444. | 111494 | 533. | 114451 | 622. | 117433 |
| 267. | 104862 | 356. | 108411 | 445. | 111533 | 534. | 114471 | 623. | 117444 |
| 268. | 104879 | 357. | 108485 | 446. | 111535 | 535. | 114525 | 624. | 117473 |
| 269. | 104995 | 358. | 108508 | 447. | 111542 | 536. | 114580 | 625. | 117482 |
| 270. | 105015 | 359. | 108545 | 448. | 111587 | 537. | 114587 | 626. | 117510 |
| 271. | 105044 | 360. | 108546 | 449. | 111588 | 538. | 114634 | 627. | 117522 |
| 272. | 105061 | 361. | 108583 | 450. | 111610 | 539. | 114709 | 628. | 117526 |
| 273. | 105075 | 362. | 108610 | 451. | 111633 | 540. | 114720 | 629. | 117542 |
| 274. | 105250 | 363. | 108616 | 452. | 111653 | 541. | 114759 | 630. | 117544 |
| 275. | 105256 | 364. | 108633 | 453. | 111745 | 542. | 114803 | 631. | 117632 |
| 276. | 105284 | 365. | 108672 | 454. | 111778 | 543. | 114958 | 632. | 117634 |
| 277. | 105289 | 366. | 108778 | 455. | 111805 | 544. | 114972 | 633. | 117715 |
| 278. | 105297 | 367. | 108861 | 456. | 111923 | 545. | 115036 | 634. | 117731 |
| 279. | 105301 | 368. | 108973 | 457. | 111956 | 546. | 115038 | 635. | 117914 |
| 280. | 105358 | 369. | 108982 | 458. | 111990 | 547. | 115181 | 636. | 117917 |
| 281. | 105368 | 370. | 109021 | 459. | 112003 | 548. | 115191 | 637. | 117938 |
| 282. | 105407 | 371. | 109038 | 460. | 112083 | 549. | 115295 | 638. | 117948 |
| 283. | 105411 | 372. | 109040 | 461. | 112117 | 550. | 115321 | 639. | 117981 |
| 284. | 105453 | 373. | 109048 | 462. | 112159 | 551. | 115384 | 640. | 117986 |
| 285. | 105508 | 374. | 109078 | 463. | 112184 | 552. | 115391 | 641. | 118003 |
| 286. | 105515 | 375. | 109093 | 464. | 112217 | 553. | 115405 | 642. | 118020 |
| 287. | 105534 | 376. | 109097 | 465. | 112234 | 554. | 115466 | 643. | 118051 |
| 288. | 105586 | 377. | 109116 | 466. | 112277 | 555. | 115565 | 644. | 118068 |
| 289. | 105636 | 378. | 109154 | 467. | 112289 | 556. | 115609 | 645. | 118071 |
| 290. | 105687 | 379. | 109221 | 468. | 112291 | 557. | 115615 | 646. | 118130 |
| 291. | 105715 | 380. | 109260 | 469. | 112384 | 558. | 115616 | 647. | 118154 |
| 292. | 105781 | 381. | 109267 | 470. | 112442 | 559. | 115657 | 648. | 118170 |
| 293. | 105840 | 382. | 109279 | 471. | 112472 | 560. | 115704 | 649. | 118173 |
| 294. | 105872 | 383. | 109378 | 472. | 112490 | 561. | 115726 | 650. | 118238 |
| 295. | 105978 | 384. | 109393 | 473. | 112517 | 562. | 115784 | 651. | 118306 |
| 296. | 106014 | 385. | 109423 | 474. | 112566 | 563. | 115791 | 652. | 118324 |
| 297. | 106084 | 386. | 109503 | 475. | 112584 | 564. | 115835 | 653. | 118352 |
| 298. | 106110 | 387. | 109545 | 476. | 112603 | 565. | 115900 | 654. | 118358 |
| 299. | 106143 | 388. | 109553 | 477. | 112614 | 566. | 115946 | 655. | 118393 |
| 300. | 106153 | 389. | 109574 | 478. | 112619 | 567. | 115952 | 656. | 118417 |
| 301. | 106296 | 390. | 109604 | 479. | 112765 | 568. | 115992 | 657. | 118457 |
| 302. | 106328 | 391. | 109692 | 480. | 112808 | 569. | 116007 | 658. | 118491 |
| 303. | 106337 | 392. | 109693 | 481. | 112819 | 570. | 116010 | 659. | 118604 |
| 304. | 106369 | 393. | 109793 | 482. | 112820 | 571. | 116022 | 660. | 118655 |
| 305. | 106410 | 394. | 109825 | 483. | 112835 | 572. | 116026 | 661. | 118762 |
| 306. | 106441 | 395. | 109872 | 484. | 112876 | 573. | 116071 | 662. | 118777 |
| 307. | 106586 | 396. | 109889 | 485. | 112884 | 574. | 116082 | 663. | 118783 |
| 308. | 106591 | 397. | 109981 | 486. | 112997 | 575. | 116084 | 664. | 118845 |
| 309. | 106677 | 398. | 109984 | 487. | 113062 | 576. | 116150 | 665. | 118854 |
| 310. | 106692 | 399. | 110002 | 488. | 113136 | 577. | 116199 | 666. | 118916 |
| 311. | 106708 | 400. | 110020 | 489. | 113138 | 578. | 116210 | 667. | 118918 |
| 312. | 106731 | 401. | 110025 | 490. | 113157 | 579. | 116225 | 668. | 119105 |
| 313. | 106790 | 402. | 110045 | 491. | 113163 | 580. | 116232 | 669. | 119148 |
| 314. | 106793 | 403. | 110064 | 492. | 113166 | 581. | 116283 | 670. | 119165 |
| 315. | 106813 | 404. | 110081 | 493. | 113210 | 582. | 116293 | 671. | 119178 |
| 316. | 106832 | 405. | 110082 | 494. | 113230 | 583. | 116314 | 672. | 119192 |
| 317. | 106846 | 406. | 110114 | 495. | 113281 | 584. | 116323 | 673. | 119205 |
| 318. | 106873 | 407. | 110132 | 496. | 113307 | 585. | 116328 | 674. | 119224 |
| 319. | 106891 | 408. | 110175 | 497. | 113310 | 586. | 116366 | 675. | 119233 |
| 320. | 106929 | 409. | 110208 | 498. | 113324 | 587. | 116498 | 676. | 119324 |
| 321. | 106961 | 410. | 110252 | 499. | 113397 | 588. | 116499 | 677. | 119338 |
| 322. | 106983 | 411. | 110287 | 500. | 113406 | 589. | 116567 | 678. | 119384 |
| 323. | 107041 | 412. | 110291 | 501. | 113468 | 590. | 116574 | 679. | 119386 |
| 324. | 107043 | 413. | 110296 | 502. | 113510 | 591. | 116612 | 680. | 119452 |
| 325. | 107161 | 414. | 110407 | 503. | 113568 | 592. | 116694 | 681. | 119480 |
| 326. | 107217 | 415. | 110417 | 504. | 113590 | 593. | 116696 | 682. | 119500 |
| 327. | 107294 | 416. | 110435 | 505. | 113669 | 594. | 116707 | 683. | 119551 |
| 328. | 107297 | 417. | 110477 | 506. | 113689 | 595. | 116716 | 684. | 119572 |
| 329. | 107341 | 418. | 110496 | 507. | 113702 | 596. | 116801 | 685. | 119642 |
| 330. | 107359 | 419. | 110558 | 508. | 113703 | 597. | 116811 | 686. | 119648 |
| 331. | 107489 | 420. | 110578 | 509. | 113770 | 598. | 116813 | 687. | 119652 |
| 332. | 107498 | 421. | 110664 | 510. | 113807 | 599. | 116843 | 688. | 119668 |
| 333. | 107521 | 422. | 110710 | 511. | 113815 | 600. | 116872 | 689. | 119678 |
| 334. | 107755 | 423. | 110735 | 512. | 113823 | 601. | 116889 | 690. | 119692 |
| 335. | 107756 | 424. | 110774 | 513. | 113845 | 602. | 116938 | 691. | 119695 |
| 336. | 107802 | 425. | 110798 | 514. | 113892 | 603. | 116972 | 692. | 119705 |
| 337. | 107811 | 426. | 110827 | 515. | 113897 | 604. | 117016 | 693. | 119732 |
| 338. | 107858 | 427. | 110911 | 516. | 113911 | 605. | 117085 | 694. | 119737 |
| 339. | 107928 | 428. | 110933 | 517. | 113936 | 606. | 117088 | 695. | 119837 |
| 340. | 108045 | 429. | 110993 | 518. | 113959 | 607. | 117139 | 696. | 119944 |
| 341. | 108058 | 430. | 111050 | 519. | 114010 | 608. | 117145 | 697. | 119973 |
| 342. | 108077 | 431. | 111083 | 520. | 114050 | 609. | 117162 | 698. | 120060 |
| 343. | 108085 | 432. | 111105 | 521. | 114056 | 610. | 117170 | 699. | 120193 |
| 344. | 108119 | 433. | 111126 | 522. | 114094 | 611. | 117257 | 700. | 120262 |
| 345. | 108120 | 434. | 111139 | 523. | 114095 | 612. | 117318 | 701. | 120385 |
| 346. | 108136 | 435. | 111211 | 524. | 114177 | 613. | 117320 | 702. | 120411 |
| 347. | 108162 | 436. | 111226 | 525. | 114208 | 614. | 117322 | 703. | 120608 |
| 348. | 108191 | 437. | 111232 | 526. | 114219 | 615. | 117340 | 704. | 120619 |
| 349. | 108200 | 438. | 111356 | 527. | 114238 | 616. | 117346 | | |
| 350. | 108210 | 439. | 111360 | 528. | 114252 | 617. | 117347 | | |
| 351. | 108263 | 440. | 111375 | 529. | 114293 | 618. | 117365 | | |
| 352. | 108274 | 441. | 111379 | 530. | 114361 | 619. | 117392 | | |
| 353. | 108304 | 442. | 111386 | 531. | 114373 | 620. | 117402 | | |

**प्रावधिक भाग-ब**

**सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2021** के परीक्षा परिणाम में **प्रावधिक भाग-ब** हेतु उपरोक्त पदों के 03 गुना + समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से अर्ह कुल अभ्यर्थियों की श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार हैं-

| श्रेणी | 03 गुना + समान अंक |
|---|---|
| अनारक्षित (UR) | 39 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 100 |
| **कुल** | **199** |

**सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2021 के परीक्षा परिणाम में प्रावधिक भाग-ब** के लिये प्रावधिक रूप से साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये कुल-199 आवेदकों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-

## MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

### Assistant District Public Prosecution Officer Examination 2021

### PART B (PROVISIONAL)

### Roll Number Wise list of Candidates Qualified for Interview

| S.No. | ROLL No. | S.No. | ROLL No. | S.No. | ROLL No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 100012 | 68. | 106712 | 135. | 113358 |
| 2. | 100056 | 69. | 106828 | 136. | 113522 |
| 3. | 100237 | 70. | 106835 | 137. | 113615 |
| 4. | 100361 | 71. | 107005 | 138. | 113755 |
| 5. | 100639 | 72. | 107012 | 139. | 113773 |
| 6. | 100741 | 73. | 107094 | 140. | 113935 |
| 7. | 100834 | 74. | 107307 | 141. | 113979 |
| 8. | 100925 | 75. | 107614 | 142. | 113982 |
| 9. | 101063 | 76. | 107659 | 143. | 114068 |
| 10. | 101097 | 77. | 107684 | 144. | 114176 |
| 11. | 101119 | 78. | 107702 | 145. | 114195 |
| 12. | 101154 | 79. | 107866 | 146. | 114209 |
| 13. | 101213 | 80. | 107951 | 147. | 114514 |
| 14. | 101368 | 81. | 107989 | 148. | 114613 |
| 15. | 101528 | 82. | 108003 | 149. | 114805 |
| 16. | 101544 | 83. | 108054 | 150. | 114980 |
| 17. | 101616 | 84. | 108070 | 151. | 115073 |
| 18. | 101716 | 85. | 108435 | 152. | 115554 |
| 19. | 101749 | 86. | 108547 | 153. | 115813 |
| 20. | 101814 | 87. | 108596 | 154. | 115848 |
| 21. | 101852 | 88. | 108755 | 155. | 115879 |
| 22. | 101953 | 89. | 108769 | 156. | 115894 |
| 23. | 101973 | 90. | 108892 | 157. | 115924 |
| 24. | 102187 | 91. | 108906 | 158. | 116091 |
| 25. | 102195 | 92. | 108931 | 159. | 116297 |
| 26. | 102209 | 93. | 108950 | 160. | 116350 |
| 27. | 102236 | 94. | 109035 | 161. | 116392 |
| 28. | 102283 | 95. | 109081 | 162. | 116415 |
| 29. | 102550 | 96. | 109109 | 163. | 116615 |
| 30. | 102659 | 97. | 109178 | 164. | 116820 |
| 31. | 102690 | 98. | 109227 | 165. | 116900 |
| 32. | 102709 | 99. | 109287 | 166. | 117003 |
| 33. | 102845 | 100. | 109404 | 167. | 117009 |
| 34. | 102890 | 101. | 109547 | 168. | 117222 |
| 35. | 103147 | 102. | 109688 | 169. | 117307 |
| 36. | 103350 | 103. | 109695 | 170. | 117576 |
| 37. | 103621 | 104. | 109715 | 171. | 117622 |
| 38. | 103675 | 105. | 109807 | 172. | 117847 |
| 39. | 103706 | 106. | 109822 | 173. | 117865 |
| 40. | 103794 | 107. | 109826 | 174. | 117941 |
| 41. | 103800 | 108. | 109893 | 175. | 118070 |
| 42. | 103923 | 109. | 110315 | 176. | 118109 |
| 43. | 103931 | 110. | 110343 | 177. | 118344 |
| 44. | 103987 | 111. | 110353 | 178. | 118513 |
| 45. | 104228 | 112. | 110358 | 179. | 118726 |
| 46. | 104293 | 113. | 110394 | 180. | 118742 |
| 47. | 104502 | 114. | 110634 | 181. | 118827 |
| 48. | 104666 | 115. | 110762 | 182. | 118943 |
| 49. | 104911 | 116. | 110780 | 183. | 119063 |
| 50. | 104981 | 117. | 110782 | 184. | 119153 |
| 51. | 105034 | 118. | 111094 | 185. | 119162 |
| 52. | 105038 | 119. | 111315 | 186. | 119199 |
| 53. | 105135 | 120. | 111487 | 187. | 119231 |
| 54. | 105170 | 121. | 111674 | 188. | 119314 |
| 55. | 105267 | 122. | 111695 | 189. | 119476 |
| 56. | 105395 | 123. | 111811 | 190. | 119584 |
| 57. | 105432 | 124. | 111942 | 191. | 119685 |
| 58. | 105598 | 125. | 111984 | 192. | 119690 |
| 59. | 105624 | 126. | 112125 | 193. | 119742 |
| 60. | 105666 | 127. | 112189 | 194. | 120172 |
| 61. | 106080 | 128. | 112297 | 195. | 120335 |
| 62. | 106209 | 129. | 112380 | 196. | 120363 |
| 63. | 106251 | 130. | 112551 | 197. | 120453 |
| 64. | 106462 | 131. | 112842 | 198. | 120559 |
| 65. | 106470 | 132. | 113075 | 199. | 120597 |
| 66. | 106486 | 133. | 113140 | | |
| 67. | 106649 | 134. | 113280 | | |

**अभिलेख प्रेषित करने हेतु निर्देश :**

1. उपरोक्त परीक्षा के लिये भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।
2. उपस्थिति पत्रक-1 मूल प्रति (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध)।
3. व्यक्तिगत विवरण-01 मूल प्रति व 5- छायाप्रति (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध)।

(शेष अगले पृष्ठ पर)

## मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग
## स्वराज संस्थान संचालनालय
## धर्मपाल फैलोशिप

आज़ादी का अमृत महोत्सव

धर्मपाल फैलोशिप अंतर्गत तथ्यपूर्ण प्रामाणिक शोधकार्य के लिए वर्ष 2022-23 हेतु भारतीय नागरिकों से पाँच सीनियर एवं सात जूनियर फैलोशिप के लिए नीचे उल्लिखित विषयों में से प्रस्ताव आमंत्रित हैं :-

### धर्मपाल सीनियर फैलोशिप प्रत्येक अध्येता राशि रु. 6,00,000

1. 18वीं शताब्दी का भारत
2. भारत और यूरोप
3. भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ऐतिहासिकता
4. भारतीय परंपरा में समाज और राजव्यवस्था
5. औपनिवेशिकता से मुक्ति और भारतीय 'स्व' तंत्र
6. भारतवर्ष की सामाजिक संरचना अतर्संबंध और सामुदायिक संस्कृतियाँ
7. भारत की पंचायती व्यवस्था का इतिहास
8. भारत की जनपदीय शिक्षा प्रणाली
9. पशुचारक-संस्कृति ( गोधन संस्कृति ) और भारतीय अर्थतंत्र
10. घुमन्तु ( विमुक्त एवं अर्द्ध घुमन्तु ) समुदायों की जीवन-संस्कृति

दर्शित विषयों में से किन्ही 05 विषयों पर फैलोशिप प्रदान की जायेगी
अवधि : एक वर्ष

### धर्मपाल जूनियर फैलोशिप प्रत्येक अध्येता राशि रु. 4,32,000

1. मध्य भारत की स्थानिक गाथा-आख्यान परंपराएँ और वाचिक इतिहास
2. मध्य भारत में विज्ञान व तकनीकी कौशल परंपराएँ
3. मध्य भारत का भाषा परिवार और उनकी पहचान
4. मध्य भारतमें जातीय कौशल : कला, शिल्प, विज्ञान
5. मध्य भारत में स्थानीय औषधीय व वैद्यकीय ज्ञान परंपरा
6. मध्य भारत की देशज भैजष्य ज्ञान संपदा
7. राष्ट्र-निर्माण में घुमन्तु समुदायों का अवदान
8. मध्य भारत की आरण्यक जीवन-संस्कृति एवं धरोहर

दर्शित विषयों में से किन्ही 07 विषयों पर फैलोशिप प्रदान की जायेगी
अवधि : एक वर्ष

### पात्रता

**सीनियर फैलोशिप ( न्यूनतम आयु 35 वर्ष, 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में )** - दर्शन, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विद्याओं, साहित्य अथवा कलाओं में से किसी एक विषय में पीएच.डी. अथवा इतिहास, शिक्षा, संस्कृति, दर्शन या भारतीय साहित्य में अपने योगदान के द्वारा प्रतिष्ठित विद्वान अथवा विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन प्राध्यापक अथवा राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय ख्याति प्राप्त विद्वान या ऐसे लेखक, सम्पादक, पत्रकार जिनकी ऊपर संदर्भित विषयों पर दो से अधिक पुस्तकें प्रकाशित व चर्चित हो चुकी हों, पात्र होंगे। उपरोक्त विषय से संबंधित क्षेत्र में विशेष उपलब्धि अर्जित करने अथवा विशेषीकृत अनुसंधान का अनुभव रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।

**जूनियर फैलोशिप ( अधिकतम आयु 50 वर्ष, 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में )** - दर्शन, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विधाओं, साहित्य अथवा कलाओं में से किसी एक विषय में पी.एचडी. उपाधिधारी भी आवेदन कर सकते हैं। कोई युवा/उदीयमान स्तरीय लेखक, पत्रकार जिनके लेख चर्चित हो चुके हों, भी पात्र होंगे। उपरोक्त विषय से संबंधित क्षेत्र में विशेष उपलब्धि अर्जित करने अथवा विशेषीकृत अनुसंधान का अनुभव रखने वाले आवेदक को दी जायेगी।

चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर फैलोशिप प्रदान करने का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। फैलोशिप के दौरान किये गये शोध कार्य का प्रकाशन और प्रदर्शन का सर्वाधिकार धर्मपाल शोधपीठ का होगा।

### आवेदन-पत्र प्रारूप

1. नाम 2. स्थायी पता 3. जन्मतिथि 4. जन्म स्थान 5. पासपोर्ट आकार के दो छायाचित्र 6. भारत में निवास की अवधि 7. रोजगार की स्थिति 8. शोध प्रस्ताव ( Synopsis ) 9. फैलोशिप की अवधि में किये जाने वाले कार्य का शीर्षक एवं विवरण 10. सम्बन्धित क्षेत्र में योगदान एवं अनुभव 11. ऐसे दो सम्मानित विद्वानों के संदर्भ ( नाम तथा पता ) जिन्हें नामांकित व्यक्ति की योग्यता/कार्य की जानकारी हो।

**स्वराज संस्थान संचालनालय**
रवीन्द्र भवन परिसर, भोपाल-462002 , फोन/फैक्स : 0755-2990794, 2660563, 2660407/2660361
E-mail : swarajbhawan2@gmail.com, shodhpithdharmpal@gmail.com

G-21378/48047/2023


## गौ-वंश चारे के लिये 132 करोड़ रुपये वितरित

**भोपाल,** गौ-संवर्द्धन बोर्ड कार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरनंद गिरी ने बताया है कि प्रदेश के निराश्रित और भटके हुए गौ-वंश के चारा, भूसा और पशु आहार (सुदाना) के लिये इस वर्ष 132 करोड़ 71 लाख रुपये पंजीकृत शासकीय और अशासकीय गौ-शालाओं को अनुदान के रूप में वितरित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि इसमें से गत दिवस अंतिम किश्त 66 करोड़ रुपये की राशि सभी जिलों के गौ-पालन एवं पशुधन समितियों के बैंक खातों में आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर कर दी गई है। जिला समितियों को निर्देशित किया गया है कि गौ-संवर्द्धन बोर्ड द्वारा पंजीकृत सभी शासकीय और अशासकीय गौ-शालाओं को यथाशीघ्र राशि वितरित कर दें। प्रदेश में 1665 पंजीबद्ध गौ-शालाएं क्रियाशील हैं।

स्वामी अखिलेश्वरनंद गिरी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में दिसम्बर 2022 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के जिन गांवों में ग्राम पंचायत स्तर पर नवीन गौ-शालाएं बनकर तैयार हो गई हैं, उनमें बेसहारा गौ-वंश को रखा जाकर देखभाल की जाएगी। चारा भूसा की अतिरिक्त अनुदान राशि से गौ-शालाओं का संचालन किया जाएगा। इसके लिये स्थानीय निकाय एवं आम नागरिकों का सहयोग भी लिया जाएगा।


कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से 05 दिवसीय अरहवासी
**औषधीय सुगंधीय पौधों की खेती, प्रसंस्करण, विपणन पर प्रशिक्षण**

अवधि : दिनांक 27 से 31 जनवरी 2023 तक
योग्यता : औषधीय सुगंधीय पौधों की खेती एवं प्रसंस्करण करने के इच्छुक युवा/किसान
प्रशिक्षण स्थल

**उद्यमिता विकास केन्द्र (सेडमैप)**
(सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग,मध्यप्रदेश शासन के अधीन)
ISO 9001:2015 16-ए, अरेरा हिल्स,भोपाल-462011(म0प्र0)

प्रशिक्षण शुल्क : 3000/- प्रति प्रशिक्षणार्थी
आवेदन की अंतिम तिथि : 25 जनवरी 2023, जानकारी हेतु संपर्कः डॉ. वेद प्रकाश सिंह
फोन (0755)4000913 मो. 9425386409, 9479935845, ईमेल pmuhead.cedmap@gmail.com

48050/2023

CRISP ISO 9001:2015

## पवन ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार के सुनहरे अवसर

नीवे NIWE

राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE) चैन्नई,
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित

**निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बेरोजगार युवाओं हेतु**

| | |
|---|---|
| 1)इलेक्ट्रिकल एण्ड इंस्ट्रूमेंटेशन तकनीशियन<br>2)मेकेनिकल तकनीशियन | अवधि :– 80 से 100 दिन<br>अर्हता :– 12वीं (विज्ञान)/आई.टी.आई./डिप्लोमा (इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/मैकेनिकल/सिविल/इंस्ट्रूमेंटेशन) |
| 3)साइट सर्वेयर पवन ऊर्जा संयंत्र | अवधि :– 50 दिन<br>अर्हता :– बी.ई./बी.टेक./ डिप्लोमा (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल/सिविल/कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन) मैकेनिकल तकनीशियन |

रोज़गार के अवसर : विंड इनर्जी, सोलर प्लांट, स्टील, सीमेंट, केमिकल फैक्ट्री, फूड इंडस्ट्री, टायर, प्लास्टिक, फार्मास्युटिकल, जूट उद्योग, विद्युत विभाग की कंपनियों एवं शोध संस्थानों में।

प्रशिक्षण दिनांक 02 फरवरी 2023 से क्रिस्प भोपाल में प्रारंभ होगें। प्रशिक्षण लगभग 3 माह अवधि का एवं निःशुल्क है। बाहरी प्रशिक्षणार्थियों हेतु भोपाल मे रहने एवं खाने की व्यवस्था क्रिस्प द्वारा की जायेगी। चयन टेलिफॉनिक साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 35 वर्ष से कम हो। चयनित आवेदनकर्ता अपने शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, मूल निवासी प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज के फोटो के साथ दिनांक 02 फरवरी को नीचे दिए गए पते पर उपस्थित हों।

प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाएगी। केवल वही उम्मीदवार आवेदन करें जो कि रोजगार हेतु देश में किसी भी स्थान पर जाने के लिए तैयार हों।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :–
1) पूनम बोहत 8319547089
2) विजय सक्सेना 9425029865
3) हरिश भारती 9685953077
4) संदीप नायक 9755057033

रजिस्ट्रेशन लिंक :– https://forms.gle/AWjQNQ9YwU10gDNQ6 रजिस्ट्रेशन फार्म www.crispindia.com पर भी उपलब्ध है। आप जानकारी व्हाट्सएप्प पर भी भेज सकते है।

**सेन्टर फॉर रिसर्च एण्ड इण्डस्ट्रीयल स्टॉफ परफॉरमेंस**
(मध्यप्रदेश शासन का स्वायत्त संस्थान)
श्यामला हिल्स, मानस भवन के सामने, भोपाल, फोन नं. 0755 - 2661401
ईमेल : poonam@crispindia.com, sudheer@crispindia.com

Business Promotion

48051/2023


## कृषि विपणन बोर्ड की राशि का उपयोग विकास कार्यों में हो

**भोपाल,** मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न निधियों की राशि का उपयोग विकास कार्यों में किया जाए। मंडी बोर्ड द्वारा पूर्व में बनाई गई सड़कों का संधारण प्राथमिकता के साथ और तेजी हो। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मंत्रालय में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कार्यों की समीक्षा करते हुये कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी अधोसंरचना विकास निधि से कार्यों की स्वीकृति की प्रक्रिया तेज की जाए। कृषि अनुसंधान निधि से कृषि विश्वविद्यालयों में बीज एवं परीक्षण तथा कृषि उपज मंडी समितियों में मिट्टी के परीक्षण की सुविधा के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि बीज उत्पादन और उद्यानिकी फसलों की नई प्रजातियों की रोपण सामग्रियों का और परीक्षण की सुविधा के लिए अधोसंरचनाओं का निर्माण किया जाये।

श्री चौहान ने कहा कि निधि से निर्माण कार्यों की स्वीकृति की प्रक्रिया नियमानुसार की जाए। बोर्ड द्वारा मंडी निधि से 1 हजार 107 किलोमीटर सड़क अभी तक बनाई गई है, जिसमें से 210 किलोमीटर सड़क एमपीआरआरडीए को हस्तांतरित की गई है। शेष 698 किलोमीटर सड़क एमपीआरआरडीए को अंतरित किए जाने का कार्य शीघ्रता से करें। मुख्यमंत्री ने बोर्ड की विभिन्न निधियों की जानकारी प्राप्त की। इसमें किसान सड़क निधि, आरआरडीए की अंश राशि, मंडी बोर्ड की अंश राशि आदि शामिल हैं।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

4. अनुप्रमाणन-फॉर्म 03 मूल प्रति (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध)।
5. शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र-01 मूल प्रति (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध)।
6. घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा में विवर्जित होने संबंधी-01 मूल प्रति) (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध)।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किये जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रति (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध)।
8. हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा की अंकसूची की प्रति।
9. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि या समकक्ष।
10. प्रथम श्रेणी या बार में विधि व्यवसाय में दो वर्ष पूर्ण या उच्चतर अर्हता के दस्तावेजों की प्रति।
11. मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की प्रति (प्रमाण-पत्र में गोल सील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख आवश्यक है)।
12. आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश शासन का जाति प्रमाण-पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण-पत्र। (जाति प्रमाण-पत्र में जारी करने का दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।) (केंद्र शासन की सेवाओं हेतु मान्य जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे। मध्यप्रदेश शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे)।
13. ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी की पात्रता रखने वाले आवेदक ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का वैध प्रमाण-पत्र की प्रति।
14. दिव्यांगजन होने के स्थिति में दिव्यांगता विषयक मेडिकल बोर्ड का वैधता प्रमाण-पत्र जिसमें दिव्यांगता के प्रकार एवं प्रतिशत का स्पष्ट उल्लेख हो की प्रति। (इस प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि समाप्त न हुई हो।)
15. मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने के स्थिति में मध्यप्रदेश रोज़गार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति।
16. महिला आवेदकों हेतु विवाहोपरांत/उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ-पत्र की प्रति।
17. शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति। (अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त न हुआ हो, तो विभाग को अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु प्रस्तुत पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)।
18. अन्य कोई प्रमाण-पत्र (यदि हो, जिसका ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लेख हो की छायाप्रति)।

06 उपरोक्तानुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर दिनांक 06.02.2023 तक आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारियों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाये जाने पर ही आवेदक को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की तिथि पृथक से घोषित की जायेगी।

**महत्वपूर्ण टीप :-**

01. सूची में दर्शाये गये परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक है। यदि अभ्यर्थी **सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2021** के लिये अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं, तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
02. आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के प्राप्तांक के बराबर या अधिक हैं, उन्हें अनारक्षित वर्ग में लघुसूचीकृत किया गया है।
03. महिला आरक्षण में आरक्षित वर्ग की वे महिला अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के प्राप्तांक के बराबर या अधिक हैं, उन्हें अनारक्षित वर्ग में लघुसूचीकृत किया गया है।
04. **सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2021** के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोपित की जायेगी। साक्षात्कार की विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर जारी कर दी जायेगी।
05. **न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।**
06. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
07. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण त्रुटियों के लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।
08. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई भी तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है, तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।
09. उपरोक्तानुसार जारी प्रावधिक लिखित परीक्षा परिणाम का अंतिम चयन परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.बी.-5901/2019 एवं संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
10. अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक 06.02.2023 तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें -

**प्रति,**
**सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी एरिया**
**इंदौर (म.प्र.)-452001**

**लिफाफे पर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2021 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवश्य लिखें।**

जी-21340/48029/2023

**उप परीक्षा नियंत्रक**

# मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 11841/13/2022/चयन इन्दौर, दिनांक : 29.12.2022

## पदनाम - मेडिकल विशेषज्ञ

## चयन-सूची

1. आयोग के विज्ञापन क्रमांक 06/2022 दिनांक 27.07.2022 एवं समय-समय पर जारी शुद्धि पत्रादि, सूचनाओं आदि के संदर्भ में विज्ञापित पद- मेडिकल विशेषज्ञ के कुल- 160 पद (अनारक्षित- 43, अ.जा.- 26, अ.ज.जा.- 32, अ.पि. वर्ग- 43, ई.डब्ल्यू.एस.- 16) इनमें से महिलाओं हेतु आरक्षित पद- अनारक्षित- 14, अ.जा.- 09, अ.ज.जा.- 11, अ.पि. वर्ग- 14, ई.डब्ल्यू.एस.- 05 (कुल विज्ञापित पदों में से दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद - अस्थिबाधित- 03, दृष्टिबाधित- 02, श्रवणबाधित- 02 एवं बहु-दिव्यांग- 03, पद आरक्षित) विज्ञापित किए गए हैं। उक्त पदों की पूर्ति के लिए अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार **दिनांक 21.12.2022 से 22.12.2022 तक** आयोजित किए गए।
2. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें के सत्र क्रमांक/1-जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/2022/1655 दिनांक 18.11.2022 में उल्लेखित रिक्ति विवरण के अनुसार आयोग द्वारा विज्ञापित शुद्धि पत्र क्रमांक 01/06/2022 दिनांक 23.11.2022 के माध्यम से उपरोक्त विज्ञापन क्रमांक 06/2022 दिनांक 27.07.2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का 87 प्रतिशत मुख्य भाग एवं 13 प्रतिशत प्रावधिक भाग की रिक्तियों का पद विभाजन विज्ञापित किया गया है जिसके अनुसार, चयन परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग के रूप में घोषित किया जाना प्रावधानित किया गया है। चयन परिणाम केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) का घोषित किए जाने के प्रावधान के तहत मुख्य भाग हेतु पुनरीक्षित रिक्तियों का विवरण निम्नांकित तालिका में अंकित है। उक्त शुद्धि पत्र दिनांक 23.11.2022 के बिन्दु क्रमांक 3 में उल्लेखित कंडिका के अनुसार प्रावधिक भाग का चयन परिणाम अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संबंध में प्रचलित न्यायालयीन प्रकरण के अंतिम न्यायिक निर्णय के पश्चात् घोषित किया जाएगा।
3. अतएव साक्षात्कार में प्राप्तांकों के गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) की चयन सूची घोषित की जाती है :-

### 1. मेडिकल विशेषज्ञ (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

#### पद विवरण तालिका

| | अनारक्षित | अ.जा. | अ.ज.जा. | अ.पि.व. | ई.डब्ल्यू.एस. | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल पदों की संख्या | 43 | 26 | 32 | 22 | 16 | **139** |
| इनमें से महिलाओं के लिए आरक्षित पद | 14 | 9 | 11 | 7 | 5 | |

| | |
|---|---|
| कुल पदों में से अस्थिबाधित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद | 3 |
| कुल पदों में से दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद | 2 |
| कुल पदों में से श्रवणबाधित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद | 2 |
| कुल पदों में से बहु-दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद | 3 |

#### मुख्य सूची

| स.क्र. | अनुक्रमांक | नाम | लिंग | | Seat | | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6049 | ABHIMANYU NIGAM | M | प्रावधिक | UNR | | UNR |
| 2. | 6008 | SHUBHAM UPADHYAY | M | | UNR | | UNR |
| 3. | 6041 | SRAJIT SINGH | M | प्रावधिक | UNR | | UNR |
| 4. | 6002 | ANUBHAV GUPTA | M | प्रावधिक | UNR | | UNR |
| 5. | 6013 | AJAY PRAKASH TRIPATHI | M | | UNR | | UNR |
| 6. | 6007 | DR. SHAHWAR KHAN | M | प्रावधिक | UNR | | UNR |
| 7. | 6009 | SAURABH SINGH TOMAR | M | | UNR | | UNR |
| 8. | 6052 | DIVYESH LAD | M | प्रावधिक | UNR | | UNR |
| 9. | 6001 | BRIJRAJ SHUKLA | M | | UNR | | UNR |
| 10. | 6037 | GAURAV SINGH RAGHUWANSHI | M | | UNR | | UNR |
| 11. | 6016 | VENKATESH YADAV | M | | UNR | | UNR |
| 12. | 6038 | ANIL KUMAR VYAS | M | | UNR | | UNR |
| 13. | 6047 | VEDANT SHARMA | M | | UNR | | UNR |
| 14. | 6064 | VIJAY KUMAR SHAH | M | प्रावधिक | UNR | | OBC |
| 15. | 6021 | ANKIT JAIN | M | | UNR | | UNR |
| 16. | 6046 | AFREEN ALAM | F | प्रावधिक | UNRF | | UNR |
| 17. | 6020 | GANGA PRASAD VAISHYA | M | | UNR | | UNR |
| 18. | 6072 | ANKIT RANA | M | प्रावधिक | UNR | | OBC |
| 19. | 6096 | AKSHAY JADHAV | M | प्रावधिक | UNR | | ST |
| 20. | 6010 | MUKESH SINGH TOMAR | M | प्रावधिक | UNR | | UNR |
| 21. | 6018 | MADHUSUDAN SINGH RAJAWAT | M | | UNR | | UNR |
| 22. | 6062 | SHWETA SONI | F | प्रावधिक | UNRF | | OBC |
| 23. | 6042 | ABHISHEK MEHTA | M | प्रावधिक | UNR | | UNR |
| 24. | 6005 | HARENDRA SINGH JADON | M | | UNR | | UNR |
| 25. | 6029 | SANTOSH KUMAR PATEL | M | प्रावधिक | UNR | | UNR |
| 26. | 6022 | NITIN SINGH TOMAR | M | | UNR | | UNR |
| 27. | 6066 | PARITOSH SONI | M | | UNR | | OBC |
| 28. | 6024 | ABHISHEK NIGAM | M | | UNR | | UNR |
| 29. | 6027 | DAYASHANKAR PARAUHA | M | | UNR | | UNR |
| 30. | 6031 | SHARAD MISHRA | M | | UNR | | UNR |
| 31. | 6071 | NAMAN SAHU | M | प्रावधिक | UNR | | OBC |
| 32. | 6106 | DINESH SISODIYA | M | | ST | | ST |
| 33. | 6003 | PREETI MOTIYANI | F | | UNRHO | अस्थिबाधित | UNR |
| 34. | 6070 | HIMANSHU SINGH | M | | OBC | | OBC |
| 35. | 6051 | RAJEEV LOCHAN DWIVEDI | M | प्रावधिक | UNRHO | अस्थिबाधित | UNR |
| 36. | 6098 | NITIN RAWAT | M | | ST | | ST |
| 37. | 6068 | SOVRAN RAI | M | | OBC | | OBC |
| 38. | 6111 | SHIVSHANKAR BADOLE | M | | ST | | ST |
| 39. | 6082 | KUSH NARAYAN GHANGHORIA | M | | SC | | SC |
| 40. | 6102 | ANKIT ANOOP MARAVI | M | प्रावधिक | ST | | ST |
| 41. | 6081 | ANKUR CHHARI | M | प्रावधिक | SC | | SC |
| 42. | 6044 | ARSHI ISHTEYAQ | F | प्रावधिक | UNRF | | UNR |
| 43. | 6109 | KAILASH CHAREL | M | | ST | | ST |
| 44. | 6069 | BADRI VISHAL SINGH | M | प्रावधिक | OBC | | OBC |
| 45. | 6090 | BHUPENDRA PARMAR | M | प्रावधिक | SC | | SC |
| 46. | 6065 | VIJAY PATIDAR | M | प्रावधिक | OBC | | OBC |
| 47. | 6085 | JITENDRA MOURYA | M | | SC | | SC |
| 48. | 6061 | YOGESH DANGI | M | | OBC | | OBC |
| 49. | 6101 | DEEPAK KUMAR THAKUR | M | | ST | | ST |
| 50. | 6077 | PRIYANKA SINGH | F | प्रावधिक | UNRF | | SC |
| 51. | 6113 | DEEPSHIKHA EVANE | F | | UNRF | | ST |
| 52. | 6075 | MOHAMMAD SHOAIB RAZA | M | प्रावधिक | OBC | | OBC |
| 53. | 6060 | SATISH CHOUDHARY | M | | OBC | | OBC |
| 54. | 6095 | JAIVARDHAN VERMA | M | | SC | | SC |
| 55. | 6104 | DEEPAK MAKWANA | M | प्रावधिक | ST | | ST |
| 56. | 6055 | VIKAS YADAV | M | प्रावधिक | OBC | | OBC |
| 57. | 6115 | SARDAR ESKE | M | प्रावधिक | ST | | ST |
| 58. | 6094 | BHANPRATAP AHIRWAR | M | | SCHO | अस्थिबाधित | SC |
| 59. | 6105 | RAJESH CHOUHAN | M | | ST | | ST |
| 60. | 6084 | GOPAL KRISHNA AHIRWAR | M | | SC | | SC |
| 61. | 6093 | JITENDRA KANJOLIA | M | | SC | | SC |
| 62. | 6088 | RAJESH KUMAR RAHUL | M | प्रावधिक | SC | | SC |
| 63. | 6099 | PRAVIN GULAB DANDEKAR | M | | ST | | ST |
| 64. | 6103 | ANKITA AGNEY | F | प्रावधिक | STF | | ST |
| 65. | 6080 | SHUBHAM SATSANGI | M | | SC | | SC |
| 66. | 6089 | SHAILENDRA SINGH | M | | SC | | SC |
| 67. | 6078 | SHIVENDRA NAGIYA | M | | SC | | SC |
| 68. | 6112 | YOGESH AJNAR | M | | ST | | ST |
| 69. | 6091 | DEVENDRA ARYA | M | | SC | | SC |
| 70. | 6100 | SUMIT THAKUR | M | | ST | | ST |
| 71. | 6092 | SUMIT SOLANKI | M | | SC | | SC |
| 72. | 6086 | BABEENA SINGH BAJHAIYA | F | | SCF | | SC |

#### अनुपूरक सूची

| स.क्र. | अनुक्रमांक | नाम | लिंग | | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6035 | PARAG CHANDAK | M | | UNR |
| 2. | 6019 | ABHISHEK AGRAWAL | M | | UNR |
| 3. | 6006 | ROHIT PARATE | M | | UNR |
| 4. | 6034 | ANSHUMAN TIWARI | M | | UNR |
| 5. | 6032 | ASHWANI KUMAR PANDEY | M | | UNR |
| 6. | 6048 | AKASH PAWAR | M | | UNR |
| 7. | 6053 | CHARCHIT MEHTA | M | | UNR |
| 8. | 6004 | AMIT KUMAR PYASI | M | प्रावधिक | UNR |
| 9. | 6040 | GAURAV AGRAWAL | M | प्रावधिक | UNR |
| 10. | 6017 | RAMKISHAN SINGHAL | M | | UNR |
| 11 | 6036 | ARIHANT JAIN | M | प्रावधिक | UNR |

टीप :-

1. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर, 2000 में दिए निर्देशों के तहत अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदंड के तहत आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किए गए हैं जो कि हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किए हों। किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किए बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर किया गया है।
2. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
3. विज्ञापित कुल 139 पदों में से 60 पद (अ.जा.- 11, अ.ज.जा.-19, अ.पि.वर्ग-14, ई.डब्ल्यू.एस.-16) पर्याप्त संख्या में योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं होने के कारण पद रिक्त रहे हैं। कुल विज्ञापित पदों में से दिव्यांग श्रेणी हेतु 10 पद (अथिबाधित- 03, श्रवणबाधित- 02, दृष्टिबाधित- 02 एवं बहु-दिव्यांग- 03 पद) विज्ञापित हैं परन्तु दिव्यांग श्रेणी हेतु पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण (श्रवणबाधित- 02, दृष्टिबाधित- 02 एवं बहु-दिव्यांग- 03 पद) कुल 07 पद रिक्त रहे हैं। शासन निर्देश के परिपालन में दिव्यांगजनों के पद रिक्त रहने की स्थिति में अनारक्षित वर्ग के विज्ञापित पदों से उतने पद रिक्त रखे जाने का प्रावधान है। अतः कुल 07 पद दिव्यांगजनों के रिक्त पद के विरुद्ध अनारक्षित वर्ग से रिक्त रखे गए हैं। इस प्रकार कुल 60+07 = 67 पद रिक्त रहे हैं।
4. घोषित चयन परिणाम मान. उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 27744/2022 एवं डब्ल्यू.पी. 5901/2019 एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

सचिव

जी-21061/47975/2023 म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर

## कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश

क्रमांक 3235/स्था/नर्सिंग/2022 भोपाल, दिनांक : 29.12.2022

### विज्ञप्ति

### मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर में बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग की सूचना

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर में बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु स्वीकृत रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त सीटों पर काउंसिलिंग की प्रक्रिया एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल पर **dme.mponline.gov.in** दिनांक 03.01.2023 से प्रारंभ होगी। काउंसिलिंग संबंधी नियम, समय-सारणी, सीटों की उपलब्धता तथा आवश्यक निर्देश इत्यादि संचालनालय की वेबसाइट **www.medicaleducation.mp.gov.in** एवं एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल **dme.mponline.gov.in** पर उपलब्ध होगी।

जी-21244/48023/2023 संचालक चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश

## कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ./स.) संभाग क्र.1 सागर

फोन नं. - 07582-222296, ईमेल आई.डी. - eepwdsagar@nic.in

एनआईटी नं. - 18/2022-23/केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण सागर, दिनांक 27.12.2022

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है :-

**क्र. एवं कार्य का नाम** :- 1. (ग्रुप क्रमांक 01) उपसंभाग देवरी के अंतर्गत विभिन्न मार्गों पर बी.टी. रिन्यूवल कार्य। (1) बिजोरा छिंदली मार्ग लंबाई 0.20 कि.मी. अनुमानित लागत - 1.95 (2) केसली (पाटन देवरी) खापा चमेली समनापुर जागीर नारायणपुर करूआ रायपानी मार्ग लंबाई 9.59 कि.मी. अनुमानित लागत 93.58 लाख।

| पोर्टल टेंडर क्र. | जिला | ठेके की अनु. राशि (पीएसी) (रु. में) | अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में) | निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में) | कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित) | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022_PWDRB_240290_1 | सागर | 9553000 | 95530 | 10000 | 03 माह | - |

**क्र. एवं कार्य का नाम** :- 2. (ग्रुप क्रमांक 02) उपसंभाग देवरी के अंतर्गत विभिन्न मार्गों पर बी.टी. रिन्यूवल कार्य (1) बरकोटी मोहासा मार्ग (करैयाटोला से) मोहासा मार्ग लंबाई 8.40 कि.मी. अनुमानित लागत-81.97 लाख (2) टडा से जूनिया मार्ग लंबाई 3.77 कि.मी. अनुमानित लागत 36.79 लाख।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022_PWDRB_240291_1 | सागर | 11876000 | 118760 | 12500 | 03 माह | - |

**क्र. एवं कार्य का नाम** :- 3. (ग्रुप क्रमांक 01) उपसंभाग रहली के अंतर्गत विभिन्न मार्गों पर बी.टी. रिन्यूवल कार्य। (1) चौका काछी पिपरिया वेदवारा मार्ग लंबाई 9.00 कि.मी. अनुमानित लागत - 87.82 लाख (2) हिनोती हरदुआ सलैया मार्ग लंबाई 5.00 कि.मी. अनुमानित लागत 54.83 लाख (3) रेस्ट हाउस एवं शासकीय भवनों के पहुंच मार्ग लंबाई कि.मी. 0.20 अनुमानित लागत 2.54 (4) वेदवारा सोनपुर पर्रका मार्ग लंबाई 3.86 कि.मी. अनुमानित लागत 37.67 लाख।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022_PWDRB_240292_1 | सागर | 18286000 | 182860 | 12500 | 03 माह | - |

**क्र. एवं कार्य का नाम** :- 4. (ग्रुप क्रमांक 02) उपसंभाग रहली के अंतर्गत विभिन्न मार्गों पर बी.टी. रिन्यूवल कार्य। (1) बरखेड़ा सिकंदर गुडा बलेह मार्ग लंबाई 6.10 कि.मी. अनुमानित लागत - 59.53 लाख (2) छुल्ला से बेरखेरी मार्ग लंबाई 3.70 कि.मी. अनुमानित लागत - 36.11 लाख (3) एस.एच. 14 से केंकरा सूरजपुरा मार्ग लंबाई कि.मी. 2.80 अनुमानित लागत 27.32

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022_PWDRB_240293_1 | सागर | 12296000 | 122960 | 12500 | 03 माह | - |

**क्र. एवं कार्य का नाम** :- 5. (ग्रुप क्रमांक 03) उपसंभाग रहली के अंतर्गत विभिन्न मार्गों पर बी.टी. रिन्यूवल कार्य। (1) बरपानी आपचंद गौची मार्ग लंबाई 4.00 कि.मी. अनुमानित लागत - 39.03 लाख (2) रगोली गिरवर हिलगन ढाना उदयपुरा मोकलपुर चौराहा मार्ग लंबाई 12.37 कि.मी. अनुमानित लागत 120.71 लाख।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022_PWDRB_240294_1 | सागर | 15974000 | 159740 | 12500 | 03 माह | - |

**क्र. एवं कार्य का नाम** :- 6. (ग्रुप क्रमांक 01) उपसंभाग खुरई के अंतर्गत विभिन्न मार्गों पर बी.टी. रिन्यूवल कार्य (1) भापसोन से सतोरिया मार्ग लंबाई 4.40 कि.मी. अनुमानित लागत - 42.94 लाख (2) जेल रोड से दानखेड़ी मार्ग लंबाई 5.00 कि.मी. अनुमानित लागत 54.83 लाख।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022_PWDRB_240295_1 | सागर | 9777000 | 97770 | 10000 | 03 माह | - |

**क्र. एवं कार्य का नाम** :- 7. (ग्रुप क्रमांक 02) उपसंभाग खुरई के अंतर्गत विभिन्न मार्गों पर बी.टी. रिन्यूवल कार्य (1) लोंगर सेमरा लोधी परसोन मार्ग (हरिजन बस्ती एवं पीपलखेड़ी मार्ग) लंबाई 2.00 कि.मी. अनुमानित लागत - 19.52 लाख (2) मालथोन रेस्ट हाउस पहुंच मार्ग लंबाई 0.60 कि.मी. अनुमानित लागत 5.85 लाख (3) परसोन भिलैया अण्डेला मार्ग लंबाई 5.25 कि.मी. अनुमानित लागत 51.23 लाख (4) परसोन पठारी चरोंदा मार्ग लंबाई 5.00 कि.मी. अनुमानित लागत 48.79 लाख।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022_PWDRB_240296_1 | सागर | 12539000 | 125390 | 12500 | 03 माह | - |

**क्र. एवं कार्य का नाम** :- 8. (ग्रुप क्रमांक 01) उपसंभाग सागर के अंतर्गत विभिन्न मार्गों पर बी.टी. रिन्यूवल कार्य। (1) बड़कुआ पहुंच मार्ग लंबाई 3.50 कि.मी. अनुमानित लागत - 34.15 लाख (2) गिदवानी से मोहली मार्ग लंबाई 2.00 कि.मी. अनुमानित लागत 19.52 लाख (3) सदर गयागंज गढपहरा श्यामपुरा मार्ग लंबाई 4.10 कि.मी. अनुमानित लागत 40.01 लाख।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022_PWDRB_240297_1 | सागर | 9368000 | 93680 | 10000 | 03 माह | - |

**क्र. एवं कार्य का नाम** :- 9. (ग्रुप क्रमांक 02) उपसंभाग सागर के अंतर्गत विभिन्न मार्गों पर बी.टी. रिन्यूवल कार्य। (1) इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच मार्ग लंबाई 4.00 कि.मी. अनुमानित लागत - 43.10 लाख (2) एन.एच. 26 का छूटा भाग मैहर मार्ग लंबाई 2.50 कि.मी. अनुमानित लागत 43.63 लाख (3) नरयावली स्टेशन पहुंच मार्ग लंबाई 0.92 कि.मी. अनुमानित लागत 8.98 लाख।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022_PWDRB_240298_1 | सागर | 9571000 | 95710 | 10000 | 03 माह | - |

**क्र. एवं कार्य का नाम** :- 10. (ग्रुप क्रमांक 03) उपसंभाग सागर के अंतर्गत विभिन्न मार्गों पर बी.टी. रिन्यूवल कार्य। (1) मोकलपुर चौराहा से मरखेड़ा जागीर मार्ग लंबाई 5.20 कि.मी. अनुमानित लागत - 50.74 लाख (2) मसुरयाई तोडा से जैसीनगर मार्ग लंबाई 5.60 कि.मी. अनुमानित लागत 61.41 लाख।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022_PWDRB_240300_1 | सागर | 11215000 | 112150 | 12500 | 03 माह | - |

**क्र. एवं कार्य का नाम** :- 11. (ग्रुप क्रमांक 01) उपसंभाग बंडा के अंतर्गत विभिन्न मार्गों पर बी.टी. रिन्यूवल कार्य। (1) दलतपुर से वरा मार्ग लंबाई 4.50 कि.मी. अनुमानित लागत - 92.74 लाख (2) बंडा रेस्ट हाउस से डिग्री कॉलेज पहुंच मार्ग लंबाई 1.10 कि.मी. अनुमानित लागत 22.67 लाख (3) धामोनी मजार शरीफ मार्ग लंबाई 1.00 कि.मी. अनुमानित लागत 9.76 लाख (4) राख से बेसली मार्ग लंबाई 3.65 कि.मी. अनुमानित लागत 35.62 लाख

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022_PWDRB_240302_1 | सागर | 16079000 | 160790 | 12500 | 03 माह | - |
| | | **136534000** | | | | |

1. निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट वेबसाइट **http://mptenders.gov.in/** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन दिनांक 28.12.2022 समय 10.00 से दिनांक 11.01.2023 समय 05.30 तक खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री

जी-21247/48024/2023 लो.नि.वि. (भ./स.) संभाग क्र. 1 सागर

## मध्यप्रदेश पुलिस

"देश भक्ति - जन सेवा"

### कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, एटीएस, मध्यप्रदेश भोपाल

एटीएस, मध्यप्रदेश की सायबर एनालिसिस यूनिट हेतु संविदा आधार पर निम्नलिखित पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

| क्र. | पद नाम | पदों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | सिस्टम एनालिस्ट (डाटा) | 01 |
| 2. | सॉफ्टवेयर डेवलपर (साइबर सिक्यूरिटी इंजिनियर) | 01 |
| 3. | असिस्टेंट प्रोग्रामर (मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलपर) | 01 |
| 4. | असिस्टेंट प्रोग्रामर (मोबाइल सिक्यूरिटी) | 01 |

**सामान्य नियम एवं शर्तें :**

- अभ्यर्थियों का एमपी ई-सर्विसेज-पोर्टल पर मूल पंजीकरण करना आवश्यक है तत्पश्चात अभ्यर्थी को दिए गए लिंक **https://services.mp.gov.in/eservice/** के माध्यम से ही आवेदन करना होगा।
- एमपी ई-सर्विसेज-पोर्टल द्वारा पंजीकृत अभ्यर्थियों के आवेदन ही मान्य किये जावेंगे।
- भर्ती की सेवा शर्तें मध्यप्रदेश शासन के संविदा नियम के अनुरूप मान्य होगी।
- विस्तृत विज्ञापन, पात्रता की शर्तें, ऑनलाइन आवेदन की तिथि, विज्ञापित पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/अर्हताएं, प्रक्रिया, आदि अन्य विवरण वेबसाइट **https://mppolice.gov.in** एवं **https://services.mp.gov.in/eservice/** पर उपलब्ध हैं।
- साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवारों की सूची एवं तत्पश्चात साक्षात्कार की तिथि उपरोक्त वेबसाइट **https://mppolice.gov.in** एवं **https://services.mp.gov.in/eservice/** उपलब्ध कराई जायेंगी।
- **आवेदन प्रारंभ की तिथि : 05.01.2023**
- **आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि : 19.01.2023**

जी-21283/48025/2023 पुलिस महानिरीक्षक (एटीएस)

## कार्यालय अधिष्ठाता

## बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर

## शिवाजी वार्ड, तिली रोड, सागर (म.प्र.)-470001

फोन नं. - 07582-236270, फैक्स नं. - 07582-236457

Website : bmcsagar.edu.in, E-mail : deansmc08@yahoo.co.in

पत्र क्रमांक 7210/क्रय/22 सागर, दिनांक : 27.12.22

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय के पैथेलॉजी विभाग में स्थापित 5 पार्ट **(Model no BC-5300)** एवं 3 पार्ट **(Model no BC-6300)** हिमेटोलॉजी सेल काउन्टर (Mindray Make) मशीनों में लगने वाले कंज्यूमेबल एवं रीएजेंट्स प्रदाय हेतु खुली निविदा आमंत्रण-सूचना

| निविदा का नाम | निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि | निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय | निविदा खोलने की तिथि एवं समय |
|---|---|---|---|
| बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय के पैथेलॉजी विभाग में स्थापित 5 पार्ट (Model no BC-5300) एवं 3 पार्ट (Model no BC-6300) हिमेटोलॉजी सेल काउन्टर (Mindray Make) मशीनों में लगने वाले कंज्यूमेबल एवं रीएजेंट्स प्रदाय हेतु खुली निविदा | 18.01.2023 शाम 05.30 तक | 18.01.2023 शाम 05.30 तक | 20.01.2023 प्रातः 12 बजे |

इच्छुक फर्म/संस्था/व्यक्ति ऑनलाइन वेबसाइट **http://mptender.gov.in** से एवं हमारी वेबसाइट **www.bmcsagar.edu.in** से भी निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निविदा में किये गये कोई भी संशोधन की जानकारी केवल महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई है।

अधिष्ठाता

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय

जी-21187/48022/2023 सागर (म.प्र.)

## महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट जिला-सतना (म.प्र.) 485334

### बी.एस.सी. (कृषि) में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग

विश्वविद्यालय के कृषि संकाय द्वारा संचालित बी.एस.सी. (आनर्स) (कृषि) पाठ्यक्रम में सत्र 2022-2023 की प्रथम प्रवेश काउन्सिलिंग मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा 2022 के घोषित परिणामों के अनुक्रम में प्रदत्त प्रवीणता सूची के आधार पर दिनांक 17 एवं 18 जनवरी 2023 को विश्वविद्यालय के कृषि संकाय में आयोजित है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क, मूल प्रमाण-पत्रों एवं उनकी तीन छायाप्रतियों, तीन फोटो सहित कृषि संकाय परिसर में प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होंवे। चयनित होने पर तत्काल फीस जमा करना अनिवार्य होगा।

| सीट्स | काउन्सिलिंग तिथि | प्रथम सेमेस्टर शुल्क |
|---|---|---|
| फ्री सीट्स | 17.01.2023 | 16875/- |
| पेमेन्ट सीट्स | 18.01.2023 | 33825/- |

**नोट** - अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु सेमेस्टर शुल्क म.प्र. शासन के नियमानुसार देय होगा।

वेबसाइट - www.mgcgvchitrakoot.com

Mob. No. : 6394479449, 9721032433, 7007981771

आर-48030/2023 कुलसचिव

## कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
## गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

Website - www.gmcbhopal.net

क्रमांक 13/एमसी/07/2023 भोपाल, दिनांक : 02.01.2023

### विज्ञप्ति

सामुदायिक चिकित्सा विभाग गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में आई.सी.एम.आर. रिसर्च प्रोजेक्ट **"Task force study for evaluation of community level acceptability, scalability and linkage within health system of ICMR pre-validated Labike/Technologies for screening & diagnosis in rural & urban population An implementation research."** जिसकी अवधि दो वर्ष की है। आई.सी.एम.आर. की गाईड लाइन के अनुसार साईटिस्ट-सी (मेडिकल)-1 पद पर निर्धारित अवधि के लिए निश्चित वेतन पर अस्थाई नियुक्ति की जाना है।

**दिनांक 10.01.2023** को आवेदनकर्ता साक्षात्कार हेतु सामुदायिक चिकित्सा विभाग, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में प्रातः 11.00 बजे तक साक्षात्कार हेतु संलग्न दर्शाये विज्ञापन अनुसार समस्त मूल अभिलेख एवं एक छायाप्रति के साथ उपस्थित होंवे।

**अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
**गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल**

जी-21329/48027/2023

## कार्यालय प्राचार्य परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र (अनुसूचित जाति)
## 35, श्यामला हिल्स भोपाल

ISO : 9001:2008

E-mail : petcsc.bpl@gmail.com, Phone : 0755-2666615

पत्र/प्रशि/न.स-69/2022/517 भोपाल, दिनांक : 2.1.2023

### नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022-23 में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग दिए जाने हेतु विज्ञापन

आयुक्त अनुसूचित जाति विकास भोपाल के पत्र क्रमांक/शिक्षा/3/133/20-21/2752 भोपाल दिनांक 25.08.2021 के द्वारा नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 03 माह की निःशुल्क कोचिंग हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र 35 श्यामला हिल्स भोपाल में निम्न शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. आवेदिका म.प्र. राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की सदस्या हो।
2. आवेदिका के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपये 6.00 लाख से अधिक न हो।
3. आवेदिका म.प्र. नर्सिंग प्रवेश परीक्षा (GNTST & PNST) की परीक्षा में आवेदन करने की इच्छुक हो।
4. केन्द्र में प्रवेश हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष व अधिकतम 33 वर्ष हो।
5. केन्द्र में कोचिंग दिनांक 01 फरवरी 2023 से प्रारंभ होना संभावित है।
6. आवेदिका ने विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान (PCB) तथा अंग्रेजी विषयों में 12वीं कक्षा की परीक्षा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।
7. कोचिंग का माध्यम हिन्दी होगा।
8. कोचिंग की अवधि अधिकतम 3 माह होगी।

कोचिंग में प्रवेश के लिए चयन उपरांत सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल कॉपी (टी.सी.) जमा करना अनिवार्य है।

उपरोक्तानुसार पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र दो पासपोर्ट साइज फोटो एवं अन्य आवश्यक शैक्षणिक अभिलेखों की छायाप्रतियों के साथ **दिनांक 22 जनवरी 2023 तक** संस्थान के **E-mail : petcsc.bpl@gmail.com** पर अथवा रजिस्टर्ड डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से परीक्षा पूर्वप्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल के दूरभाष क्रमांक 0755-2666615 पर सम्पर्क किया जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

**प्राचार्य**
**परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र**
**भोपाल (म.प्र.)**

## कार्यालय प्राचार्य, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र (अनुसूचित जाति)
## 35, श्यामला हिल्स भोपाल

ISO : 9001:2008

E-mail : petcsc.bpl@gmail.com, Phone : 0755-2666615

### नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग हेतु आवेदन पत्र

1. पूरा नाम (1) हिन्दी में ..............................
   (2) अंग्रेजी में ..............................
2. पिताजी का नाम ..............................
3. माता का नाम ..............................
4. जन्म दिनांक ..............................
5. पत्र व्यवहार का पता ग्राम..............................तहसील..............
   पिन कोड सहित जिला..............................पिन कोड..............
6. स्थायी पता ग्राम..............................तहसील..............
   पिन कोड सहित जिला..............................पिन कोड..............
7. जाति ..............................
8. उपजाति ..............................
9. परिवार के मुखिया का व्यवसाय ..............................
10. मुखिया की वार्षिक आय ..............................
11. स्वयं का मो.नं. ..............................
12. पिता का मो.नं. ..............................
13. स्वयं का व्यवसाय/सर्विस यदि हो तो ..............................
14. स्वयं की वार्षिक आय ..............................
15. भाई-वहन सर्विस/व्यवसाय में हो तो पद व आय सहित उनका विवरण देवें ..............................
16. आवेदक का ई-मेल आईडी ..............................
17. आवेदक का आधार कार्ड क्र. ..............................
18. शैक्षणिक योग्यता -

| क्र. | शिक्षा (संकाय सहित) | विषय | मण्डल/वि.वि. | प्रतिशत | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | हाईस्कूल | | | | |
| 02 | हायर सेकेण्डरी | | | | |
| 03 | अन्य | | | | |

19. स्थानांतरण प्रमाण पत्र (T.C.) की मूल प्रति संस्था में प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य होगा।
20. स्थानांतरण प्रमाण पत्र (T.C.) न होने की स्थिति में शासकीय सुविधाओं का लाभ देय नहीं होगा।
21. अन्यत्र अध्ययनरत होने की स्थिति में आपको अध्ययनरत संस्था का अनापत्ति प्रमाणपत्र लाना अनिवार्य होगा।
22. निम्न अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है।
    1. हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी की अंकसूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
    2. आय प्रमाण-पत्र जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति
    3. आधार कार्ड की छायाप्रति।

**दिनांक :-** ..............................
**स्थान :-** ..............................

(हस्ताक्षर) आवेदक
नाम :- ..............................
पता :- ..............................
ईमेल आई.डी. :- ..............................
मोबाइल नंबर :- ..............................

**घोषणा पत्र**

मैं कु. ..............................घोषणा करती हूं कि संस्थान में नियमितरूप से प्रशिक्षण में उपस्थित रहूंगी। अनुशासन एवम् मर्यादा का पालन करूंगी। सभी मूल्यांकन में उपस्थित रहूंगी। समय प्रबंधन एवम् समय की पाबंदी का ध्यान रखूंगी।

संस्था के समय विभाग चक्र का यथावत पालन करूंगी। उक्त नियमों में से किसी भी नियम के उल्लंघन पर मेरा नाम तत्काल प्रभाव से खारिज किया जा सकता है।

(हस्ताक्षर) आवेदनकर्ता
नाम..............................

जी-21298/48026/2023

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
### रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

### शुद्धिपत्र क्रमांक 05/14/2021, दिनांक 03.01.2023

### गृह विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु वैज्ञानिक अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति संशोधित रिक्ति विवरण की जानकारी

01 आयोग द्वारा गृह विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु वैज्ञानिक अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 14/2021, दिनांक 30.12.2021 आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था तथा "रोज़गार और निर्माण" समाचार पत्र के दिनांक 03.01.2022 के अंक में प्रकाशित किया गया था।

02 सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संबंध में मा. उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक WP5901/2019 एवं अन्य समान याचिकाओं के लंबित होने के कारण परीक्षा परिणाम घोषित करने में हो रही कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए दिए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन में विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम दो भागों (मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग) में घोषित किया जाना है। इस संबंध में गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 1(बी) 152/16/बी-4/दो, दिनांक 26.12.2022 प्राप्त जानकारी के अनुसार उपरोक्त विज्ञापन क्रमांक 14/2021, दिनांक 30.12.2021 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का रिक्ति विवरण निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाता है -

| वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी) | रिक्त पदों की संख्या | | | | | मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित | | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | UR | SC | ST | OBC | EWS | UR | SC | ST | OBC | EWS | |
| (अ) पूर्व में विज्ञापित पद | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| (ब) मुख्य भाग 87% (14% ओ.बी.सी. पदों) के आधार पर रिक्ति विवरण | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| (स) प्रावधिक भाग 13% (ओ.बी.सी. पदों) के आधार पर रिक्ति विवरण | 2 काल्पनिक | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |

रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या -

| OH | VH | HH | MD |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |

| वैज्ञानिक अधिकारी रसायन | रिक्त पदों की संख्या | | | | | मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित | | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | UR | SC | ST | OBC | EWS | UR | SC | ST | OBC | EWS | |
| (अ) पूर्व में विज्ञापित पद | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| (ब) मुख्य भाग 87% (14% ओ.बी.सी. पदों) के आधार पर रिक्ति विवरण | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| (स) प्रावधिक भाग 13% (ओ.बी.सी. पदों) के आधार पर रिक्ति विवरण | 2 काल्पनिक | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |

रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या -

| OH | VH | HH | MD |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |

| वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान | रिक्त पदों की संख्या | | | | | मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित | | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | UR | SC | ST | OBC | EWS | UR | SC | ST | OBC | EWS | |
| (अ) पूर्व में विज्ञापित पद | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| (ब) मुख्य भाग 87% (14% ओ.बी.सी. पदों) के आधार पर रिक्ति विवरण | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| (स) प्रावधिक भाग 13% (ओ.बी.सी. पदों) के आधार पर रिक्ति विवरण | 2 काल्पनिक | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |

रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या -

| OH | VH | HH | MD |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |

03 चयन परिणाम केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) का घोषित किया जाएगा। प्रावधिक भाग का चयन परिणाम अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संबंध में प्रचलित न्यायालयीन प्रकरण के अंतिम न्यायिक निर्णय के पश्चात् घोषित किया जाएगा।

04 विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

जी-21339/48028/2023 उप सचिव

## कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग टीकमगढ़ म.प्र.

**Phone No:** 07683-242321 E-mail : eepwdtikam@mp.nic.in

एनआईटी नं.-12/2022-23/केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण दिनांक : 28.12.2022

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त प्रात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रित की जाती हैं :-

**क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 1. पैकेज- 'ए'** उपसंभाग टीकमगढ़ के अन्तर्गत बी.टी. रिन्युवल कार्य

(1) बम्हौरी मोहनगढ मार्ग लं. 4.00 कि.मी. राशि 41.06 लाख
(2) गौर कैलगुवा मार्ग लं. 5.80 कि.मी. राशि 48.90 लाख
(3) अजनौर इूढ़ा बड़ागांव मार्ग लं. 3.80 राशि 47.58 लाख
(4) टीकमगढ़ कारी वाया भगतनगर मार्ग लं. 7.50 कि.मी. राशि 75.20 लाख
(5) टीकमगढ़ टाउन मार्ग लं. 3.10 कि.मी. राशि 31.75 लाख
(6) हीरापुर दुबदेई चंदेरी मार्ग लं. 8.00 कि.मी. राशि 80.16 लाख
(7) बल्देवगढ़ नौगांव मार्ग लं 2.80 कि.मी. राशि 28.75 लाख

| पोर्टल टेंडर क्र. | जिला | ठेके की अनुमानित राशि (पी.ए.सी.) (रु. लाख में) | अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में) | निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में) | कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022_PWDRB _240592_1 | टीकमगढ़ | 353.42 | 353420.00 | 15000.00 | 04 माह वर्षाकाल छोड़कर |

**2. पैकेज- 'बी'** उपसंभाग जतारा के अन्तर्गत बी.टी. रिन्युवल कार्य

(1) पहाड़ी बुजुर्ग से खूरर्गपुर मार्ग लं. 5.78 कि.मी. राशि 58.14 लाख
(2) सवजेल जतारा पहुंच मार्ग लं. 0.90 कि.मी. राशि 9.50 लाख
(3) अपरवल पहुंच मार्ग लं. 1.00 कि.मी. राशि 9.02 लाख
(4) मउ बछौड़ा बैदउ बैदोरा वीरउ मार्ग लं. 8.10 कि.मी. राशि 81.30 लाख
(5) चैनपुरा शाहपुरा मार्ग लं. 7.20 कि.मी. राशि 72.23 लाख

| पोर्टल टेंडर क्र. | जिला | ठेके की अनुमानित राशि | अमानत राशि | निविदा प्रपत्र का मूल्य | कार्य पूर्ण करने का समय |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022_PWDRB _240593_1 | टीकमगढ़ | 230.19 | 230190.00 | 15000.00 | 04 माह वर्षाकाल छोड़कर |
| | **योग** | **583.61** | **583610.00** | **30000.00** | |

1. निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन **दिनांक 01.01.2023 समय 10.30 से दिनांक 10.01.2023 समय 5.30 तक** खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

**कार्यपालन यंत्री**
**जी-21075/47970/2023** **लोक निर्माण विभाग संभाग टीकमगढ़**

**क्रमांक 2715001/2014/ई.डी.पी./ई-टेंडरिंग/406/1384**

## कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग
## जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल

**ई-मेल : mpwrdetenders@gmail.com फोन : 0755-2553402 फैक्स : 0755-2552406**

## निविदा आमंत्रण सूचना

**निविदा सूचना क्रमांक 525/2715001/ई.डी.पी./2021-22/प्र.अ./ई-टेंडरिंग भोपाल, दिनांक : 28.12.2022**

निम्न कार्यों हेतु निविदा **वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर **दिनांक 17.01.2023 को 17.30 बजे** तक क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

| स. क्र. | निविदा क्रमांक | कार्य का नाम | जिला | राशि रु. लाख में |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022_WRD_ 181402 | इन्दोख बैराज के दांये एवं बांये और चेनलिंक वायर फेंसिंग कार्य | उज्जैन | 12.08 |
| 2. | 2022_WRD_ 227339 | चितावद वृहद परियोजना यूनिट-1 के शीर्ष कार्य का सर्वेक्षण कार्य (द्वितीय आमंत्रण)। | उज्जैन | 9.94 |
| 3. | 2022_WRD_ 234447 | धाना तालाब नहर के 02 नग एस्केप गेट का सुधार कार्य। | धार | 2.00 |
| 4. | 2022_WRD_ 236496 | माही परियोजना की बांयी तट नहर के स्लूस गेटों का सुधार कार्य। | धार | 3.03 |
| 5. | 2022_WRD_ 236497 | माही परियोजना की दांयी तट नहर के स्लूस गेटों का सुधार कार्य। | धार | 2.98 |
| 6. | 2022_WRD_ 237224 | कोहरी जलाशय की नहर पुलिया का मरम्मत कार्य। | मंडला | 1.99 |
| 7. | 2022_WRD_ 237673 | पुलिस परेड ग्राउण्ड में गणतंत्र दिवस (26.01.2023) के अवसर पर मुख्य समारोह में प्रदर्शित होने वाली चलित झांकी का निर्माण। | सीहोर | 3.52 |
| 8. | 2022_WRD_ 237812 | तालपुरा जलाशय के स्लूस एवं बांध का विशेष मरम्मत कार्य (तृतीय आमंत्रण)। | सीहोर | 4.99 |
| 9. | 2022_WRD_ 237817 | घोघरा उपसंभाग के कराडिया भील बैराज का सर्वेक्षण कार्य (तृतीय आमंत्रण)। | सीहोर | 0.50 |
| 10. | 2022_WRD_ 238106 | बरोदिया लघु तालाब का सर्वेक्षण कार्य। | गुना | 1.06 |
| 11. | 2022_WRD_ 238143 | बनबंधा जलाशय, कटना स्टोरेज वियर एवं जैतहरी स्टोरेज वियर का सर्वे कार्य। | अनुपपुर | 3.16 |
| 12. | 2022_WRD_ 238542 | गरन्जू मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु बेसिन सर्वे एवं ड्रिलिंग कार्य। | रायसेन | 8.77 |
| 13. | 2022_WRD_ 238644 | सोनपुर मध्यम परियोजना के केसली बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित घाना-बांकोर रोड निर्माण कार्य। | सागर | 14.97 |
| 14. | 2022_WRD_ 238941 | उपसंभाग ब्यावरा के कार्यालय भवन एवं राजगढ़ स्थित क्वार्टर का मरम्मत कार्य। | राजगढ़ | 19.87 |
| 15. | 2022_WRD_ 238952 | औरिया जलाशय का सर्वेक्षण का कार्य। | सागर | 0.64 |
| 16. | 2022_WRD_ 238980 | पथरोटा लघु जलाशय बांध में लीकेज का विशेष मरम्मत कार्य। | नर्मदापुरम् | 4.70 |
| 17. | 2022_WRD_ 239186 | रतबास वीयर कम कॉजवे का मरम्मत कार्य। | अशोकनगर | 3.08 |
| 18. | 2022_WRD_ 239573 | विभिन्न संभागों के जलद्वारों के निर्माण कार्य हेतु विभिन्न व्यास के एम.एस. राउंड बार (56 मी.मी., 45 मी.मी.) का प्रदाय। | भोपाल | 7.27 |
| 19. | 2022_WRD_ 239574 | विभिन्न संभागों के जलद्वारों के लिए एस-36 हेड स्टॉक (36 एम.एम डाया नट) का प्रदाय, कास्टिंग, मशीनिंग एवं असेम्बली का कार्य। | भोपाल | 2.30 |
| 20. | 2022_WRD_ 239575 | बीनापुर बैराज रायसेन के स्टॉप डेम के 07 नग जलद्वार का प्रदाय एवं फेब्रिकेशन कार्य। | भोपाल | 7.54 |
| 21. | 2022_WRD_ 239576 | मुलाखेडी बैराज अशोकनगर के 16 नग जलद्वार का प्रदाय एवं फेब्रिकेशन कार्य। | भोपाल | 10.82 |
| 22. | 2022_WRD_ 239577 | कटीपाल बैराज देवास के 04 नग जलद्वार का प्रदाय एवं फेब्रिकेशन कार्य। | भोपाल | 3.14 |
| 23. | 2022_WRD_ 239578 | देवाल बैराज खरगोन के स्काउरिंग स्लूस 10 नग जलद्वार का प्रदाय फेब्रिकेशन एवं इरेकशन का कार्य। | भोपाल | 19.11 |
| 24. | 2022_WRD_ 239579 | चकेरीघाट स्टॉप डेम दमोह के कडी शटर 120 नग जलद्वारों की लीफ साइज का प्रदाय एवं फेब्रिकेशन का कार्य। | भोपाल | 3.40 |
| 25. | 2022_WRD_ 239580 | विभिन्न संभागों के जलद्वारों के निर्माण कार्य हेतु स्ट्रक्चरल स्टील प्रदाय का कार्य। | भोपाल | 11.89 |
| 26. | 2022_WRD_ 239622 | मढ़िया सिंचाई परियोजना के सेडल डेम से गुजरने वाली 11 के.व्ही. (ए.जी.) विद्युत लाइन के प्रतिस्थापना एवं अन्य कार्य। | सागर | 7.29 |
| | | | **योग** | **170.05** |

**जी-21108/47972/2023** **मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)**

# मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

**क्रमांक 11807/06/2021/चयन** **इन्दौर, दिनांक : 28.12.2022**

## पदनाम - बायलर निरीक्षक ग्रेड-1
## चयन सूची

1. आयोग के विज्ञापन क्रमांक 05/2020/दिनांक 29.12.2020 एवं समय-समय पर जारी शुद्धिपत्रादि, सूचनाओं आदि के संदर्भ में विज्ञापित पद - बॉयलर निरीक्षक ग्रेड-1 के कुल-03 पद (अनारक्षित- 01, अ.ज.जा.- 01, अ.पि. वर्ग- 01) एवं बॉयलर निरीक्षक ग्रेड-II के कुल 01 पद (अ.पि. वर्ग- 01) विज्ञापित किए गए हैं। उक्त पदों की पूर्ति के लिए अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार **दिनांक 23.09.2022** को आयोजित किए गए।
2. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के पत्र क्रमांक एफ1(ए)/05/2020/बी-ग्यारह भोपाल, दिनांक 26.12.2022 में उल्लेखित रिक्ति विवरण के अनुसार आयोग द्वारा विज्ञापित शुद्धि पत्र क्रमांक 07/05/2020 दिनांक 28.12.2022 के माध्यम से उपरोक्त विज्ञापन क्रमांक 05/2020 दिनांक 29.12.2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का 87 प्रतिशत मुख्य मार्ग एवं 13 प्रतिशत प्रावधिक भाग की रिक्तियों का पद विभाजन विज्ञापित किया गया है जिसके अनुसार, चयन परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग के रूप में घोषित किया जाना प्रावधानित किया गया है। चयन परिणाम केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) का ही घोषित किए जाने के प्रावधान के तहत मुख्य भाग हेतु पुनरीक्षित रिक्तियों का विवरण निम्नांकित तालिका में अंकित है। उक्त शुद्धि पत्र दिनांक 28.12.2022 के बिन्दु क्रमांक 3 में उल्लेखित कंडिका के अनुसार प्रावधिक भाग का चयन परिणाम अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संबंध में प्रचलित न्यायालयीन प्रकरण के अंतिम न्यायिक निर्णय के पश्चात घोषित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा जारी उक्त शुद्धिपत्र दिनांक 28.12.2022 में उल्लेखित पुनरीक्षित रिक्तियों के अनुसार 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) की गणना में बॉयलर निरीक्षक ग्रेड- II के पद शून्य होने के कारण केवल विज्ञापित पद- बॉयलर निरीक्षक ग्रेड-1 की रिक्तियां अंकित होने के परिणामस्वरूप, साक्षात्कार में प्राप्तांकों के गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) की चयन सूची घोषित की जाती है :-

**1. बायलर निरीक्षक ग्रेड - 1 (औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग)**
**पद विवरण तालिका**

| | अनारक्षित | अ.जा. | अ.ज.जा. | अ.पि.व. | ई.डब्ल्यू.एस. | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल पदों की संख्या | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |

**मुख्य सूची**

| स.क्र. | अनुक्रमांक | नाम | लिंग | Seat | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8012 | NEEL HARSH PATEL | M | UNR | UNR |

**अनुपूरक सूची**

| स.क्र. | अनुक्रमांक | नाम | लिंग | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8138 | RAJEEV SONI | M | OBC |

**टीप :-**

1. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर, 2000 में दिए निर्देशों के तहत् अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदंड के तहत आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किए गए हैं जो कि हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किए हो। किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किए बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर किया गया है।
2. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
3. घोषित चयन परिणाम मान. उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 25062/2020, डब्ल्यू.पी. 23562/2022 एवं डब्ल्यू.पी. 5901/2019 एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
4. कुल विज्ञापित 02 पदों में से अ.ज.जा. वर्ग हेतु 01 पद विज्ञापित है। अ.ज.जा. वर्ग हेतु विज्ञापित पद हेतु योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अ.ज.जा. वर्ग का 01 पद रिक्त रहा है।

**जी-21060/47974/2023** **सचिव**

## कार्यालय अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर

शिवाजी वार्ड, तिली रोड, सागर (म.प्र.) - 470001
Website : bmcsagar.edu.in, E-mail : deanmc08@yahoo.co.in
फोन नं. 07582 - 236270 फैक्स नं. 07582 - 236457

**7209/क्रय/2022** **सागर, दिनांक : 27.12.22**

**बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय में लिफ्ट का रखरखाव (सी.एम.सी.) एवं संचालन कार्य हेतु खुली निविदा आमंत्रण-सूचना**

| निविदा का नाम | निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि | निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय | निविदा खोलने की तिथि एवं समय |
|---|---|---|---|
| बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय में का रखरखाव (सी.एम.सी.) एवं संचालन कार्य हेतु खुली निविदा आमंत्रण-सूचना | 20/01/2023 शाम 05:30 तक | 20/01/2023 शाम 05:30 तक | 23/01/2023 प्रातः 12 बजे |

इच्छुक फर्म/संस्था/व्यक्ति ऑनलाइन वेबसाइट **http//mptender.gov.in** से एवं हमारी वेबसाइट **www.bmcsagar.edu.in** से भी निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निविदा में किये गये कोई भी संशोधन की जानकारी केवल महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराइ है।

**अधिष्ठाता**
**जी-21173/47981/2023** **बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर (म.प्र.)**

## कार्यालय अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जबलपुर मण्डल जबलपुर

**कार्यालय पता - तहसीली चौक अम्बेडकर भवन के सामने, जबलपुर**
**दूरभाष : 0761 (2625425) ई-मेल : seresjabalpur@mp.gov.in**

**क्रमांक/1893/निविदा/ग्रायांसेवा/2022** **जबलपुर, दिनांक : 27.12.22**

### संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 10/2022-23

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बालाघाट क्र. 01, बालाघाट क्र. 02, जबलपुर एवं कटनी के निम्नांकित निर्माण कार्यों हेतु केन्द्रीयकृत ई-पंजीयन व्यवस्था अंतर्गत सिविल श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रतिशत दर पर सरल क्रमांक 1 से 6 तक तीन लिफाफा पद्धति एवं सरल क्रमांक 7 से 12 तक दो लिफाफा पद्धति के अनुसार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा संशोधित प्रपत्र एपेंडिक्स 2.10 अनुसार अद्यतन संशोधन, निर्धारित तिथि (Key Date) अनुसार तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जारी एस.ओ.आर. जो कि निम्नलिखित कॉलम क्रमांक 11 में दर्शित है, के अनुसार प्रभावशील दर अनुसूची सहित ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। आमंत्रित निविदा शासन के पोर्टल http://mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विवरण निम्नानुसार है :– (निविदा संशोधन से संबंधित जानकारियां ऑनलाइन देखी जा सकती है, जो कि प्रकाशित नहीं की जायेगी।)

| ग्रायां सेवा संभाग | सिस्टम टेण्डर नंबर | विकास खण्ड | निविदा लागत (PAC) (राशि रुपये में) | अमानत राशि (राशि रुपये में) | निविदा प्रपत्र का मूल्य (राशि रुपये में) | समयावधि (वर्षाकाल सहित) | आमंत्रण का क्रम | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में लागू दर अनुसूची का |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **स.क्र. एवं कार्य का नाम** : 1. ग्राम पिपरिया सलैया में पिपरिया केवलारी के बीच स्टाप डेम निर्माण | | | | | | | | |
| जबलपुर | 2022_RES_ 240028_1 | जबलपुर | 17546490/- | 175465/- | 12500/- | 365 दिवस | तृतीय | 04.01.2019 |
| **स.क्र. एवं कार्य का नाम** : 2. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनांतर्गत घिसर्री नदी बगड़मारा ग्राम के पास प्रोटेक्शन वॉल लंबाई 0.70 कि.मी. | | | | | | | | |
| बालाघाट क्र. 02 | 2022_RES_ 240038_1 | किरनापुर | 8376672/- | 83767/- | 10000/- | 240 दिन | द्वितीय | 04.01.2019 |
| **स.क्र. एवं कार्य का नाम** : 3. करेजा से बडगांव (म) मार्ग पर स्लेब कल्वर्ट निर्माण कार्य | | | | | | | | |
| बालाघाट क्र. 02 | 2022_RES_ 240039_1 | लांजी | 8229300/- | 82293/- | 10000/- | 240 दिवस | प्रथम | 11.04.2022 |
| **स.क्र. एवं कार्य का नाम** : 4. मिरिया से माताटोला मार्ग पर स्लेब कल्वर्ट निर्माण कार्य | | | | | | | | |
| बालाघाट क्र. 02 | 2022_RES_ 240041_1 | लांजी | 7327600/- | 73276/- | 10000/- | 240 दिवस | प्रथम | 11.04.2022 |
| **स.क्र. एवं कार्य का नाम** : 5. सहेकी से पाल डोंगरी पहुंच मार्ग पर स्लेब कल्वर्ट निर्माण कार्य | | | | | | | | |
| बालाघाट क्र. 02 | 2022_RES_ 240043_1 | लांजी | 5892600/- | 58926/- | 10000/- | 210 दिवस | प्रथम | 11.04.2022 |
| **स.क्र. एवं कार्य का नाम** : 6. ग्रेवल रोड निर्माण कार्य सुगमा से शहपुरा मार्ग 1.75 कि.मी. मय 10 मी. से अधिक स्थान का स्लेब कल्वर्ट निर्माण ग्रा.पं. सुगमा | | | | | | | | |
| कटनी | 2022_RES_ 240044_1 | रीठी | 7447539/- | 74475/- | 10000/- | 300 दिन | द्वितीय | 04.01.2019 |
| **स.क्र. एवं कार्य का नाम** : 7. आवास टोला से केप पहुंच मार्ग तक स्लेब कल्वर्ट निर्माण कार्य | | | | | | | | |
| बालाघाट क्र. 02 | 2022_RES_ 240046_1 | लांजी | 3643500/- | 50000/- | 5000/- | 180 दिवस240046_1 | प्रथम | 11.04.2022 |
| **स.क्र. एवं कार्य का नाम** : 8. ग्राम बोलेगांव में देवी मंदिर के पास स्लेब कल्वर्ट निर्माण कार्य | | | | | | | | |
| बालाघाट क्र. 02 | 2022_RES_ 240048_1 | लांजी | 2909000/- | 50000/- | 5000/- | 180 दिवस | प्रथम | 11.04.2022 |
| **स.क्र. एवं कार्य का नाम** : 9. जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ परिसर में दुकान एवं बाउण्ड्री निर्माण | | | | | | | | |
| कटनी | 2022_RES_ 240050_1 | विजय-राघवगढ | 2170556/- | 43412/- | 5000/- | 180 दिवस | प्रथम | 11.04.2022 |
| **स.क्र. एवं कार्य का नाम** : 10. के.जी.बी.व्ही. छात्रावास में 04 अतिरिक्त रेमेडियल क्लास रूम निर्माण कार्य | | | | | | | | |
| बालाघाट क्र. 01 | 2022_RES_ 240052_1 | बैहर | 2117538/- | 42351/- | 5000/- | 180 दिवस | तृतीय | 11.04.2022 |
| **स.क्र. एवं कार्य का नाम** : 11. जामुनपानी से सियारखेड़ा मार्ग पर 10 मीटर से अधिक स्थान की पुल-पुलिया निर्माण कार्य | | | | | | | | |
| छिंदवाड़ा - 1 | 2022_RES_ 240246_1 | हर्रई | 2776000/- | 50000/- | 5000/- दिवस | 180 | द्वितीय | 04.01.2019 |
| **स.क्र. एवं कार्य का नाम** : 12. मुड़िया से मोतीकुण्ड मार्ग पर 10 मीटर से अधिक स्थान की पुल-पुलिया निर्माण कार्य | | | | | | | | |
| छिंदवाड़ा - 1 | 2022_RES_ 240247_1 | हर्रई | 4385000/- | 50000/- | 5000/- | 180 दिवस | द्वितीय | 04.01.2019 |

**निविदा संबंधी तिथियां (Key Dates) :-**

(1) Date of Publishing of Tender/Document Download/Sale Start Date - 03.01.2023 (11:00 AM)
(2) Document Download/Sale End Date/Technical Bid submision End Date - **16.01.2023 (05:00 PM)**
(3) Bid Opening Date - 18.01.2023 (11:00 AM)

**अधीक्षण यंत्री**
**जी-21149/47980/2023** **ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जबलपुर मण्डल जबलपुर**

## कार्यालय संचालक, राज्य स्तरीय रोज़गार एवं प्रशिक्षण केंद्र (पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण)

**भदभदा रोड, भोपाल**

**क्र./रो.प्रशि./2022-23/24** **भोपाल, दिनांक 03.01.2023**

### विज्ञापन

पिछड़े वर्ग के बेरोज़गार युवक-युवतियों को जापान में रोज़गार उपलब्ध कराने की योजना-2022 अंतर्गत मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग के इच्छुक युवाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। योजना अंतर्गत चयनित युवाओं को सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत जापान में नियोक्ता की मांग अनुसार विभिन्न ट्रेड्स में 03 से 05 वर्ष के लिए आकर्षक रोज़गार हेतु जापान भेजा जाना है।

1. जापान में रोज़गार हेतु निर्धारित ट्रेड्स, स्वीकृत छात्र संख्या एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र. | स्वीकृत ट्रेड्स | आवेदक की शैक्षणिक योग्यता | आवेदक की आयु (वर्षों में) | स्वीकृत छात्र संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Manufacturing | न्यूनतम SSC उत्तीर्ण एवं संबंधित विषय में आई.टी.आई./डिप्लोमा अथवा न्यूनतम SSC उत्तीर्ण एवं संबंधित विषय में NSQF लेवल-4 उत्तीर्ण | 18 से 30 | 40* |
| 02 | Construction | --DO-- | 18 से 30 | 40* |
| 03 | Hospitality (Care Worker) | --DO-- | 18 से 30 | 80* |
| 04 | Agriculture | --DO-- | 18 से 30 | 40* |

* आवेदक युवाओं की रुचि एवं जापान में रोज़गार की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कम अथवा अधिक हो सकती है।

2. प्रशिक्षण शुल्क प्रति प्रशिक्षणार्थी अनुमानित रुपये 02 लाख है जिसमें से लगभग 50 प्रतिशत राशि आवेदक को वहन करनी होगी। प्रशिक्षण शुल्क में शामिल कौशल प्रशिक्षण तथा जापानी भाषा प्रशिक्षण का शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। डेपुटेशन फीस राज्य सरकार तथा आवेदक द्वारा बराबर-बराबर वहन करना पड़ेगा, जबकि जापान यात्रा पर होने वाला व्यय आवेदक द्वारा शत-प्रतिशत वहन करना पड़ेगा। आवेदक के चाहने पर जापान यात्रा पर होने वाले व्यय को मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम से ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा सकेगा।
3. **चयन प्रक्रिया** : प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के इच्छुक युवाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों की सर्वप्रथम छटनी (स्क्रूटनी) की जाकर पात्र आवेदकों को सूचीबद्ध किया जाएगा एवं शैक्षणिक योग्यता एवं प्राप्तांकों के आधार पर एक वरीयता सूची तैयार कर सूची को रोज़गार हेतु जापान भेजे जाने के लिए चयनित की गई संस्था को सौंपा जाएगा। तत्पश्चात उक्त संस्था द्वारा आवेदकों का साक्षात्कार लेकर युवाओं का प्रशिक्षण एवं रोज़गार हेतु चयन किया जाएगा। योजना अंतर्गत चयनित युवाओं को चयन की सूचना पृथक से दी जाएगी। चयनित युवाओं के चयन के 15 दिवस के अंदर रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार) जमा करने होंगे, जो कि वापसी योग्य नहीं (नॉन रिफन्डेबल) होंगे तथा जिसे प्रशिक्षण शुल्क के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।
4. उपरोक्त तालिका में दर्शित ट्रेड्स एवं निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के ऐसे युवक-युवतियों जो उक्त योजना अंतर्गत जापान जाने के इच्छुक हैं, वे आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट **www.bcwelfare.mp.nic.in** से डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्णतः भरा हुआ एवं आवश्यक संलग्न अभिलेखों सहित आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा ई-मेल द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में अथवा संबंधित जिले के सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के कार्यालय में डाक अथवा ई-मेल द्वारा जमा कर सकते हैं। इस कार्यालय की ई-मेल आई.डी. एवं विभागीय जिला अधिकारियों की ई-मेल आई.डी. भी विभाग के उपरोक्त पोर्टल पर उपलब्ध है। योजना अंतर्गत आवेदन जमा करने की **अंतिम दिनांक 31.01.2023 सायं 05:00 बजे तक** है। उक्त अवधि के पूर्व अपना आवेदन उपरोक्त कार्यालयों में पहुंचाना सुनिश्चित करें।

**संचालक**
**राज्य स्तरीय रोज. एवं प्रशि. केंद्र**
**जी-21360/48032/2023** **(पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.क.) भोपाल**

## कार्यालय कार्यपालन यंत्री राजधानी संभाग क्रमांक-2, लोक निर्माण विभाग ई-5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल, दूरभाष : 0755-2465467

**क्रमांक 08 /ब.ले.लि./सी.2/2022-23** **भोपाल, दिनांक : 27.12.2022**

### निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीयकृत पंजीयन के तहत पंजीकृत निविदाकारों से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट : **http://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है :-

| क्र. एन.आई.टी. क्र. | सिस्टम टेन्डर नं. | कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत (रु. लाखों में) | अमानत राशि | निविदा प्रपत्र का मूल्य | भौतिक रूप से एनवलप प्रस्तुत करने का कार्यालय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 53/SAC dt. 27.12. 2022 | 2022_ CPA_ 240207 _1 | सतपुड़ा भवन में चौथी मंजिल स्थित तकनीकी शिक्षा विभाग में आंतरिक नवीनीकरण फर्नीशिंग एवं उन्नयनीकरण कार्य। | रु. 323.85 लाख (रु. तीन करोड़ तेइस लाख पिच्यासी हजार) | रु. 3,23,850 | रु. 15,000 | केवल ऑनलाइन प्रस्तुत करना है |

उपरोक्त वेबसाइट से ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेन्डर डोक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेंगे। निविदा प्रपत्र क्रय. डाउनलोड एवं ऑनलाइन प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 13.01.2023 सायं 5.30 बजे** निर्धारित है। विस्तृत एनआईटी एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है।

**कार्यपालन यंत्री**
**राजधानी संभाग क्रमांक-2**
**लोक निर्माण विभाग, ई-5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल**
**जी-21104/47971/2023** **दूरभाष-0755 2465467**

कॅरियर की राहें

# ऑनलाइन गेमिंग में लगातार बढ़ रहे हैं कॅरियर के अवसर

**'रोज़गार और निर्माण' के पाठकों के लिये 'कॅरियर की राहें' नाम से उपयोगी स्तंभ लगातार प्रकाशित किया जा रहा है। अच्छे कॅरियर के लिये जरूरी है कि युवा कॅरियर की विभिन्न विधाओं से परिचित हों और अपनी रुचि, योग्यता और क्षमताओं के अनुरूप अपने लिये उपयुक्त कॅरियर का निर्धारण करें। पिछले 40 वर्षों से नई पीढ़ी के लिये कॅरियर संबंधी विषयों पर नियमित लेखन कर रहे, डॉ. जयंतीलाल भंडारी युवाओं को कॅरियर के विभिन्न अवसरों से परिचित कराते हुये आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दे रहे हैं।**

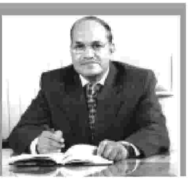

**इस समय दुनिया के साथ-साथ भारत में भी तेजी से बढ़ते हुए ऑनलाइन गेमिंग में कॅरियर के मौके लगातार आगे बढ़ रहे हैं।**

### ऑनलाइन गेमिंग में 'क्रिएट इन इंडिया' की नीति

'वोकल फॉर लोकल' और 'मेक इन इंडिया' की नीति को प्राथमिकता पर लेकर

चल रही सरकार एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक (एवीजीसी) के क्षेत्र में भी 'क्रिएट इन इंडिया' की तर्ज पर आगे बढ़ रही है। डिजिटल इंडिया सरकार का मिशन है और तकनीक के साथ कदमताल करते हुए भारत अब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक के बढ़ते बाजार पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है। इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा बनाए गए एवीजीसी टास्क फोर्स ने जनवरी 2023 में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में एवीजीसी सेक्टर ने 2021 में 28 प्रतिशत की ग्रोथ पाई और अब ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं। भारत विश्व के शीर्ष पांच सर्वाधिक संभावनाओं वाले देशों में शामिल हो गया है।

### ऑनलाइन गेमिंग के बढ़ते बाजार के साथ बढ़ते कॅरियर अवसर

अब भारतीय प्लेयर्स अन्य देशों में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। गेमिंग रिपोर्ट इंडिया-2022 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में कुल गेमर्स की संख्या करीब 45 करोड़ है, जो 2025 में बढ़कर 70 करोड़ तक हो जाएगी। इसी साल 2023 के अंत तक भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री 2.6 अरब डॉलर की आंकी जा रही है, जिसके साल 2027 तक 8.6 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

चूंकि भारत की आबादी में युवाओं का बहुत बड़ा हिस्सा है, अतएव देश में इसका बाजार भी बड़ा है। देश में अभी गेम डेवलपमेंट के क्षेत्र में इंडिया गेम्स, ध्रुव इंटरैक्टिव, पाराडौक्स, वी-बीइंग जैसी कुछ प्रमुख कंपनियां काम कर रही हैं। इसके अलावा कई मल्टीनेशनल कंपनियां भी भारत में अपनी दस्तक दे चुकी हैं। देश में गेमिंग इंडस्ट्री की तेज तरक्की के पीछे सस्ते स्मार्टफोन्स एवं डाटा की उपलब्धता का बड़ा हाथ है। भारत में गेमिंग उद्योग के तेजी से आगे बढ़ने की प्रमुख वजह वीडियो गेम डेवलपमेंट पर अन्य देशों के मुकाबले कम धनराशि खर्च होना है।

### ऑनलाइन गेमिंग में कॅरियर के नए आयाम

खासतौर से वर्चुअल रियलिटी तथा आग्मेंटेड रियलिटी तकनीक ने वीडियो गेमिंग

को तेजी से बढ़ाया है। वर्चुअल रियलिटी और आग्मेंटेड रियलिटी का मतलब है आभासी सच्चाई। यानी आपको सब कुछ असली-सा दिखेगा, लेकिन असल में वह आभासी होता है।

यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कुछ साल पहले तक गेम्स प्लेग्राउंड्स में खेले जाते थे तथा कुछ गेम्स इंडोर खेले जाते थे और विभिन्न गेम्स खेलने वाले खिलाड़ी अपनी अलग-अलग पहचान बनाते थे। लेकिन अब नए दौर में अधिकांश गेम्स स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स या कम्प्यूटर पर वीडियो गेम्स के रूप में खेले जाते हैं। बच्चे आज गिल्ली-डंडा, कबड्डी, खो-खो जैसे खेलों से वाफिक हों या न हों, लेकिन सुपर मारियो, सुपर कॉन्ट्रा, बॉम्बर मैन जैसे वीडियो गेमों से वे भली-भांति परिचित होते हैं। वीडियो गेमिंग के जरिए बच्चे सुपर हीरो के साथ-साथ अपने हाथ-पैर चला सकते हैं। दुश्मनों से दो-दो हाथ कर सकते हैं। यही कारण है कि वीडियो गेम्स में नई पीढ़ी की रुचि लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के साथ नए-नए गेम्स की मांग भी बढ़ती जा रही है।

### ऑनलाइन गेमिंग कॅरियर की स्किल्स

ऑनलाइन गेम बनाने की प्रक्रिया वैज्ञानिक ज्ञान, कलात्मक एवं रचनात्मक क्षमता का अनोखा मिश्रण है। वीडियो गेम के निर्माण में कलात्मक प्रतिभा, दिमागी कौशल ही नहीं, बल्कि धैर्य का होना भी बहुत आवश्यक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वीडियो गेमिंग के तहत अच्छे कॅरियर के लिए वीआर/एआर टेक्नोलॉजी और कम्प्यूटर साइंस की बड़ी अहमियत है। तेजी से बढ़ रही मोबाइल गेमिंग के लिहाज से 5जी तकनीक की विस्तृत जानकारी होना भी गेमिंग क्षेत्र में कॅरियर बनाने के लिए आवश्यक है। आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, वर्चुअल रियलिटी का भरपूर ज्ञान

होना जरूरी है। कई घंटों का अभ्यास और ऑडियंस को अपने गेम में बांधे रखने का हुनर होना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, सी ++, जावा, एमईएल तथा गणित की अच्छी जानकारी रखनी होगी। इसी तरह अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, विजुअलाइजेशन स्किल, ड्राइंग एप्टिट्यूड, कलर की समझ और टीमवर्क जैसी स्किल्स इस प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है।

### ऑनलाइन गेमिंग में कॅरियर के अवसर

ट्रिनिटी गेमिंग इंडिया के मुताबिक गेमर्स गेमिंग में कई प्रकार के कॅरियर बना सकते हैं, जिसमें ई-स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, कंटेंट क्रिएशन, ई-स्पोर्ट्स एथलीट, टैलेंट मैनेजमेंट, मेंटरशिप और कोचिंग शामिल हैं। गेमर्स विज्ञापनों, गुड्स रेवेन्यू, प्लेटफॉर्म रेवेन्यू या स्पॉन्सरशिप से आने वाले पैसों से भी कमाई कर सकते हैं।

### ऑनलाइन गेमिंग में कॅरियर की शैक्षणिक जरूरतें

देश में 12वीं के बाद वीडियो गेमिंग में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, एडवांस स्तर के कई कोर्स उपलब्ध हैं। एनिमेशन और मल्टीमीडिया कोर्स के अंतर्गत भी गेमिंग की जानकारी दी जाती है। कोर्स में ड्राइंग, डिजाइनिंग, प्रोडक्शन, प्रोग्रामिंग, लाइटिंग, एनिमेशन और डिजिटल आर्ट्स की जानकारी दी जाती है। कम्प्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या इससे जुड़े पाठ्यक्रम में बीटेक/बीएससी की डिग्रियां लाभप्रद होती हैं। वीडियो गेमिंग से संबंधित प्रमुख कोर्स इस प्रकार हैं- एडवांस डिप्लोमा इन गेम डिजाइन/डेवलपमेंट, एडवांस सर्टिफिकेट इन गेम आर्ट एंड इंटीग्रेशन, सर्टिफिकेट कोर्स इन गेम डिजाइन, डिप्लोमा इन एनिमेशन, गेमिंग

एंड स्पेशल इफेक्ट्स, बीएससी इन गेमिंग, एमएससी इन गेमिंग, पीजी डिप्लोमा इन गेम डिजाइन/डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन गेम प्रोग्रामिंग।

### कहां से करें ऑनलाइन गेमिंग कोर्स

मध्यप्रदेश और देश में वीडियो गेमिंग का कोर्स कराने वाले कई संस्थान हैं। उपयुक्तता के अनुरूप वीडियो गेमिंग से संबंधित किसी गुणवत्तापूर्ण संस्थान का चयन करके ऑनलाइन गेमिंग के कॅरियर के अवसर मुट्ठियों में लिए जा सकते हैं।

- डॉ. जयंतीलाल भंडारी
(लेखक कॅरियर मार्गदर्शन के लिये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रतिष्ठित हैं।)

## विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये महत्वपूर्ण प्रश्न

# सामान्य ज्ञान - खेल

**1. वर्ष 2024 में किस शहर में ओलिंपिक खेल आयोजित किए जायेंगे?**
(अ) बीजिंग (ब) पेरिस
(स) लॉस एंजेलिस (द) ब्रिस्बेन

**2. इस वर्ष भारत में आयोजित होने वाले पुरुष हॉकी वर्ल्डकप में कितनी टीम खेलेंगी?**
(अ) 12 (ब) 14
(स) 16 (द) 24

**3. सविता पूनिया भारतीय महिला हॉकी टीम में किस पोजीशन में खेलती हैं?**
(अ) डिफेंडर (ब) फॉरवर्ड
(स) मिडफील्डर (द) गोलकीपर

**4. इनमें से किस भारतीय पहलवान ने विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है?**
(अ) सुशील कुमार
(ब) बजरंग पूनिया
(स) योगेश्वर दत्त
(द) इनमें से कोई नहीं

**5. डायमंड लीग किस खेल की वैश्विक प्रतियोगिता है?**
(अ) फुटबॉल (ब) गोल्फ
(स) बेसबॉल (द) एथलेटिक्स

**6. लुईस हेमिल्टन ने पहली बार फॉर्मूला-वन चैम्पियनशिप कब जीती थी?**
(अ) वर्ष 2004 (ब) वर्ष 2006
(स) वर्ष 2008 (द) वर्ष 2010

**7. वर्ष 2021 में मार्लोका ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस खिलाड़ी ने जीता है?**
(अ) सैम क्वेरी
(ब) डेनिल मेदवेदेव
(स) थॉमस बर्डिच
(द) निक किर्गियोस

**8. वर्ष 2022 में खेले गए आईसीसी टी-20 वर्ल्डकप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं?**
(अ) बेन स्टोक्स (ब) बाबर आजम
(स) सैम करन (द) एलेक्स कैरी

**9. भारत एफआईएच पुरुष हॉकी वर्ल्डकप-2023 में पहला मैच किस देश के विरुद्ध खेलेगा?**
(अ) मलेशिया (ब) इंग्लैंड
(स) अर्जेंटीना (द) स्पेन

**10. वर्ष 2022 में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है?**
(अ) मुंबई (ब) सौराष्ट्र
(स) कर्नाटक (द) केरल

**11. इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का दोबारा अध्यक्ष चुना गया है?**
(अ) जय शाह
(ब) एहसान मनी
(स) ग्रेग बार्कले
(द) इनमें से कोई नहीं

**12. साइना नेहवाल ने किस वर्ष इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब जीता था?**
(अ) वर्ष 2018 (ब) वर्ष 2019
(स) वर्ष 2020 (द) वर्ष 2022

**13. पॉल पोग्बा किस देश के दिग्गज फुटबॉलर हैं?**
(अ) फ्रांस (ब) इंग्लैंड
(स) अर्जेंटीना (द) क्रोएशिया

**14. रोहित शर्मा ने वन-डे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने शतक बनाये हैं?**
(अ) 27 (ब) 29
(स) 30 (द) 34

**15. लवलीना बोरगोहेन किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं?**
(अ) टेनिस (ब) निशानेबाजी
(स) मुक्केबाजी (द) कुश्ती

**16. वर्ष 2022 में किस देश में एशियन मुक्केबाजी चैम्पियनशिप आयोजित हुई थी?**
(अ) बहरीन (ब) कतर
(स) मलेशिया (द) जॉर्डन

**17. ब्राजील के फुटबॉलर नेमार किस क्लब के लिए खेलते हैं?**
(अ) पेरिस सेंट जर्मेन
(ब) बार्सिलोना
(स) चेल्सी
(द) बायर्न म्युनिख

**18. वन-डे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए दो बार हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज हैं?**
(अ) कपिल देव
(ब) मोहम्मद शमी
(स) कुलदीप यादव
(द) जसप्रीत बुमराह

**19. इनमें से किस टूर्नामेंट का संबंध फुटबॉल से है?**
(अ) ईरानी ट्रॉफी (ब) उबेर कप
(स) डेविस कप (द) रोवर्स कप

**20. ओलिंपिक खेलों में तलवारबाजी स्पर्धा में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय हैं?**
(अ) तनिषा खत्री
(ब) कविता देवी
(स) भवानी देवी
(द) इनमें से कोई नहीं

**21. वर्ष 2022 में किस देश ने फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्डकप का खिताब जीता है?**
(अ) अमेरिका (ब) स्पेन
(स) इटली (द) क्रोएशिया

**22. युवराज सिंह ने टवेंटी-20 में किस गेंदबाज के एक ओवर में छह छक्के लगाए थे?**
(अ) स्टुअर्ट ब्रॉड
(ब) एंड्रयू फ्लिंटॉफ
(स) क्रिस ट्रेमलेट
(द) एश्ले जाइल्स

**23. किस देश ने वर्ष 2022 में थॉमस कप का खिताब जीता था?**
(अ) इंडोनेशिया (ब) भारत
(स) जापान (द) डेनमार्क

**24. फीफा वर्ल्डकप के इतिहास में सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला अफ्रीकी देश है?**
(अ) मोरक्को (ब) मिस्र
(स) ट्यूनीशिया (द) घाना

**25. पैट कमिंस किस देश की टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान हैं?**
(अ) इंग्लैंड (ब) वेस्टइंडीज
(स) न्यूजीलैंड (द) ऑस्ट्रेलिया

### उत्तर

1. (ब), 2. (स), 3. (द), 4. (अ), 5. (द), 6. (स), 7. (ब), 8. (स), 9. (द), 10. (अ), 11. (स), 12. (ब), 13. (अ), 14. (ब), 15. (स), 16. (द), 17. (अ), 18. (स), 19. (द), 20. (स), 21. (ब), 22. (अ), 23. (ब), 24. (अ), 25. (द)।

- पुष्पेंद्र कुमार सविता
(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाले विषयों पर लेखन करते हैं।)